प्राधिकरण बोर्ड की 154वीं बैठक हेतु विचारणीय बिन्दुओं की सूची

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

तिथि :- 23 मई, 2015

समय :- प्रातः 11.30 बजे

स्थान :- मसऊद सभागार, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की 154वीं बैठक दिनांक 23.05.2015 में विचारणीय विषयों की कार्य सूची

क्रम	विषय	पृष्ठ संख्या
1	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28.02.2015 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	01
2	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28.02.2015 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	20
3	मानसरोवर योजना सेक्टर-ओ, कानपुर रोड के तलपट मानचित्र के अन्तर्गत दर्शित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0-जी0एच0-4 के सम्बन्ध में।	43
4	शारदा नगर योजना के अन्तर्गत राधा खण्ड शहीद पथ एवं रमाबाई अम्बेदकर मैदान के निकट स्थित प्राधिकरण की भूमि प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के निर्माण हेतु विन्यास मानचित्र संशोधन के सम्बन्ध में।	47
5	उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं समग्रहण) नियमावली 2014 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	50
6	मे0 ईमार एम0जी0एफ0 लैण्ड लि0 द्वारा गोमती नगर के सेक्टर-7 के निकट 91.61 हेक्टेयर भूमि पर विकासाधीन इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के संशोधित ले-आउट के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	61
7	मे0 ओमेक्स लि0 द्वारा गोमती नगर के सेक्टर-7 के निकट विकासाधीन इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के संशोधित ले-आउट प्लान के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	65
8	लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा निर्धारित अवधि के लिए पट्टे पर दिये गये भूखण्डों को बिना नामान्तरण/नवीनीकरण कराये मूल पट्टेदार या उनके विधिक उत्तराधिकारियों अथवा अन्य क्रेता से (जो मूल पट्टेदार अथवा विधिक उत्तराधिकारियों की श्रेणियों में नही आते है) के द्वारा पट्टा अवधि में विक्रय कर दिये जाने के बाद क्रेता के पक्ष में नामान्तरण/पट्टे का नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।	74
9	गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत लम्बित 61 परिसम्पत्तियों के मूल्यांकित धनराशि का भुगतान एवं विस्थापित कोटें में निःशुल्क भूखण्ड आवंटन करने के सम्बन्ध में।	76
10	राष्ट्रीय कथक संस्थान को गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-7 में आवंटित/लीज पर निबन्धित भूखण्ड सं0-7/27 पर तालाब की भूमि पड़ जाने के कारण इसी सेक्टर में भूखण्ड समायोजन/लीज डीड पर आने वाला स्टैम्प आदि का व्यय प्राधिकरण द्वारा वहन किये जाने के सम्बन्ध में।	88
11	खसरा सं0-274 एवं 275, ग्राम-सरसवां तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ, सुल्तानपुर रोड के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	90
12	सुल्तानुपर रोड से गोमती नगर विस्तार सेक्टर-7 होते हुए गोमती नदी के दोनों तरफ प्रस्तावित बाढ़ सुरक्षा बाँध के निर्माण, संरेखण, भू-अर्जन व	96

	निर्माण लागत के निर्धारण हेतु समिति के गठन पर विचार।	
13	कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर-बी (नगर केन्द्र) के अन्तर्गत तलपट मानचित्र में प्रदर्शित विद्युत सब-स्टेशन को व्यावसायिक तथा पेट्रोल पम्प व ढाबा को तलपट मानचित्र में परिवर्तन कर चबूतरे करने के सम्बन्ध में।	97
14	दिनांक 10.06.2014 को सम्पन्न हुई प्राधिकरण बोर्ड की 152वीं बैठक की स्वीकृति के क्रम में आजाद नगर योजना के बी-ब्लाक में 629.00 वर्गमी0 रिक्त भूमि पर विद्युत उपकेन्द्र बनाने हेतु आजाद नगर के ले-आउट में दर्शित कन्वीनियेन्ट शाप (लोकल शाप) भूखण्ड/भूमि को सामुदायिक सुविधाएँ (सब-स्टेशन) में संशोधन करने के सम्बन्ध में।	100
15	भूखण्ड सं0-2, रफी अहमद किदवई नगर (एल्डिको ग्रीन) के भू-उपयोग को स्वीकृत तलपट मानचित्र में पेट्रोल पम्प से व्यावसायिक में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	103
16	जानकीपुरम् योजना के सेक्टर-एच के ले-आउट के संशोधन के सम्बन्ध में।	107
17	आई0डी0 सिंह मेमोरियल डेन्टल कालेज द्वारा खसरा सं0-201, 204, 205, 218, 219, 220, 221, 222 एवं 223 का भू-उपयोग 'आवासीय' से 'सामुदायिक सुविधाएँ' उपयोगितायें एवं सेवायें (डेन्टल कालेज) में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	112
18	बाल्दा रोड कालोनी स्थित किराये पर आवंटित भवन संख्या-ए-2/5 तथा गैराज संख्या-1 के विक्रय हेतु देय धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।	115
	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।	

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28 फरवरी, 2015 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

पुष्टिकरण

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28 फरवरी, 2015 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु संलग्न है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 153वीं बैठक दिनांक 28 फरवरी, 2015 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

01.	श्री महेश कुमार गुप्ता	अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
02.	श्री सत्येन्द्र सिंह	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
03.	श्री राज शेखर	जिलाधिकारी, लखनऊ।
04.	श्री उदय राज सिंह	नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
05.	श्री शिवजनम चौधरी	संयुक्त सचिव, प्रतिनिध्ि-प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन
06.	श्री अजय कुमार मिश्र	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश।
07.	श्री पी0सी0 श्रीवास्तव	अपर निदेशक, प्रतिनिधि-न्दिेशक, कोषागार, लखनऊ।
8.	श्री विजय सिंह यादव	सदस्य, ल0वि0प्रा0
9.	श्रीमती मुन्नी पाल	सदस्य, ल0वि0प्रा0
10.	श्री इशहाक गुड्डू	सदस्य, ल0वि0प्रा0

अन्य उपस्थिति :

11.	श्री श्रीश चन्द्र वर्मा	सचिव, ल0वि0प्रा0।
12.	डा0 मोहन यादव	वित्त नियंत्रक, ल0वि0प्रा0।
13.	श्री रणविजय सिंह	संयुक्त सचिव, ल0वि0प्रा0।
14.	श्री ओ0पी0 मिश्र	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
15.	श्री जे0एन0 रेड्डी	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् उपस्थित सदस्यों के औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

विषय संख्या : 1 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.06.2014 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : — प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 2 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.06.2014 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : — प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नांकित बिन्दुओं की अनुपालन आख्या पर विशिष्ट निर्देश दिये गये:-

1. विषय संख्या-6 आजाद नगर योजना ब्लाक-बी में लखनऊ मॉडल पब्लिक स्कूल से सटी रिक्त भूमि को उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन को 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बनाने हेतु निःशुल्क उपलब्ध कराये के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
2. विषय संख्या-19 भूमि खसरा संख्या-85पी ग्राम विजईपुर (गोमती नगर योजना भाग-2) पर श्रीमती रामदुलारी गोयल, (सचिन सुर्खी उद्योग) द्वारा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-43(1) के अन्तर्गत योजित पुनरीक्षण वाद सम्बन्धी प्रकरण के निस्तारण हेतु शासन के आदेश के क्रम में याची के पक्ष में समायोजित उक्त भूखण्ड का निबन्धन कराये जाने के सम्बन्ध क्या कार्यवाही की गई? स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
3. विषय संख्या-20 के अनुपालन के अवलोकनोपरान्त निर्देशित किया गया कि भूमि के मूल्यांकन का निस्तारण जिलाधिकारी शीघ्रातिशीघ्र करायें।
4. अनुपूरक विषय संख्या-2 पर लिये गये निर्णय के क्रम में संशोधित डी0पी0आर0 दिनांक 18.09.2014 पर समिति की बैठक दिनांक 09.10.2014 के संलग्न कार्यवृत्त के 19 बिन्दुओं का अवलोकन करते हुए निर्देशित किया गया कि

प्राधिकरण यह सुनिश्चित करायगां कि गठित समिति द्वारा जो भी प्रतिबन्ध लगाये गये है, उनका अनुपालन सम्बन्धित फर्म द्वारा पूर्ण किया जाएगा तथा मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष जनहित याचिका संख्या-11507(एम0/बी0) /2014 श्री विनोद कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य, जनहित याचिका संख्या-11015(एम0बी0) /2013 दिनांक 25.03.2014 एवं अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन सम्बन्धित फर्म द्वारा किया जायेगा।

5. अनुपूरक विषय संख्या-6 देवपुर योजना में त्वरित गति से कार्यवाही कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

<u>विषय संख्या : 3</u> अक्षय पात्र फाण्डेशन द्वारा प्रस्तावित केन्द्रीय किचेन के भवन निर्माण मानचित्र पर अनापत्ति को परिचालन के माध्यम से अनुमोदन की पुष्टि।

<u>निर्णय :</u> परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।

<u>विषय संख्या : 4</u> लखनऊ विकास क्षेत्र के विस्तारीकरण के अन्तर्गत विकास खण्ड-काकोरी के 16 ग्रामों को सम्मिलित करने हेतु परिचालन के माध्यम से अनुमोदन की पुष्टि।

<u>निर्णय :</u> परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी एव यह भी निर्देश दिये गये कि जिन 16 गावों को प्राधिकरण विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है, वहाँ इस आशय की होर्डिंग्स आदि लगवा दिये जाये कि उक्त क्षेत्र प्राधिकरण के विकास क्षेत्रान्तर्गत है एवं बिना प्राधिकरण की अनुमति के खरीद-फरोख्त करना नियम विरूद्ध है तथा दैनिक समाचार पत्रों में इस आशय की विज्ञाप्ति भी प्रकाशित कराई जाये।

<u>विषय संख्या : 5</u> अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का तलपट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से अनुमोदन की पुष्टि।

<u>निर्णय :</u> परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।

<u>विषय संख्या : 6</u> चक गंजरिया फार्म परियोजना में स्थित आईटी सिटी परियोजना हेतु प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से अनुमोदन की पुष्टि।

<u>निर्णय :</u> परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।

<u>विषय संख्या : 7</u>	जानकीपुरम् विस्तार योजना से0–11 लखनऊ अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्ड पर यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तावित मानचित्र तकनीकी समिति की स्वीकृति उपरान्त परिचालन के माध्यम से अनुमोदन की पुष्टि।
<u>निर्णय :</u>	परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।
<u>विषय संख्या : 8</u>	जनेश्वर मिश्र लखनऊ पार्क हेतु सम्पर्क मार्ग विकास हेतु लगभग 2665 वर्गमी भूमि के मनोरंजनात्मक पार्क एवं खुला स्थल भू–उपयोग को यातायात एवं परिवहन सड़क में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।
<u>निर्णय :</u>	अनुमोदित। उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
<u>विषय संख्या : 9</u>	गोमती नगर विस्तार, सेक्टर–7 में क्रिकेट स्टेडियम के निकट लखनऊ विकास प्राधिकरण की रिक्त भूमि के नियोजन के सम्बन्ध में।
<u>निर्णय :</u>	प्राधिकरण की रिक्त भूमि के नियोजन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया। विस्तृत कार्ययोजना बनाकर प्राधिकरण की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
<u>विषय संख्या : 10</u>	विभूति खण्ड, गोमती नगर में निर्माणाधीन मा0 उच्च न्यायालय को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।
<u>निर्णय :</u>	सम्यक् विचारोपरान्त विभूति खण्ड, गोमती नगर में निर्माणाधीन मा0 उच्च न्यायालय के कोर्ट भवन से 100 मी0 परिसर को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किये जाने के प्रस्ताव को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले पूर्व निर्मित भवनों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं भविष्य में उक्त क्षेत्रान्तर्गत जो भी मानचित्र स्वीकृत होंगे वह हाई सिक्योरिटी जोन हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप ही स्वीकृत किये जायेंगे। इस निर्देश के साथ प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
<u>विषय संख्या : 11</u>	प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के साथ रियल स्टेट की भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।
<u>निर्णय :</u>	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम योजना के स्विटनर के रूप में रियल इस्टेट के 66 एकड़ भूमि में से व्यावसायिक उपयोग हेतु प्रस्तावित 10.21 हे0 भूमि को निःशुल्क 'व्यावसायिक' भू–उपयोग में परिवर्तित किये जाने विषयक

प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही करते हुए शासन को प्रेषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

<u>विषय संख्या : 12</u>

खसरा संख्या-274 एवं 275 ग्राम-सरसवां, तहसील-मोहनलालगंज लखनऊ, सुल्तानपुर रोड के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

खसरा संख्या-274 एवं 275 ग्राम-सरसवां, तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ, सुल्तानपुर रोड की भूमि क्षेत्रफल 0.9778 हे0 के 'मनोरंजनात्मक' (पार्क, खुला स्थल/हरित पट्टी) भू-उपयोग से नियमानुसार परिवर्तन शुल्क प्राप्त करते हुए 'आवासीय' भू-उपयोग में परिवर्तित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर विचार-विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित जाय, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे:-

1. अपर जिलाधिकारी (वि. एवं रा.), लखनऊ - सदस्य
2. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ द्वारा नामित अधिशासी अभियन्ता - सदस्य
3. मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक, उ0प्र0 द्वारा नामित अधिकारी - सदस्य
4. मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0 - सदस्य संयोजक

उपर्युक्त समिति की संस्तुति/आख्या के आधार पर तथ्यपरक प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

<u>विषय संख्या : 13</u>

मानसरोवर योजना, सेक्टर-ओ, कानपुर रोड के तलपट मानचित्र के अन्तर्गत दर्शित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-जीएच-4 के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

अनुमोदित।

<u>विषय संख्या : 14</u>

मे0 अंसल ए0पी0आई0 द्वारा लखनऊ-कानपुर रोड पर विकसित की जा रही सुशान्त गोल्फ सिटी हाईटेक टाउनशिप के अन्तर्गत व्यावसायिक भूखण्ड आई0बी0बी0-2 के 'विन्यास-मानचित्र' के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

शासन द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन करने के उपरान्त मानचित्र को स्वीकृत/निर्गत किये जाने के प्रतिबन्ध के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 15

लखनऊ महायोजना 2021 की जोनिंग रेग्यूलेशन के अन्तर्गत आवासीय भूखण्डों में अनुषांगिक अनावासीय क्रियाओं की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

निर्णय :

लखनऊ महायोजना-2021 के अन्तर्गत जोनिंग रेगुलेशन के प्रस्तर-7.1.5 एवं 7.1.7.3 में यह उल्लेख किया गया है कि विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजनाओं/नियोजित रूप से विकसित क्षेत्रों में जोनिंग रेगुलेशन में निहित प्राविधानों के अधीन विचार नहीं किया जायेगा, क्योंकि स्वीकृत परिक्षेत्रीय योजना/विन्यास मानचित्र में भू-खण्ड का भू-उपयोग निर्दिष्ट किया जा चुका है। उक्त के क्रम में यह पाया गया कि शासन द्वारा जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि कतिपय अनुषांगिक क्रियाओं की अनुमन्यता सशर्त, विशेष अनुमति आदि के अधीन दी गयी है और कतिपय क्रियाएं निषिद्व भी हैं। प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक विचार-विमर्श किया गया और यह पाया गया कि स्वीकृत महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन के प्रस्तर-7.4 एवं 7.5 में विस्तृत गाइड लाइन्स निर्दिष्ट की गयी हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से चिन्हित है कि कितने चौड़े मार्ग पर कौन से उपयोग और किन भू-उपयोगों में कौन से उपयोग सम्यक विचारोपरान्त अनुमन्य किए जाएंगें और किन उपयोगों को निषिद्व किया जायेगा। अतएव यह निर्णय लिया गया कि नियोजित कालोनियों में भी शासन द्वारा जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन में अनुमन्य सशर्त व विशेष अनुमति की क्रियाएं भी अनुमन्य होंगीं और चूँकि यह नियोजित कालोनी है अतएव इसे नियोजन के दृष्टिकोण से इस हेतु गठित समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रकरणवार बोर्ड को संस्तुत किया जायेगा और बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा, ताकि कालोनियों का नियोजित स्वरूप अक्षुण्ण रह सके। इस हेतु जोनिंग रेगुलेशन के प्रस्तर-7.1.5 एवं 7.1.7.3 का संशोधन निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है, तद्नुसार शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायः-

प्रस्तर	वर्तमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
7.1.5 प्रभाव शुल्क (Impact Fee)	विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजनाओं/नियोजित रूप से विकसित क्षेत्रों में जहॉ नियोजन मानकों के अनुसार अनुषांगिक क्रियाओं का प्राविधान किया जा चुका है, के अन्तर्गत वर्तमान अथवा भविष्य में कतिपय अन्य क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा हेतु	विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजनाओं/ नियोजित रूप से विकसित क्षेत्रों में जहॉ नियोजन मानकों के अनुसार अनुषांगिक क्रियाओं का प्राविधान किया जा चुका है, के अन्तर्गत वर्तमान अथवा भविष्य में कतिपय अन्य

	आवेदन प्राप्त हो सकते हैं/होगें। ऐसे आवेदनों पर जोनिंग रेगुलेशन्स में निहित प्राविधानों के अधीन विचार नहीं किया जायेगा क्योंकि स्वीकृत परिक्षेत्रीय योजना/ विन्यास मानचित्र में भूखण्ड का भूउपयोग निर्दिष्ट किया जा चुका है किन्तु इन क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में जोनिंग रेगुलेशन्स में निहित प्राविधानों के अधीन विचार किया जायेगा। यदि निम्न भू–उपयोग जोन में उच्च उपयोग की अनुज्ञा प्रदान की जाती है तो इसके फलस्वरूप सम्बन्धित क्षेत्र में यातायात, अवस्थापनाओं तथा पर्यावरण पर प्रभाव पडेगा, अतः ऐसी अनुज्ञा के समय आवेदक द्वारा 'प्रभाव शुल्क' (Impact Fee) देय होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन प्रकरणों में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम–1973 के अधीन भू–उपयोग परिवर्तन निहित हो, में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा जबकि जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर अनुमन्य कियाओं/उपयोगों हेतु केवल प्रभाव शुल्क देय होगा। प्रभाव शुल्क महायोजना में निम्न भू–उपयोग से उच्च उपयोग में परिवर्तन शुल्क से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–3712/9–आ–3–2000–26एल.यू.सी./91, दिनांक 21.08.2001 एवं तत्सम्बन्धित प्रभावी अन्य शासनादेशों में निहित व्यवस्था को आधार मानकर वसूल किया जायेगा। प्रभाव शुल्क की राशि सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य कियाओं हेतु उक्त शासनादेश में निर्धारित शुल्क की 25 प्रतिशत तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य कियाओं हेतु 50 प्रतिशत होगी। प्रभाव शुल्क का आंकलन विकास प्राधिकरण /आवास एवं विकास परिषद की वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर, प्राधिकरण/परिषद की दर न होने की दशा में भूमि के विद्यमान भू–उपयोग के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर किया जायेगा।	क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा हेतु आवेदन प्राप्त हो सकते हैं/होगें। ऐसे आवेदनों पर जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर–7.1.7.3 में निहित प्राविधानो के अधीन विचार किया जायेगा। अन्य क्षेत्रों में भी जोनिंग रेगुलेशन में निहित प्राविधानों के अधीन विचार किया जायेगा। यदि निम्न भू–उपयोग जोन में उच्च उपयोग की अनुज्ञा प्रदान की जाती है तो इसके फलस्वरूप सम्बन्धित क्षेत्र में यातायात, अवस्थापनाओं तथा पर्यावरण पर प्रभाव पडेगा, अतः ऐसी अनुज्ञा के समय आवेदक द्वारा 'प्रभाव शुल्क' (Impact Fee) देय होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन प्रकरणों में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम–1973 के अधीन भू–उपयोग परिवर्तन निहित हो, में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा जबकि जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर अनुमन्य कियाओं/ उपयोगों हेतु केवल प्रभाव शुल्क देय होगा। प्रभाव शुल्क महायोजना में निम्न भू–उपयोग से उच्च उपयोग में परिवर्तन शुल्क से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–3712/9–आ–3–2000–26एल.यू.सी./91, दिनांक 21.08.2001 एवं तत्सम्बन्धित प्रभावी अन्य शासनादेशों में निहित व्यवस्था को आधार मानकर वसूल किया जायेगा। प्रभाव शुल्क की राशि सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य कियाओं हेतु उक्त शासनादेश में निर्धारित शुल्क की 25 प्रतिशत तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य कियाओं हेतु 50 प्रतिशत होगी। प्रभाव शुल्क का आंकलन विकास प्राधिकरण/ आवास एवं विकास परिषद की वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर, प्राधिकरण/परिषद की दर न होने की दशा में भूमि के विद्यमान भू–उपयोग के लिए जिलाधिकारी

		द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर किया जायेगा। विभिन्न भू–उपयोग जोन्स का निम्न से उच्च क्रम एवं प्रभाव शुल्क के निर्धारण की पद्वति जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर–7.6 में दी गयी है।
7.1.7.3	यदि अधिनियम के अन्तर्गत किसी परिक्षेत्र (जोन) की परिक्षेत्रीय विकास योजना या किसी स्थल का ले–आउट प्लान सक्षम स्तर से अनुमोदित है तो ऐसी स्थिति में उक्त स्थल/ भूखण्ड का अनुमन्य भू–उपयोग परिक्षेत्रीय विकास योजना या विन्यास मानचित्र में निर्दिष्ट उपयोग के अनुसार ही होगा। इन क्षेत्रों में जोनिंग रेगुलेशन्स में निहित प्राविधानों के अधीन विचार नहीं किया जायेगा। जोनिंग रेगुलेशन्स में निहित प्राविधानों के अधीन विभिन अभिकरणों द्वारा तैयार की जाने वाले परिक्षेत्रीय विकास योजनाओं/ विन्यास मानचित्र/ पुर्नविकास योजना के लिए तथा ऐसे क्षेत्र जिनकी परिक्षेत्रीय विकासयोजना/विन्यास मानचित्र अभी तक तैयार नहीं किए जा सके हैं, हेतु ही कार्यवाही की जायेगी।	यदि अधिनियम के अन्तर्गत किसी परिक्षेत्र (जोन) की परिक्षेत्रीय विकास योजना या किसी स्थल का ले–आउट प्लान सक्षम स्तर से अनुमोदित है, तो ऐसी स्थिति में उक्त स्थल/ भूखण्ड का अनुमन्य भू–उपयोग परिक्षेत्रीय विकास योजना या ले–आउट प्लान में निर्दिष्ट उपयोग के अनुसार होगा। इन क्षेत्रों में भी जोनिंग रेगुलेशन के प्रस्तर–7.4 एवं 7.5 के प्राविधानों के अनुसार सामान्यतः अनुमन्य कियाओं को छोडकर शेष समस्त कियाओं की अनुमति निम्नलिखित समिति की संस्तुति पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दी जायेगी :– 1. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण **–अध्यक्ष** 2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, अथवा उनके प्रतिनिधि **–सदस्य** 3. अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर सरकारी सदस्य **– सदस्य** इस क्षेत्र में अनुमन्य कियाओं हेतु प्रत्येक प्रकरण में गुण–अवगुण के आधार पर उपरोक्त समिति द्वारा निम्न व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेगीं :– 1. प्रमुख भू–उपयोग जोन में किसी प्रकार की ध्वनि/धुआँ/ दुर्गन्ध इत्यादि के प्रदूषण की संभावना न हो 2. प्रस्तावित किया यथासम्भव मुख्य भू–उपयोग के बाहरी क्षेत्र /किनारों पर मुख्य मार्ग पर अथवा पृथकीकृत रूप में स्थित हो। 3. प्रस्तावित किया की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की

		जायेगी कि भवन का (अ) प्रमुख भू–उपयोग जोन की आधारभूत अवस्थापनाओं यथा जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत –आपूर्ति, खुले स्थल तथा यातायात, पार्किंग इत्यादि पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। (ब) प्रस्तावित किया के कारण अगल–बगल के भूखण्डों /भवनों के निजी परिसरों में प्रकाश एवं संवातन तथा प्राईवेसी भंग न हो। (स) प्रस्तावित किया हेतु भू–आच्छादन, अधिकतम एफ.ए. आर. एवं ऊचाई प्रमुख भू–उपयोग अथवा प्रस्तावित किया के मानकों में जो न्यूनतम हो, अनुमन्य होगा। (द) किसी भी प्रमुख भू–उपयोग जोन में विशेष अनुमति से किसी किया को अनुमन्य किए जाने की दशा में पार्किंग / मार्ग–विस्तार / सार्वजनिक पार्किंग इत्यादि हेतु दर्शायी गयी भूमि आवेदक द्वारा प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तान्तरित करनी होगी। टिप्पणी– प्रमुख भू—उपयोग जोंन के अन्तर्गत पूर्व विकसित योजनाओं / क्षेत्रों में मूल उपयोग से इतर किया / उपयोग (भले ही जोनिंग रेगुंलेशन्स के अनुसार ऐसी किया / उपयोग सामान्यतः अनुमन्य / सशर्त अनुमन्य / विशेष अनुमति से अनुमन्य हो) अनुमन्य किए जाने हेतु न्यूनतम एक माह की समयावधि प्रदान करते हुए जनता से आपत्ति / सुझाव, उचित माध्यमं से आमंत्रित किये जायेंगें एवं इन आपत्तियों / सुझावों के निस्तारण के उपरान्त ही स्वीकृति / अस्वीकृति की कार्यवाही की जायेगीं। अनुज्ञा से सम्बन्धित आवेदन–पत्र का निस्तारण प्राप्ति के दिनांक से अधिकतम 60 दिन में सुनिश्चित किया जायेगा

7.6. भू–उपयोग जोन्स का निम्न से उच्च क्रम एवं प्रभाव शुल्क (Impact Fee) का निर्धारण

प्रभाव शुल्क से छूट	
गैर–व्यवसायिक एवं चैरिटेबल कियाएं/उपयोग	(1)
सेवा एवं कुटीर उद्योग	(2)
सम्बन्धित उपयोग के प्रयोजनार्थ समूह आवास	(3)

संकेत	
प्रभाव शुल्क लागू नही	
प्रभाव शुल्क देय नही	
प्रभाव शुल्क देय	

	क्रियाएं (Activities)/उपयोग श्रेणी (निम्न से उच्च कम में)	निर्मित क्षेत्र	भू–उपयोग जोन्स: विकासशील/अविकसित क्षेत्र (निम्न से उच्च कम में)						
			कृषि, ह.पट्टी, पार्क,क्रीडास्थल	सार्वजनिक सुविधाएं	यातायात एवं परिवहन	औद्योगिक	आवासीय ग्रामीण आबादी सहित	कार्यालय	व्यवसायिक
			1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि, हरित पट्टी (ग्रीन वर्ज) पार्क, क्रीड़ास्थल								
2	सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाए		0.25 (1)				0.25 (1)		
3	यातायात एवं परिवहन		0.30	0.10					
4	औद्योगिक		0.40 (2)	0.25 (2)	0.25 (2)				
5	आवासीय		0.50	0.40	0.40	0.25 (3)			
6	कार्यालय		1.00	0.75	0.75	0.75	0.50		
7	व्यवसायिक		1.50	1.25	1.25	1.00	1.00	0.50	

टिप्पणी : 1. विभिन्न भू–उपयोग जोन्स में अनुमन्य कियाओं/उपयोगों हेतु निर्धारित "प्रभाव शुल्क गुणांक" की वैल्यू उन प्रकोष्ठों में दी गई है जहॉं प्रभाव शुल्क देय है।

2. सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य कियाओं/उपयोगों हेतु प्रभाव शुल्क 25 प्रतिशत तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य कियाओं/उपयोगों हेतु 50 प्रतिशत देय होगा तथा प्रभाव शुल्क का आंकलन सम्बन्धित भू–उपयोग जोन हेतु निर्धारित "प्रभाव शुल्क गुणांक" की वैल्यू के आधार पर निम्न फार्मूला के अनुसार किया जाएगा:–

2.1 सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य कियाओं हेतु– भूखण्ड का क्षेत्रफल x सर्किल रेट x "प्रभाव शुल्क गुणांक" x 0.25

2.2 विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु :–भूखण्ड का क्षेत्रफल x सर्किल रेट x "प्रभाव शुल्क गुणांक" x 0.50

3. प्रभाव शुल्क का आंकलन विकास प्राधिकरण/आवास परिषद की वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर, एवं प्राधिकरण/परिषद की दर न होने की दशा में भूमि के विद्यमान भू–उपयोग के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर किया जाएगा।

प्रभाव शुल्क के आगणन हेतु उदाहरण

उदाहरण 1	उदाहरण–2
मिश्रित आवासीय क्षेत्र में नर्सिंग होम की अनुज्ञा हेतु :	कृषि भू–उपयोग जोन में विशेष अनुमति से पेट्रोल पम्प की अनुज्ञा हेतु :
भूखण्ड का क्षेत्रफल = 350 वर्ग मीटर	भूखण्ड का क्षेत्रफल = 500 वर्ग मीटर
प्राधिकरण की वर्तमान आवासीय दर = रु0 2000 प्रति वर्ग मीटर	कृषि भूमि का सर्किल रेट = रू0 200 प्रति वर्ग मीटर
देय प्रभाव शुल्क = भूखण्ड का क्षेत्रफल x सेक्टर रेट x "प्रभाव शुल्क गुणांक" x 0.25	देय प्रभाव शुल्क = 500 x 200 x 1.5 x 0.5 = रू0 75000/–
अर्थात् 350 x 2000 x 0.25 x 0.25 = रू0 43,750	

विषय संख्या : 16	उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-26 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-26 में वर्तमान में प्रचलित अर्थदण्ड की धनराशि को 10 गुना किये जाने की संस्तुति सहित प्रस्तव शासन को संशोधन हेतु संदर्भित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
विषय संख्या : 17	लखनऊ नगर के सुनियोजित विकास के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण हेतु भूमि जुटाव के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की संस्तुति शासन को नीति-विषयक निर्णय हेतु विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रेषित की जाय।
विषय संख्या : 18	उपाध्यक्ष के आवास एवं आवास कैम्प कार्यालय हेतु स्थल चयन निर्माण व अन्य व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया।
विषय संख्या : 19	जानकीपुरम् विस्तार योजना के सीवरेज निस्तारण हेतु प्रस्तावित इंटरमीडिएट सीवरेज पम्पिंग स्टेशन हेतु आवश्यक भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त जानकीपुरम् विस्तार योजन सेक्टर-1 में भू-विन्यास में इंगित पोस्ट आफिस स्थल में इण्टरमीडिएट सीवरेज पम्पिंग स्टेशन बनाये जाने विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
विषय संख्या : 20	गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-1 के फैसिलिटी भूखण्ड से संलग्न अतिरिक्त भूमि को आवासीय भूखण्डों के सृजन के अनुमोदन के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्ताव पुनर्परीक्षण हेतु स्थगित किया गया।
विषय संख्या : 21	लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के कार्य के लिए संविदा पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा लिए जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के कार्य के लिए संविदा पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा लिए जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव के प्रस्तर-4 एवं 5 में उल्लिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 22 जानकीपुरम् योजना के सेक्टर-एच के ले-आउट के संशोधन के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव निरस्त किया गया और निर्देश दिये गये कि इस समस्या के हल के लिए वैकल्पिक सुविचारित प्रस्ताव दिया जाय तथा इस प्रकार की लापरवाही के लिए उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाये।

विषय संख्या : 23 नगर में स्थित ए0एस0आई0 से संरक्षित स्मारकों के आस-पास भवनों की ऊंचाई के प्रतिबन्ध के कारण भू-आच्छादन में सरलीकरण।

निर्णय : ए0एस0आई0 के संरक्षित (हेरिटेज) जोन से प्रभावित भूखण्डों में भवनों की ऊँचाई पर ए0एस0आई0 द्वारा प्रदान किये गये अनापत्ति में अंकित प्रतिबन्धों का अनुपालन करते हुए अधिकतम 60 प्रतिशत भू-आच्छादन में छूट अनुमन्य करते हुए आवासीय एवं कार्यालय भवनों के मानचित्रों की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गई कि बिल्डिंग लाइन मेनटेन रखी जाय तथा भवन उपविधि में निर्धारित मानक यथा-सेटबैक, एफ0ए0आर0, पार्किंग आदि का पूर्ण अनुपालन किया जाये। आवासीय एवं कार्यालय भवनों के मानचित्रों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु उपविधि में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाय।

विषय संख्या : 24 सेक्टर-एफ, अलीगंज आवासीय योजना, लखनऊ के पार्क में भूमिगत पार्किंग के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त सेक्टर-एफ, अलीगंज आवासीय योजना, लखनऊ के पार्क में भूमिगत पार्किंग सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्थल का विस्तृत सर्वे, एप्रोच रोड आदि की उपलब्धता के सम्बन्ध में मुख्य नगर नियोजक की अध्यक्षता में एक उपसमिति गठित की गई, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :-

1. जिलाधिकारी द्वारा नामित उपजिलाधिकारी - सदस्य
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा नामित अधिकारी - सदस्य
3. क्षेत्राधिकारी (यातायात) - सदस्य
4. अधिशासी अभियन्ता जोन-9, ल0वि0प्रा0 - संयोजक सदस्य

उपर्युक्त समिति उक्त क्षेत्र के निवासियों से सुनवाई कर, संस्तुति/आख्या के आधार पर तथ्यपरक प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

<u>विषय संख्या : 25</u> भवन उपविधि में किये गये संशोधन से सम्बन्धित शासनादेशों के अंगीकरण के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> सम्यक् विचारोपरान्त एफ0ए0आर0 एवं क्रय योग्य एफ0ए0आर0 के सम्बन्ध में प्रचलित भवन उपविधि में संशोधन से सम्बन्धित शासनादेशों को अंगीकृत किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।.

<u>विषय संख्या : 26</u> शारदा नगर योजना के रतन खण्ड के विन्यास मानचित्र में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> सम्यक् विचारोपरान्त शारदा नगर योजना के रतन खण्ड में 18.00 मी0 सड़कों के क्रासिंग पर पूर्व में प्रस्तावित 04 व्यावसायिक भूखण्डों को जोड़कर केन्द्र में एक बड़े व्यावसायिक भूखण्ड के सृजन एवं भूखण्ड के चारों पर 18.00 मी0 चौड़ी सड़क के निर्माण हेतु विन्यास मानचित्र में संशोधन किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>विषय संख्या : 27</u> प्राधिकरण को पेपर लेस आफिस बनाये जाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों का प्रस्तुतीकरण

<u>निर्णय :</u> संज्ञानार्थ प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

<u>विषय संख्या : 28</u> शारदा नगर योजना के अन्तर्गत राधा खण्ड, शहीद पथ पर रमाबाई अम्बेडकर मैदान के निकट स्थित प्राधिकरण की भूमि पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के निर्माण हेतु योजना के विन्यास मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> सम्यक् विचारोपरान्त राधाखण्ड, शारदा नगर योजना की 3628 वर्ग मी0 की भूमि पर तलपट मानचित्र में पूर्व में 'विद्युत सब-स्टेशन' हेतु प्रदर्शित भू-उपयोग से 'आवासीय' भू-उपयोग में परिवर्तन एवं उक्त रिक्त भूखण्ड पर ग्रुप-हाउसिंग भवनों का निर्माण किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>विषय संख्या : 29</u> आराजी संख्या-491, 492, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505ख, 506, 507क, 508 एवं 510 ग्राम-अमौसी पर आई0ओ0सी0 के ल्यूब ब्लोडिंग एंड फिलिंग प्लान्ट स्थापना हेतु भू-उपयोग के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> सम्यक् विचारोपरान्त आराजी संख्या-491, 492, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505ख, 506,

507क, 508 एवं 510 ग्राम-अमौसी पर आई0ओ0सी0 के ल्यूब ब्लोडिंग एंड फिलिंग प्लान्ट स्थापना हेतु लखनऊ महायोजना 2021 में दर्शित 'आवासीय' उपयोग से 'वृहद उद्योग' में परिवर्तन विषयक प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही करते हुए शासन को प्रेषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

<u>विषय संख्या : 30</u>

रिट याचिका संख्या-5162/एम0बी0/2013 श्रीमती सत्यवती देवी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक् विचारोपरान्त श्रीमती सत्यदेवी के भवन संख्या-1, मोती महल मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ की 400.94 वर्ग मी0 क्षेत्रफल भूमि को लखनऊ महायोजना 2021 में प्रस्तावित 'मनोरंजनात्मक, पार्क/पी-1) भू-उपयोग से 'आवासीय' में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि पक्ष द्वारा इसका उपयोग मात्र एकल आवासीय भवन के रूप में ही किया जा सकेगा। उ0प्र0 नगर एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु शासन के संदर्भित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

<u>विषय संख्या : 31</u>

लखनऊ महायोजना 2031 की संरचना के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,द्वारा लखनऊ महायोजना-2031 की संरचना में आ रही कठिनाईयों के संबंध में बिन्दुवार आख्या बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी, जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

1. चक गजरिया फार्म परियोजना (सी.जी. सिटी) में प्रस्तावित भू-उपयोगों तथा योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित 45.00 मी. तथा 30.00 मी. मार्गों के संरेखण के फलस्वरूप महायोजना 2021 में दर्शित 250.00 मीटर (50-50 मी0 ग्रीन बेल्ट के साथ) रिंगरोड के अंशभाग रायबरेली मार्ग से अवध विहार योजना (आवास विकास परिषद) अंसल हाईटेक होते हुए सुल्तानपुर मार्ग होकर फैजाबाद मार्ग तक के संरेखण में किये गये रिंगरोड के संशोधन से संबंधित प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 11.06.2014 में अनुमोदित किया गया अतः इसको लखनऊ महायोजना-2031 में यथा प्रस्तावित किया जाना है। अतएव रायबरेली मार्ग से सुल्तानपुर मार्ग तक संरेखण में किये गये आंशिक संशोधन के कारण उक्त भाग में महायोजना-2021 के संरेखण को अब महायोजना-2031 में दर्शित करने की कोई आवश्यकता नही है क्यों कि उस क्षेत्र में

आवास विकास परिषद तथा अंसल हाईटेक टाउनशिप द्वारा प्राधिकरण बोर्ड में स्वीकृत वैकल्पिक संरेखण तथा अन्य मार्गो को डी0पी0आर0 के अर्न्तगत संरेखित किया गया। अतएव रायबरेली मार्ग से सुल्तानपुर मार्ग तक महायोजना-2021 मे दर्शित रिंगरोड के भाग को रिंगरोड 250.00 मी0 चौड़ा (50-50 मीटर ग्रीन बेल्ट) को अब न रखा जाए। सुल्तानपुर मार्ग से सी.जी.सिटी के आगे से आशिक रिंगरोड प्राधिकरण के प्रस्तावित एस.टी.पी. के लिए पहुँच मार्ग के रूप में उपलब्ध है। अतएव इसे पूर्णतयाः न हटाकर वैकल्पिक रिंगरोड के प्रस्ताव के परिपेक्ष्य नें नियोजन के सिद्धांतों के अनुरूप मार्ग संरचना प्रस्तावित की जाय। तदनुसार महायोजना-2031 की संरचना की जाए।

2. लीडा भूमि को महायोजना-2021 के अर्न्तगत क्षेत्र में जो गॉव लीडा में चले गये हैं, उनको विकास क्षेत्र से हटाते हुए संशोधन किया जाए।

3. प्रभावी महायोजना में प्रस्तावित 250.00 मी0 चौड़ी रिंगरोड तथा प्रस्तावित आउटर रिंगरोड विस्तारित क्षेत्र के आधार पर मार्ग की चौड़ाई 76.00 मी0 के उपरान्त 100.00 मी0 दर्शायी जाए।

4. विकास खण्ड काकोरी के 16 ग्रामों को महायोजना में सम्मिलित कर महायोजना 2031 की संरचना की जाए।

5. लखनऊ महायोजना-2031 में हरित पट्टी पृथक से भू-उपयोग निर्धारित किया जाय।

6. रायबरेली मार्ग पर स्थित गर्व बिल्डटेक का भू-उपयोग हाई-टेक टाउनशिप नीति के अनुरूप निर्धारित किय जाय।

7. लखनऊ महायोजना-2021 को सेटेलाइट इमेजरी के अनुसार बनाये गये आधार मानचित्र के कारण कतिपय संरचनाओं/मार्गो/भवनों में होने वाले परिवर्तन को महायोजना-2031 में ठीक किये जाने पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी किन्तु ऐसे अवशेष प्रकरणों का विस्तृत परीक्षण कर निर्णय लिये जाने हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जाती है:-

1. सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण - अध्यक्ष
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि - सदस्य
3. मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0 - सदस्य
4. श्री यादव, गैर सरकारी - सदस्य

उक्त समिति अपनी रिपोर्ट उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को देगी और उनका निर्णय अन्तिम निर्णय माना जाएगा।

<u>विषय संख्या : 32</u>

भूखण्ड खसरा संख्या-178(पुराना)/199/1(नया) श्री जागेश्वर महादेव मन्दिर ग्राम-फत्तेपुर, सेक्टर-सी, अलीगंज, लखनऊ पर प्रस्तावित समूह आवास मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सम्पत्ति के स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेखों/प्रमाणों का विधिवत् परीक्षण कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

<u>विषय संख्या : 33</u>

गाटा संख्या-17 से 21 तथा 43 से 47 मोहल्ला-कर्बला आगामीर, रामतीरथ मार्ग, नरही, हजरतगंज, लखनऊ की 37,700 वर्ग फिट भूमि के भू-उपयोग को 'पार्क एवं खुला स्थल/हरित पट्टी' से 'आवासीय' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पुनः जिलाधिकारी, लखनऊ से उपरोक्त के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा यह भी देख लिया जाये कि वर्तमान में स्थल पर यदि कोई अवैध गतिविधियाँ गतिमान है, तो नियमानुसार उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाय।

<u>विषय संख्या : 34</u>

प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2014-15 का पुनरीक्षित तथा माह जनवरी-2015 तक वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 का प्रस्तावित आय-व्ययक आगामी बोर्ड बैठक में रखे जाने का प्रस्ताव।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2014-15 का पुनरीक्षित तथा माह जनवरी-2015 तक वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 का प्रस्तावित आय-व्ययक पर अनुमोदन प्रदान करते हुए निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु विशिष्टि निर्देश दिये गये:-

1. पिछले वित्तीय वर्ष में किराये की सम्पत्तियों से प्राप्त होने वाला कितना किराया (रेण्ट) वसूली हेतु अवशेष है तथा लीज-होल्ड पद्धति (हायर परचेज पद्धति) पर आवंटित सम्पत्तियों के विरूद्ध कितना लीज-रेण्ट वसूली हेतु अवशेष है? उसकी सूचना तैयार करायी जाय और देयताओं की प्रभावी वसूली कराई जाय।
2. पांच वर्ष से अधिक पुरानी रिक्त सम्पत्तियाँ कौन-सी है? उसकी सूचना योजनावार/सम्पत्तिवार तैयार करायी जाय।

3. प्राधिकरण की विकसित योजनायें जो नगर-निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित नहीं की गयी है, उनका हस्नान्तरण न होने तक वहाँ के निवासियों से यूजर-चार्जेज प्राप्त किये जाने की कार्यवाही यथा-नियम की जाय। साथ ही ऐसे इलाकों में मूलभूत सुविधायें/सेवायें प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाय।

<u>अनु0वि0सं0 : 01</u>

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विस्तृत विकास क्षेत्र में जन-सामान्य को उनके निकटम क्षेत्रों में आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु जनसुविधा केन्द्रों का गठन।

<u>निर्णय :</u>

जन-सामान्य को सर्वोत्तम सेवायें उपलब्ध कराने हेतु जनसुविधा केन्द्र के गठन से सम्बन्धित प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

<u>अनु0वि0सं0 : 02</u>

गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-1 वरदान खण्ड में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-1/8 एवं 1/9 स्वर्गाश्रम सहकारी आवास समिति लि0 के पक्ष में आवंटन किये जाने के अनुरोध के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक् विचारोपरान्त मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में प्रकरण का परीक्षण कर गुण-दोष के आधार पर प्रकरण के निस्तारण एवं उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध समुचित कार्यवाही हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।

<u>अनु0वि0सं0 : 03</u>

भूखण्ड संख्या-बी-321, सेक्टर-बी, महानगर के "आवासीय" भूखण्ड को शैक्षिक भू-उपयोग (प्राइमरी स्कूल) के भू-उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मिश्रित भू-उपयोग के सम्बन्ध में शासन स्तर पर विचाराधीन प्रस्ताव पर निर्णय की प्रतीक्षा कर प्रकरण में शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

अनु0वि0सं0 : 04	भदरूख स्थित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या-ए-1 (बंसल बगिया) को नवीन धरना स्थल बनाये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए निर्देश दिये गये कि मा0 न्यायालय सिविल जज (सीडी) लखनऊ वाद सं0-69/2002 में पारित ओदश दिनांक 10.04. 2002 पर विधिक राय प्राप्त कर विधिक मंतव्य के अनुरूप अग्रेतर कार्यवाही की जाय।
अनु0वि0सं0 : 05	खसरा संख्या-263 एवं 272, ग्राम-अहमामऊ का भू-उपयोग 'यातायात एवं ग्रीन' से 'आवासीय' भू-उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक विचारोपरान्त प्रकरण के समस्त बिन्दुओं पर विधिवत् परीक्षण कर सुस्पष्ट एवं समुचित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी, जिसमें निम्नांकित सदस्य होगें:-

1. जिलाधिकारी द्वारा नामित उपजिलाधिकारी - सदस्य
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा नामित अधिकारी - सदस्य
3. मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक द्वारा नामित - सदस्य
4. क्षेत्राधिकारी (यातायात) - सदस्य
5. अधिशासी अभियन्ता जोन-3, ल0वि0प्रा0 - संयोजक सदस्य

अनु0वि0सं0 : 06	लखनऊ विकास प्राधिकरण में अनुबन्ध के आधार पर कार्यरत 06 चालक संविदा कर्मचारियों को वेतनमान का न्यूनतम वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त वर्तमान में संविदा के आधार पर कार्यरत् 06 संविदा चालकों को रू0 14,000/- प्रतिमाह तथा अन्य समूह-'घ' के 18 संविदा कर्मियों (मृतक आश्रित) को रू0 11,000/- प्रतिमाह दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>अनु0वि0सं0 : 07</u>

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-6 के पत्र संख्या-2120/आठ-6-14-28ई/05टी0सी0 दिनांक 22.09.2014 के अनुक्रम में श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, प्रभारी/लेखा-लिपिक (प्रतिनियुक्ति) की लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रधान लिपिक/अनुभाग अधिकारी के पद पर आदेश सं0-1267/स्था0प्र0/14-15 दिनांक 20.01.15 द्वारा वेतनमान रू0-5200-20200 ग्रेडपे-2400 में संविलियन उपरान्त प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय दिनांक 31.08.2012 के अनुपालन में बोर्ड बैठक में प्रस्ताव अवलोकित किये जाने के संबंध में।

<u>निर्णय :</u> प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
सचिव

(सत्येन्द्र सिंह)
उपाध्यक्ष

<u>अनुमोदित</u>

(महेश कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

विषयः- **लखनऊ विकास प्राधिकरण की 153वीं बैठक दिनांक 28 फरवरी, 2015 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।**

<u>विषय संख्या : 1</u> लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.06.2014 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

<u>निर्णय :</u> प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

<u>अनुपालन :</u> नोट किया गया।

<u>विषय संख्या : 2</u> लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.06.2014 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

<u>निर्णय :</u> प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नांकित बिन्दुओं की अनुपालन आख्या पर विशिष्ट निर्देश दिये गयेः-

1. विषय संख्या-6 आजाद नगर योजना ब्लाक-बी में लखनऊ मॉडल पब्लिक स्कूल से सटी रिक्त भूमि को उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन को 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बनाने हेतु निःशुल्क उपलब्ध कराये के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
2. विषय संख्या-19 भूमि खसरा संख्या-85पी ग्राम विजईपुर (गोमती नगर योजना भाग-2) पर श्रीमती रामदुलारी गोयल, (सचिन सुर्खी उद्योग) द्वारा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-43(1) के अन्तर्गत योजित पुनरीक्षण वाद सम्बन्धी प्रकरण के निस्तारण हेतु शासन के आदेश के क्रम में याची के पक्ष में समायोजित उक्त भूखण्ड का निबन्धन कराये जाने के सम्बन्ध क्या कार्यवाही की गई? स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
3. विषय संख्या-20 के अनुपालन के अवलोकनोपरान्त निर्देशित किया गया कि भूमि के मूल्यांकन का निस्तारण जिलाधिकारी शीघ्रातिशीघ्र करायें।
4. अनुपूरक विषय संख्या-2 पर लिये गये निर्णय के क्रम में संशोधित डी0पी0आर0 दिनांक 18.09.2014 पर समिति

की बैठक दिनांक 09.10.2014 के संलग्न कार्यवृत्त के 19 बिन्दुओं का अवलोकन करते हुए निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण यह सुनिश्चित करायगा कि गठित समिति द्वारा जो भी प्रतिबन्ध लगाये गये है, उनका अनुपालन सम्बन्धित फर्म द्वारा पूर्ण किया जाएगा तथा मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष जनहित याचिका संख्या-11507(एम0/बी0) /2014 श्री विनोद कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य, जनहित याचिका संख्या-11015(एम0बी0) /2013 दिनांक 25.03.2014 एवं अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन सम्बन्धित फर्म द्वारा किया जायेगा।

5. अनुपूरक विषय संख्या-6 देवपुर योजना में त्वरित गति से कार्यवाही कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

<u>अनुपालन :</u>

2.1 आजाद नगर योजना के बी-ब्लाक में 629.00 वर्गमी0 रिक्त भूमि को उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन को विद्युत उपकेन्द्र बनाने हेतु भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में जनसामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जा चुके है। कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है। तद्क्रम में अलग से प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

2.2 प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 11.06.2014 के विषय सं0-19 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में गोमती नगर योजना स्थित भूखण्ड सं0-टी0सी0-48, विभूति खण्ड का विक्रय विलेख दिनांक 09.09.2014 को ही निष्पादित किया जा चुका है।

2.3 लिये गये निर्णय के अनुपालन में दिनांक 18.04.2015 को जिलाधिकारी लखनऊ को प्रश्नगत भूमि के मूल्यांकन का निस्तारण/निर्धारण किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

2.4 विकासकर्ता मे0 अंसल ए0पी0आई0 के संशोधित डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय से दिनांक 26.03.15 को विकासकर्ता को सूचित कर दिया गया है।

2.5 समाजवादी लोहिया इन्क्लेव (देवपुर पारा) के अन्तर्गत निर्माण कार्य से पूर्व पोल/विद्युत लाइनों की शिफ्टिंग का कार्य लगभग 75 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। स्थल पर विद्यमान जर्जर अवस्था के भवनों को हटाने हेतु मलबे की नीलामी की तिथि निर्धारित तथा सूचना का प्रकाशन कराया जा चुका है। आर्किटेक्ट द्वारा फाइनल ड्राइंग फ्रीज कर

उपलब्ध कराने पर आई0आई0टी0 से स्ट्रक्चरल डिजाइन के परीक्षण की कार्यवाही कराई जायेगी। निर्माणकर्ता द्वारा खनन विभाग की अनापत्ति हेतु आवेदन किया गया है। खनन की अनापत्ति प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

विषय संख्या : 3 अक्षय पात्र फाउण्डेशन द्वारा प्रस्तावित केन्द्रीय किचेन के भवन निर्माण मानचित्र पर अनापत्ति को परिचालन के माध्यम से अनुमोदन की पुष्टि।

निर्णय : परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।

अनुपालन : निर्णय के अनुपालन में 'केन्द्रीय किचन' हेतु अनापत्ति निर्गत की गयी।

विषय संख्या : 4 लखनऊ विकास क्षेत्र के विस्तारीकरण के अन्तर्गत विकास खण्ड-काकोरी के 16 ग्रामों को सम्मिलित करने हेतु परिचालन के माध्यम से अनुमोदन की पुष्टि।

निर्णय : परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी एवं यह भी निर्देश दिये गये कि जिन 16 गावों को प्राधिकरण विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है, वहाँ इस आशय की होर्डिंग्स आदि लगवा दिये जाये कि उक्त क्षेत्र प्राधिकरण के विकास क्षेत्रान्तर्गत है एवं बिना प्राधिकरण की अनुमति के खरीद-फरोख्त करना नियम विरूद्ध है तथा दैनिक समाचार पत्रों में इस आशय की विज्ञाप्ति भी प्रकाशित कराई जाये।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुक्रम में स्थल पर बोर्ड लगवा दिये गये है।

विषय संख्या : 5 अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम कां तलपट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से अनुमोदन की पुष्टि।

निर्णय : परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।

अनुपालन : बोर्ड द्वारा प्राप्त अनुमोदन के क्रम में तलपट मानचित्र की स्वीकृति/निर्गत किये जाने की कार्यवाही की गयी।

विषय संख्या : 6 चक गंजरिया फार्म परियोजना में स्थित आईटी सिटी परियोजना हेतु प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से अनुमोदन की पुष्टि।

निर्णय :	परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।
अनुपालन :	बोर्ड द्वारा प्राप्त अनुमोदन के क्रम में तलपट मानचित्र की स्वीकृति/निर्गत किये जाने की कार्यवाही की गयी।
विषय संख्या : 7	जानकीपुरम् विस्तार योजना से0-11 लखनऊ अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्ड पर यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तावित मानचित्र तकनीकी समिति की स्वीकृति उपरान्त परिचालन के माध्यम से अनुमोदन की पुष्टि।
निर्णय :	परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।
अनुपालन :	बोर्ड द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में यू0पी0 टेक्निकल यूनिवर्सिटी का तलपट मानचित्र स्वीकृत किया गया।
विषय संख्या : 8	जनेश्वर मिश्र लखनऊ पार्क हेतु सम्पर्क मार्ग विकास हेतु लगभग 2665 वर्गमी भूमि के मनोरंजनात्मक पार्क एवं खुला स्थल भू-उपयोग को यातायात एवं परिवहन सड़क में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	अनुमोदित। उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
अनुपालन :	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में पत्र सं0-105/उपा0/सी0टी0पी0/15 दिनांक 10.04.2015 द्वारा शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया।
विषय संख्या : 9	गोमती नगर विस्तार, सेक्टर-7 में क्रिकेट स्टेडियम के निकट लखनऊ विकास प्राधिकरण की रिक्त भूमि के नियोजन के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्राधिकरण की रिक्त भूमि के नियोजन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया। विस्तृत कार्ययोजना बनाकर प्राधिकरण की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
अनुपालन :	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रदान किये गये सैद्धान्तिक अनुमोदन के क्रम में विभिन्न आर्किटेक्स द्वारा कन्सेप्ट डिजाइन तैयार की जा रही है।
विषय संख्या : 10	विभूति खण्ड, गोमती नगर में निर्माणाधीन मा0 उच्च न्यायालय को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त विभूति खण्ड, गोमती नगर में निर्माणाधीन मा0 उच्च न्यायालय के कोर्ट भवन से 100 मी0 परिसर को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किये जाने के प्रस्ताव को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले पूर्व

निर्मित भवनों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं भविष्य में उक्त क्षेत्रान्तर्गत जो भी मानचित्र स्वीकृत होंगे वह हाई सिक्योरिटी जोन हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप ही स्वीकृत किये जायेंगे। इस निर्देश के साथ प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में पत्र सं0-68/उपा0/सी0टी0पी0/2015 दिनांक 18.03.2015 द्वारा शासन को प्रषित किया गया है, परन्तु पुनः सी0आर0पी0एफ0 /सी0आई0एस0एफ0 एवं एस0एस0पी0 लखनऊ के साथ प्राधिकरण द्वारा विचार-विमर्श कर एक महीने के अन्तर्गत कार्यवाही करने का मा0 उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश की प्रति दिनांक 29.04.2015 को प्राप्त हुई है।

विषय संख्या : 11 प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के साथ रियल स्टेट की भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम योजना के स्विटनर के रूप में रियल इस्टेट के 66 एकड़ भूमि में से व्यावसायिक उपयोग हेतु प्रस्तावित 10.21 हे0 भूमि को निःशुल्क 'व्यावसायिक' भू-उपयोग में परिवर्तित किये जाने विषयक प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही करते हुए शासन को प्रेषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में पत्र सं0-91/उपा0/सी0टी0पी0/2015 दिनांक 01.04.2015 द्वारा शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया है।

विषय संख्या : 12 खसरा संख्या-274 एवं 275 ग्राम-सरसवां, तहसील-मोहनलालगंज लखनऊ, सुल्तानपुर रोड के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय : खसरा संख्या-274 एवं 275 ग्राम-सरसवां, तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ, सुल्तानपुर रोड की भूमि क्षेत्रफल 0.9778 हे0 के 'मनोरंजनात्मक' (पार्क, खुला स्थल/हरित पट्टी) भू-उपयोग से नियमानुसार परिवर्तन शुल्क प्राप्त करते हुए 'आवासीय' भू-उपयोग में परिवर्तित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर विचार-विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित जाय, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे:-

1. अपर जिलाधिकारी (वि. एवं रा.), लखनऊ - सदस्य

2. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ- सदस्य
द्वारा नामित अधिशासी अभियन्ता
3. मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक, उ0प्र0 - सदस्य
द्वारा नामित अधिकारी
4. मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0 - सदस्य संयोजक

उपर्युक्त समिति की संस्तुति/आख्या के आधार पर तथ्यपरक प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

<u>अनुपालन :</u> प्राधिकरण बोर्ड गठित समिति की एक बैठक सम्पन्न हो चुकी है। प्रस्ताव पुनः विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>विषय संख्या : 13</u> मानसरोवर योजना, सेक्टर-ओ, कानपुर रोड के तलपट मानचित्र के अन्तर्गत दर्शित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सख्या-जीएच-4 के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> अनुमोदित।

<u>अनुपालन :</u> प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम नें जनसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु दिनांक 09.04.2015 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी जा चुकी है। प्रस्ताव पुनः विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>विषय संख्या : 14</u> मे0 अंसल ए0पी0आई0 द्वारा लखनऊ-कानपुर रोड पर विकसित की जा रही सुशान्त गोल्फ सिटी हाईटेक टाउनशिप के अन्तर्गत व्यावसायिक भूखण्ड आई0बी0बी0-2 के 'विन्यास-मानचित्र' के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> शासन द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन करने के उपरान्त मानचित्र को स्वीकृत/निर्गत किये जाने के प्रतिबन्ध के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>अनुपालन :</u> प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय से विकासकर्ता मे0 अंसल ए0पी0आई0 को दिनांक 09.04.2015 को अवगत करा दिया गया है।

<u>विषय संख्या : 15</u> लखनऊ महायोजना 2021 की जोनिंग रेग्यूलेशन के अन्तर्गत आवासीय भूखण्डों में अनुषांगिक अनावासीय क्रियाओं की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> लखनऊ महायोजना-2021 के अन्तर्गत जोनिंग रेगुलेशन के प्रस्तर-7.1.5 एवं 7.1.7.3 में यह उल्लेख किया गया है कि

विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजनाओं/नियोजित रूप से विकसित क्षेत्रों में जोनिंग रेगुलेशन में निहित प्राविधानों के अधीन विचार नहीं किया जायेगा, क्योंकि स्वीकृत परिक्षेत्रीय योजना/विन्यास मानचित्र में भू-खण्ड का भू-उपयोग निर्दिष्ट किया जा चुका है। उक्त के क्रम में यह पाया गया कि शासन द्वारा जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि कतिपय अनुषांगिक क्रियाओं की अनुमन्यता सशर्त, विशेष अनुमति, आदि के अधीन दी गयी है और कतिपय क्रियाएं निषिद्व भी हैं। प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक विचार-विमर्श किया गया और यह पाया गया कि स्वीकृत महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन के प्रस्तर-7.4 एवं 7.5 में विस्तृत गाइड लाइन्स निर्दिष्ट की गयी हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से चिन्हित है कि कितने चौड़े मार्ग पर कौन से उपयोग और किन भू-उपयोगों में कौन से उपयोग सम्यक विचारोपरान्त अनुमन्य किए जाएंगें और किन उपयोगों को निषिद्व किया जायेगा। अतएव यह निर्णय लिया गया कि नियोजित कालोनियों में भी शासन द्वारा जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन में अनुमन्य सशर्त व विशेष अनुमति की क्रियाएं भी अनुमन्य होंगीं और चूँकि यह नियोजित कालोनी है अतएव इसे नियोजन के दृष्टिकोण से इस हेतु गठित समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रकरणवार बोर्ड को संस्तुत किया जायेगा और बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा, ताकि कालोनियों का नियोजित स्वरूप अक्षुण्ण रह सके। इस हेतु जोनिंग रेगुलेशन के प्रस्तर-7.1.5 एवं 7.1.7.3 का संशोधन निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है, तद्नुसार शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायः-

प्रस्तर	वर्तमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
7.1.5 प्रभाव शुल्क (Impact Fee)	विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजनाओं/नियोजित रूप से विकसित क्षेत्रों में जहाँ नियोजन मानकों के अनुसार अनुषांगिक क्रियाओं का प्राविधान किया जा चुका है, के अन्तर्गत वर्तमान अथवा भविष्य में कतिपय अन्य कियाओं/उपयोंगों की अनुज्ञा हेतु आवेदन प्राप्त हो सकते हैं/होगें। ऐसे आवेदनों पर जोनिंग रेगुलेशन्स में निहित प्राविधानों के अधीन विचार नहीं किया जायेगा क्योंकि स्वीकृत परिक्षेत्रीय योजना/ विन्यास मानचित्र में भूखण्ड का भूउपयोग निर्दिष्ट किया जा चुका है किन्तु इन क्षेत्रों के	विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजनाओं/ नियोजित रूप से विकसित क्षेत्रों में जहाँ नियोजन मानकों के अनुसार अनुषांगिक क्रियाओं का प्राविधान किया जा चुका है, के अन्तर्गत वर्तमान अथवा भविष्य में कतिपय अन्य क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा हेतु आवेदन प्राप्त हो सकते हैं/होगें। ऐसे आवेदनों पर जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर-7.1.7.3 में निहित प्राविधानों के अधीन विचार किया जायेगा। अन्य क्षेत्रों में भी जोनिंग रेगुलेशन में निहित

	अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में जोनिंग रेगुलेशन्स में निहित प्राविधानों के अधीन विचार किया जायेगा। यदि निम्न भू–उपयोग जोन में उच्च उपयोग की अनुज्ञा प्रदान की जाती है तो इसके फलस्वरूप सम्बन्धित क्षेत्र में यातायात, अवस्थापनाओं तथा पर्यावरण पर प्रभाव पडेगा, अतः ऐसी अनुज्ञा के समय आवेदक द्वारा 'प्रभाव शुल्क' (Impact Fee) देय होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन प्रकरणों में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम–1973 के अधीन भू–उपयोग परिवर्तन निहित हो, में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा जबकि जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु केवल प्रभाव शुल्क देय होगा। प्रभाव शुल्क महायोजना में निम्न भू–उपयोग से उच्च उपयोग में परिवर्तन शुल्क से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–3712/9–आ–3–2000–26एल.यू.सी./91, दिनांक 21.08.2001 एवं तत्सम्बन्धित प्रभावी अन्य शासनादेशों में निहित व्यवस्था को आधार मानकर वसूल किया जायेगा। प्रभाव शुल्क की राशि सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं हेतु उक्त शासनादेश में निर्धारित शुल्क की 25 प्रतिशत तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु 50 प्रतिशत होगी। प्रभाव शुल्क का आंकलन विकास प्राधिकरण /आवास एवं विकास परिषद की वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर, प्राधिकरण/परिषद की दर न होने की दशा में भूमि के विद्यमान भू–उपयोग के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर किया जायेगा।	प्राविधानों के अधीन विचार किया जायेगा। यदि निम्न भू–उपयोग जोन में उच्च उपयोग की अनुज्ञा प्रदान की जाती है तो इसके फलस्वरूप सम्बन्धित क्षेत्र में यातायात, अवस्थापनाओं तथा पर्यावरण पर प्रभाव पडेगा, अतः ऐसी अनुज्ञा के समय आवेदक द्वारा 'प्रभाव शुल्क' (Impact Fee) देय होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन प्रकरणों में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम–1973 के अधीन भू–उपयोग परिवर्तन निहित हो, में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा जबकि जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर अनुमन्य क्रियाओं/ उपयोगों हेतु केवल प्रभाव शुल्क देय होगा। प्रभाव शुल्क महायोजना में निम्न भू–उपयोग से उच्च उपयोग में परिवर्तन शुल्क से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–3712/9–आ–3–2000–26एल.यू.सी./91, दिनांक 21.08.2001 एवं तत्सम्बन्धित प्रभावी अन्य शासनादेशों में निहित व्यवस्था को आधार मानकर वसूल किया जायेगा। प्रभाव शुल्क की राशि सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं हेतु उक्त शासनादेश में निर्धारित शुल्क की 25 प्रतिशत तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु 50 प्रतिशत होगी। प्रभाव शुल्क का आंकलन विकास प्राधिकरण/ आवास एवं विकास परिषद की वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर, प्राधिकरण/परिषद की दर न होने की दशा में भूमि के विद्यमान भू–उपयोग के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर किया जायेगा। विभिन्न भू–उपयोग जोन्स का निम्न से उच्च कम एवं प्रभाव शुल्क के निर्धारण की पद्वति जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर–7.6 में की गयी है।

7.1.7.3	यदि अधिनियम के अन्तर्गत किसी परिक्षेत्र (जोन) की परिक्षेत्रीय विकास योजना या किसी स्थल का ले–आउट प्लान सक्षम स्तर से अनुमोदित है तो ऐसी स्थिति में उक्त स्थल/ भूखण्ड का अनुमन्य भू–उपयोग परिक्षेत्रीय विकास योजना या विन्यास मानचित्र में निर्दिष्ट उपयोग के अनुसार ही होगा। इन क्षेत्रों में जोनिंग रेगुलेशन्स में निहित प्राविधानों के अधीन विचार नहीं किया जायेगा। जोनिंग रेगुलेशन्स में निहित प्राविधानों के अधीन विभिन अभिकरणों द्वारा तैयार की जाने वाले परिक्षेत्रीय विकास योजनाओं/ विन्यास मानचि्त्र/ पुर्नविकास योजना के लिए तथा ऐसे क्षेत्र जिनकी परिक्षेत्रीय विकासयोजना/विन्यास मानचित्र अभी तक तैयार नहीं किए जा सके हैं, हेतु ही कार्यवाही की जायेगी।	यदि अधिनियम के अन्तर्गत किसी परिक्षेत्र (जोन) की परिक्षेत्रीय विकास योजना या किसी स्थल का ले–आउट प्लान सक्षम स्तर से अनुमोदित है, तो ऐसी स्थिति में उक्त स्थल/ भूखण्ड का अनुमन्य भू–उपयोग परिक्षेत्रीय विकास योजना या ले–आउट प्लान में निर्दिष्ट उपयोग के अनुसार होगा। इन क्षेत्रों में भी जोनिंग रेगुलेशन के प्रस्तर–7.4 एवं 7.5 के प्राविधानों के अनुसार सामान्यतः अनुमन्य कियाओं को छोडकर शेष समस्त कियाओं की अनुमति निम्नलिखित समिति की संस्तुति पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दी जायेगी :– 1. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण –अध्यक्ष 2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, अथवा उनके प्रतिनिधि –सदस्य 3. अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर सरकारी सदस्य – सदस्य इस क्षेत्र में अनुमन्य कियाओं हेतु प्रत्येक प्रकरण में गुण–अवगुण के आधार पर उपरोक्त समिति द्वारा निम्न व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेगीं :– 1. प्रमुख भू–उपयोग जोन में किसी प्रकार की ध्वनि/धुऑ/ दुर्गन्ध इत्यादि के प्रदूषण की संभावना न हो। 2. प्रस्तावित किया यथासम्भव मुख्य भू–उपयोग के बाहरी क्षेत्र /किनारों पर मुख्य मार्ग पर अथवा पृथक्कीकृत रूप में स्थित हो। 3. प्रस्तावित किया की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि भवन का (अ) प्रमुख भू–उपयोग जोन की आधारभूत अवस्थापनाओं यथा जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत –आपूर्ति, खुले स्थल तथा यातायात, पार्किंग इत्यादि पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

		(ब) प्रस्तावित क्रिया के कारण अगल–बगल के भूखण्डों /भवनों के निजी परिसरों में प्रकाश एवं संवातन तथा प्राईवेसी भंग न हो। (स) प्रस्तावित क्रिया हेतु भू–आच्छादन, अधिकतम एफ.ए. आर. एवं ऊचाई प्रमुख भू–उपयोग अथवा प्रस्तावित क्रिया के मानकों में जो न्यूनतम हो, अनुमन्य होगा। (द) किसी भी प्रमुख भू–उपयोग जोन में विशेष अनुमति से किसी क्रिया को अनुमन्य किए जाने की दशा में पार्किंग/मार्ग–विस्तार/ सार्वजनिक पार्किंग इत्यादि हेतु दर्शायी गयी भूमि आवेदक द्वारा प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तान्तरित करनी होगी। <u>टिप्पणी–</u> प्रमुख भू––उपयोग जोंन के अन्तर्गत पूर्व विकसित योजनाओं/क्षेत्रों में मूल उपयोग से इतर क्रिया/उपयोग (भले ही जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार ऐसी क्रिया/उपयोग सामान्यतः अनुमन्य/सशर्त अनुमन्य/विशेष अनुमति से अनुमन्य हो) अनुमन्य किए जाने हेतु न्यूनतम एक माह की समयावधि प्रदान करते हुए जनता से आपत्ति/सुझाव, उचित माध्यमों से आमंत्रित किये जायेंगें एवं इन आपत्तियों/ सुझावों के निस्तारण के उपरान्त ही स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही की जायेगीं। अनुज्ञा से सम्बन्धित आवेदन–पत्र का निस्तारण प्राप्ति के दिनांक से अधिकतम 60 दिन में सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रभाव शुल्क से छूट	
गैर-व्यवसायिक एवं चैरिटेबल कियाएं/उपयोग	(1)
सेवा एवं कुटीर उद्योग	(2)
सम्बन्धित उपयोग के प्रयोजनार्थ समूह आवास	(3)

संकेत	
प्रभाव शुल्क लागू नहीं	
प्रभाव शुल्क देय नहीं	
प्रभाव शुल्क देय	

	क्रियाएं (Activities)/उपयोग श्रेणी (निम्न से उच्च क्रम में)	भू-उपयोग जोन्स							
		निर्मित क्षेत्र	विकासशील/अविकसित क्षेत्र (निम्न से उच्च क्रम में)						
			कृषि, हरित पट्टी, पार्क, क्रीड़ास्थल	सार्वजनिक सुविधाएं	यातायात एवं परिवहन	औद्योगिक	आवासीय (मिश्रित आवासीय सहित)	कार्यालय	व्यावसायिक
			1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि, हरित पट्टी (ग्रीन बेल्ट) पार्क, क्रीड़ास्थल								
2	सामुदायिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं		0.25 (1)				0.25 (1)		
3	यातायात एवं परिवहन		0.30	0.10					
4	औद्योगिक		0.40 (2)	0.25 (2)	0.25 (2)				
5	आवासीय		0.50	0.40	0.40	0.25 (3)			
6	कार्यालय		1.00	0.75	0.75	0.75	0.50		
7	व्यावसायिक		1.50	1.25	1.25	1.00	1.00	0.50	

टिप्पणी : 1. विभिन्न भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु निर्धारित "प्रभाव शुल्क गुणांक" की वैल्यू उन प्रकोष्ठों में दी गई है जहाँ प्रभाव शुल्क देय है।

2. सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु प्रभाव शुल्क 25 प्रतिशत तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु 50 प्रतिशत देय होगा तथा प्रभाव शुल्क का आंकलन सम्बन्धित भू-उपयोग जोन हेतु निर्धारित "प्रभाव शुल्क गुणांक" की वैल्यू के आधार पर निम्न फार्मूला के अनुसार किया जाएगा:-

2.1 सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं हेतु : भूखण्ड का क्षेत्रफल x सर्किल रेट x "प्रभाव शुल्क गुणांक" x 0.25

2.2 विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु : भूखण्ड का क्षेत्रफल x सर्किल रेट x "प्रभाव शुल्क गुणांक" x 0.50

3. प्रभाव शुल्क का आंकलन विकास प्राधिकरण/आवास परिषद की वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर, एंव प्राधिकरण/परिषद की दर न होने की दशा में भूमि के विद्यमान भू-उपयोग के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर किया जाएगा।

प्रभाव शुल्क के आगणन हेतु उदाहरण

उदाहरण-1	उदाहरण-2
मिश्रित आवासीय क्षेत्र में नर्सिंग होम की अनुज्ञा हेतु :	कृषि भू-उपयोग जोन में विशेष अनुमति से पेट्रोल पम्प की अनुज्ञा हेतु :
भूखण्ड का क्षेत्रफल = 350 वर्ग मीटर	भूखण्ड का क्षेत्रफल = 500 वर्ग मीटर
प्राधिकरण की वर्तमान आवासीय दर = रु0 2000 प्रति वर्ग मीटर	कृषि भूमि का सर्किल रेट = रू0 200 प्रति वर्ग मीटर
देय प्रभाव शुल्क = भूखण्ड का क्षेत्रफल x सेक्टर रेट x "प्रभाव शुल्क गुणांक" x 0.25	देय प्रभाव शुल्क = 500 x 200 x 1.5 x 0.5 = रू0 75000/-
अर्थात् 350 x 2000 x 0.25 x 0.25 = रू0 43,750	

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में पत्र सं0-73/उपा0/सी0टी0पी0/2015 दिनांक 24.03.2015 द्वारा शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया है।

<u>विषय संख्या : 16</u>	उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-26 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।
<u>निर्णय :</u>	सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-26 में वर्तमान में प्रचलित अर्थदण्ड की धनराशि को 10 गुना किये जाने की संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को संशोधन हेतु संदर्भित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
<u>अनुपालन :</u>	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में शासन को दिनांक 30.03.2015 को प्रस्ताव सन्दर्भित कर दिया गया है।
<u>विषय संख्या : 17</u>	लखनऊ नगर के सुनियोजित विकास के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण हेतु भूमि जुटाव के सम्बन्ध में।
<u>निर्णय :</u>	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की संस्तुति शासन को नीति-विषयक निर्णय हेतु विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रेषित की जाय।
<u>अनुपालन :</u>	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन को नीति विषयक निर्णय हेतु दिनांक 18.04.2015 को पत्र प्रेषित किया गया।
<u>विषय संख्या : 18</u>	उपाध्यक्ष के आवास एवं आवास कैम्प कार्यालय हेतु स्थल चयन निर्माण व अन्य व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में।
<u>निर्णय :</u>	सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया।
<u>अनुपालन :</u>	उपाध्यक्ष आवास एवं कैम्प कार्यालय हेतु अभी स्थल चिन्हित नही हो सका है, कार्यवाही गतिमान है। वर्तमान में आवास/आवास कैम्प कार्यालय पर व्यवस्थायें सुनिश्चित की जा रही है।
<u>विषय संख्या : 19</u>	जानकीपुरम् विस्तार योजना के सीवरेज निस्तारण हेतु प्रस्तावित इंटरमीडिएट सीवरेज पम्पिंग स्टेशन हेतु आवश्यक भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन।
<u>निर्णय :</u>	सम्यक् विचारोपरान्त जानकीपुरम् विस्तार योज्ना सेक्टर-1 में भू-विन्यास में इंगित पोस्ट आफिस स्थल में इण्टरमीडिएट सीवरेज पम्पिंग स्टेशन बनाये जाने विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
<u>अनुपालन :</u>	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में आगणन तैयार कर लिया गया है। अग्रेतर कार्यवाही प्रगति पर है।

विषय संख्या : 20	गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-1 के फैसिलिटी भूखण्ड से संलग्न अतिरिक्त भूमि को आवासीय भूखण्डों के सृजन के अनुमोदन के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्ताव पुनर्परीक्षण हेतु स्थगित किया गया।
अनुपालन :	प्रस्ताव पर पुनर्परीक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
विषय संख्या : 21	लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के कार्य के लिए संविदा पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा लिए जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के कार्य के लिए संविदा पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा लिए जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव के प्रस्तर-4 एवं 5 में उल्लिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गई।
अनुपालन :	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को संविदा पर रखे जाने की कार्यवाही की जा रही है।
विषय संख्या : 22	जानकीपुरम् योजना के सेक्टर-एच के ले-आउट के संशोधन के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव निरस्त किया गया और निर्देश दिये गये कि इस समस्या के हल के लिए वैकल्पिक सुविचारित प्रस्ताव दिया जाय तथा इस प्रकार की लापरवाही के लिए उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाये।
अनुपालन :	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में पार्क के लिए भूमि की उपलब्धता हेतु सर्वेक्षण कराया जा रहा है, तद्नुसार संशोधित तलपट मानचित्र समुचित प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जायेगा। सम्बन्धित अभिलेखों की खोज-बीन करके उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने की कार्यवाही भी गतिमान है।
विषय संख्या : 23	नगर में स्थित ए0एस0आई0 से संरक्षित स्मारकों के आस-पास भवनों की ऊंचाई के प्रतिबन्ध के कारण भू-आच्छादन में सरलीकरण।
निर्णय :	ए0एस0आई0 के संरक्षित (हेरिटेज) जोन से प्रभावित भूखण्डों में भवनों की ऊँचाई पर ए0एस0आई0 द्वारा प्रदान किये गये अनापत्ति में अंकित प्रतिबन्धों का अनुपालन करते हुए अधिकतम 60 प्रतिशत भू-आच्छादन में छूट अनुमन्य करते हुए आवासीय एवं कार्यालय भवनों के मानचित्रों की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गई कि बिल्डिंग लाइन मेनटेन रखी जाय तथा भवन

उपविधि में निर्धारित मानक यथा-सेटबैक, एफ0ए0आर0, पार्किंग आदि का पूर्ण अनुपालन किया जाये। आवासीय एवं कार्यालय भवनों के मानचित्रों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु उपविधि में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाय।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में पत्र सं0-90/उपा0/सी0टी0पी0/2015 दिनांक 01.04.2015 द्वारा उ0प्र0 शासन को प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया।

विषय संख्या : 24 सेक्टर-एफ, अलीगंज आवासीय योजना, लखनऊ के पार्क में भूमिगत पार्किंग के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त सेक्टर-एफ, अलीगंज आवासीय योजना, लखनऊ के पार्क में भूमिगत पार्किंग सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्थल का विस्तृत सर्वे, एप्रोच रोड आदि की उपलब्धता के सम्बन्ध में मुख्य नगर नियोजक की अध्यक्षता में एक उपसमिति गठित की गई, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :-

1. जिलाधिकारी द्वारा नामित उपजिलाधिकारी - सदस्य
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा नामित अधिकारी - सदस्य
3. क्षेत्राधिकारी (यातायात) - सदस्य
4. अधिशासी अभियन्ता जोन-9, ल0वि0प्रा0 - संयोजक सदस्य

उपर्युक्त समिति उक्त क्षेत्र के निवासियों से सुनवाई कर, संस्तुति/आख्या के आधार पर तथ्यपरक प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में प्रस्तावित भूमिगत पार्किंग के प्रकरण पर प्रभावित निवासियों से आपत्ति एवं सुझाव की सुनवाई दिनांक 29.04.2015 को की गयी है। प्रस्ताव का विरोध करते हुए वैकल्पिक व्यावसायिक क्षेत्र में पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया है। तद्क्रम में अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : 25 भवन उपविधि में किये गये संशोधन से सम्बन्धित शासनादेशों के अंगीकरण के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त एफ0ए0आर0 एवं क्रय योग्य एफ0ए0आर0 के सम्बन्ध में प्रचलित भवन उपविधि में संशोधन से सम्बन्धित शासनादेशों को अंगीकृत किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : 26 शारदा नगर योजना के रतन खण्ड के विन्यास मानचित्र में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त शारदा नगर योजना के रतन खण्ड में 18.00 मी0 सड़कों के क्रासिंग पर पूर्व में प्रस्तावित 04 व्यावसायिक भूखण्डों को जोड़कर केन्द्र में एक बड़े व्यावसायिक भूखण्ड के सृजन एवं भूखण्ड के चारों पर 18.00 मी0 चौड़ी सड़क के निर्माण हेतु विन्यास मानचित्र में संशोधन किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में कार्यवाही पूर्ण की गयी।

विषय संख्या : 27 प्राधिकरण को पेपर लेस आफिस बनाये जाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों का प्रस्तुतीकरण।

निर्णय : संज्ञानार्थ प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : 28 शारदा नगर योजना के अन्तर्गत राधा खण्ड, शहीद पथ पर रमाबाई अम्बेडकर मैदान के निकट स्थित प्राधिकरण की भूमि पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के निर्माण हेतु योजना के विन्यास मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त राधाखण्ड, शारदा नगर योजना की 3628 वर्ग मी0 की भूमि पर तलपट मानचित्र में पूर्व में 'विद्युत सब-स्टेशन' हेतु प्रदर्शित भू-उपयोग से 'आवासीय' भू-उपयोग में परिवर्तन एवं उक्त रिक्त भूखण्ड पर ग्रुप-हाउसिंग भवनों का निर्माण किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में जनसाधारण से आपत्ति एवं सुझावं आमंत्रित किये जाने हेतु दिनांक 09.04.2015 को सूचना प्रकाशित करायी गयी। प्रस्ताव पुनः विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>विषय संख्या : 29</u>	आराजी संख्या-491, 492, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505ख, 506, 507क, 508 एवं 510 ग्राम-अमौसी पर आई0ओ0सी0 के ल्यूब ब्लोडिंग एंड फिलिंग प्लान्ट स्थापना हेतु भू-उपयोग के सम्बन्ध में।
<u>निर्णय :</u>	सम्यक् विचारोपरान्त आराजी संख्या-491, 492, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505ख, 506, 507क, 508 एवं 510 ग्राम-अमौसी पर आई0ओ0सी0 के ल्यूब ब्लोडिंग एंड फिलिंग प्लान्ट स्थापना हेतु लखनऊ महायोजना 2021 में दर्शित 'आवासीय' उपयोग से 'वृहद उद्योग' में परिवर्तन विषयक प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के अन्तर्गत अग्रेत्र कार्यवाही करते हुए शासन को प्रेषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
<u>अनुपालन :</u>	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में प्राधिकरण के पत्र सं0-86/उपा0/सी0टी0पी0/2015 दिनांक 31.03.2015 द्वारा शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया है।
<u>विषय संख्या : 30</u>	रिट याचिका संख्या-5162/एम0बी0/2013 श्रीमती सत्यवती देवी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।
<u>निर्णय :</u>	सम्यक् विचारोपरान्त श्रीमती सत्यदेवी के भवन संख्या-1, मोती महल मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ की 400.94 वर्ग मी0 क्षेत्रफल भूमि को लखनऊ महायोजना 2021 में प्रस्तावित 'मनोरंजनात्मक, पार्क/पी-1) भू-उपयोग से 'आवासीय' में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि पक्ष द्वारा इसका उपयोग मात्र एकल आवासीय भवन के रूप में ही किया जा सकेगा। उ0प्र0 नगर एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु शासन को संदर्भित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
<u>अनुपालन :</u>	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में शासन के अनुमोदनार्थ पत्र प्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
<u>विषय संख्या : 31</u>	लखनऊ महायोजना 2031 की संरचना के सम्बन्ध में।
<u>निर्णय :</u>	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,द्वारा लखनऊ महायोजना-2031 की संरचना में आ रही कठिनाईयों के संबंध में बिन्दुवार आख्या बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी, जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

1. चक गंजरिया फार्म परियोजना (सी.जी. सिटी) में प्रस्तावित भू-उपयोगों तथा योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित 45.00 मी. तथा 30.00 मी. मार्गों के संरेखण के फलस्वरूप महायोजना 2021 में दर्शित 250.00 मीटर (50-50 मी0 ग्रीन बेल्ट के साथ) रिंगरोड के अंशभाग रायबरेली मार्ग से अवध विहार योजना (आवास विकास परिषद) अंसल हाईटेक होते हुए सुल्तानपुर मार्ग होकर फैजाबाद मार्ग तक के संरेखण में किये गये रिंगरोड के संशोधन से संबंधित प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 11.06.2014 में अनुमोदित किया गया अतः इसको लखनऊ महायोजना-2031 में यथा प्रस्तावित किया जाना है। अतएव रायबरेली मार्ग से सुल्तानपुर मार्ग तक संरेखण में किये गये आंशिक संशोधन के कारण उक्त भाग में महायोजना-2021 के संरेखण को अब महायोजना-2031 में दर्शित करने की कोई आवश्यकता नही है क्यों कि उस क्षेत्र में आवास विकास परिषद तथा अंसल हाईटेक टाउनशिप द्वारा प्राधिकरण बोर्ड में स्वीकृत वैकल्पिक संरेखण तथ अन्य मार्गों को डी0पी0आर0 के अन्तर्गत संरेखित किया गया। अतएव रायबरेली मार्ग से सुल्तानपुर मार्ग तक महायोजना-2021 मे दर्शित रिंगरोड के भाग को रिंगरोड 250.00 मी0 चौड़ा (50-50 मीटर ग्रीन बेल्ट) को अब न रखा जाए। सुल्तानपुर मार्ग से सी.जी.सिटी के आगे से आशिक रिंगरोड प्राधिकरण के प्रस्तावित एस.टी.पी. के लिए पहुॅच मार्ग के रूप में उपलब्ध है। अतएव इसे पूर्णतयाः न हटाकर वैकल्पिक रिंगरोड के प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में नियोजन के सिद्धांतों के अनुरूप मार्ग संरचना प्रस्तावित की जाय। तदनुसार महायोजना-2031 की संरचना की जाए।

2. लीडा भूमि को महायोजना-2021 के अन्तर्गत क्षेत्र में जो गॉव लीडा में चले गये हैं, उनको विकास क्षेत्र से हटाते हुए संशोधन किया जाए।

3. प्रभावी महायोजना में प्रस्तावित 250.00 मी0 चौड़ी रिंगरोड तथा प्रस्तावित आउटर रिंगरोड विस्तारित क्षेत्र के आधार पर मार्ग की चौड़ाई 76.00 मी0 के उपरान्त 100.00 मी0 दर्शायी जाए।

4. विकास खण्ड काकोरी के 16 ग्रामों को महायोजना में सम्मिलित कर महायोजना 2031 की संरचना की जाए।

5. लखनऊ महायोजना-2031 में हरित पट्टी पृथक से भू-उपयोग निर्धारित किया जाय।

6. रायबरेली मार्ग पर स्थित गर्व बिल्डटेक का भू-उपयोग हाई-टेक टाउनशिप नीति के अनुरूप निर्धारित किया जाय।

7. लखनऊ महायोजना-2021 को सेटेलाइट इमेजरी के

अनुसार बनाये गये आधार मानचित्र के कारण कतिपय संरचनाओं/मार्गो/भवनों में होने वाले परिवर्तन को महायोजना-2031 में ठीक किये जाने पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी किन्तु ऐसे अवशेष प्रकरणों का विस्तृत परीक्षण कर निर्णय लिये जाने हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जाती है:-

1. सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण	-	अध्यक्ष
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	-	सदस्य
3. मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0	-	सदस्य
4. श्री यादव, गैर सरकारी	-	सदस्य

उक्त समिति अपनी रिपोर्ट उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को देगी और उनका निर्णय अन्तिम निर्णय माना जाएगा।

<u>अनुपालन :</u> प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में गठित समिति की बैठक हो चुकी है। अग्रेतर कार्यवाही प्रगति पर है

<u>विषय संख्या : 32</u> भूखण्ड खसरा संख्या-178(पुराना)/199/1(नया) श्री जागेश्वर महादेव मन्दिर ग्राम-फत्तेपुर, सेक्टर-सी, अलीगंज, लखनऊ पर प्रस्तावित समूह आवास मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सम्पत्ति के स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेखों/प्रमाणों का विधिवत् परीक्षण कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

<u>अनुपालन :</u> प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुक्रम में सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई हेतु आमंत्रित किया गया था। दोनों पक्षों द्वारा अपने-अपने भू-स्वामित्व से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत किये गये है। अभिलेखों के परीक्षण की कार्यवाही गतिमान है।

<u>विषय संख्या : 33</u> गाटा संख्या-17 से 21 तथा 43 से 47 मोहल्ला-कर्बला आगामीर, रामतीरथ मार्ग, नरही, हजरतगंज, लखनऊ की 37,700 वर्ग फिट भूमि के भू-उपयोग को 'पार्क एवं खुला स्थल/हरित पट्टी' से 'आवासीय' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पुनः जिलाधिकारी, लखनऊ से उपरोक्त के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा यह भी देख लिया जाये कि वर्तमान में स्थल पर यदि कोई अवैध गतिविधियाँ गतिमान है, तो नियमानुसार उनके विरूद्ध

प्रभावी कार्यवाही की जाय।

<u>अनुपालन :</u> प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में जिलाधिकारी से टिप्पणी प्राप्त किये जाने हेतु पत्र सं0-85/सचिव/सी0टी0पी0/15 दिनांक 27.03.2015 प्रेषित किया गया है।

<u>विषय संख्या : 34</u> प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2014-15 का पुनरीक्षित तथा माह जनवरी-2015 तक वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 का प्रस्तावित आय-व्ययक आगामी बोर्ड बैठक में रखे जाने का प्रस्ताव।

<u>निर्णय :</u> सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2014-15 का पुनरीक्षित तथा माह जनवरी-2015 तक वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 का प्रस्तावित आय-व्ययक पर अनुमोदन प्रदान करते हुए निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु विशिष्टि निर्देश दिये गये:-

1. पिछले वित्तीय वर्ष में किराये की सम्पत्तियों से प्राप्त होने वाला कितना किराया (रेण्ट) वसूली हेतु अवशेष है तथा लीज-होल्ड पद्धति (हायर परचेज पद्धति) पर आवंटित सम्पत्तियों के विरूद्ध कितना लीज-रेण्ट वसूली हेतु अवशेष है? उसकी सूचना तैयार करायी जाय और देयताओं की प्रभावी वसूली कराई जाय।
2. पांच वर्ष से अधिक पुरानी रिक्त सम्पत्तियाँ कौन-सी है? उसकी सूचना योजनावार/सम्पत्तिवार तैयार करायी जाय।
3. प्राधिकरण की विकसित योजनायें जो नगर-निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित नहीं की गयी है, उनका हस्तान्तरण न होने तक वहाँ के निवासियों से यूजर-चार्जेज प्राप्त किये जाने की कार्यवाही यथा-नियम की जाय। साथ ही ऐसे इलाकों में मूलभूत सुविधायें/सेवायें प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाय।

<u>अनुपालन :</u> प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में सूचनायें उपलब्ध कराने हेतु समस्त सम्बन्धित को निर्देशित कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक का अनुपालन अप्रैल 2015 से किया जा रहा है।

अनु0वि0सं0 : 01	लखनऊ विकास प्राधिकरण के विस्तृत विकास क्षेत्र में जन-सामान्य को उनके निकटम क्षेत्रों में आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु जनसुविधा केन्द्रों का गठन।
निर्णय :	जन-सामान्य को सर्वोत्तम सेवायें उपलब्ध कराने हेतु जनसुविधा केन्द्र के गठन से सम्बन्धित प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
अनुपालन :	बोर्ड द्वारा अवलोकित प्रस्ताव के क्रम में जनसामान्य को सर्वोत्तम सेवायें उपलब्ध कराने हेतु जनसुविधा केन्द्रों का गठन किया जा चुका है।
अनु0वि0सं0 : 02	गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-1 वरदान खण्ड में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-1/8 एवं 1/9 स्वर्गाश्रम सहकारी आवास समिति लि0 के पक्ष में आवंटन किये जाने के अनुरोध के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में प्रकरण का परीक्षण कर गुण-दोष के आधार पर प्रकरण के निस्तारण एवं उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध समुचित कार्यवाही हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।
अनुपालन :	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में स्वर्गाश्रम सहकारी आवास समिति लि0 के पक्ष में गोमती नगर विस्तार योजना में स्थित भूखण्ड सं0-जी0एच0-1/8 एवं 1/9 वरदान खण्ड का आवंटन/समायोजन पत्र निर्गत किया जा चुका है एवं उत्तरदायीं अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध समुचित कार्यवाही पृथक से की जा रही है।
अनु0वि0सं0 : 03	भूखण्ड संख्या-बी-321, सेक्टर-बी, महानगर के "आवासीय" भूखण्ड को शैक्षिक भू-उपयोग (प्राइमरी स्कूल) के भू-उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि नेिश्रित भू-उपयोग के सम्बन्ध में शासन स्तर पर विचाराधीन प्रस्ताव पर निर्णय की प्रतीक्षा कर प्रकरण में शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

<u>अनुपालन :</u> प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में पक्ष को पत्र सं0-84/सी0टी0पी0/15 दिनांक 26.03.2015 द्वारा अवगत करा दिया गया है।

<u>अनु0वि0सं0 : 04</u> भदरूख स्थित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या-ए-1 (बंसल बगिया) को नवीन धरना स्थल बनाये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए निर्देश दिये गये कि मा0 न्यायालय सिविल जज (सीडी) लखनऊ वाद सं0-69/2002 में पारित ओदश दिनांक 10.04.2002 पर विधिक राय प्राप्त कर विधिक मंतव्य के अनुरूप अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

<u>अनुपालन :</u> भूखण्ड सं0-ए-1, असरा निर्माण प्रा0लि0 के पक्ष में आवंटित भूखण्ड के मद में जमा धनराशि स्वीकृति के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। वाद निस्तारण के सम्बन्ध में भी समुचित कार्यवाही गतिमान है।

<u>अनु0वि0सं0 : 05</u> खसरा संख्या-263 एवं 272, ग्राम-अहमामऊ का भू-उपयोग 'यातायात एवं ग्रीन' से 'आवासीय' भू-उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> सम्यक विचारोपरान्त प्रकरण के समस्त बिन्दुओं पर विधिवत् परीक्षण कर सुस्पष्ट एवं समुचित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी, जिसमें निम्नांकित सदस्य होगें:-

1. जिलाधिकारी द्वारा नामित उपजिलाधिकारी - सदस्य
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा नामित अधिकारी - सदस्य

3. मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक द्वारा नामित - सदस्य
4. क्षेत्राधिकारी (यातायात) - सदस्य
5. अधिशासी अभियन्ता जोन-3, ल0वि0प्रा0 - संयोजक सदस्य

<u>अनुपालन :</u> प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, मुख्य नगर नियोजक तथा सहायक व अवर अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण एवं परीक्षण में उल्लिखित खसरा के भू-स्वामी से शहीद पथ तथा शहीद पथ के साथ प्रस्तावित 18.00 मी0 चौड़ी मार्ग से प्रभावित भूमि को विकास हेतु प्राधिकरण को निःशुल्क उपलब्ध कराने लिखित रूप से पक्ष से सहमति प्राप्त कर विस्तृत रिपोर्ट देने हेतु सम्बन्धित अभियन्त्रण खण्ड को निर्देशित किया गया है। अभियन्त्रण खण्ड द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

<u>अनु0वि0सं0 : 06</u> लखनऊ विकास प्राधिकरण में अनुबन्ध के आधार पर कार्यरत 06 चालक संविदा कर्मचारियों को वेतनमान का न्यूनतम वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> सम्यक् विचारोपरान्त वर्तमान में संविदा के आधार पर कार्यरत् 06 संविदा चालकों को रू0 14,000/- प्रतिमाह तथ अन्य समूह-'घ' के 18 संविदा कर्मियों (मृतक आश्रित) को रू0 11,000/- प्रतिमाह दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>अनुपालन :</u> प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में बढ़ी हुई दर से कर्मिकों को भुगतान किया जा रहा है।

<u>अनु0वि0सं0 : 07</u> आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-6 के पत्र संख्या-2120/आठ-6-14-28ई/05टी0सी0 दिनांक 22.09.2014 के अनुक्रम में श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, प्रभारी/लेखा-लिपिक (प्रतिनियुक्ति) की लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रधान लिपिक/

	अनुभाग अधिकारी के पद पर आदेश सं0-1267/सा0प्र0/14-15 दिनांक 20.01.15 द्वारा वेतनमान रू0-5200-20200 ग्रेडपे-2400 में संविलियन उपरान्त प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय दिनांक 31.08.2012 के अनुपालन में बोर्ड बैठक में प्रस्ताव अवलोकित किये जाने के संबंध में।
<u>निर्णय :</u>	प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
<u>अनुपालन :</u>	अवलोकनार्थ प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में कार्यवाही पूर्ण की गयी।

विषय संख्याः 03 पृष्ठ संख्याः 43

विषयः मानसरोवर योजना, सेक्टर–ओ, कानपुर रोड के तलपट मानचित्र के अन्तर्गत दर्शित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या–जीएच–4 के सम्बन्ध में।

आख्या :

मानसरोवर योजना के सेक्टर–ओ पर अमरशहीद पथ के निकट तलपट मानचित्र में दर्शित 4000.00 वर्गमी0 क्षेत्रफल के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0–जी0एच0–4 को हॉस्पिटल दर्शित कराने तथा आगे इसी तलपट मानचित्र में दर्शित हॉस्पिटल के भूखण्ड को ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0–जी0एच0–4 दर्शित कराने से सम्बन्धित प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनांक 28.02.2015 को विषय सं0–13 अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस पर बोर्ड द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गयाः–

" अनुमोदित। "

उपरोक्त निर्णय के क्रम में प्रकरण पर जनता से आपत्ति एवं सुझाव लखनऊ संस्करण के "हिन्दुस्तान" एवं "टाइम्स ऑफ इण्डिया" दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 09.04.2015 में प्रकाशित करायी गयी। निर्धारित 30 दिन की अवधि में प्राधिकरण स्तर पर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

प्रकरण पर जनता से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त न होने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–2438/9–आ–3–98–60 एल0यू0सी0/96 दिनांक 13.10.1998 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा तलपट मानचित्र विकसित मानसरोवर योजना के सेक्टर–ओ, पर अमरशहीद पथ के निकट में दर्शित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0–जी0एच0–4 को हॉस्पिटल दर्शित कराने तथा हॉस्पिटल को ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0–जी0एच0–4 दर्शित कराने से सम्बन्धित विन्यास मानचित्र में प्रस्तावित संशोधन पर प्राधिकरण के बोर्ड का अनुमोदन अपेक्षित है।

<u>प्रस्तावः</u>

उपर्युक्त आख्या के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा विकसित मानसरोवर योजना सेक्टर–ओ पर अमरशहीद पथ के निकट आरक्षित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0–जी0एच0–4 के स्थान पर हॉस्पिटल दर्शित कराने तथा हॉस्पिटल के भूखण्ड पर ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0–जी0एच0–4 दर्शित कराने से सम्बन्धित विन्यास मानचित्र के संशोधन का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(हस्ताक्षर)
ओ0 एन0 रेड्डी
मुख्य नगर नियोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण

44

Hindustan-Lucknow Dt. 09-04-2015

जकाज

आज का दिन — 1965 मे... कच्छ के...

...आईएएस ने फेसबुक पर सरकार के खिलाफ

हिन्दुस्तान **खास**

राज्य मुख्यालय | गोलेश स्वामी

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने फेसबुक पर प्रदेश सरकार के खिलाफ झंडा उठा रखा है। हाल ही में उन्होंने लखनऊ में आयोजित इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग (आईजीसीएल) को लेकर अपनी फेसबुक वाल पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधा है।

श्री सिंह ने फेसबुक पर लिखा है कि अन्नदाता मुसीबत में और लखनऊ में ग्रामीण क्रिकेट लीग का ग्लैमर। इसके साथ ही उन्होंने 'सात किसानों ने जान दी' शीर्षक एक अखबार की कटिंग पोस्ट की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की क्रिकेट खेलते हुए फोटो पोस्ट की है। साथ ही इस क्रिकेट लीग में चीयर लीडर्स के डांस की भी फोटो पोस्ट की है।

श्री सिंह यहीं तक सीमित नही हैं, वे अपनी वाल पर लिखते हैं कि व्यवस्था के पालनहार मस्त और किसान पस्त। वे एक अखबार की कटिंग पोस्ट करते हैं जिसका शीर्षक है किसानों को मुआवजे के नाम पर ऊंट के मुंह में जीरा। वे अपनी फेसबुक वाल पर लगातार किसानों के पक्ष में सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। वे लिखते हैं कि और कितने किसानों की मौतों का इंतजार।

इसके साथ ही उन्होंने एक अखबार की कटिंग पोस्ट की है जिसका शीर्षक है 'बीस और किसानों ने तोड़ा दम।' वे यह भी लिखते हैं कि अन्नदाता मुसीबत में आत्महत्याएं कर रहा है और वे कह रहे हैं कि कोई नहीं मर रहा। जबकि सौ से ज्यादा मर चुके हैं। अब तो जागना चाहिए।

कौन हैं सूर्य प्रताप सिंह

ये वही सूर्य प्रताप सिंह हैं जो वर्षों विदेश में बिताकर लौटने के बाद एक समय अखिलेश यादव सरकार के आंख के तारे बने थे। उन्हें आते ही प्रदेश के औद्योगिक विकास का जिम्मा दे दिया गया था। फिर न जाने क्या हुआ, कि वे वेटिंग में डाल दिए गए। बाद में माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव बने। वहां पर नकल के विरोध में अभियान चलाने पर हटा दिए गए। उसके बाद से ये सरकार के विरोध में विभिन्न मुद्दों पर झंडा उठाए

कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ संघर्ष

राज्य मुख्यालय | प्रमुख संवाददाता

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर महापुरुषों की प्रतिमाओं पर एकत्र होकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प लिया। केंद्र सरकार को किसानों व मजदूरों की विरोधी बताते हुए पार्टी ने भूमि अधिग्रहण विधेयक वापस लेने की मांग भी दोहराई।

पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प लेने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता पैदल चलकर अपने-अपने जिला मुख्यालय पर स्थापित महापुरुषों की प्रतिमा पर पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. निर्मल खत्री की अपील पर सभी जिलों में दोपहर एक बजे कांग्रेसजनों ने यह

लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ0प्र0) दूरभाष : 0522-2302578, 2302587 टेलीफैक्स : 0522-2307983 वेबसाइट : www.ldalucknow.co.in

आवश्यक सूचना / शुद्धि पत्र

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की संचालित योजनाओं की व्यावसायिक सम्पत्तियों की नीलामी का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था, जिसकी नीलामी दिनांक 16.04.2015 को सम्पन्न होनी है। प्रकाशित विज्ञप्ति में गोमती नगर विस्तार योजना के क्रमांक–3 में अंकित फैसलटीज भूखण्ड सं0–4/31–ए बसन्त खण्ड सेक्टर–4 की नीलामी अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है।

उपाध्यक्ष

लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.)
फोन नं0: 0522–2302576, वेबसाइट "http://www.ldalucknow.co.in"

–: आवश्यक सूचना :–

मानसरोवर योजना के सेक्टर–ओ, कानपुर रोड पर अमरशहीद पथ के निकट 4000.00 वर्ग0मी0 क्षेत्रफल के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड स0–जी0एच–4 के स्थान पर हॉस्पिटल दर्शित कराने तथा हॉस्पिटल के भूखण्ड पर ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0–जी0एच0–4 दर्शित कराने से सम्बन्धित प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनांक 28.02.2015 को विषय सं–13 पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित तलपट मानचित्र के अवलोकन हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण विपिनखण्ड, गोमती नगर स्थित नियोजन कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर अवलोकनार्थ प्रदर्शित है।

अतएव शासनादेश संख्या–2438/9–आ–3–98–60 एल0यू0सी0/96 दि0 13.10.1998 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 के अन्तर्गत यह सूचना जनसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से प्रकाशित की जा रही है। केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में प्राप्त कराये जायेंगे। समस्त आपत्ति एवं सुझाव "उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण" को सम्बोधित किये जायेंगे एवं निर्धारित अवधि में "मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण" विपिन खण्ड, गोमती नगर स्थित कार्यालय में तीन प्रतियों में प्राप्त कराये जायेंगे।

100% AYURVEDIC

नारी स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी समस्याओं का समाधान

100% AYURVEDIC

लिकोरिया

खून की कमी

45

...University. The statistics practical examination of BSc-II ...of Lucknow Christian College will be held on May 15 from ...n to 12noon at the department of statistics.

MA and MSc (statistics) examinations of semester II and IV will be held from May 2 till May 20 at the department of statistics. MA and MSc (bio-statistics) examination of semester II and IV will be held from May 7 to May 20 at Lucknow University. TNN

...ce ...or ...have ...need to ...latest by

...on calendar ...ed by Monday. ...admission proc- ...online and the Na- ...nformatics Centre ...ould be the nodal agen- ...handling admissions. ...he decision to not hold entrance test came after mass protests from teachers who felt that it would make a clear way for lumpen elements to get inside the campus.

The entrance test system was followed by LU for UG and PG courses till 2000-2001. However, following large-scale anomalies; it decided to accept class XII marks as the basis for admission.

In 2005-06, LU held entrance tests for some professional PG courses. While some were successful, others failed. Since then, admission to UG has been based on class XII marks and to PG on graduation scores. The entrance exams were scrapped partly because of pressure from student leaders and government officials and politicians.

लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.)
फोन नं0: 0522-2302576, वेबसाइट "http://www.ldalucknow.co.in"

-: आवश्यक सूचना :-

मानसरोवर योजना के सेक्टर--ओ, कानपुर रोड पर अमरशहीद पथ के निकट 4000.00 वर्ग0मी0 क्षेत्रफल के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड स0--जी0एच--4 के स्थान पर हॉस्पिटल दर्शित कराने तथा हॉस्पिटल के भूखण्ड पर ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड स0--जी0एच0--4 दर्शित कराने से सम्बन्धित प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनांक 28.02.2015 को विषय सं--13 पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित तलपट मानचित्र के अवलोकन हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण विपिनखण्ड, गोमती नगर स्थित नियोजन कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर अवलोकनार्थ प्रदर्शित है।

अतएव शासनादेश संख्या--2438/9-आ-3-98-60 एल0यू0सी0/96 दि0 13.10.1998 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम--1973 की धारा--13 के अन्तर्गत यह सूचना जनसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से प्रकाशित की जा रही है। केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में प्राप्त कराये जायेंगे। समस्त आपत्ति एवं सुझाव "उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण" को सम्बोधित किये जायेंगे एवं निर्धारित अवधि में "मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण" विपिन खण्ड गोमती नगर स्थित कार्यालय में तीन प्रतियों में प्राप्त कराये जायेंगे।

उपाध्यक्ष

लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.)
दूरभाष: 0522-2302576, वेबसाइट: www.ldalucknow.co.in

आवश्यक सूचना

शारदानगर योजना के राधा खण्ड, शहीद पथ पर रमाबाई अम्बेडकर मैदान के निकट 2628.00 वर्ग मी० क्षेत्रफल के सबस्टेशन के भूखण्ड पर आवासीय उपयोग के ग्रुप हाउसिंग भवन निर्माण हेतु प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनांक 28.02.2015 को विषय सं०--28 में सहमति प्रदान की गयी है। प्रकरण से सम्बन्धित तलपट मानचित्र के अवलोकन हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण विपिन खण्ड, गोमती नगर स्थित नियोजन कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर अवलोकनार्थ प्रदर्शित है।

अतएव शासनादेश संख्या--2438/9-आ-3-98-60 एल०यू०सी०/96 दि० 13.10.1998 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उ०प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम--1973 की धारा--13 के अन्तर्गत यह सूचना जनसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से प्रकाशित की जा रही है। केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में प्राप्त कराये जायेंगे। समस्त आपत्ति एवं सुझाव "उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण" को सम्बोधित किये जायेंगे एवं निर्धारित अवधि में "मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण" विपिन खण्ड, गोमती नगर स्थित कार्यालय में तीन प्रतियों में प्राप्त कराये जायेंगे।

उपाध्यक्ष

Police stat... don't have t... for women o...

TIMES NEWS NETWORK

Lucknow: Lack of crèches and toilets for women in police stations is a major problem for women police personnel in the city. The issues came up during an evaluation by a three-member committee formed by the department of women and child development.

The committee was headed by activist Pam Rajput and visited several police stations, including Mahila Thana, on Wednesday. Police women also demanded change in their uniform. Women constitute ...6% of the police.

Talking to women constables and sub-inspectors, the committee found that there was a shortage of toilets for women, leading to severe distress among them. Women personnel use the ...

men's toile... colleagues... Marrie... said their... comprise a... the outside...

They als... mand for a ... odd duty ho... cers have to a... one to look ...

COMMITT...

dren. Anothe... the lack of co... sources whene... sonnel are de... flung areas.

"This calls ... them the best ... beginning from t... toilets. The sugg... help us i... recommendation... sults," said Rajpu...

Prohibitory orders i... of city for fest...

TIMES NEWS NETWORK

Lucknow: Prohibitory orders under Section 144 of the Criminal Procedure Act have been imposed in Lucknow West and trans-Gomti (TG) areas by the district administration. ADM West HP Shahi and ADM TG Ashok Kumar issued orders citing probability of disruption of peace by various outfits and individuals during festivals and im...

...ve da...

Portan... days falli... and May.

Besides festivals ...sakhi, important day... ing Ambedkar Jaya... shuram Jayanti, Anniversary of Haz... and Buddha Purnima a... ing in April and May.

Officials said the adm... tration has received in... gence inputs that anti-so... elements may create trou... during the festivals.

...Saf... to a... Con... Kanp...

...70

Times of India - Lucknow
SIZE - 3x9
Dt. 07-04-2015
PAGE No. 4 ADM Advt. ...

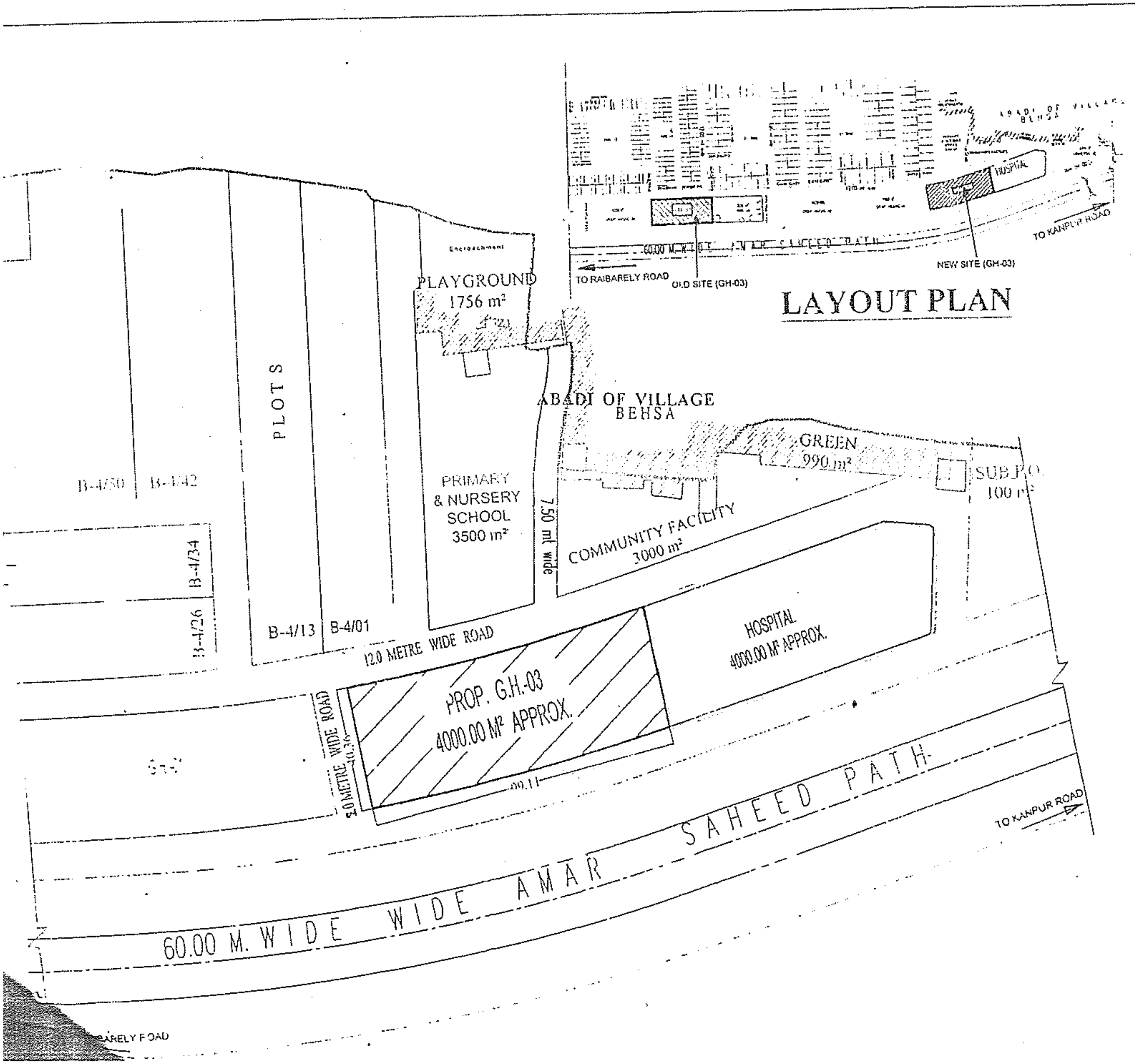

PROPOSED SUB DIVISION PLAN OF HOSPITAL PLOT FOR G. H.-03
SECTOR - O EXTENSION,
MANSAROVER SCHEME,
KANPUR ROAD, LUCKNOW.

AREA OF G.H.-03 PLOT:- 4000.00 sq.m.

NOTES:-

THIS PROP. PART LAYOUT PLAN PREPARED FOR GH-3 ON THE PLOT OF HOSPITAL ACCORDING TO BOARD DECISION [illegible] DATED [illegible]

TENTATIVE:-

R E V I S I O N

DATE - 27 JAN 2014
DRG NO. - EP/SEC-O EXT./KP ROAD 2014
DEALT BY -
CHECKED BY -

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

ANITA SRIVASTAVA
A.T.P.

31/1/14
REDDY
C.T.P.

विषय संख्याः 04 पृष्ठ संख्याः 47

विषयः शारदा नगर योजना के अन्तर्गत राधाखण्ड शहीद पथ एवं रमाबाई अम्बेडकर मैदान के निकट स्थित प्राधिकरण की भूमि पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के निर्माण हेतु विन्यास मानचित्र के संशोधन के सम्बन्ध में।

आख्या :

शारदा नगर योजना के अन्तर्गत राधाखण्ड, शहीद पथ एवं रमाबाई अम्बेडकर मैदान के निकट स्थित प्राधिकरण की भूमि पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के निर्माण हेतु विन्यास मानचित्र के संशोधन का प्रस्ताव दिनांक 28.02.2015 की बोर्ड बैठक में विषय सं0–28के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिस पर निम्नवत् निर्णय लिया गयाः–

''सम्यक् विचारोपरान्त राधाखण्ड, शारदा नगर योजना की 3628 वर्ग मी0 की भूमि पर तलपट मानचित्र में पूर्व में 'विद्युत सब–स्टेशन' हेतु प्रदर्शित भू–उपयोग से 'आवासीय' भू–उपयोग में परिवर्तन एवं उक्त रिक्त भूखण्ड पर ग्रुप–हाउसिंग भवनों का निर्माण किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।''

उपरोक्त निर्णय के क्रम में प्रकरण पर जनता से आपत्ति एवं सुझाव के आमंत्रण की सूचना लखनऊ के ''दैनिक जागरण'' एवं ''टाइम्स ऑफ इण्डिया'' दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 09.04.2015 के संस्करण में प्रकाशित करायी गयी (छायाप्रतियाँ संलग्न)। निर्धारित 30 दिन की अवधि में प्राधिकरण स्तर पर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

प्रकरण पर जनता से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त न होने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–2438/9–आ–3–98–60 एल0यू0सी0/96 दिनांक 13.10.1998 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा विकसित शारदा नगर योजना के अन्तर्गत राधाखण्ड, शहीद पथ एवं रमाबाई अम्बेडकर मैदान के निकट स्थित विन्यास मानचित्र में चिन्हित प्राधिकरण के विद्युत सब स्टेशन के स्थान पर ग्रुप हाउसिंग चिन्हीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

<u>प्रस्तावः</u>

उपर्युक्त आख्या के परिप्रेक्ष्य में राधाखण्ड, शारदानगर योजना की 3628.00 वर्गमी0 की भूमि पर तलपट मानचित्र में पूर्व में 'विद्युत सब स्टेशन' हेतु आरक्षित भूमि पर 'आवासीय' ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड दर्शित करने से सम्बन्धित विन्यास मानचित्र में प्रस्तावित संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(ओ0 एन0 रेड्डी)
मुख्य नगर नियोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण

...in previous years.

...e-chancellor SB Ni... who had earlier said the ...trance tests would ensure time-bound admissions, on Wednesday attributed lack of ti... as the reason for not going ahead with the entrance test pattern. "Entrance or merit, the focus is to have timely admissions. We need to finish admissions latest by June 30," he said.

The admission calendar would be declared by Monday, he said. The admission process will be online and the National Informatics Centre (NIC) would be the nodal agency for handling admissions.

The decision to not hold entrance test came after mass protests from teachers who felt that it would make a clear way for lumpen elements to get inside the campus.

The entrance test system was followed by LU for UG and PG courses till 2000-2001. However, following large-scale anomalies, it decided to accept class XII marks as the basis for admission.

In 2005-06, LU held entrance tests for some professional PG courses. While some were successful, others failed. Since then, admission to UG has been based on class XII marks and to PG on graduation scores. The entrance exams were scrapped partly because of pressure from student leaders and government officials and politicians.

...on April 18, from 11am to 2pm in the department of physics of Lucknow University. The statistics practical examination of BSc-II batch I of Lucknow Christian College will be held on May 15 from 9am to 12noon at the department of statistics.

MA and MSc (statistics) examinations of semester II and IV will be held from May 2 till May 20 at the department of statistics. MA and MSc (bio-statistics) examination of semester II and IV will be held from May 7 to May 20 at Lucknow University. TNN

...by of Artist Association. Sangeet Natak Akademi, Gomtinagar | **7pm**

Films

7th International Children's Film Festival | Actor Darsheel Safari and Avneet Kaur to attend. **World Unity Convention Centre, CMS Kanpur Road | 10am**

Police stations don't have toilets for women officers

TIMES NEWS NETWORK

Lucknow: Lack of crèches and toilets for women in police stations is a major problem for women police personnel in the city. The issues came up during an evaluation by a three-member committee formed by the department of women and child development.

The committee was headed by activist Pam Rajput and visited several police stations, including Mahila Thana, on Wednesday. Police women also demanded change in their uniform. Women constitute 5% of UP Police.

Talking to women constables and sub-inspectors, the committee found that there was extreme shortage of toilets for women leading to severe distress among them. Women personnel use the men's toilets with one of their colleagues guarding the gate.

Married police women said their uniform should comprise a tunic with a belt on the outside.

They also voiced the demand for a crèche as given the odd duty hours, women officers have to arrange for someone to look after their children. Another problem was the lack of commutation resources whenever women personnel are deployed in far-flung areas.

"This calls for providing them the best of amenities, beginning from the basics like toilets. The suggestions will help in giving recommendations for best results," said Rajput.

TIMES OF INDIA ON - 09/04/2015

Prohibitory orders in parts of city for festive days

TIMES NEWS NETWORK

Lucknow: Prohibitory orders under Section 144 of the Criminal Procedure Act have been imposed in Lucknow West and trans-Gomti (TG) areas by the district administration. ADM West HP Shahi and ADM TG Ashok Kumar issued orders citing probability of disruption of peace by various outfits and individuals during festivals and important days falling in April and May.

Besides festivals like Baisakhi, important days including Ambedkar Jayanti, Parshuram Jayanti, birth Anniversary of Hazrat Ali and Buddha Purnima are falling in April and May.

Officials said the administration has received intelligence inputs that anti-social elements may create trouble during the festivals.

लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.)
फोन नं0 0522-2302576 वेबसाइट "http://www.ldalucknow.co.in"

—: आवश्यक सूचना :—

मानसरोवर योजना के सेक्टर—ओ, कानपुर रोड पर अमरशहीद पथ के निकट 4000.00 वर्ग0मी0 क्षेत्रफल के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0—जी0एच—4 के स्थान पर हॉस्पिटल दर्शित कराने तथा हॉस्पिटल के भूखण्ड पर ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0—जी0एच0—4 दर्शित कराने से सम्बन्धित प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनांक 28.02.2015 को विषय सं—13 पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित तलपट मानचित्र के अवलोकन हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण विपिनखण्ड, गोमती नगर स्थित नियोजन कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर अवलोकनार्थ प्रदर्शित है।

अतएव शासनादेश संख्या—2438/9—आ—3—98—60 एल0यू0सी0/96 दि0 13.10.1998 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम—1973 की धारा—13 के अन्तर्गत यह सूचना जनसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से प्रकाशित की जा रही है। केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में प्राप्त कराये जायेंगे। समस्त आपत्ति एवं सुझाव "उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण" को सम्बोधित किये जायेंगे एवं निर्धारित अवधि में "मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण" विपिन खण्ड, गोमती नगर स्थित कार्यालय में तीन प्रतियों में प्राप्त कराये जायेंगे।

उपाध्यक्ष

लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.)
दूरभाष : 0522-2302578, वेबसाइट : www.ldalucknow.co.in

आवश्यक सूचना

शारदानगर योजना के राधा खण्ड, शहीद पथ पर स्मारक अम्बेडकर मैदान के निकट 2628.06 वर्ग मी० क्षेत्रफल के सबस्टेशन के भूखण्ड पर आवासीय उपयोग के ग्रुप हाउसिंग भवन निर्माण हेतु प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनांक 28.02.2015 को विषय सं०—28 में अनुमति प्रदान की गयी है। प्रकरण से सम्बन्धित तलपट मानचित्र के अवलोकन हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण विपिन खण्ड, गोमती नगर स्थित नियोजन कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर अवलोकनार्थ प्रदर्शित है।

अतएव शासनादेश संख्या—2438/9—आ—3—98—60 एल०यू०सी०/96 दि० 13.10.1998 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उ०प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम—1973 की धारा—13 के अन्तर्गत यह सूचना जनसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से प्रकाशित की जा रही है। केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में प्राप्त कराये जायेंगे। समस्त आपत्ति एवं सुझाव "उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण" को सम्बोधित किये जायेंगे एवं निर्धारित अवधि में "मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण" विपिन खण्ड, गोमती नगर स्थित कार्यालय में तीन प्रतियों में प्राप्त कराये जायेंगे।

उपाध्यक्ष

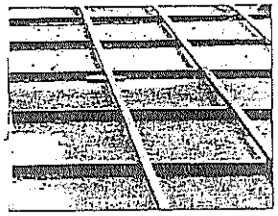

जागरण

: पीआइबी क्लीयरेंस मिलते ही कई आसान हो जाएंगे। विदेशी बैंक जो रत की दहलीज पर लोन लिए खड़े आंख मूंदकर आना शुरू हो यही नहीं मेट्रो कोच के लिए 21 को निकलने वाले 935 करोड़ के लिए आने वाली थोड़ी बहुत भी दूर हो जाएंगी। विदेशी कंपनियों लगेगा कि केंद्र को प्रदेशों में हो रहे में रुचि है।

से शुरू होगा पियर कैप रखना :

पहली बार में मिलेंगे बीस कोच : रोलिंग स्टाक के निदेशक महेंद्र कुमार ने बताया कि चीन व कोरिया सहित कई कंपनियों के निविदा संबंधी कागजात पूरे नहीं हो पाए थे। इसलिए एलएमआरसी ने तिथि बढ़ाने का निर्णय किया है। अब रोलिंग स्टाक का टेंडर 21 अप्रैल को होगा। निदेशक के मुताबिक शुरू में संबंधित कंपनी को पांच मेट्रो यानी बीस कोच देने होंगे। फिर हर माह चार-चार कोच देगी। अस्सी कोच संबंधित कंपनी को सप्लाई करने होंगे। इस प्रतिस्पर्धा में भारत की बीएमएल और टेक्समैको भी शिरकत कर रही है।

> पीआइबी क्लीयरेंस को लेकर नौ अप्रैल को केंद्रीय गृह सचिव के यहां बैठक होनी है। उम्मीद है कि क्लीयरेंस की दिशा में काम आगे बढ़ेगा।
>
> कुमार केशव, प्रबंध निदेशक, एलएमआरसी

होगा जो रावतपुर, मोतीझील, नवीन मार्केट कानपुर रेलवे स्टेशन, झकरकटी और नौब स्टेशन होगा। उक्त स्टेशनों पर काम शुरू सरकार कुछ किमी तक मेट्रो के रूट तय उदाहरण के तौर पर जैसे लखनऊ में पहले आठ किमी रूट को चुना गया है। दूसरे चरण काम होना है। मेट्रो के प्रबंध निदेशक कुमार कि गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज से शुरू हो सकता है या फिर चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय से होगा। अभी इस पर निर्णय उन्होंने बताया कि आगरा, कानपुर व बनारस साथ बात चल रही है। जल्द ही राइटस उक्त वाली मेट्रो के डीपीआर पर काम शुरू कर दे

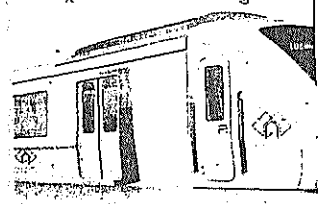

विकास

विशेष

श योजनाएं बंद

लित योजना का

टर्मलोन योजना
मार्जिन मनी ऋण
जना ■ लघु वित्त
षण ■ रिक्शा
लाने की योजना
ब्याज रहित ऋण
जना ■ शैक्षिक
ण योजना
व्यवसायिक
शिक्षण एवं कौशल
धार योजना
ना ■ केंद्रीय

वेतनमान पर कार्य कर्मचारियों को समय इन हालात में जब कर पा रहे हैं, तो न मिलने की वजह कास नहीं कर पा रहे अंदाजा लगाया जा

में वाणिज्य

ज्ञापन सौंपा : बकाया भुगतान आदि मांगों को लेकर गैर सरकारी सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने सपा कार्यालय में राजनीतिक पेंशन मंत्री राजेंद्र चौधरी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में संतोष यादव, राजवर्धन आदि शामिल रहे।

विरोध : डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच ने सरकार पर अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारियों को प्रोन्नति करने का आरोप लगाया। मंच के अध्यक्ष भवनेन्द्र ने 30 मार्च को आरक्षण के विरोध में जारी सरकारी आदेश की निंदा की। इसके खिलाफ 18 अप्रैल को हजरतगंज में धरना दिया जाएगा।

गैस ट्रबल ? ऐसीडीटी ?

सोडाजी

Business Head:
9415128216, 9720148466, 09879112732
सभी मेडीकल एवं जनरल स्टोर्स में उपलब्ध

SPARKS ADVERTISING
SIZE - 8CM x 9CM
DAINIK JAGRAN ON 09/04/2015

लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.)
दूरभाष : 0522-2302578, वेबसाइट : www.ldalucknow.co.in

आवश्यक सूचना

शारदानगर योजना के राधा खण्ड, शहीद पथ पर रमाबाई अम्बेडकर मैदान के निकट 2628.00 वर्ग मी० क्षेत्रफल के सबस्टेशन के भूखण्ड पर आवासीय उपयोग के ग्रुप हाउसिंग भवन निर्माण हेतु प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनांक 28.02.2015 को विषय सं०-28 में सहमति प्रदान की गयी है। प्रकरण से सम्बन्धित तलपट मानचित्र के अवलोकन हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण विपिन खण्ड, गोमती नगर स्थित नियोजन कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर अवलोकनार्थ प्रदर्शित है।

अतएव शासनादेश संख्या-2438/9-आ-3-98-60 एल०यू०सी०/96 दि० 13.10.1998 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उ०प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के अन्तर्गत यह सूचना जनसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से प्रकाशित की जा रही है। केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में प्राप्त कराये जायेंगे। समस्त आपत्ति एवं सुझाव "उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण" को सम्बोधित किये जायेंगे एवं निर्धारित अवधि में "मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण" विपिन खण्ड, गोमती नगर स्थित कार्यालय में तीन प्रतियों में प्राप्त कराये जायेंगे।

उपाध्यक्ष

SH
COMP
BEFO
YOU B
बैंका
(06 रात्रि/
दुबई
(04 रात्रि/

विषय संख्याः 05 पृष्ठ संख्याः 50

विषयः उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली–2014 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

आख्या :

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित गोमतीनगर विस्तार योजना के विराम खण्ड के भूखण्ड सं0–1/5, विजयन्त खण्ड के भूखण्ड सं0–बी–2/91, विशालखण्ड के भूखण्ड सं0–2/362, गोमतीनगर विस्तार के भूखण्ड सं0–1/सी–816, अलीगंज योजना के भूखण्ड सं0–बी–1/35, महानगर योजना के सेक्टर–बी के भूखण्ड सं0–बी–339, टी0जी0 नार्थ, चाँदगंज हाउसिंग स्कीम के भूखण्ड सं0–बी–184, कानपुर रोड योजना के भूखण्ड सं0–एम0डी0–1/340, एसएस–II/डी1/874 के कुल 08 भूखण्डों के क्षेत्रफल, लोकेशन, भूखण्ड के सम्मुख स्थित मार्गो की चौडाई आदि का विस्तृत विवरण प्रस्ताव के साथ (अनुलग्नक–1 पर) संलग्न सूची में है। इन आवासीय भूखण्डों को व्यवसायिक उपयोग में परिवर्तन कराने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 की अधिसूचना सं0–2281/8–3–14–194विविध/14 दिनांक 11.12.2014 के प्राविधान के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त हुये हैं (अनुलग्नक–2 पर संलग्न)। उल्लेखनीय है कि यह समस्त भूखण्ड प्राधिकरण/इम्प्रुवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा नियोजित योजनाओं के अन्तर्गत विकसित तथा आवंटित आवासीय उपयोग के भूखण्ड हैं तथा आवासीय से व्यवसायिक उपयोग में परिवर्तन प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन से किये जाने का प्राविधान है। प्राप्त आवेदनों को शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0–2281, दिनांक 11.12.2014 की अनुसूची–'क' के अन्तर्गत निर्धारित 'आवासीय' सर्किल दर का 100 प्रतिशत भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क प्राप्त कर व्यवसायिक उपयोग में परिवर्तित कराने का प्रस्ताव विचारणीय है।

प्रस्तावः

उपर्युक्त आख्या के परिप्रेक्ष्य में लखनऊ विकास प्राधिकरण/इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा विकसित योजनाओं के आवासीय उपयोग हेतु आवंटित (संलग्न सूची के) भूखण्डों को व्यसायिक उपयोग में परिवर्तित कराने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ /अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। सहमति की दशा में जन साधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित कर निस्तारित करते हुए पुनः बोर्ड से अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

शासन की अधिसूचना सं0–2281/8–3–14–194 विविध/14, दिनांक:11 दिसम्बर, 2014 के अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची:–

1. गोमती नगर योजनान्तर्गत स्थित भूखण्ड:–

क्र0सं0	आवेदक का नाम व पता	ग्राम/योजना का नाम	खसरा/प्लाट संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमी0/हे0) में	वर्तमान भू–प्रयोग	प्रस्तावित भू–उपयोग	भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण
1.	श्री आशीष कुमार पुत्र श्री ओ0पी0 त्रिपाठी, 2/209, विकास खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ	सेक्टर–1, गोमती नगर विस्तार, 30मी0 रोड	1/सी–816	230 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक	
2.	श्री एम0बी0 सिंह 3/161, विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	विराम खण्ड, गोमती नगर, 24मी0 रोड	1/5	0.054 हे0	आवासीय	व्यवसायिक	
3.	श्री मधुकर गुप्ता व अन्य, सी–259, सेक्टर–एफ, निराला नगर, लखनऊ	विजयन्त खण्ड, गोमतीनगर, 24 मीटर रोड	बी–2/91	300 वर्ग मीटर	आवासीय	व्यवसायिक	
4.	शबनम सेराज पत्नी सेराज अहमद, 2/362, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	विशाल खण्ड, गोमती नगर	2/362	293.75 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक	

2. अलीगंज/महानगर/निरालानगर/कानपुर रोड योजनान्तर्गत स्थित भूखण्ड:-

5.	श्रीमती मीरा पाठक व अन्य, बी-1/35, अलीगंज से0-एल, लखनऊ	सेक्टर-एल, अलीगंज, 24 मीटर रोड	बी-1/35	279.397 वर्गमीटर	**आवासीय**	**व्यवसायिक**	**भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण**
6.	श्री रविन्द्र नाथ रस्तोगी व अन्य बी-339, सेक्टर-बी, महानगर, लखनऊ	सेक्टर-बी, महानगर 30मी0 रोड	बी-339	891.87 वर्गमीटर	**आवासीय**	**व्यवसायिक**	
7.	डॉ0 अमरजीत कौर, बी-184, निरालानगर लखनऊ	टी0जी0नार्थ चॉंदगंज स्कीम, 30मी0रोड	बी-184	11719 वर्गफीट	**आवासीय**	**व्यवसायिक**	
8.	डा0 शत्रुघ्न पाण्डेयवैज्ञानिक (से0नि0) MD-1/340, LDA कालोनी, कानपुर रोड,लखनऊ-12	से0-डी-1, कानपुर रोड योजना 24 मीटर रोड	MD-1/ 340, SS/II/D 1/ 874	120.25 वर्गमीटर	**आवासीय**	**व्यवसायिक**	

नोट- डा0 शत्रुघ्न पाण्डेय, वैज्ञानिक (से0नि0) द्वारा आवेदन पत्र के साथ मालकाना सबूत एवं आवेदन शुल्क रू0 1000/- प्राधिकरण कोष में जमा होने का कोई प्रमाण नहीं है।

937/CTP/14
26/12/14

अनुलग्नक-2 53

FORM

Application for Conversion of Land Use

Rule-5 (1)

To,

The Vice-Chairman,
LUCKNOW Development Authority,
LUCKNOW

142965
24-12-14

Sub : Application for Conversion of Land Use.

I/we the undersigned hereby apply for conversion of land use from .... RESIDENTIAL (land use in the prevailing master plan/zonal development plan) to COMMERCIAL (Proposed land use for conversion) of the land parcel/plot bearing details as given below:-

(a) Name of the revenue village/tehsil and district VIRAM KHAND-1, GOMTI NAGAR, LUCKNOW

(b) Details of land :-

Sl.No.	Gata numbers	Area (Hectares)
1.	1/5, VIRAM KHAND-1, GOMTI NAGAR, LUCKNOW	0.054
2.		
3.		
4.		
5.		
	Total Area	0.054

उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण
24/12/14

(c) Shajra Map on 1:4000 scale showing the gata numbers proposed for land use conversion or site plan on 1:1000 scale showing the land proposed for land use conversion, whichever is applicable (Attach copy of Shajra Map/site plan).

(d) Key Map showing the location and existing land use of the proposed site as per the prevailing master plan/zonal development plan (Attach copy).

(e) Demand draft No.221819 dated 22-12-2014 drawn on ICICI Bank (Name of the Bank) for Rs.1000/- (Rupees ONE THOUSAND ONLY only) as application fee. (@Rs. 1000/- per hectare or part thereof, subject to a minimum of Rs. 1000/-)

(f) Photo copy of sale deed:- (Attach copy)

(g) Any other details which the applicant desires to furnish................ ....

2. I/we hereby agree to pay land use conversion charge to the Authority as per the applicable rules.

Encl.:-

(1)

(2)

(3)

(4)

Name and address of Applicant

M.B. SINGH & SAURABH SINGH
3/161, VIVEK KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW.

Signature & Date
23/12/14

(Sada Kant)
Principal Secretary

A.T.P.
कृपया परीक्षण कर कार्यवाही हेतु।
मु०न०नि०
26/12/14

44125
21.1.2015

भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन
नियम- 5(1)

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

विषयः भू–उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन।

मैं एतद्द्वारा आशीष कुमार पुत्र श्री ओ0पी0 त्रिपाठी (प्रवृत्त महायोजन/ परिक्षेत्रीय विकास योजना मे भू–उपयोग) से भूखण्ड/गाटा के 1/सी–816, सेक्टर–1, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ (प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन) के रूप मे उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन करता हूँ, जिसके साथ दिये गये विवरण निम्नवत् हैः–

(क) राजस्व ग्राम/तहसील और जिले का नाम गोमती नगर विस्तार, सदर–लखनऊ

(ख) भूमि का विवरण :–

क्र.सं.	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	1/सी–816, सेक्टर–1, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ	230 वर्ग मी0
	कुल क्षेत्रफल	230 वर्ग मी0

(ग) 1:4000 स्केल पर सजरा मैप, जिसमें भू–उपयोग परिवर्तन के लिए प्रस्तावित गाटा संख्या प्रदर्शित हो, या 1:1000 स्केल पर अथवा नक्शा जिसमें भू–उपयोग परिवर्तन के लिए प्रस्तावित भूमि प्रदर्शित हो जो भी लागू हो (सजरा मैप/स्थल नक्शा की प्रति सलग्न करें)।

(घ) मूल नक्शा, जिसमें प्रवृत्त महायोजना/परिक्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार प्रस्तावित स्थल की अवस्तिथि और विद्यमान भू–उपयोग प्रदर्शित हो (प्रति संलग्न करें)

(ङ) डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या–944862 दिनांक 19 जनवरी, 2015 को कोटक महिन्द्रा बैंक, लखनऊ पर रूपये 1000.00 (रूपये एक हजार मात्र) आवेदन शुल्क के रूप में आहरित।

(रूपये 1000/–हेक्टेयर या उसके भाग के लिए न्यूनतम रूपये 1000/– के अधीन रहते हुए)

(च) विक्रय विलेख की छायाप्रति (संलग्न करें)।

(छ) कोई अन्य विवरण जिसे आवेदक प्रस्तुत करना चाहता हो।

2– मै/हम एतद्द्वारा लागू नियमों के अनुसार प्राधिकण को भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ/करते हैं।

20/01/2015
आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर
(आशीष कुमार)
पुत्र श्री ओ0पी0 त्रिपाठी
2/209, विकास खण्ड गोमती नगर लखनऊ
हस्ताक्षर एवं दिनांक

मो0 9502581025

संलग्नक–
(1) DD No 944862 दि० 19.1.15 ₹ 1000
(2) नोजूल LDA
(3) डीड की छायाप्रति
(4) रजिस्ट्री की छायाप्रति

21/1/15

1365/LP/15
09-5-15

भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन

नियम–5(1) अनुमोदित

148032
7.5.15

उपाध्यक्ष,
लखनऊ ....विकास प्राधिकरण.

05/15

DD No 367892 Rs 1000/-

विषय: भू–उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन।

मैं/हम अधोहस्ताक्षरकर्ता एतद्द्वारा ....VIJYANT KHAND, GOMTI NAGAR SCHEME.... (प्रवृत्त महायोजना/परिक्षेत्रीय विकास योजना में भू–उपयोग) से भूखण्ड/गाटा के ....(प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन) के रूप में उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं, जिसके साथ दिये गये विवरण निम्नवत् हैं:–

(क) राजस्व ग्राम/तहसील और जिले का नाम ....Vijyant Khand, Gomti Nagar LUCKNOW

(ख) भूमि का विवरण :–

क्र.सं.	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	PLOT NO. B-2/91 TYPE B	300 sq/mt Plot
2	VIJAYANT KHAND,	
3	GOMTI NAGAR SCHEME,	
4	LUCKNOW	
5		
	कुल क्षेत्रफल	

(ग) 1:4000 स्केल पर सजरा मैप, जिसमें भू–उपयोग परिवर्तन के लिए प्रस्तावित गाटा संख्या प्रदर्शित हो या 1:1000 स्केल पर स्थल नक्शा जिसमें भू–उपयोग परिवर्तन के लिए प्रस्तावित भूमि प्रदर्शित हो, जो भी लागू हो (सजरा मैप/स्थल नक्शा की प्रति संलग्न करें)

(घ) मूल नक्शा, जिसमें प्रवृत्त महायोजना/परिक्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार प्रस्तावित स्थल की अवस्थिति और विद्यमान भू–उपयोग प्रदर्शित हो (प्रति संलग्न करें)

(ङ) डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या 367892 दिनांक 06-05-2015 को ORIENTAL BANK OF COMMERCE (बैंक का नाम) पर रुपये 1000/- (रुपये ONE THOUSAND मात्र) आवेदन शुल्क के रूप में आहरित। (रुपये 1000/– हेक्टेयर या उसके भाग के लिए न्यूनतम रुपये 1000/– के अधीन रहते हुए)

(च) विक्रय विलेख की छायाप्रति (संलग्न करें)।

(छ) कोई अन्य विवरण जिसे आवेदक प्रस्तुत करना चाहता हो।

2– मैं/हम एतद्द्वारा लागू नियमों के अनुसार प्राधिकरण को भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमति प्रदान करता हूं/करते है।

संलग्नक–– OBC - DRAFT NO 367892. (Rs 1000/-)

(1) OBC - DRAFT NO 367892
(1) COPY OF REGISTRATION DEED (Sale Deed)
(2) COPY OF REGISTRATION DEED
(3) LAYOUT PLAN OF VIJYANT KHAND
(4) MUTATION LETTER DATED → 31-12-2014
(5) COPY OF ORIGINAL ALLOTMENT LETTER

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

Madhukar (MADHUKAR GUPTA) (ANAND GUPTA)

हस्ताक्षर एवं दिनांक

(सदा कान्त)
प्रमुख सचिव

Rgupta (REKHA GUPTA)

Chitra Gupta (CHITRA GUPTA)

Rs 1000/- बैंक में जमा करायें 11/05/15

सेवा में,

उपाध्यक्ष / सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ।

विषयः– मिश्रित भू–उपयोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या– 03 / 8–3–15–198 विविध / 14 दिनांक 04 मार्च 2015 के कम में अनुरोध करना है कि प्राथिर्नी अपने आवास के भूतल जिसका कुल कार्पेट एरिया लगभग 1600 वर्ग फिट है, का व्यावसायिक उपयोग करना चाहती है, शासनादेश उपरोक्त के शर्तों के अनुसार प्राथिर्नी द्वारा व्यावसायिक उपयोग हेतु पृथक प्रवेश द्वार भी निर्मित कराया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्राथिर्नी के आवास के भूतल जिसका कुल कार्पेट एरिया लगभग 1600 वर्ग फिट है, का व्यावसायिक उपयोग करने हेतु अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें, शासनादेश में वर्णित प्रकिया के अनुसार निर्धारित शुल्क प्राथिर्नी द्वारा जमा किया जाएगा।

24/4/2015

संलग्नक - स्वीकृत मानचित्र की छायाप्रति

भवदीय

Shabnam Seraj
24/4/15

(शबनम सेराज)

पत्नी सेराज अहमद

2 / 362 विशाल खण्ड

गोमती नगर, लखनऊ।

Mob.- 9838536733

EE/AE/JE (MAP)

27.4.15

278/ज.स.नि./15

"जन समस्या निस्तारण प्रकोष्ठ"

प्राप्ति का दिनांक 27/04/15

(निस्तारण की अवधि) 15 days

219/AA MAP CELL/15

29-04-2015

A.E/J.E

28.4.15

14206
23/11/2015

भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन
नियम–5(1)

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

विषयः भू–उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन।

मै, एतद्द्वारा मीरा पाठक (प्रवृत्त महायोजन/परिक्षेत्रीय विकास योगजना में भू–उपयोग) से भूखण्ड/गाटा के बी–1/35 अलीगंज, सेक्टर–एल, लखनऊ (प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन) के रूप में उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन करता हूं, जिसके साथ दिये गये विवरण निम्नवत हैः–

(क) राजस्व ग्राम/तहसील और जिले का नाम अलीगंज सेक्टर–एल, लखनऊ
(ख) भूमि का विवरणः–

क्र.स	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1.	बी–1/35 अलीगंज सेक्टर-एल, लखनऊ	279.397 वर्गमीटर
2.		
3.		
4.		
5.		
	कुल क्षेत्रफल	279.397 वर्गमीटर

(ग) 1:4000 स्केल पर सजरा मैप, जिसमें भू–उपयोग परिवर्तन के लिए प्रस्तावित गाटा संख्या प्रदर्शित हो, या 1:1000 स्केल पर अथवा नक्शा जिसमें भू–उपयोग परिवर्तन के लिए प्रस्तावित भूमि प्रदर्शित हो, जो भी लागू हो (सजरा मैप/स्थल नक्शा की प्रति संलग्न करें।)
(घ) मूल नक्शा, जिसमें प्रवृत्त महायोजना/परिक्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार प्रस्तावित स्थल की अवस्तिथि और विद्यमान भू–उपयोग प्रदर्शित हो (प्रति संलग्न करें)
(ङ.) डिमाण्ड ड्राफ्ट 610391 दिनांक 22 जनवरी 2015 आन्ध्रा बैंक पर रूपये 1000.00 (रू0 एक हजार रूपये) आवेदन शुल्क के रूप में आहरित।
(च) विक्रय विलेख की छायाप्रति (संलग्न करें)।
(छ) कोई अन्य विवरण जिसे आवेदक प्रस्तुत करना चाहता हो।

2– मैं/हम एतद्द्वारा लागू नियमों के अनुसार प्राधिकरण को भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।

संलग्नकः–
(1) मूल नक्शा की छायाप्रति
(2) रजिस्ट्री की छायाप्रति
(3) दाखिल खारिज प्रमाण पत्र की छायाप्रति
(4) एल.डी.ए. द्वारा की गयी रजिस्ट्री की छायाप्रति
(5) डिमाण्ड ड्राफ्ट Rs 1000/-

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर
मीरा पाठक 9415272009
मीरा पाठक 9450921455
पत्नी श्री विनोद कुमार पाठक
Sweta Pathak
श्वेता पाठक
पत्नी श्री मनोज कुमार पाठक
बी–1/35 अलीगंज, सेक्टर–एल लखनऊ

147904
1.5.2015

भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन
नियम–5(1)

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ

विषय: भू–उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन।

मैं/हम अधोहस्ताक्षरकर्ता एतद्द्वारा [illegible] (प्रवृत्त महायोजना/परिक्षेत्रीय विकास योजना में भू–उपयोग) से भूखण्ड/गाटा के B 335 [illegible] (प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन) के रूप में उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं, जिसके साथ दिये गये विवरण निम्नवत् हैं:–

(क) राजस्व ग्राम/तहसील और जिले का नाम लखनऊ

(ख) भूमि का विवरण :–

क्र.सं.	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	B 335 से B महानगर लखनऊ	591.87 S.Q.M
2		
3		
4		
5		
	कुल क्षेत्रफल	591.87 S.Q.M.

(ग) 1:4000 स्केल पर सजरा मैप, जिसमें भू–उपयोग परिवर्तन के लिए प्रस्तावित गाटा संख्या प्रदर्शित हो या 1:1000 स्केल पर स्थल नक्शा जिसमें भू–उपयोग परिवर्तन के लिए प्रस्तावित भूमि प्रदर्शित हो, जो भी लागू हो (सजरा मैप/स्थल नक्शा की प्रति संलग्न करें)

(घ) मूल नक्शा, जिसमें प्रवृत्त महायोजना/परिक्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार प्रस्तावित स्थल की अवस्तिथि और विद्यमान भू–उपयोग प्रदर्शित हो (प्रति संलग्न करें)

(ड.) डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या 209283 दिनांक 29/4/15 को ICICI Bank (बैंक का नाम) पर रुपये 1000/ (रुपये one Thousand only मात्र) आवेदन शुल्क के रूप में आहरित।
(रुपये 1000/– हेक्टेयर या उसके भाग के लिए न्यूनतम रुपये 1000/– के अधीन रहते हुए)

(च) विक्रय विलेख की छायाप्रति (संलग्न करें)।

(छ) कोई अन्य विवरण जिसे आवेदक प्रस्तुत करना चाहता हो।

2– मैं/हम एतद्द्वारा लागू नियमों के अनुसार प्राधिकरण को भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमति प्रदान करता हूं/करते हैं।

संलग्नक–
(1) ड्राफ्ट रु 1000/–
(2) मानचित्र की प्रति
(3) सेल डीड की प्रमाणित प्रति
(4)

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर
राजेन्द्र नाथ रस्तोगी
हस्ताक्षर एव दिनाक

[redacted]

दिनांक - 30-4-2015

PA (श्री) [illegible]
अभिलेख पत्रावली के साथ
[illegible] 1/5/15

1312/LTP/15
11-5-15

भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवदन
नियम-5(1)

148147
8/5/15

में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ

विषयः भू–उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन।

मैं/हम अधोहस्ताक्षरकर्ता एतद्द्वारा B-184 निराला नगर लखनऊ प्रवृत्त महायोजना/परिक्षेत्रीय विकास योजना में भू–उपयोग) से भूखण्ड/गाटा के बी-184 ....(प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन) के रूप में उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन करता हूं/करते है, जिसके साथ दिये गये विवरण निम्नवत् हैः–

(क) राजस्व ग्राम/तहसील और जिले का नाम निराला नगर ...., लखनऊ

(ख) भूमि का विवरण :–

क्र.सं.	गाटा सख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	बी-184 निराला नगर	0.10887
2		
3		
4		
5		
	कुल क्षेत्रफल	

(ग) 1:4000 स्केल पर सजरा मैप, जिसमें भू–उपयोग परिवर्तन के लिए प्रस्तावित गाटा संख्या प्रदर्शित हो या 1:1000 स्केल पर स्थल नक्शा जिसमें भू–उपयोग परिवर्तन के लिए प्रस्तावित भूमि प्रदर्शित हो, जो भी लागू हो (सजरा मैप/स्थल नक्शा की प्रति संलग्न करें)

(घ) मूल नक्शा, जिसमें प्रवृत्त महायोजना/परिक्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार प्रस्तावित स्थल की अवस्थिति और विद्यमान भू–उपयोग प्रदर्शित हो (प्रति संलग्न करें)

(ड.) डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या 631792 दिनांक 7.5.15 को .... (बैंक का नाम) पर रुपये 10.00/- (रुपये .... मात्र) आवेदन शुल्क के रूप में आहरित।

(रुपये 1000/– हेक्टेयर या उसके भाग के लिए न्यूनतम रुपये 1000/– के अधीन रहते हुए)

(च) विक्रय विलेख की छायाप्रति (संलग्न करें)।

(छ) कोई अन्य विवरण जिसे आवेदक प्रस्तुत करना चाहता हो।

2– मैं/हम एतद्द्वारा लागू नियमों के अनुसार प्राधिकरण को भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमति प्रदान करता हूं/करते हैं।

संलग्नक–
(1) D.D. Rs. 1000/- 80-631792/7.5.15
(2)
(3)
(4)

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर
Amarjeet Kaur
(DR. AMARJEET KAUR)
हस्ताक्षर एवं दिनांक

(सदा कान्त)
प्रमुख सचिव

कु०अ०नि०
05/08/15

PA

सेवा में,

माननीय मुख्य मंत्री,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ।

विषय : आवासीय सम्पत्ति को व्यवसायिक सम्पत्ति में परिवर्तन हेतु (MD-1/340 Cum SS-II/D1/874, L.D.A. Colony) कानपुर रोड योजना।

प्रिय महोदय जी,

निवेदन है कि उपरोक्त अंकित संलग्न आवासीय सम्पत्ति है जो कि 80 Ft. Front x 60 Ft. Left x 30 Ft. right, सड़कों के मध्य पराग चौराहे पर, एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड योजना डी-1 सेक्टर में स्थित है। यह पराग बाजार के मध्य में होने से आवासीय घर के रूप में रखना मुश्किल हो गया है।

अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि यह संलग्न आवास/भवन (MD-1/340 Cum SS-II/D1/874, L.D.A. Colony) जिसका स्वामित्व प्रार्थी स्वयं है, को व्यवसायिक उपयोग में परिवर्तन करने की संस्तुति प्रदान की जाय और जो भी देय शुल्क हो, प्रार्थी को एल0डी0ए0 के खाते में जमा करने की अनुमति प्रदान करें। अति कृपा होगी।

आभार सहित धन्यवाद,

भवदीय,

(डा0 शत्रुघ्न पाण्डेय)
वैज्ञानिक (सेवानिवृत्त)
MD-1/340, एल0डी0ए0 कालोनी,
कानपुर रोड, लखनऊ-12
मो0 09839320317

संलग्न :
फोटोकापी-रजिस्ट्री एवं फ्री होल्ड
(MD-1/340 Cum SS-II/D1/874)
स्थान : लखनऊ
दिनांक : 5/04/15

(पनधारी यादव)
सचिव,

विषय संख्या: 06 पृष्ठ संख्या: 61

विषय: मे0 ईमार एम0जी0एफ0 लैण्ड लि0 द्वारा गोमतीनगर के सेक्टर–7 के निकट 91.61 हे0 भूमि पर विकासाधीन इंटीग्रेटेड टाउनशिप के संशोधित ले–आउट के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

आख्या:

उ0प्र0 शासन की इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत लखनऊ–सुल्तानपुर रोड (शहीद पथ) पर मे0 ईमार एम0जी0एफ0 लैण्ड लि0 द्वारा गोमती नगर के सेक्टर–7 के निकट 91.61 हे0 भूमि पर विकासाधीन इंटीग्रेटेड टाउनशिप का डी0पी0आर0 पूर्व में स्वीकृत किया गया है। पूर्व में स्वीकृत डी0पी0आर0 में ई0डब्लू0एस0 मकान हेतु आरक्षित भूमि पर एक भवन मानचित्र भी स्वीकृत किया गया है तथा स्थल पर अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित मार्गो, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज इत्यादि विकास कार्य स्वीकृत डी0पी0आर0 के अनुरूप कराया जा रहा है। स्वीकृत डी0पी0आर0 के तलपट मानचित्र में स्थल पर विकास कार्य करने से नियोजन मानकों तथा आवश्यकता से अधिक भूमि मार्गो एवं सार्वजनिक सुविधाओं के उपयोग की भूमि से अतिरिक्त प्रस्तावित करते हुए उपलब्ध होने के दृष्टिगत विकासकर्ता द्वारा संशोधित ले–आउट प्राधिकरण में प्रस्तुत हुआ है। इस संशोधित ले–आउट को प्राधिकरण स्तर पर गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण कर कुछ प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड से स्वीकृत प्राप्त कर अनुमोदन किये जाने की संस्तुति की गयी है। समिति की संस्तुति एतद् प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है। संशोधित ले–आउट स्वीकृत मानकों के अन्तर्गत है। ले–आउट में मार्गो हेतु 19.821 हे0 क्षेत्रफल के स्थान पर 16.482 हे0 क्षेत्रफल तथा 'सामुदायिक सुविधाओं' के अन्तर्गत 6.3878 हे0 क्षेत्रफल के स्थान पर 5.1952 हे0 क्षेत्रफल भूमि मानचित्र मे दर्शित है। इस प्रकार मार्ग एवं सामुदायिक सुविधाओं की भूमि में से निकल रही भूमि का आवासीय भूखण्ड सृजन कराते हुए यथा स्वीकृत ले–आउट में आंशिक संशोधन के साथ प्रस्तुत किया गया है। ले–आउट में किये गये संशोधन इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा नियोजन मानकों के अन्तर्गत होने के दृष्टिगत तकनीकी समिति द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सामुदायिक सुविधाओं को संशोधित डी0पी0आर0 एवं ले–आउट के अनुरूप विकास सुनिश्चित करने के प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव:

मे0 ईमार एम0जी0एफ0 लैण्ड लि0 द्वारा गोमती नगर के सेक्टर–7 के निकट 91.61 हे0 भूमि पर विकासाधीन इंटीग्रेटेड टाउनशिप के संशोधित ले–आउट का प्रस्ताव व समिति की संस्तुति में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

डी0 वर्मा

मे0 ईमार एम0जी0एफ0 लैण्ड लि0 (गोमती ग्रीन्स) द्वारा संशोधित डी0पी0आर0 के परीक्षण हेतु उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 24.02.2015 का कार्यवृत्तः—

उपस्थितिः—

1. श्री श्रीश चन्द्र वर्मा, सचिव, ल0वि0प्रा0,
2. श्रीमती सीमा सिंह, अपर सचिव, ल0वि0प्रा0,
3. श्री शेर सिंह, सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0,
4. श्री अभय मान पाण्डेय, मु0अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ,
5. श्री जे0एन0 रेड्डी, मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0,
6. श्री आर0डी0 वर्मा, अधिशासी अभियन्ता (हाई0 / इंटी0 सेल), संयोजक ल0वि0प्रा0।

लखनऊ नगर में गोमती नदी के तट पर मे0 ईमार एम0जी0एफ0 लैण्ड लि0 (गोमती ग्रीन्स) द्वारा विकसित की जा रही इंटीग्रेटेड टाउनशिप के संशोधित तलप्ट मानचित्र के परीक्षण हेतु प्रस्ताव तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पूर्व स्वीकृत मानचित्र तथा संशोधित मानचित्र के अन्तर्गत दर्शित विभिन्न भू—उपयोगों का क्षेत्रफलवार प्रेषित विवरण को समिति द्वारा अवलोकन किया गया है। (चेक लिस्ट की प्रति संलग्न)।

संशोधित मानचित्र एवं विवरण के अन्तर्गत पूर्व स्वीकृत तलपट मानचित्र में दर्शित सड़कों के क्षेत्रफल में 19.8214 हे0 के स्थान पर संशोधित मानचित्र में 16.4829 हे0 भूमि उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार "सामुदायिक सुविधाओं" के अन्तर्गत स्वीकृत तलपट मानचित्र में दर्शित 6.3878 हे0 के स्थान पर 5.192 हे0 भूमि दर्शाते हुए शैक्षिक, हेल्थ सेन्टर, कम्युनिटी सेन्टर, विद्युत सब स्टेशन, सब पोस्ट—आफिस, पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी, एस0टी0पी0, गारवेज हेतु आरक्षित किया गया है। इस प्रकार "मार्गो" के क्षेत्रफल तथा "सामुदायिक सुविधाओं" के अन्तर्गत की गयी कटौती की कुल 4.52 हे0 भूमि को 'आवासीय' उपयोग के भूखण्ड का सृजन प्रस्तावित है। पूर्व स्वीकृत तलपट मानचित्र में 'आवासीय' दर्शित 42.1190 हे0 के स्थान पर 46.63 हे0 भूमि प्रस्तावित करते हुए योजना मे पूर्व प्रस्तावित 27970 जनसंख्या के स्थान पर 30790 जनसंख्या संशोधित तलपट मानचित्र में प्रस्तावित की गयी है। व्यवसायिक, पार्क आदि उपयोग के अन्तर्गत पूर्व में जो भूमि स्वीकृत तलपट मानचित्र में आरक्षित की गयी है यथा संशोधित मानचित्र में भी प्रस्तावित किया गया है।

उपरोक्तानुसार संशोधित तलपट मानचित्र में मुख्य रूप से योजन के मार्गो के संरेखण का परिवर्तन तथा सामुदायिक सुविधाओं के क्षेत्रफल में आंशिक रूप से किये गये संशोधन इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति तथा भवन उपविधि के प्राविधानों के अन्तर्गत है। अतः प्रस्तावित परिवर्तन में सम्मिलित अवस्थापना सुविधाएं जैसे मार्गो, वाटर सप्लाई, सीवेज, ड्रेनेज आदि को दर्शित हुए प्रेषित मानचित्र के अनुरूप विकास सुनिश्चित करने एवं अन्य नियमों जो पूर्व में स्वीकृत तलपट मानचित्र में उल्लिखित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत संशोधित

तलपट मानचित्र को निम्न प्रतिबन्धों के अधीन बोर्ड की सहमति/स्वीकृत प्राप्त कर मानचित्र स्वीकृत/निर्गत करने की संस्तुति की जाती है:—

प्रतिबन्ध

1. पूर्व स्वीकृत विन्यास मानचित्र में उल्लिखित शर्ते यथावत लागू होगी।
2. ले—आउट के अनुसार प्रस्तावित भूखण्डों हेतु मार्गो के संरेखण में परिवर्तन कराते हुए पहुँच मार्गो को अवस्थापना सुविधाओं, सामुदायिक सुविधाओं को यथा विकसित किया जाना होगा।
3. अन्य अवस्थापना सुविधाओं, सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत यथा—मार्ग, सीवेज, ड्रेनेज, हेल्थ सेन्टर, कम्युनिटी सेन्टर, विद्युत सब स्टेशन इत्यादि का विकास सुनिश्चित करना होगा।
4. प्रस्तावित संशोधनों पर यदि किसी प्रकार आवंटियों को आपत्ति होगी तो उक्त की जिम्मेदारी स्वयं पक्ष की होगी।
5. तलपट मानचित्र में प्रस्तावित भूखण्डों पर निर्माण तत्सम्बन्धी मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत के पश्चात् निर्गत किया जायेगा।
6. पर्यावरण एवं प्रदूषण विभाग द्वारा प्राप्त अनापत्ति/प्राविधानों का यथा विकास सुनिश्चित किया जाना होगा।

(आर0डी0 वर्मा) अधिशासी अभियन्ता, (हा/इंटी सेल) संयोजक	(अभय मान पाण्डेय) मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ सदस्य	(शेर सिंह) सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, सदस्य
(जे0एन0 रेड्डी) मुख्य नगर नियोजक ल0वि0प्रा0 सदस्य	(सीमा सिंह) अपर सचिव ल0वि0प्रा0 सदस्य	(श्रीश चन्द्र वर्मा) सचिव ल0वि0प्रा0 सदस्य

अनुमोदित

(सत्येन्द्र सिंह)
उपाध्यक्ष,
ल0वि0प्रा0

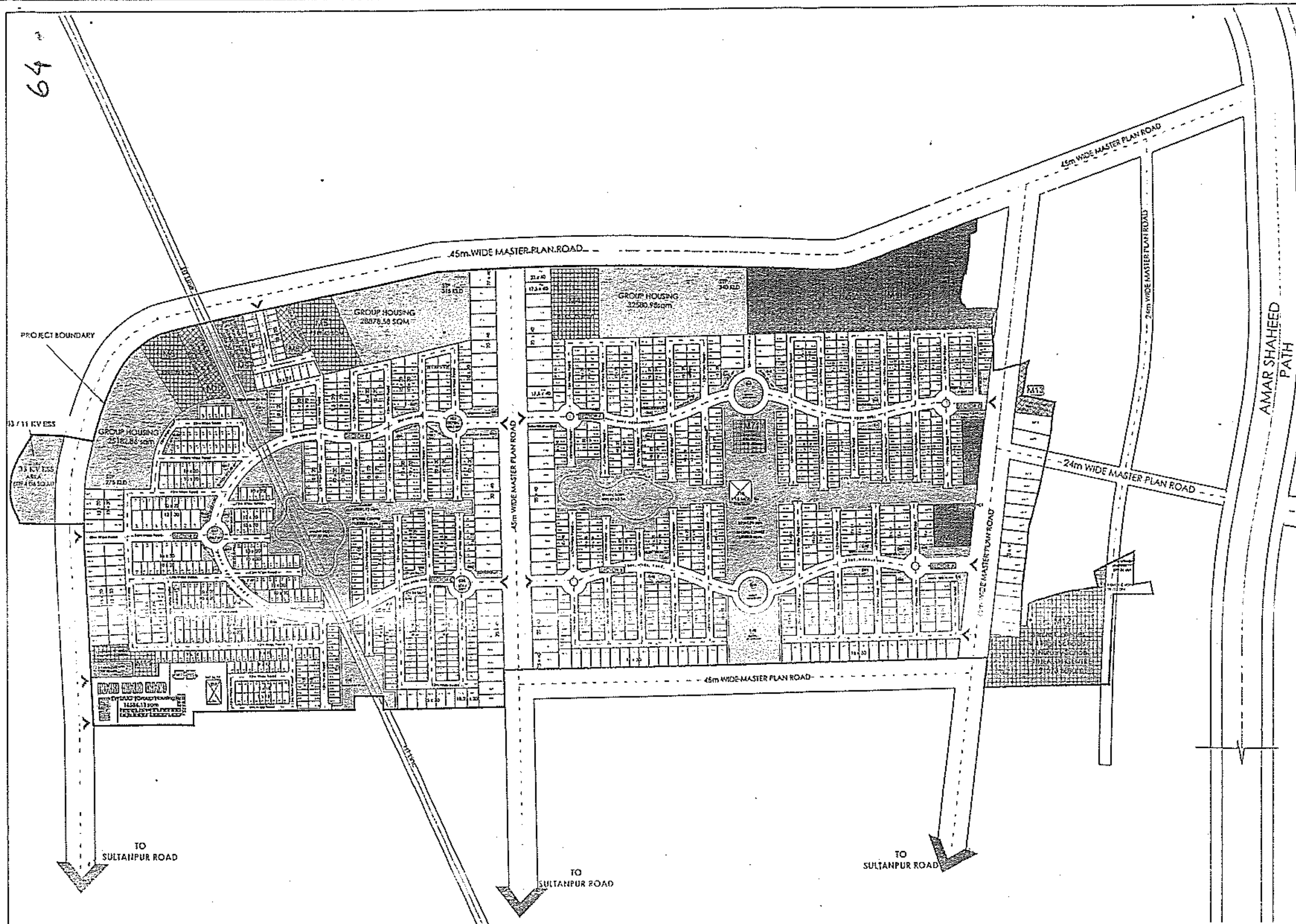

Detail of Mortgage Land (in Acres)	
SALEABLE AREA	
Residential	110.95
Commercial	11.54
Public & Semi Public	9.61
TOTAL	132.15
25% of saleable area	33.04
NOTE - OUT OF TOTAL MORTGAGE LAND ADMEASURING 33.04 ACRES, LDA HAS ALREADY RELEASED 6.7 ACRES SALEABLE LAND VIDE LETTER NO 220/ZE/HTG/2014 DATED 21.11.2014	
Nett Mortgage Area (in acres)	26.34
Mortgage Land	
M-1	9.54
M-2	0.69
M-3	0.90
M-4	2.01
M-5	1.78
M-6	1.51
M-7	0.62
M-8	0.60
M-9	0.96
M-10	0.87
M-11	0.75
M-12	5.31
M-13	0.50
Total	26.51

GREEN

SR.NO	AREA IN (SQ.MT)
G1	12071.120
G2	31311.980
G3	793.650
G4	787.120
G5	506.700
G6	609.630
G7	640.870
G8	599.530
G9	8696.580
G10	611.450
G11	873.600
G12	677.350
G13	585.800
G14	506.700
G15	593.91
G16	543.69
G17	532.620
G18	522.630
G19	671.110
G20	854.750
G21	7434.870
G22	538.000
G23	574.260
G24	521.510
G25	[illegible]
G26	[illegible]
G27	[illegible]
G28	652.077
G29	1590.430
G30	2914.940
G31	682.770
G32	644.250
G33	571.370
G34	594.320
G35	1350.130
G36	1525.780
G37	659.150
G38	584.550
G39	586.790
G40	652.640
G41	601.08
G42	799.8
G43	1590.43
G44	890.8
G45	510.494
G46	523
G47	579.1
G48	583.57
TOTAL	92953.973

SPORTS CENTER

SR.NO	AREA IN (SQ.M
1 (G1)	15000.000
2 (G2)	15000.000
TOTAL	30000.000

PLOTS

- PLOT= 9m x 1
- PLOT= 10m x 2
- PLOT= 12m x 2
- PLOT= 15m x 3
- PLOT= 20m x

SETBACK DETAILS

Sl.No.	Plot Size in mt.	Area	Set Back in mt.				No. of Plots
			Front	Rear	Side-1	Side-2	
1	9.00x18.00	162.00	3.0	3.0	0.0	0.0	499
2	10.00x20.00	200.00	3.0	3.0	0.0	0.0	648
3	12.00x24.00	288.00	3.0	3.0	0.0	0.0	125
4	15.00x30.00	450.00	4.5	4.5	3.0	0.0	91
5	20.00x40.00	800.00	6.0	6.0	3.0	1.5	72
							1435

LEGEND

PROJECT BOUNDARY

EXISTING PHYSICAL FEATURE

H.T. LINE

PROPOSED LAND USES

GROUP HOUSING

PLOTTED

EWS/LIG

COMMERCIAL

PUBLIC SEMI PUBLIC

GREEN/OPEN

MORTGAGE LAND AREA

REVISED LAYOUT PLAN

GOMTI GREENS :
AN INTEGRATED TOWNSHIP AT LUCKNOW

NOTE:-

- Compensatory F.A.R against Master Plan Road shall be utilized in the project during the approval of building plans

DATE: 14.01.2015

SCALE: 1:1250

NORTH

OWNER:- M/s EMAAR MGF LAND LTD. 17 B ASAF ALI ROAD NEW DELHI

Architect Signature:

विषय संख्याः 07 पृष्ठ संख्याः 65

विषयः मे0 ओमेक्स लि0 द्वारा गोमतीनगर के सेक्टर–7 के निकट 121.762 एकड़ भूमि पर विकासाधीन इंटीग्रेटेड टाउनशिप के संशोधित ले–आउट के स्वीकृति के सम्बन्ध में विचार।

आख्याः

उ0प्र0 शासन की इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत लखनऊ–सुल्तानपुर रोड (शहीद पथ) पर मे0 ओमेक्स लि0 द्वारा गोमती नगर के सेक्टर–7 के निकट 121.762 एकड़ भूमि पर विकासाधीन इंटीग्रेटेड टाउनशिप का विन्यास मानचित्र प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 16.01.2014 के विषय संख्या–19 पर सहमति उपरान्त पूर्व में परमिट संख्या–36522 दिनांक 31.05.2014 द्वारा स्वीकृत/निर्गत है। सुल्तानपुर रोड़ से गोमती नदी के मध्य प्रस्तावित 45 मी0 चौड़े महायोजना मार्ग का आंशिक भाग आबादी एवं अतिकमण के कारण बनाया जाना सम्भव नही हो पा रहा है। इस सम्बन्ध में उक्त क्षेत्र के स्थानीय निवासियों के अनुरोध पर प्रकरण को तकनीकी समिति की गत बैठक दिनांक 20.03.2015 के संस्तुति के क्रम में प्राधिकरण के पत्र संख्या–74/सी.टी.पी./2015 दिनांक 24.03.2015 द्वारा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 को सन्दर्भित किया गया है।

उपरोक्त के क्रम मे विकासकर्ता मे0 ओमेक्स लि0 द्वारा अपने टाउनशिप का संशोधित विन्यास मानचित्र दिनांक 06.05.2015 को पुनः प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार अब कुल 5816 ग्रुप हाउसिंग आवासीय इकाइयों तथा 1454 ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 ग्रुप हाउसिंग भवनों का निर्माण प्रस्तावित है, जो कि पूर्व प्रस्तावित 1404 ई0डब्लू0एस0/ एल0आई0जी0 भवनों से 50 भवन अधिक है।

संशोधित तलपट मानचित्र के अनुसार टाउनशिप का जनसंख्या धनत्व 590 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर (ई0डब्लू0एस/एल0आई0जी0 को छोड़कर) तथा 737 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर (ई0डब्लू0एस/एल0आई0जी0 को लेकर) हो जाता है जो इंटीग्रेटेड टाउनशिप हेतु अनुमन्य सीमा 1000 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर के अन्तर्गत है। विन्यास मानचित्र संशोधित किये जाने के कारण आवासीय भू–उपयोग का क्षेत्रफल 52.9 प्रतिशत, व्यवसायिक का क्षेत्रफल–3.95 प्रतिशत, ग्रीन का क्षेत्रफल–15.05 प्रतिशत, सार्वजनिक/अर्धसार्वजनिक सुविधाओं का क्षेत्रफल–15.03 प्रतिशत तथा प्रस्तावित सड़कों का क्षेत्रफल–13.07 प्रतिशत हो जाता है, जो कि टाउनशिप के मूल स्वीकृति के समय प्रचलित इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति में निर्धारित मानकों के अनुरूप है। संशोधित मानचित्र के अनुसार टाउनशिप का कुल जनसंख्या 36350 व्यक्ति आकलित की गयी है। सड़क से प्रभावित भू–भाग पर विकास एवं निर्माण की संस्तुति महायोजना संशोधन के पश्चात् ही निर्गत किया जायेगा। महायोजना 2021 में प्रस्तावित उक्त 45 मी0 चौड़े सड़क के संरेखण से प्रभावित भू–भाग को छोड़कर अन्य भाग में संशोधित मानचित्र के अनुरूप भवन निर्माण की स्वीकृति दिया जाना प्रस्तावित है। विकासकर्ता द्वारा अवस्थापना सुविधाओं का विकास उक्त संशोधन के अनुरूप सुनिश्चित करना होगा। संशोधित विन्यास मानचित्र पर तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 06.05.2015 की संस्तुति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।

प्रस्तावः

मे0 ओमेक्स लि0 द्वारा गोमती नगर के सेक्टर–7 के निकट 121.762 एकड़ भूमि पर विकासाधीन इंटीग्रेटेड टाउनशिप के संशोधित ले–आउट पर तकनीकी समिति द्वारा दिनांक 06.05.2015 में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति हेतु की गयी संस्तुति के अन्तर्गत तलपट मानचित्र को बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

हाईटेक/इंटीग्रेटेड टाउनशिप से सम्बन्धित प्रस्तुत विभिन्न मानचित्रों पर विचार हेतु उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में दिनांक 06.05.2015 को सम्पन्न तकनीकी समिति की बैठक का कार्यवृत्तः–

उपस्थितिः–

1. श्री श्रीश चन्द्र वर्मा, सचिव, ल0वि0प्रा0
2. श्री ओ0पी0 मिश्रा, मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0,
3. श्री जे. एन. रेड्डी, मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0,
4. श्री शेर सिंह, सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0,
5. श्री अभयभान पाण्डेय, मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
6. श्री आर0डी0 वर्मा, अधिशासी अभियन्ता (हा0/इंटी0 सेल), संयोजक।

लखनऊ नगर में हाईटेक/इंटीग्रेटेड टाउनशिप से सम्बन्धित निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत विभिन्न मानचित्रों के सम्बन्ध में दिनांक 06.05.2015 को उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में तकनीकी समिति की बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये विभिन्न मानचित्रों/प्रकरणों पर निम्नानुसार विचार–विमर्श किया गयाः–

हाईटेक टाउनशिप

विषय सं0–1: हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत विकासकर्ता मे0 अंसल ए0पी0आई0 द्वारा विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप "सुशान्त गोल्फ सिटी" के पाकेट–1 ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या–2 क्षेत्रफल– 55961.01 वर्गमी0 ग्रुप हाउसिंग भवन (सिलीब्रिटी गार्डेन) के शमन मानचित्र के सम्बन्ध में विचार।

समिति द्वारा उपरोक्त मानचित्र से सम्बन्धित निम्नांकित मुख्य बिन्दुओं पर विचार किया गया :–

- विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत ग्रुप हाउसिंग मानचित्र में पूर्व स्वीकृत फ्लैटें पर पूर्व नियमों के अनुसार पार्किंग की गणना तथा शमनीय क्षेत्रफल पर वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार पार्किंग की गणना की गयी है। एरिया चार्ट भी त्रुटिपूर्ण है।
- पूर्व स्वीकृति मानचित्र में विकासकर्ता द्वारा स्वयं पार्क एवं खुला क्षेत्रफल की गणना 15 प्रतिशत घटाते हुए नेट भूखण्ड पर एफ0ए0आर0 स्वीकृत कराया गया है, परन्तु शमन मानचित्र में 10.17 प्रतिशत पार्क एवं खुला क्षेत्रफल प्रस्तावित करते हुए सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर एफ0ए0आर0 की गणना की गई है।

समिति की संस्तुतिः– उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत रखते हुए शमन/प्रस्तावित मानचित्र मे पाई गई त्रुटियों का निराकरण कर संशोधित मानचित्र प्राप्त किया

जाय। प्रथम चरण के कुल क्षेत्र का 15 प्रतिशत पार्क/ग्रीन के रूप में सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रश्नगत ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर 10 प्रतिशत पार्क/ग्रीन क्षेत्रफल घटाते हुए नेट भूखण्ड पर भू–आच्छादन एवं एफ0ए0आर0 के अन्तर्गत संशोधित मानचित्र प्राप्त करने तथा देय शुल्कों व वांछित विभिन्न विभागों से अनापत्तियाँ प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् शमन एवं प्रस्तावित मानचित्र को स्वीकृत/निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

विषय सं0–2: हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत विकासकर्ता मे0 अंसल ए0पी0आई0 द्वारा विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप ''सुशान्त गोल्फ सिटी'' के सेक्टर–एम, पाकेट–2 क्षेत्रफल– 29706.79 वर्गमी0 ग्रुप हाउसिंग भवन (ओलम्पस) के शमन मानचित्र के सम्बन्ध में विचार।

समिति द्वारा उपरोक्त मानचित्र से सम्बन्धित निम्नांकित मुख्य बिन्दुओं पर विचार किया गया :–

प्रश्नगत ग्रुप हाउसिंग मानचित्र पूर्व तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 29.04.2011 द्वारा स्वीकृत है, परन्तु बिना मानचित्र निर्गत हुए स्थल पर किये गये निर्माण के शमन मानचित्र में पार्किंग का प्राविधान तत्समय की स्वीकृति में लागू नियमों के अनुसार 100 वर्गमी0 पर 01 कार तथा प्रस्तावित मानचित्र में वर्तमान नियम के अनुसार 100 वर्गमी0 पर 1.5 कार पार्किंग के अनुसार प्रस्तावित किया गया है।

- पूर्व स्वीकृति मानचित्र में विकासकर्ता द्वारा स्वयं पार्क एवं खुला क्षेत्रफल की गणना 15 प्रतिशत घटाते हुए नेट भूखण्ड पर एफ0ए0आर0 स्वीकृत कराया गया है, परन्तु शमन मानचित्र में 11.59 प्रतिशत पार्क एवं खुला क्षेत्रफल प्रस्तावित करते हुए सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर एफ0ए0आर0 की गणना की गई है।
- प्रश्नगत भवन पर रेलवे विभाग की अनापत्ति अभी तक वांछित है। चूँकि सेक्टर–एम, पाकेट–2 भूखण्ड लखनऊ–सुल्तानपुर रेलवे लाइन के समानान्तर स्थित है। अतः रेलवे विभाग की अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त मानचित्र निर्गत किये जाने पर सहमत व्यक्त की गई।

<u>समिति की संस्तुतिः</u>– उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए बिना मानचित्र स्वीकृत/निर्गत हुए स्थल पर स्टिल्ट एवं प्रथम तल से दसवें तल तक निर्माण किया गया है, जिसके शमन के साथ ही ग्यारहवें तल से चौदहवें तल तक निर्माण हेतु मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। शमन तथा प्रस्तावित मानचित्र में पाई गई त्रुटियों का निराकरण कर योजना के तृतीय चरण के कुल क्षेत्र का 15 प्रतिशत पार्क/ग्रीन के रूप में सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रश्नगत भूखण्ड पर 10 प्रतिशत पार्क/ग्रीन क्षेत्रफल घटाते हुए नेट भूखण्ड पर प्रस्तावित भू–आच्छादन एवं एफ0ए0आर0 के अन्तर्गत संशोधित मानचित्र प्राप्त करने तथा देय शुल्कों व

वांछित अनापत्तियाँ प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् शमन एवं प्रस्तावित मानचित्र को स्वीकृत/निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

विषय सं0–3: हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत विकासकर्ता मे0 अंसल ए0पी0आई0 द्वारा विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप ''सुशान्त गोल्फ सिटी'' के सेक्टर–बी, पाकेट–1 ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या–1 क्षेत्रफल–16187.297 वर्गमी0 ग्रुप हाउसिंग भवन (लक्ष्य) के शमन मानचित्र के सम्बन्ध में विचार।

समिति द्वारा उपरोक्त मानचित्र से सम्बन्धित निम्नांकित मुख्य बिन्दुओं पर विचार किया गया :–

- विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत ग्रुप हाउसिंग मानचित्र में पूर्व स्वीकृत फ्लैट पर पूर्व नियमों के अनुसार पार्किंग की गणना तथा शमनीय क्षेत्रफल पर वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार पार्किंग की गणना की गयी है। एरिया चार्ट भी त्रुटिपूर्ण है।
- पूर्व स्वीकृति मानचित्र में विकासकर्ता द्वारा पार्क एवं खुला क्षेत्रफल की गणना 15 प्रतिशत घटाते हुए नेट भूखण्ड पर एफ0ए0आर0 स्वीकृत कराया गया है, परन्तु शमन मानचित्र में 10.17 प्रतिशत पार्क एवं खुला क्षेत्रफल प्रस्तावित करते हुए सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर एफ0ए0आर0 की गणना की गई है।

<u>समिति की संस्तुति</u>:– उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत रखते हुए शमन/प्रस्तावित मानचित्र मे पाई गई त्रुटियों का निराकरण तथा प्रथम चरण के कुल क्षेत्र का 15 प्रतिशत पार्क/ग्रीन के रूप में सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रश्नगत ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर 10 प्रतिशत पार्क/ग्रीन क्षेत्रफल घटाते हुए नेट भूखण्ड पर भू–आंच्छादन एवं एफ0ए0आर0 के अन्तर्गत संशोधित मानचित्र प्राप्त करने तथा देय शुल्कों व वांछित अनापत्तियाँ प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् शमन/प्रस्तावित मानचित्र को स्वीकृत/निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

विषय सं0–4: हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत विकासकर्ता मे0 अंसल ए0पी0आई0 द्वारा विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप ''सुशान्त गोल्फ सिटी'' के सेक्टर–के, पाकेट–2 के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0, क्षेत्रफल–26304.14 वर्गमी0 ग्रुप हाउसिंग भवन के मानचित्र के सम्बन्ध में विचार।

समिति द्वारा उपरोक्त मानचित्र से सम्बन्धित निम्नांकित मुख्य बिन्दुओं पर विचार किया गया :–

- प्रश्नगत भूखण्ड डी.ए.–4 के ले–आउट के अन्तर्गत आता है। वर्तमान में डी.ए.–4 का संशोधित विन्यास मानचित्र स्वीकृत नही है।

- आन्तरिक ड्राइव–वे की लम्बाई 200 मी0 से अधिक होने पर पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई भवन उपविधि 2008 के अनुसार संशोधित किये जाने की सहमति व्यक्त की गयी है।
- सम्पूर्ण भूखण्ड पर भू–स्वामित्व का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है।

<u>समिति की संस्तुतिः</u>– ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 भवनों के निर्माण से सम्बन्धित मानचित्र संशोधित डी0पी0आर0/ले–आउट के अन्तर्गत है, जिसकी स्वीकृति नहीं हुयी है परन्तु योजना शासन की प्राथमिकता के दृष्टिगत विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत 832 ई0डब्लू0एस0 व 1224 एल0आई0जी0 भवनों के मानचित्र को इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की गयी कि मानचित्र में पाई गई उपरोक्त आपत्तियों के निराकरण करते हुये संशोधित मानचित्र प्राप्त कर विन्यास मानचित्र स्वीकृत/निर्गत होने के पश्चात् ही प्रश्नगत भवन मानचित्र के स्वीकृति/निर्गत की कार्यवाही की जाय।

विषय सं0–5: हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत विकासकर्ता मे0 अंसल ए0पी0आई0 द्वारा विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप "सुशान्त गोल्फ सिटी" के सेक्टर–ए, पाकेट–1 के अन्तर्गत स्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल–1169500 वर्गमी0 स्कूल भवन के मानचित्र के सम्बन्ध में विचार।

समिति द्वारा उपरोक्त मानचित्र से सम्बन्धित निम्नांकित मुख्य बिन्दुओं पर विचार किया गया :–

- प्रश्नगत भूखण्ड स्वीकृत ले–आउट में जनरल हास्पिटल हेतु आरक्षित है परन्तु वर्तमान में स्वीकृत संशोधित डी0पी0आर0/ले–आउट में प्रश्नगत भूखण्ड को फैसिलिटी के रूप मे दर्शाया गया है। फैसिलिटी के अन्तर्गत स्कूल अनुमन्य है।

<u>समिति की संस्तुतिः</u>– उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा पाई गयी अभियुक्तियों के अनुरूप इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की गयी कि प्रस्तुत भवन मानचित्र को संशोधित विन्यास मानचित्र स्वीकृत/निर्गत होने के पश्चात् देय शुल्क एवं वांछित अनापत्तियां प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त स्वीकृत/निर्गत किया जाय।

इंटीग्रेटेड टाउनशिप

विषय सं0–6: इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत विकासकर्ता मे0 ए0एन0एस0 डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा ग्राम–बाघामऊ, जनपद–लखनऊ में विकसित किये जा रहे इंटीग्रेटेड टाउनशिप के अन्तर्गत एल0आई0जी0/ई0डब्लू0एस ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या–1 क्षेत्रफल–32116.93 वर्गमी0 में प्रस्तावित 856 ई0डब्लू0एस0 व 864 एल0आई0जी0 भवनों के मानचित्र के सम्बन्ध में विचार।

समिति द्वारा उपरोक्त मानचित्र से सम्बन्धित निम्नांकित मुख्य बिन्दुओं पर विचार किया गया :–

- प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15.3 मी0 होने के कारण न्यूनतम वांछित सेटबैक 6.0 मी0 के स्थान पर 5.0 मी0 चौड़ा सेटबैक प्रस्तावित किया गया है।
- आन्तरिक सड़कों की चौड़ाई 5.0 मी0 ही प्रस्तावित की गई है।
- परिसर के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रीन का क्षेत्रफल अंकित नही है।
- स्थल पर अभी तक पहुंच मार्ग उपलब्ध नही है।
- एरिया चार्ट त्रुटिपूर्ण है तथा भवनों का नियोजन मानक के अनुरूप नही है।
- प्रस्तावित ई0डब्लू0एस0 भवन का आंच्छादित क्षेत्रफल 25 वर्गमी0 से कम है।

समिति की संस्तुतिः– समिति द्वारा विकासकर्ता के 856 ई0डब्लू0एस0 व 864 एल0आई0जी0 भवनों के मानचित्र पर विचारोपरान्त यह संस्तुति की गयी कि मानचित्र में पाई गई उपरोक्त आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त संशोधित मानचित्र तथा उससे सम्बन्धित विभिन्न विभागों की अनापत्तियॉ एवं भू–स्वामित्व अभिलेख प्राप्त कर नियमानुसार स्वीकृति/निर्गत की कार्यवाही की जायें।

विषय सं0–7: इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत विकासकर्ता मे0 ओमैक्स लि0 द्वारा लखनऊ–सुल्तानपुर रोड पर विकसित की जा रही इंटीग्रेटेड टाउनशिप के अन्तर्गत व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–1 पर प्रस्तावित होटल एवं सर्विस अपार्टमेन्ट के भवन मानचित्र के सम्बन्ध में विचार।

समिति द्वारा उपरोक्त मानचित्र से सम्बन्धित निम्नांकित मुख्य बिन्दुओं पर विचार किया गया :–

- विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित भवन में भूतल पर 12 मी0 एवं द्वितीय तल से ऊपर 15 मी0 चौड़े बैरियेबुल सेटबैक का प्राविधान किया गया है।
- मानचित्र में प्रस्तावित भूतल, प्रथम तल व द्वितीय तल पर प्रस्तावित व्यवसायिक हाल की ऊंचाई 5.2 मी0 है जो कि अनुमन्य ऊंचाई से अधिक है

- विकासकर्ता द्वारा मानचित्र में लगभग 8937.00 वर्गमी0 क्रय योग्य एफ0ए0आर0 का प्राविधान किया गया है।
- विकासकर्ता द्वारा भूखण्ड का पूर्ण भू–स्वामित्व अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया है।

समिति की संस्तुतिः— समिति द्वारा विकासकर्ता के उपरोक्त भवन मानचित्र को भवन उपविधि 2008 एवं तकनीकी दृष्टिकोण से उपयुक्त पाते हुए यह संस्तुति की गयी कि मानचित्र में पाई गई उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण होने के बाद एवं सम्बन्धित विभागों की अनापत्तियॉ तथा भू–स्वामित्व अभिलेख प्राप्त कर क्रय योग्य एफ0ए0आर0 समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

विषय सं0–8: इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत विकासकर्ता मे0 ओमेक्स लि0 द्वारा लखनऊ–सुल्तानपुर रोड पर विकसित की जा रही इंटीग्रेटेड टाउनशिप क्षेत्रफल 121.76 एकड़ के संशोधित विन्यास मानचित्र के सम्बन्ध में विचार।

समिति द्वारा उपरोक्त मानचित्र से सम्बन्धित निम्नांकित मुख्य बिन्दुओं पर विचार किया गया :—

- मे0 ओमेक्स लि0 के इंटीग्रेटेड टाउनशिप का विन्यास मानचित्र पूर्व में प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 16.01.2014 के विषय संख्या–19 पर सहमति के उपरान्त परमिट संख्या–36522 दिनांक 31.05.2014 द्वारा स्वीकृत/निर्गत है।
- टाउनशिप के स्थानीय ग्रामवासियों के अनुरोध पर सुल्तानपुर रोड़ से गोमती नदी के मध्य प्रस्तावित 45 मी0 चौड़ा महायोजना मार्ग के आंशिक भाग पर अतिक्रमण एवं आबादी होने के कारण उसके प्राविधान को समाप्त किये जाने हेतु तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 20.03.2015 के संस्तुति के क्रम में प्राधिकरण के पत्र संख्या–74/सी.टी.पी./2015 दिनांक 24.03.2015 द्वारा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 को सन्दर्भित किया गया है।
- सुल्तानपुर रोड से गोमती नदी के मध्य प्रस्तावित 45 मी0 चौड़े महायोजना मार्ग का अधिकाश भाग आबादी एवं अतिक्रमण के कारण बनाया जाना सम्भव नही है। जहॉ तक उक्त मार्ग का निर्माण सम्भव था वहॉ तक विकासकर्ता द्वारा विकसित कर दिया गया है। तदक्रम में विकासकर्ता द्वारा संशोधित तलपट मानचित्र दिनांक 06.05.2015 प्रस्तुत किया गया है।
- प्रस्तुत संशोधित मानचित्र में आंशिक परिवर्तन किये जाने के कारण कुल 5816 ईकाइयों तथा 1454 ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण प्रस्तावित है, जो कि पूर्व प्रस्तावित 1404 ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 भवनों से 50 भवन अधिक है।

- मानचित्र संशोधित किये जाने के कारण टाउनशिप का जनसंख्या धनत्व 590 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर (ई0डब्लू0एस/एल0आई0जी0 को छोड़कर) तथा 737 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर (ई0डब्लू0एस/एल0आई0जी0 को लेकर) हो जाता है जो इंटीग्रेटेड टाउनशिप हेतु अनुमन्य सीमा 1000 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर के अन्तर्गत है।

- विन्यास मानचित्र संशोधित किये जाने के कारण आवासीय भू–उपयोग का क्षेत्रफल 52.9 प्रतिशत, व्यवसायिक का क्षेत्रफल–3.95 प्रतिशत, ग्रीन का क्षेत्रफल–15.05 प्रतिशत, सार्वजनिक/अर्धसार्वजनिक सुविधाओं का क्षेत्रफल–15.03 प्रतिशत तथा प्रस्तावित सड़कों का क्षेत्रफल–13.07 प्रतिशत हो जाता है, जो पुरानी इंटीग्रेटेड नीति में निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

- संशोधित मानचित्र के अनुसार टाउनशिप का कुल जनसंख्या 36350 व्यक्ति आकंलित की गयी है।

- प्रश्नगत 45 मी0 चौड़े महायोजना मार्ग से आच्छादित भू–भाग पर निर्माण एवं विकास की अनुमति नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन के उपरान्त दिये जाने का प्रस्ताव है।

<u>समिति की संस्तुतिः</u>– समिति द्वारा विकासकर्ता मे0 ओमेक्स लि0 के इंटीग्रेटेड टाउनशिप के संशोधित विन्यास मानचित्र को भवन उपविधि 2008 एवं तकनीकी दृष्टिकोण से उपयुक्त पाते हुये उपरोक्त प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(आर0डी0 वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता,
(हा/इंटी सेल)
संयोजक

(अभयभान पाण्डेय)
मुख्य अग्निशमन
अधिकारी
लखनऊ,
सदस्य

(शेर सिंह)
सहयुक्त नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन
विभाग, उ0प्र0,
सदस्य

(ओ0पी0 मिश्रा)
मुख्य अभियन्ता
सदस्य

(जे0एन0 रेड्डी)
मुख्य नगर नियोजक
सदस्य

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
सचिव,
सदस्य

अनुमोदित,

(सत्येन्द्र सिंह)
उपाध्यक्ष

LAYOUT PLAN OF OMAXE INTEGRATED TOWNSHIP

AT SULTANPUR ROAD [NH-56]

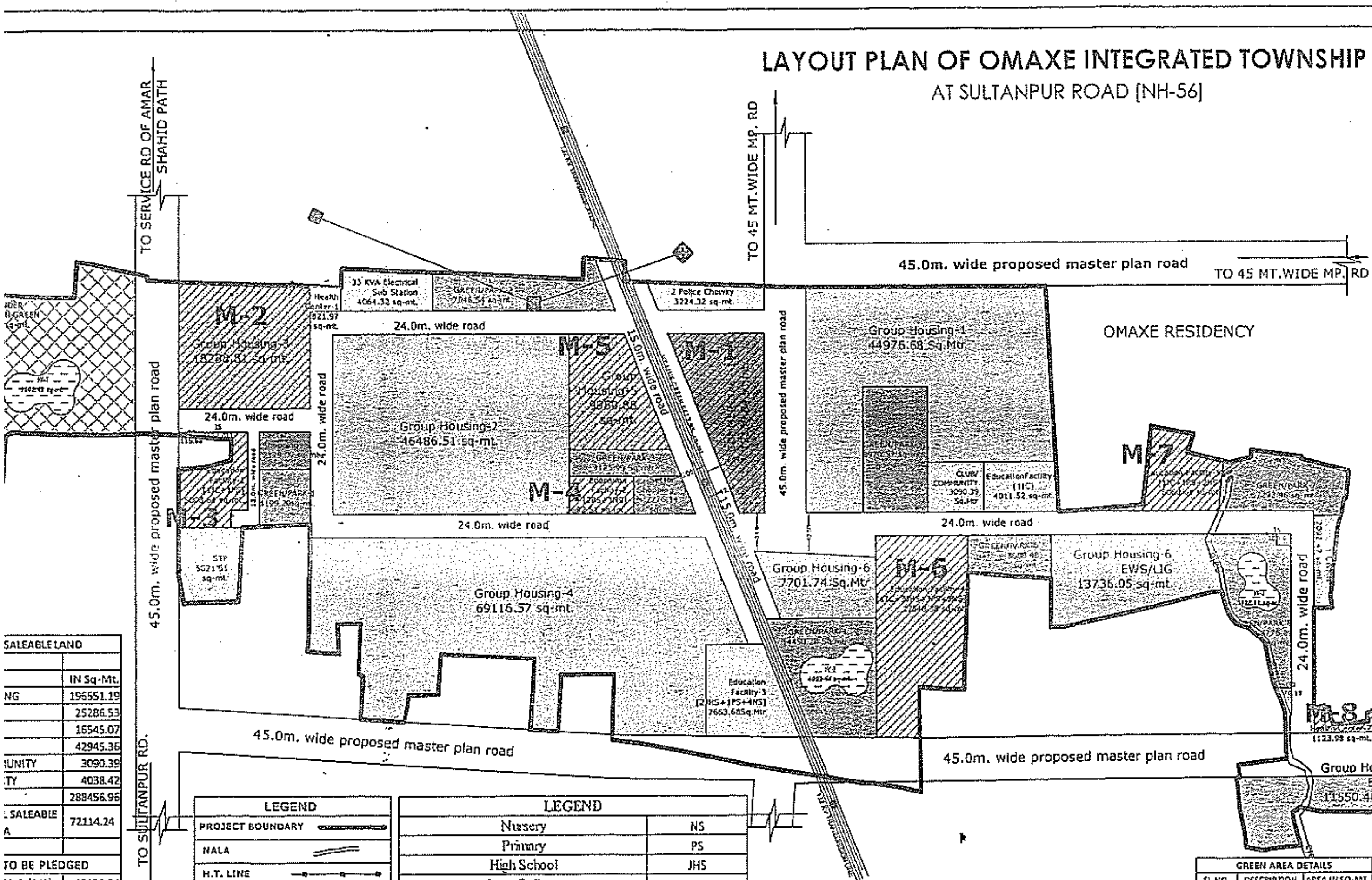

GROUP HOUSING DETAILS		
SL.NO.	DESCRIPTION	AREA IN SQ-MT.
1	GROUP HOUSING - 1	44976.68
2	GROUP HOUSING - 2	45486.51
3	GROUP HOUSING - 3	18288.81
4	GROUP HOUSING - 4	69116.57
5	GROUP HOUSING - 5	9980.88
6	GROUP HOUSING - 6	7701.74
TOTAL		195551.19
EWS/LIG GROUP HOUSING DETAILS		
6	GROUP HOUSING - 6	13736.05
7	GROUP HOUSING - 7	11550.48
TOTAL		25286.53
TOTAL AREA OF GROUP HOUSING		221837.72

PUBLIC & SEMI PUBLIC FACILITY		
SL.NO.	DESCRIPTION	AREA IN SQ-MT.
1	Education Facility-1	5008.64
2	Education Facility-2	2662.51
3	Education Facility-3	7663.67
4	Education Facility-4	17548.38
5	Education Facility-5	6060.64
6	Education Facility-6	4011.52
7	S.T.P	5021.51
8	HEALTH CENTER-1	821.97
9	HEALTH CENTER-2	1123.98
10	C.W.M.H	2092.47
11	33KVA ESS	4064.32
12	CLUB/COMMUNITY CENTRE	3090.39
13	POLICE CHOWKY	3224.32
14	GARBAGE DISPOSAL	115.68
15	GARBAGE DISPOSAL	178.19
16	INFORMAL SECTOR	180
17	INFORMAL SECTOR	182.81
18	TOTAL	63051.1

COMMERCIAL PLOTS		
SL.NO.	DESCRIPTION	AREA IN SQ-MT.
1	COMMERCIAL-1	12139.84
2	SECTOR SHOPPING-1	2276.14
3	SECTOR SHOPPING-2	2129.09
5	TOTAL	16545.07

LAND DETAILS			
SL.NO.	DESCRIPTION	IN SQ-MT.	IN ACRE
1	PLOT AREA	492892.58	121.76
	AREAS TO BE DEDUCTED		
2	AREA UNDER MASTER PLAN ROAD	36783.20	9.09
3	AREA UNDER MASTER PLAN GREEN	36671.62	9.06
4	NET PLOT AREA [1-(2+3)]	419437.76	103.62

LAND USE DISTRIBUTION AS PER LAYOUT PLAN						
S.NO	DESCRIPTION		IN SQ.MT.	IN ACRE	HAC.	% ACHIEVED
1	RESIDENTIAL AREA	GROUP HOUSING	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		EWS & LIG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		SUB TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	COMMERCIAL	COMMERCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		SUB TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	PUBLIC SEMI PUBLIC FACILITY	EDUCATIONAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		HEALTH	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		CLUB & COMMUNITY	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		ELECTRICAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		POLICE CHOWKY	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		GD & IS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		S.T.P.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		SUB TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	GREEN COVER	PARKS & OPEN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		SUB TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	ROADS	ROAD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		TOTAL	[illegible]	103.67	[illegible]	[illegible]

DENSITY CALCULATION

Group Housing

Area of Group Housing	195551.19 Sq.Mt. / 19.66 Hac.
Permissible Ground Coverage	35%
Permissible F.A.R.	[illegible]

[illegible]

PROVISION MADE AS PER BYE LAWS

[illegible]

GREEN AREA DETAILS		
SL.NO.	DESCRIPTION	AREA IN SQ-MT.
1	GREEN/PARK-1	3193.2
2	GREEN/PARK-2	7045.54
3	GREEN/PARK-3	3125.99
4	GREEN/PARK-4	13450.28
5	GREEN/PARK-5	8970.57
6	GREEN/PARK-6	3652.48
7	GREEN/PARK-7	7292.46
8	GREEN/PARK-8	8776.89
9	HT LINE GREEN	6611.95
10	TOTAL	62164.36

WATER BODY DETAILS		
SL.NO.	DESCRIPTION	AREA IN SQ-MT.
1	WATER BODY-W1	1505.43
2	WATER BODY-W2	1002.54
3	WATER BODY-W3	1128.18
4	TOTAL	3636.21

SALEABLE LAND	
	IN Sq-Mt.
NG	196551.19
	25286.53
	16545.07
	42945.36
UNITY	3090.39
TY	4038.42
	288456.96
SALEABLE A	72114.24
TO BE PLEDGED	
AL-1 [M1]	12139.84
NG-3 [M2]	18288.81
N [M3]	5008.64
N [M4]	2662.51
NG-5 [M5]	9980.88
N [M6]	17548.38
N [M7]	6050.64
TRE [M8]	1123.98
AL	72813.68

LEGEND	
PROJECT BOUNDARY	
NALA	
H.T. LINE	
GROUP HOUSING	
EWS/LIG	
COMMERCIAL	
PUBLIC SEMI PUBLIC	
ORCHARDS/GREEN	

LEGEND	
Nursery	NS
Primary	PS
High School	JHS
Inter College	IC
Health center	HC
Child welfare and Maternity Homes	CWMH
Police Chowky with Residence for Employees	PC-TS
Informal Sector	IS
Garbage Disposal	GD

ED LAYOUT PLAN OF OMAXE INTEGRATED
IP AT SULTANPUR ROAD, LUCKNOW

DATE:-	ARCHITECT:-	ARCHITECT'S SIGN	OWNER'S SIGN	NORTH:	OWNER:-
05.05.2015	TRIPTIE AWASTHI				OMAXE LTD. 7, Local Shopping Centre, Kalkaji, New Delhi
SCALE:- 1:2000					

विषयः-लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा निर्धारित अवधि के लिए पट्टे पर दिये गये भूखण्डों को बिना नामान्तरण/नवीनीकरण कराये मूल पट्टेदार या उनके विधिक उत्तराधिकारियों अथवा अन्य क्रेता से (जो मूल पट्टेदार अथवा विधिक उत्तराधिकारियों की श्रेणियों में नहीं आते है) के द्वारा पट्टा अवधि में विक्रय कर दिये जाये के बाद क्रेता के पक्ष में नामान्तरण/पट्टे का नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

क्रेता द्वारा पट्टागत भूखण्ड पट्टा अवधि में मूल पट्टेदार या उसके विधिक उत्तराधिकारियों अथवा अन्य क्रेता से (जो मूल पट्टेदार अथवा विधिक उत्तराधिकरियों की श्रेणी में नहीं आते है) बिना पट्टे का नवीनीकरण कराये क्रय किये जाने की स्थिति में प्रीमियम युक्त पट्टो पर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट का 01% अर्थदण्ड भारित करते हुए क्रेता के पक्ष में नामान्तरण/नवीनीकरण किये जाने पर निर्णय लिये जाने हेतु विचारार्ध प्रस्ताव दिनांक 16.01.14 की बोर्ड बैठक के विषय संख्या-29 पर प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्राधिकरण द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गयाः-

''सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त करते हुए यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के आवंटियों के सम्बन्ध में यह विवरण (डाटाबेस) एकत्र कर लिया जाये कि कितने पट्टे प्रीमियमयुक्त किये गये है तथा कितने बिना प्रीमियम के हुए है। उक्त विवरण के साथ आगामी बैठक में पुनः विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।''

उक्त के अनुपालन में दिनांक 11 जून, 2014 को सम्पन्न हुई बोर्ड बैठक में वांछित सूचना सहित पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श के मध्य बैठक में यह अवगत कराया गया कि ''समान प्रकृति का प्रकरण इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में शासन को संदर्भित किया गया है, अतः निर्णय लिया गया कि एकरूपता के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण को भी मार्गदर्शन हेतु शासन को संदर्भित कर दिया जाये।''

प्राधिकरण द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के क्रम में प्राधिकरण के पत्र संख्या-59/जे0एस0आर0/(एस0)/कैम्प/14 दिनांक 15.09.2014 द्वारा यथोचित निर्णय लिये जाने हेतु उपरोक्त प्रस्ताव शासन को संदर्भित कर दिया गया। संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन से प्राप्त पत्र संख्या- 1881/8-4-14-71एन/14 दिनांक 26.09.2014 द्वारा भूखण्ड संख्या बी-44 स्थित निरालानगर, टी0जी0 नार्थ चॉदगंज हाउसिंग स्कीम, लखनऊ के नामान्तरण के सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 16.01.2014 में विषय संख्या-29 पर लिये गये सैद्धान्तिक सहमति के आधार पर आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर से करने हेतु निर्देशित किया गया। शासन से प्राप्त उपरोक्त संदर्भित पत्र में भूखण्ड संख्या-बी-44

का उल्लेख करते हुए उपाध्यक्ष महोदय को आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर से किये जाने के लिए निर्देशित किया गया था। तत्क्रम में टी0जी0 नार्थ चॉदगंज, बी-44 के मूल आवंटी की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उनके विधिक वारिसानों द्वारा बिना अपने पक्ष में नामान्तरण/नवीनीकरण कराये भूखण्ड का विक्रय कर दिये जाने के कारण तत्कालीन सचिव/उपाध्यक्ष द्वारा नामान्तरण की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गयी थी कि इस प्रकरण को आगामी बोर्ड बैठक में अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा तथा बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश प्रार्थी को मान्य होंगे।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28 फरवरी, 2015 में विगत बैठक दिनांक 11 जून, 2014 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई। अनुपालन आख्या में उल्लेख किया गया कि "प्राधिकरण के निर्णयानुसार प्रकरण मार्गदर्शन हेतु शासन को संदर्भित किया गया था। शासन द्वारा यह अवगत कराया गया है कि ऐसा कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। प्राधिकरण अपने स्तर से प्रकरण में कार्यवाही सम्पादित करे। शासन के निर्देशों के अनुक्रम में प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है।"

उक्त अनुपालन आख्या का अवलोकन बोर्ड द्वारा कर लिया गया, परन्तु प्रस्ताव के निम्नांकित बिन्दु बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत हैः-

<u>प्रस्तावः-'क' (प्रीमियम युक्त पट्टों के सम्बन्ध में)</u>

क्रेता द्वारा पट्टागत भूखण्ड पट्टा अवधि में मूल पट्टेदार या उसके विधिक उत्तराधिकारियों अथवा अन्य क्रेता से (जो मूल पट्टेदार अथवा विधिक उत्तराधिकारियों की श्रेणी में नहीं आते है) बिना पट्टे का नवीनीकरण कराये क्रय किये जाने की स्थिति में प्रीमियम युक्त पट्टों पर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट का 01% अर्थदण्ड भारित करते हुए क्रेता के पक्ष में नामान्तरण/नवीनीकरण किये जाने पर निर्णय।

<u>प्रस्तावः-'ख' (बिना प्रीमियम पट्टों के विषय में)</u>

ऐसी सम्पत्तियॉ जिसमें पट्टेदार की मृत्यु होने के उपरान्त विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा बिना नामान्तरण/नवीनीकरण कराये सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है एवं बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये हुए सम्पत्ति का उपविभाजन/हस्तान्तरण कर दिया गया है, ऐसे पट्टो पर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट का 05% अर्थदण्ड भारित करते हुए क्रेता के पक्ष में नामान्तरण/नवीनीकरण किये जाने पर निर्णय।

विषय: गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत लम्बित 61 परिसम्पत्तियों के मूल्यांकित धनराशि का भुगतान एवं विस्थापित कोटे में निशुल्क भूखण्ड आवंटन करने के सम्बन्ध मे।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत भूमि का अधिग्रहण वर्ष 2000 में किया गया था, जिसकी धारा 4/17 की विज्ञप्ति दिनांक 05.09.2000 व धारा 6/17 की विज्ञप्ति दिनांक 16.02.01 में प्रकाशित हुई थी, भूमि का कब्जा वर्ष 2003-04 में अपर जिलाधिकारी-भू.अ. द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित किया गया, तथ्यात्मक टिप्पणी संलग्न है।

2. अभियन्त्रण खण्ड द्वारा गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत विस्थापितों के प्रकरण पर उपाध्यक्ष महोदय से दिनांक 21.07.14 को निम्न दो बिन्दुओं (क) व (ख) पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की गई है:-

(क) *अभियन्त्रण खण्ड द्वारा 128 व्यक्तियों की सूची तैयार की गई थी, जिसमें स्थल पर चिन्हित कर 54 निर्माणों का मूल्यांकन करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की गई, जिसमें श्री भीमबहादुर श्रेष्ठ को पूर्व में भूखण्ड सं. 6/154 आवंटित होने के कारण 54 की सूची से इनका नाम पृथक करते हुए 53 की सूची निम्नवत है:-*

क.सं.	निर्माण की स्थलीय स्थिति	व्यक्तियो की संख्या	भू-स्वामित्व की स्थिति	निर्माण की स्थिति	प्रस्तर 09 में वर्णित 07 श्रेणीवार विस्थानितों की स्थिति
1	निर्माण है तथा आवासित है।	1	पंजीकृत बैनामा धारा 4/17 के पूर्व का	निर्माण की पुष्टि है तथा भवन आवासित है।	1. श्री रमाकान्त राय पुत्र श्री राम चन्द्र राय
		5	पंजीकृत बैनामा धारा 4/17 के पूर्व का	निर्माण की पुष्टि है।	1. श्रीमती मंजुला पत्नी एन.एन. सिंह, 2. श्री चन्द्रभानु सिंह 3. श्री मातारवर सिंह यादव, 4 श्री अजय कुमार यादव पुत्र श्री रामलखन यादव 5. श्री आशीष कुमार डे पुत्र स्व0 देवेन्द्र नाथ डे
		24	इकरारनामा	निर्माण की पुष्टि है तथा भवन आवासित है।	1. श्री हरिमंगल सिंह पुत्र स्व0 माता प्रसाद 2. श्री शकील अहमद पुत्र श्री अतीक अहमद 3. श्री अतुल यादव पुत्र श्री रमेश चन्द्र 4. श्री ठाकुर प्रसाद पाण्डेय पुत्र श्री ध्रुव नरायन पाण्डेय 5. कमला देवी पत्नी श्री कन्हई लाल 6. रमेश चन्द्र रावत पुत्र श्री कन्हई लाल

					8. श्री कैलाश नाथ मुखरैया 9. श्री राम सजीवन कनौजिया पुत्र श्री सत्यनरायन 10. श्री राम धीरज पुत्र श्री बेकारू 11. श्री लक्ष्मी शंकर पुत्र श्री राजबहादुर 12. श्री मुन्ना लाल पुत्र श्री मैकूलाल 13. श्री भगवती प्रसाद पुत्र श्री शंकर 14. श्री टुन्नी पुत्र श्री अब्दूल रहमान 15. श्री रमजान अली पुत्र श्री मो0 आकूब 16. श्री सन्तोष कुमार साहू पुत्र श्री सुकालू साहू 17. श्री बलराम पुत्र श्री राजाराम 18. श्री मेवालाल गुप्ता पुत्र स्व0 ननकऊ 19. श्री सन्तोष कुमार पुत्र स्व0 जगदेव 20. श्री बासुदेव पुष्कर पुत्र स्व राजपतिराम 21. श्रीमती उर्मिला चौधरी पत्नी श्री रामकृष्ण परमहंस 22. श्रीमती सुमित्रा चौधरी पत्नी श्री हरि रान चौधरी 23. श्री शंकर सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह 24. रेखा यादव
		8	पंजीकृत बैनामा धारा 4/17 के पश्चात का		1. श्री प्रदीप कुमार वर्मा पुत्र श्री दुख हरन नाथ वर्मा 2. श्री हरीराम पुत्र श्री महादेव 3. कु0 अंजली शर्मा पुत्री श्री पी0पी0शर्मा 4. श्री रामप्रेमपाल पुत्र श्री पुरूषेत्तम पाल 5. श्री राम मनोहर पुत्र श्री देव नरायन 6. श्री राम चन्दरपाल पुत्र श्री कन्हैयालाल 7. श्री रामप्यारी तिवारी पत्नी श्री हरिशंकर तिवारी 8. श्री छत्रपाल सिंह पुत्र श्री राम अधार पटेल
		कुल 38			
2	निर्माण ध्वस्त है	11	पंजीकृत बैनामा धारा 4/17 के पूर्व का	निर्माण ध्वस्त करने की पुष्टि अभियन्त्रण खण्ड द्वारा की गई है।	1. श्री राहुल मिश्रा 2. श्री बृजेश कुमार पोरवार द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह 3. श्रीमती अनिता श्रीवास्तव 4. श्री मुकुल मिश्रा आत्मज् श्रीमती सावित्री 5. श्री वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव 6. श्री रविन्द्र सिंह सिसौदिया 7. श्रीमती रेनू केशरवानी पत्नी श्री प्रदीप कुमार केशरवानी 8. श्री अनिल कुमार पोरवाल 9. श्री रिखन देव 10. श्री बिन्द्रावति 11. श्रीमती अल्पना सिंह पत्नी डा0 भगवान दास सिंह
		01	हिबैनामा		श्रीमती शबनम बानो पत्नी श्री अशफाक हुसैन
		01	खतौनी 1407—1414 फसली		श्री धन्नू पुत्र श्री घिसवान
		कुल 13			
		01	पंजीकृत बैनामा धारा 4/17 के पूर्व का	निर्माण ध्वस्त करने की पुष्टि अभियन्त्रण खण्ड द्वारा नही की गई है यद्यपि निर्माण पूर्व से मूल्यांकित है।	1. श्री अजय प्रताप सिंह पुत्र नन्दलाल सिंह
		01	हिबैनामा		1. श्रीमती इशरत जहॉ पत्नी श्री इस्तीफा हुसैन
		01	खतौनी 1407—1414 फसली		1. श्री जियाउल इस्लाम पुत्र जलाउद्दीन
		कुल 03			
	महायोग	53			

(शिवाप्रि कुमार) (राम प्रताप सिंह) (केदार नाथ त्रिपाठी) डा0 जितेन्द्र कटियार एम0 अहमद अधिकारी—अर्जन

(ख) गोमती नगर विस्तार योजना सेक्टर-1 अन्तर्गत स्थल पर विद्यमान निर्माण जिनके नाम अभी 54 व्यक्तियों में सम्मिलित नही किये गये है, परन्तु स्थल पर निर्माण विद्यमान है तथा जिसके कारण सड़कें, सीवर, वाटर लाइन तथा आवंटित भूखण्ड भी प्रभावित है। कतिपय कारणों से 53 की सूची में इन्हें सम्मिलित नही किया जा सका है, ऐसे चार प्रकरण श्री उदेश कुमार (प्रभावित भूखण्ड 1/866 से 1/872 तक) श्री रामनिरंजन यादव (प्रभावित भूखण्ड 1/857ए से 1/857 एच तक) एवं श्री सरजू प्रसाद (प्रभावित भूखण्ड 1/964 से 1/967) तथा एक अन्य प्रकरण जो ग्राम हुसड़िया में स्थित श्रीमती वीरबाला चौहान के निर्माण का है, मूल्यांकन की विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त श्री पूरनचन्द शाह खसरा संख्या 28, सेक्टर-1 45.00 मी. रोड एवं रेलवे लाइन के मध्य स्थित ग्रीनबेल्ट, श्री साकेत त्रिपाठी खसरा संख्या 24, फरीद अहमद 305, श्रीमती लक्ष्मी राय खसरा संख्या 172 तथा श्रीमती अलका शर्मा खसरा संख्या 235 ग्राम मखदूमपुर के नाम को भी सम्मिलित कर मूल्यांकन आदि की कार्यवाही किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति।

3. तथ्यामक टिप्पणी के बिन्दु संख्या 12 में अंकित तालिका के अनुसार स्थिति निम्नवत है:-

क्र.सं.	भू-स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेख	व्यक्तियों की संख्या
1	धारा 4 के पूर्व की रजिस्ट्री	22
2	धारा 4 के पश्चात की रजिस्ट्री	9
3	धारा 4 के पूर्व के इकरारनामा	25
4	खतौनी फसली वर्ष 1404-1409 के अनुसार	03
5	हिबैनामा	02
	कुल	61

उपरोक्त तालिका में अंकित कुल 61 व्यक्तियों के मूल्यांकन की स्थिति के अनुसार आख्या निम्नवत है:-

1. तालिका में धारा 4 के दिनांक से पूर्व की रजिस्ट्रीयां 22 है, जिनके सम्बन्ध में भूमि अध्याप्ति अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार निर्माणों का सत्यापन होने पर भुगतान किया जा सकता है।

(दिलीप कुमार) (रामप्रताप सिंह) अर्जन अमीन (केदार नाथ त्रिपाठी) डा० जितेन्द्र कटियार तहसीलदार एम० अहमद प्रभारी अधिकारी-अर्जन ल०वि०प्रा०, लखनऊ।

2. प्राधिकरण स्तर पर उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 06.08.2008 को समिति की अनुसंशा पर निर्णय लिया गया था कि "निर्माण के सत्यापन के उपरांत नोटिफिकेशन की पूर्व स्थिति से सम्बन्धित अभिलेख अवश्य ले लिये जाये, परन्तु इकरारनामा मान्य नही होगा। तदानुसार भुगतान की कार्यवाही की गई है।

3. उपाध्यक्ष के उक्त आदेश के उपरांत तालिका 2, 3, 4 व 5 पर भुगतान की स्थिति नही बन पा रही है क्योंकि प्राधिकरण द्वारा शासन को पत्र प्रेषित करके मार्गदर्शन मांगा गया है, जो अभी तक अपेक्षित है।

4. स्थल पर सम्बन्धित हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निर्माण करके कब्जा कर रखा गया है जिससे स्थल पर विकास कार्य व आवंटियों को कब्जा दिया जाना सम्भव नही हो पा रहा है।

5. गोमती नगर विस्तार योजना में आवंटित भूखण्डो को आवंटियों द्वारा मा. उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर रजिस्ट्री/कब्जे की मांग की जा रही है। परन्तु स्थल पर विवाद होने के कारण रजिस्ट्री/कब्जा की कार्यवाही बाधित है, जिससे विसमपरिस्थितियां उत्पन्न हो रही है।

6. जिन प्रकरणों में धारा 4 के दिनांक के उपरांत की रजिस्ट्री/इकरारनामा/मुख्तारेआम/हिबैनामा है, उनके निर्माणों का भुगतान भी हितबद्ध कास्तकारों द्वारा मांगा जा रहा है। तदुपरांत ही कब्जा हटाने की बात कही जा रही है।

7. उपाध्यक्ष की अनुमति के उपरांत अभियन्त्रण खण्ड द्वारा तालिका मे अंकित 58 व्यक्तियों के मूल्यांकन भी तैयार कर दिये गये है।

8. यदि निर्माण के मूल्यांकन के भुगतान का निर्णय लिया जाता है तो विस्थापित कोटे के अन्तर्गत 75 वर्गमी. का निशुल्क भूखण्ड भी दिया जाना होगा।

प्रस्ताव:-

1. प्राधिकरण द्वारा शासन को प्रेषित पत्र सं. 1635/एसी/एसडीएम/12 दिनांक 14.09.12 के माध्यम से कुल 128 व्यक्तियों के निर्माणों के सापेक्ष 53 निर्माणकर्ताओं को विस्थापित कोटे में निशुल्क भूखण्ड के आवंटन एवं भुगतान की अनुमति पर निर्णय हेतु अनुरोध किया गया था। पुनः विभागीय पत्र सं. 295/ए.सी./वी.सी./2013 दिनांक 09.09.13 के माध्यम से अनुरोध किया गया, किन्तु अभी तक शासन से कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ है। उल्लेखनीय है कि

राज प्रताप सिंह ... नाथ त्रिपाठी) एम० अहमद अधिकारी–अर्जन लखनऊ।

हितबद्ध व्यक्तियों के विरोध के कारण उपरोक्त 53 निर्माणकर्ताओं के साथ-साथ अन्य 08 प्रकरणों पर भी निर्णय हेतु सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार कुल 61 व्यक्तियों का प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण पर बोर्ड के निर्गयानुसार शासन को अवगत कराने के सम्बन्ध में विचारार्थ।

2. गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत भूखण्डो के आवंटियों द्वारा लगातार रजिस्ट्री/कब्जे की मांग की जा रही है तथा मा. उच्च न्यायालय मे वाद दायर किये जा रहे है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त बिन्दु-1 के 22 व्यक्तियों को निर्माणों का भुगतान व 75 वर्गमी. का निशुल्क भूखण्ड देने पर विचारार्थ।

3. बिन्दु संख्या 2 से 5 तक अंकित व्यक्तियों को भुगतान करने हेतु उपाध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 06.08.2008 में उक्त सीमा तक छूट प्रदान की जानी होगी कि धारा 4 के उपरांत/पूर्व रजिस्ट्री/इकरारनामा/मुख्तारेआम/हिबैनामा/खतौनी के आधार पर स्थल पर निर्माणों के सत्यापन होने के उपरांत भुगतान एवं विस्थापित कोटे में निशुल्क 75 वर्गमी. भूखण्ड दिये जाने हेतु विचारार्थ।

4. यदि बिन्दु संख्या 3 पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाता है तो दृष्टांत नही माना जायेगा तथा प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय उपरांत प्राप्त होने वाले प्रकरणों पर भी विचार नही किया जायेगा। इस प्रकार यह अंतिम होगा, विचारार्थ प्रस्तुत।

(दिलीप कुमार)
सर्वेयर- अर्जन
ल० वि० प्रा० लखनऊ

(राम प्रताप सिंह)
अर्जन अमीन
ल०वि०प्रा०

(केदार नाथ त्रिपाठी)
पैरोकार - अर्जन
ल० वि० प्रा०

डा० जितेन्द्र कटियार
तहसीलदार
ल०वि०प्रा०, लखनऊ

एम० अहमद
प्रभारी अधिकारी-अर्जन
ल०वि०प्रा०, लखनऊ।

तथ्यामक टिप्पणी

1. अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत धारा 4/17 की अधिसूचना दिनांक 05.09.2000 को प्रकाशित होने के उपरांत योजना के अन्तर्गत आने वाले ग्रामो में पुराने निर्माण/भवनो को सूचीबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र ''दैनिक जागरण'' में दिनांक 05.10.2000 को इस आशय की विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गई थी कि

''ऐसे समस्त भवन स्वामियों को एतदद्वारा सूचित किया जाता हैं कि वे दिनांक 12 अक्टूबर 2000 तक अपने निर्मित भवन के फोटोग्राफ जिसके पीछे भवन स्वामी का नाम/पिता का नाम तथा भूमि खसरा नम्बर, ग्राम आदि अंकित हो तथा स्वामित्व की पुष्टि हेतु अभिलेख की प्रमाणित प्रति एवं स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ 6 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,लखनऊ स्थित विकास प्राधिकरण के कक्ष सं. 76 में सम्पर्क करें।

इस तिथि के उपरांत सूची में कोई भवन सम्मिलित नही किया जायेगा''

2. उपरोक्त के कम में अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत 494 प्रार्थना पत्र विभिन्न व्यक्तियों द्वारा प्राधिकरण में प्रस्तुत किये गये थे (एन.एच.आई के एलाईमेंट में आने वाले 77 निर्माणों के प्रार्थना भी सम्मिलित थे)। अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत एन.एच.आई द्वारा निर्माणाधीन लखनऊ बाईपास के एलाईमेंट में आने वाली 77 निर्माणों को हटाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 07.07.03 को बैठक आहूत हुई थी। लखनऊ बाईपास के एलाईमेंट में आने वाली 77 निर्माणों के प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में दिनांक 07.07.03 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में जिन बिन्दुओं पर सहमति बनी थी, के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष परिचालन के माध्यम से दिनांक 19.07.03 में प्रस्तुत हुआ था। जिसकी पुष्टि प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 6.10.03 में की गई। प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के आलोक में एन.एच.आई. के एलाईमेंट में आने वाले 32 निर्माण जिसमें लोग रह रहे थे द्वारा समझौता प्रपत्र दाखिल कर निर्माणों का प्रतिकर भुगतान प्राप्त किया गया तथा प्राधिकरण द्वारा वैकल्पिक भूखण्ड/भवन आवंटित किया गया तथा इन सभी को 6 माह का किराया भी भुगतान किया गया। एनएच.आई के एलाईमेंट में आने वाले अन्य लोगो द्वारा समझौता प्रपत्र प्रस्तुत नही करने के कारण तत्समय उनका भुगतान नही किया गया तथा कार्य के आवश्यकता के दृष्टिगत एन.एच.आई के एलाईमेंट में आने वाले सभी निर्माणों को हटा दिया गया।

(सिंह)
अमीन
त्रिपाठी

3. भूमि अधिग्रहण के प्रकरण में परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वासन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2003 जिसे राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.04 को अंगीकृत किया गया था तथा तत्कालीन मा. मुख्यमंत्री की घोषणा के कम में विनियमित/पुर्नवासित करने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 09.05.05 में प्रस्तुत किया गया था जिसमें विस्थापितो के निर्माण के बदले 75वर्गमी. निशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया तथा उसके अतिरिक्त क्षेत्रफल जो प्राधिकरण के सेक्टर दर पर दिये जाने का निर्णय हुआ था,जिसके कम में 494 में से 335 को भूखण्ड/भवन आवंटित किये गये जिसमें एन.एच.आई के एलाईमेंट में आने वाले 32 व्यक्ति भी सम्मिलित है।

4. अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना की तिथि दिनांक 12.10.2000 तक अपने निर्माणों के फोटो सहित प्रार्थना पत्र कार्यालय में जमा नही किये गये थे, परन्तु निर्धारित तिथि के बाद प्रस्तुत किये गये थे, के सम्बन्ध में *तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 16.06.07 को एक समिति का गठन किया गया था। उक्त गठित समिति में अधिशासी अभियन्ता जोन-9, 3, 1, लेखाधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार थे* गठित समिति द्वारा अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अर्जित भूमि पर बने निर्माणो के सम्बन्ध में दिये गये साक्ष्यों के निस्तारण हेतु दिनांक 27.6.07 को बैठक हुई थी, जिसमें समिति द्वारा 298 प्रार्थना पत्रों की जांच की गई, जिसमें 113 पात्र व्यक्तियों के मूल अभिलेखों का अवलोकन करने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया था. दिनांक 10.07.07 व 11.07.07 को सम्बन्धित व्यक्तियों के मूल अभिलेखों की जांच समिति द्वारा की गई तदुपरांत 40 पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार की गई, जिसका अनुमोदन उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 15.10.07 को किया गया, परन्तु इन 40 के सम्बन्ध में कोई अंतिम निर्णय नही हो सका।

5. अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना में स्थित निर्माणों के विस्थापितों के सम्बन्ध में दिनांक 03.12.07 को आयुक्त,लखनऊ मण्डल की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत हुयी थी, जिसमें उपाध्यक्ष, सचिव व अन्य अधिकारी उपस्थित थे बैठक में इस प्रकरण पर चर्चा हुई तथा यह मत स्थिर हुआ कि प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों के व्यक्यिो को पुनः एक अवसर प्रदान किया जाये तदुपरांत इनके प्रकरण पर विचार कर लिया जाये। इन प्रार्थना पत्रों पर सुन्वाई हेतु *तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 03.01.08 को डिप्टी कलेक्टर-अर्जन, अधिशासी अभियन्ता जोन-1, लेखाधिकारी, नायब तहसीलदार, सम्पत्ति अधिकारी व सहायक अभियन्ता अर्जन की टीम का गठन किया गया था* तथा यह भी निर्णय लिया गया था कि गठित समिति द्वारा दिनांक 12.10.2000 के उपरांत प्राप्त प्रार्थना पत्रों, अभिलेखों, साक्ष्य आदि का पुनः परीक्षण करते हुये अभीतक प्राप्त 729 व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाये तथा दिनांक 31.12.07 के पश्चात किसी भी प्रार्थना पत्र पर विचार नही किया जायेगा। योजना में प्राप्त 729 प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई हेतु

(सिंह)

समाचार पत्रों में एक सूचना प्रकाशित करायी गई थी। प्राप्त 729 प्रार्थना पत्रों की सुनवाई गठित समिति द्वारा की गई तथा सुनवाई के समय 103 प्रार्थना पत्र और प्राप्त हुये, जिनकी सुनवाई भी गठित समिति द्वारा की गई थी। समिति द्वारा दिनांक 21.01.2008 से 31.01.08 के मध्य सुनवाई की गई एवं उनके अभिलेख देखे गये। इस प्रकार समिति द्वारा 31 जनवरी 2008 तक कुल 832 व्यक्तियों की सुनवाई की गई एवं उनके अभिलेख का परीक्षण किया गया। सुनवाई के पश्चात समिति द्वारा निम्नानुसार संस्तुति की गई।

क.सं.	विवरण	संख्या
1	मानक के अनुसार भवन जो वर्ष 2000 के पूर्व के है	4
2	मानक के अनुसार नही है, परन्तु स्थल पर रहते है तथा निर्माण वर्ष 2000 के पूर्व के है	16
3	मानक के अनुसार नही है, परन्तु स्थल पर नही रहते है तथा निर्माण वर्ष 2000 के पूर्व के है	18
4	निर्माण है तथा रहते है परन्तु वर्ष 2000 से पूर्व के निर्माण के अभिलेख नहीं है	60
5	निर्माण है तथा नही रहते है, परन्तु वर्ष 2000 से पूर्व के निर्माण के अभिलेख नही है	66
6	पूर्व में निर्माण का मूल्यांकन हो चुका है, परन्तु वर्तमान में निर्माण नही है	8
7	पूर्व में वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित हो चुके है	9
8	ऐसे प्रार्थना पत्र जिनका स्थल पर निर्माण नही है न ही कोई साक्ष्य है	554
9	ऐसे प्रकरण जिनके भू-स्वामित्व के पेपर धारा 4 के पश्चात के है	39
10	ऐसे प्रकरण जिनके भू-स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध नही है	58
	कुल	832

6. उपरोक्त के दृष्टिगत तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा क्रमांक 4, 5 व 6 पर अंकित 134 मामलों के सम्बन्ध मे क्रमांक 1,2,3 पर अंकित 38 व्यक्तियों में से किन्ही 5 व्यक्तियों से इस आशय का हलफनामा कि उनके निर्माण वर्ष 2000 के पूर्व के है, के सम्बन्ध में नोटराईस हलफनामा देने के पश्चात इन व्यक्तियों को भी पुर्नवास नीति के अन्तर्गत 75 वर्गमी. का भूखण्ड निशुल्क आवंटित किये जाने व अभियन्त्रण खण्ड द्वारा नियमानुसार इन निर्माणों का मूल्यांकन प्रांकलन तैयार कराकर सम्बन्धित व्यक्ति को भुगतान किये जाने की संस्तुति का अनुमोदन उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 23.07.08 को किया गया।

7. समिति की रिपोर्ट पर ग्राम वासियों द्वारा आपत्ति की गई कि उनके निर्माणों को सूची में सम्मिलित नही किया गया है तदुपरांत उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 06.08.08 को आदेशित किया गया कि *"प्रत्येक गृह स्वामी का अपने भवन के सामने खड़ा करके फोटो खिचवा लिया जावे, नोटरी अफिडेविड के साथ भी आवेदक भवन स्वामी द्वार फोटो लगाया जायेगा तथा स्थल सत्यापन हेतु समिति उक्त फोटो सत्यापित करके अपनी आख्या में लगायेगी। वर्ष 2000 में भूमि अधिग्रहण*

उपरांत नोटिफिकेशन की पूर्व की स्थिति से सम्बन्धित अभिलेख अवश्य ले लिये जायें, इकरारनामा मान्य नही होगा, वर्ष 2000 की अधिसूचना के पूर्व से बैनामे भवन स्वामी सम्बन्धि अन्य अभिलेख यथापानी, बिजली, सम्पत्ति कर की सत्यापित प्रतिलिपियां एवं वोटरलिस्ट की कापी प्राप्त कर ली जाये, एक सप्ताह में समस्त कार्यवाही पूर्ण करके सुस्पष्ट आख्या संस्तुति बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत की जावे'।

8. तत्कालीन उपाध्यक्ष के आदेश दिनांक 06.08.08 के अनुपालन में अभियन्त्रण खण्ड के सहायक अभियन्ता श्री अशुतोष श्रीवास्तव, श्री मनोज मिश्र, अवर अभियन्ता श्री अरविन्द पांन्डे द्वारा निमार्णो का स्थिलीय सत्यापन किया गया तथा अभियन्त्रण खण्ड द्वारा दिनांक 01.09.08 को उपलब्ध करायी गई स्थलीय सत्यापन आख्या के कम में एक प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 06.09.08 में प्रस्तुत हुआ था तथा 159 प्रकरणों के सापेक्ष 39 व्यक्तियों एवं इसके पश्चात प्राप्त 832 आवेदनो के सापेक्ष 172 कुल 211 व्यक्तियों को पुर्नवास नीति के अन्तर्गत 75 वर्गमी. का भूखण्ड निशुल्क उपलब्ध कराने तथा उनके निर्माण का मूल्यांकन तैयार कराकर अपर जिलाधिकारी के माध्यम से निर्माणो का नियमानुसार प्रतिकर भुगतान करने का निर्णय लिया गया। बोर्ड बैठक में यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था कि उक्त सूची के अतिरिक्त स्थल पर स्थित निर्माण जिनके भूस्वामित्व नही प्रस्तुत किये गये है भूस्वामित्व प्रस्तुत करने के उपरांत भूस्वामित्व की पुष्टि होने पर उनको 75 वर्गमी. का भूखण्ड निशुल्क उपलब्ध कराये जाने तथा उंनके निर्माण का मूल्यांकन तैयार कराकर अपर जिलाधिकारी-भू.अ. के माध्यम से निर्माणो का नियमानुसार प्रतिकर भुगतान करने की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया था।

9. प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में *उपाध्यक्ष के कार्यालय आदेश दिनांक 21.10.08 के आलोक में सचिव की अध्यक्षता में संयुक्त सचिव, संयुक्त निदेशक(भू.वि.) अधिशासी अभियन्ता(श्री आर.एन.सिह) नगर नियोजक श्री रवि जैन की एक समिति गठित की गई।* उक्त समिति द्वारा पुर्नवास योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माणों की फोटोग्राफी एवं भू-स्वामित्व प्रमाणित होने के बाद सूची 1 तैयार की गई जिनको भूखण्ड प्रस्तावित किया जाना तथा आवंटन के पश्चात सम्बन्धित व्यक्तियों से प्राधिकरण की शर्तो के अनुपालन के सम्बन्ध में शपथ पत्र लेकर अग्रिम कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई, जिसका अनुमोदन उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 19.11.08 को करते हुये निर्देश दिया गया कि विस्थापित कोटे से मिले प्लाट 10 वर्षो तक नही बेचे जाये ,क्योकि यह निशुल्क दिये जा रहे है।

10. उपाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरांत सूची 1 के कुल 207 व्यक्तियों के अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना में 75 वर्गमी. का भूखण्ड निशुल्क लाटरी के माध्यम से दिनांक 16.12.2008 को आवंटित किया गया, बाद में अभियन्त्रण खण्ड द्वारा 61 अन्य व्यक्तियों को भी

(सिंह)

लाटरी के माध्यम से 75 वर्गमी. का निशुल्क भूखण्ड दिनांक 16.01.2010को आवंटित किया गया। प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के अनुपालन इन व्यक्तियों जिनको पुर्नवास नीति के अन्तर्गत निशुल्क भूखण्ड का आवंटन किया गया था, के निर्माणों का मूल्यांकन अभियन्त्रण खण्ड के माध्यम से तैयार कराया गया था, जिसके भुगतान की कार्यवाही अपर जिलाधिकारी-भू.अ. के माध्यम से की जानी थी, परन्तु अपर जिलाधिकारी-भू.अ. द्वारा इन परिसम्पत्तियों का भुगतान प्राधिकरण स्तर से किये जाने की अपेक्षा की गई है, जिसके क्रम में प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था एवं लिये गये निर्णय के क्रम में परिसम्पत्तियों का प्रतिकर भुगतान प्राधिकरण स्तर से हितबद्ध व्यक्तियों को किया जा रहा है।

11. गोमती नगर जनकल्याण समिति द्वारा 128 व्यक्तियों की सूची उपलब्ध कराते हुए योजना में मौके पर पूर्व में बने हुये निर्माणों, जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया है तथा अभी भी बने हुए निर्माण एवं उसमे उनके परिवार के निवासित होने के आधार पर प्रतिकर एवं पुर्नवासन की मांग की जाने लगी, जिसके क्रम में अभियन्त्रण खण्ड द्वारा योजना में प्राप्त 128 प्रार्थना पत्रों को सूचीबद्ध करते हुए विभागीय पत्र सं. 358/अधि.अभि.-3/2011 दिनांक 29.08.11 के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था तथा तत्पश्चात 128 प्रार्थना पत्रों की सूची में उल्लेखित निर्माणकर्ताओं के निर्माणों के सम्बन्ध में स्थलीय सत्यापन करते हुये विभागीय पत्र सं. 471/अधि.अभि. जोन-3/11 दिनांक 24.10.11 के माध्यम से आख्या उपलब्ध करायी गई थी। बाद में 6 प्रार्थना पत्र और प्राप्त होने पर कुल आवेदकों की संख्या 134 हो गई। इन आवेदकों को परीक्षणोपरांत निम्नानुसार ग्रुप मे विभाजित किया गया है:-

12. प्रकरण में अभियन्त्रण खण्ड द्वारा कुल 54 प्रकरणों में परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री भीमबहादुर श्रेष्ठ को पूर्व में भूखण्ड सं. 6/154 आवंटित होने के कारण 54 की सूची से इनका नाम पृथक करते हुए 53 व्यक्तियों को मूल्यांकित धनराशि का भुगतान किये जाने तथा इन निर्माणकर्ताओं को विस्थापित कोटे में भूखण्ड आवंटन करने पर निर्णय लिया जाना है। इन 53 व्यक्तियों की सूची निम्नवत है:-

क्र.सं.	निर्माण की स्थलीय स्थिति	व्यक्तियो की संख्या	भू-स्वामित्व की स्थिति	निर्माण की स्थिति	प्रस्तर 09 में वर्णित 07 श्रेणीवार विस्थापितों की स्थिति
1	निर्माण है तथा आवासित है।	1	पंजीकृत बैनामा धारा 4/17 के पूर्व का	निर्माण की पुष्टि है तथा भवन आवासित है।	1. श्री रमाकान्त राय पुत्र श्री राम चन्द्र राय
		5	पंजीकृत बैनामा धारा 4/17 के पूर्व का	निर्माण की पुष्टि है।	1. श्रीमती मंजुला पत्नी एन.एन. सिंह, 2. श्री चन्द्रभानु सिंह 3. श्री मातारवर सिंह यादव, 4 श्री अजय कुमार यादव पुत्र श्री रामलखन यादव 5. श्री आशीष कुमार डे पुत्र स्व0 देवेन्द्र नाथ डे
		24	इकरारनामा	निर्माण की पुष्टि है	1. श्री हरिमंगल सिंह पुत्र स्व0 माता प्रसाद 2. श्री शकील अहमद पुत्र श्री अतीक अहमद

				तथा भवन आवासित है।	3. श्री अतुल यादव पुत्र श्री रमेश चन्द्र 4. श्री ठाकुर प्रसाद पाण्डेय पुत्र श्री ध्रुव नरायन पाण्डेय 5. कमला देवी पत्नी श्री कन्हई लाल 6. रमेश चन्द्र रावत पुत्र श्री कन्हई लाल 7. श्री कैलाश नाथ मुखरैया 8. श्री राम सजीवन कनौजिया पुत्र श्री सत्यनरायन 9. श्री राम धीरज पुत्र श्री बेकारू 10. श्री लक्ष्मी शंकर पुत्र श्री राजबहादुर 11. श्री मुन्ना लाल पुत्र श्री मैकूलाल 12. श्री भगवती प्रसाद पुत्र श्री शंकर 13. श्री टुन्नी पुत्र श्री अब्दूल रहमान 14. श्री रमजान अली पुत्र श्री मो0 आकूब 15. श्री सन्तोष कुमार साहू पुत्र श्री लुक्कालू साहू 16. श्री बलराम पुत्र श्री राजाराम 17. श्री मेवालाल गुप्ता पुत्र स्व0 ननकऊ 18. श्री सन्तोष कुमार पुत्र स्व0 जगदेव 19. श्री बासुदेव पुष्कर पुत्र स्व राजपतिराम 20. श्रीमती उर्मिला चौधरी पत्नी श्री रामकृष्ण परमहंस 21. श्रीमती सुमित्रा चौधरी पत्नी श्री हरि राम चौधरी 22. श्री शंकर सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह 23. रेखा यादव
		8	पंजीकृत बैनामा धारा 4/17 के पश्चात का		1. श्री प्रदीप कुमार वर्मा पुत्र श्री दुख हरन नाथ वर्मा 2. श्री हरीराम पुत्र श्री महादेव 3. कु0 अंजली शर्मा पुत्री श्री पी0पी0शर्मा 4. श्री रामप्रेमपाल पुत्र श्री पुरूषेत्तम पाल 5. श्री राम मनोहर पुत्र श्री देव नरायन 6. श्री राम चन्दरपाल पुत्र श्री कन्हैयालाल 7. श्री रामप्यारी तिवारी पत्नी श्री हरिशंकर तिवारी 8. श्री छत्रपाल सिंह पुत्र श्री राम अवतार पटेल
		कुल 38			
2	निर्माण ध्वस्त है	11	पंजीकृत बैनामा धारा 4/17 के पूर्व का	निर्माण ध्वस्त करने की पुष्टि अभियन्त्रण खण्ड द्वारा की गई है।	1. श्री राहुल मिश्रा 2. श्री बृजेश कुमार पोरवार द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह 3. श्रीमती अनिता श्रीवास्तव 4. श्री मुकुल मिश्रा आत्मज् श्रीमती सावित्री 5. श्री वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव 6. श्री रविन्द्र सिंह सिसौदिया 7. श्रीमती रेनू केशरवानी पत्नी श्री प्रदीप कुमार केशरवानी 8. श्री अनिल कुमार पोरवाल 9. श्री रिखन देव 10. श्री बिन्द्रावति 11. श्रीमती अल्पना सिंह पत्नी डा0 भगवान दास सिंह
		01	हिबैनामा		श्रीमती शबनम बानो पत्नी श्री अशफाक हुसैन
		01	खतौनी 1407–1414 फसली		श्री धन्नू पुत्र श्री घिसवान
		कुल 13			
		01	पंजीकृत बैनामा धारा 4/17 के पूर्व का	निर्माण ध्वस्त करने की पुष्टि अभियन्त्रण खण्ड द्वारा नही की गई है यद्यपि निर्माण पूर्व से	1. श्री अजय प्रताप सिंह पुत्र नन्दलाल सिंह
		01	हिबैनामा		1. श्रीमती इशरत जहॉ पत्नी श्री इस्तीफा हुसैन
		01	खतौनी 1407–1414 फसली		1. श्री जियाउल इस्लाम पुत्र जलाउददीन

(सिंह)

				मूल्यांकित है।	
		कुल 03			
	महायोग	53			

13. इन निर्माणकर्ताओं के प्रकरण को विभागीय पत्र सं. 1635/एसी/एसडीएम/^2 दिनांक 14.09.12 एवं 295/एसी/वीसी/2013 दिनांक 09.09.13 के माध्यम से यथोवित सर्वे आख्या एवं अभिमत सहित शासन को कार्यवाही हेतु सन्दर्भित किया गया है, जिसमें निम्नानुसार शासन को अवगत कराया गया है, शासन से अभी निर्देश अपेक्षित है।

39 व्यक्तियों के ग्रुप:- इनमें 7 निर्माणकर्ता के भूमि के स्वामित्व धारा 4/17 के पहले के, 24 निर्माणकर्ताओ के भूमि के स्वामित्व इकरारनामा के आधार पर, 8 निर्माणकर्ताओं के भूमि के स्वामित्व धारा 4/17 के पश्चात के अभिलेख है। इन 39 व्यक्तियों के ग्रुप को बिना अन्यत्र विस्थापित किये गोमती नगर विस्तार योजना का विकास कार्य करने में कठिनाई हो रही है।

16 व्यक्तियो का ग्रुप:- जिनमें 11 व्यक्ति ऐसे है जिनके भूमि स्वामित्व के अभिलेख पंजीकृत बैनामा है जो धारा 4/17 के पूर्व के, एक व्यक्ति के भू-स्वामित्व के अभिलेख हिबैनामा के आधार पर, एक व्यक्ति का भू-स्वामित्व का अभिलेख खतौनी 1407फसली के आधार के है, जिनके निर्माणो को ध्वस्त करने की पुष्टि अभियन्त्रण खण्ड द्वारा की गई है तथा 03 ऐसे व्यक्ति है जिनके निर्माणों की पुष्टि अभियन्त्रण खण्ड द्वारा नही की गई है, किन्तु इनके निर्माणों को पूर्व में अभियन्त्रण खण्ड द्वारा मूल्यांकित किया गया है।

79 व्यक्तियों का ग्रुप:-79 व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र विचार करने योग्य नही पाये गये क्योंकि अभियन्त्रण खण्ड की स्थलीय जांच में इनके निर्माणो की पुष्टि नही हुई है, जिसके कारण इनको विस्थापित का लाभ दिये जाने का औचित्य नही पाया गया।

(दिलीप कुमार) (राम प्रताप सिंह) (... नाथ त्रिपाठी)
सर्वेयर- अर्जन अर्जन अमीन ...
ल०वि०प्रा०

विषय : राष्ट्रीय कथक संस्थान को गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर–7 में आवंटित/लीज पर निबन्धित भूखण्ड सं0–7/27 पर तालाब की भूमि पड़ जाने के कारण इसी सेक्टर में भूखण्ड समायोजन/लीज डीड पर आने वाला स्टैम्प आदि का व्यय प्राधिकरण को वहन किये जाने के सम्बन्ध मे।

विषय वस्तु : राष्ट्रीय कथक संस्थान को गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर–7 में भूखण्ड सं0–7/27 क्षेत्रफल 4510.65 वर्ग मीटर आवंटित किया गया था। संस्था द्वारा पूर्ण धनराशि जमा कराने के उपरान्त भूखण्ड की लीज डीड प्राधिकरण द्वारा निष्पादित की गयी, जो निबन्धन कार्यालय में दिनांक 25.3.2013 को पंजीकृत है। स्थल पर संस्था द्वारा निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने पर यह पता चला कि तालाब की भूमि पर भूखण्ड स्थित है। अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) को अर्जन विभाग द्वारा दिनांक 26.11.2014 को पत्र निर्गत किया गया कि यह भूमि किस खसरा नम्बर पर पड़ती है, जिसकी अद्यतन स्थिति बताने का कष्ट करें।

अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) नगर महापालिका–प्रथम लखनऊ के पत्र संख्या–1616/8(भू0अ0)/न0म0पा0–प्रथम/लखनऊ दिनांक 28.11.2014 द्वारा अवगत कराया गया है कि अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत ग्राम–अरदौनामऊ पर0 तह0 व जिला लखनऊ के खसरा सं0–108 रकबा 1–12–0–0 बीघा भूमि का कब्जा लखनऊ विकास प्राधिकरण को नही दिया गया है और न ही अभिनिर्णय धारा–11(1) व 11(2) के अन्तर्गत हुआ है। चूँकि उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में खसरा में तालाब के रूप में दर्ज होने के कारण राज्य सरकार में निहित है। भूमि का प्रतिकर किसी भी व्यक्ति को नही दिया गया है।

तदोपरान्त उक्त भूखण्ड के स्थान पर भूखण्ड सं0–7/14बी समायोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर के अनुसार स्टैम्प ड्यूटी की देयता रू0–83,49,900/– एवं रजिस्ट्रेशन फीस रू0–10,040/– कुल धनराशि रू0–83,59,940/– प्राधिकरण को वहन करना पड़ रहा था। संस्था/प्राधिकरण के अधिकारियों के मध्य विचारोपरान्त यह मत स्थिर किया गया कि भूखण्ड नम्बर यथावत रखते हुए भूखण्ड का स्थल परिवर्तित कर दिया जाय। परिवर्तित/समायाजित होने के उपरान्त उक्त भूमि का तितम्मा प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किया गया, जो निबन्धन कार्यालय में दिनांक 27.3.2015 को पंजीकृत है। संस्था द्वारा अपने पत्र दिनांक 18.4.2015 द्वारा यह अवगत कराया गया कि भूखण्ड सं0–7/27 नीव की खोदाई करते हुए प्राइवेट बिल्डर्स की पड़ रही बाउण्ड्रीवाल गिर गयी एवं

मौके पर बिल्डर्स द्वारा यह बताया गया कि यह प्लाट एल0डी0ए0 का नही है। उक्त भूमि अरदौनामऊ खसरा सं0–127 एल0डी0ए0 द्वारा अधिग्रहीत नही किया गया तथा कराये जा रहे कार्य को बिल्डर्स द्वारा रूकवा दिया गया है। संस्था द्वारा उक्त भूखण्ड के स्थान पर परिवर्तित/समायोजित भूखण्ड सं0–7/14बी गोमती नगर विस्तार सेक्टर–7 पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करा लिया गया था। संस्था का अनुरोध है कि परिवर्तित/समायोजित भूखण्ड सं0–7/14बी क्षेत्रफल 4510.65 वर्ग मीटर का लीज डीड निष्पादित करा दी जाय। इस पर कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार स्टैम्प शुल्क रू0–18,61,500/– एवं निबन्धन शुल्क रू0–10,040/– तथा पूर्व निष्पादित लीज डीड भूखण्ड स0–7/27 को सरेण्डर किये जाने हेतु रू0–500/– इस प्रकार कुल रू0–18,72,040/– का व्ययभार प्राधिकरण को वहन करना होगा।

प्रस्ताव : उक्त तथ्यों के आलोक में राष्ट्रीय कथक संस्थान को पूर्व में आवंटित/लीज पर निबन्धित भूखण्ड सं0–7/27 क्षेत्रफल 4510.65 वर्ग मीटर के स्थान पर भूखण्ड सं0–7/14बी क्षेत्रफल 4510.65 वर्ग मीटर का समायोजन किये जाने एवं लीज डीड निष्पादन पर स्टैम्प शुल्क रू0–18,61,500/– एवं निबन्धन शुल्क रू0–10,040/– तथा पूर्व निष्पादित लीज डीड भूखण्ड सं0–7/27 को सरेण्डर किये जाने हेतु रू0–500/– इस प्रकार कुल रू0–18,72,040/–का व्ययभार प्राधिकरण को वहन किये जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

(अनिल कुमार ...) 12/5/15
अनुभाग अधिकारी
(...) विकास प्राधिकरण

(...)
... अधीक्षक

उप सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

(एन. एन. सिंह)
संयुक्त सचिव

विषय संख्याः 11 पृष्ठ संख्याः 90

विषयः खसरा सं0—274 एवं 275, ग्राम—सरसवाँ, तहसील—मोहनलालगंज, जिला—लखनऊ, सुल्तानपुर रोड के भू—उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

आख्या :

खसरा सं0—274 एवं 275, ग्राम—सरसवाँ, तहसील—मोहनलालगंज, जिला—लखनऊ, सुल्तानपुर रोड की भूमि गोमतीनदी के दांये तट पर नदी से लगभग 465 मी0 दूरी पर स्थित भूमि के भू—उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्ताव दिनांक 28.02.2015 की बोर्ड बैठक में विषय सं0—12 अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिस पर निम्नवत् निर्णय लिया गयाः—

"खसरा संख्या—274 एवं 275 ग्राम—सरसवां, तहसील—मोहनलालगंज, लखनऊ, सुल्तानपुर रोड की भूमि क्षेत्रफल 0.9778 हे0 के 'मनोरंजनात्मक' (पार्क, खुला स्थल/हरित पट्टी) भू—उपयोग से नियमानुसार परिवर्तन शुल्क प्राप्त करते हुए 'आवासीय' भू—उपयोग में परिवर्तित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर विचार—विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता मे अपर जिलाधिकारी (वि. एवं रा.), मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा नामित अधिशासी अभियन्ता, मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक, उ0प्र0, मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0 के द्वारा समिति की संस्तुति/आख्या के आधार पर तथ्यपरक प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया। "

उपरोक्त निर्णय के कम में प्रकरण पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 01.04.2015 तथा दिनांक 14.05.2015 को बैठक सम्पन्न की गयी है। समिति द्वारा सम्यक परीक्षणोपरान्त निम्न संस्तुति की गयी हैः—

"समिति के सदस्यों द्वारा खसरा प्लान पर सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित बंधा निर्माण के संरेखण के मानचित्र के साथ प्रस्ताव का परीक्षण किया गया है। प्रस्तावित बंधा तथा प्राधिकरण द्वारा विकसित/विकसित की जा रही 45 मी0 महायोजना मार्ग के बीच भूमि पट्टी के रूप में स्थित है (मानचित्र की प्रति अनुलग्नक—1 पर संलग्न)। प्रस्तावित बंधे का निर्माण करने पर 45 मी0 मार्ग तथा बंधे के मध्य स्थित भूमि को शहरीकरण के विकास में उपयोग किया जा सकता है परन्तु महायोजना—2021 के अन्तर्गत दर्शित यह 'मनोरंजनात्मक' (पार्क, खुला स्थल/हरित पट्टी) भूमि के दृष्टिगत मात्र इन दो खसराओं को आवासीय में परिवर्तन किये जाने समुचित अध्ययन की

आवश्यकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि महायोजना में दर्शित 'मनोरंजनात्मक' (पार्क, खुला स्थल/हरित पट्टी) भूमि को आवासीय परिवर्तन हेतु समतुल्य भूमि महायोजना के अन्तर्गत 'मनोरंजनात्मक' (पार्क, खुला स्थल/हरित पट्टी) भूमि को अन्यंत्र स्थान पर महायोजना में आरक्षित किया जाना आवश्यक है। ग्रीन बेल्ट या हरित पट्टी को कहीं प्रस्तावित करना आवश्यक है। अतः भूमि का संरक्षण एवं अधिकतम सदुपयोग के दृष्टिगत उचित होगा कि महायोजना की संरचना के अन्तर्गत समग्र रूप से प्रकरण पर अध्ययन कर प्रस्तावित बंधा तथा 45 मी0 चौडे मार्ग के सम्मुख की पट्टी भूमि को शहरीकरण के अन्तर्गत उपयोग किये जाने हेतु आवासीय भू–उपयोग दर्शित कराने का विचारार्थ समिति द्वारा संस्तुति की जाती है।" (समिति संस्तुति की छायाप्रति अनुलग्नक–2 पर संलग्न)

बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देश पर गठित समिति द्वारा उपरोक्तानुसार की गयी समिति की संस्तुति के क्रम में गोमतीनदी के तट पर प्रस्ताबित बंधा तथा प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही 45 मी0 मार्ग के मध्य भूमि में प्रश्नगत खसरा सं0–274 एवं 275 की 0.9778 हे0 भूमि मे से महायोजना मार्ग से प्रभावित भूमि को छोड कर अवशेष को 'मनोरंजनात्मक' (पार्क, खुला स्थल/हरित पट्टी) भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क प्राप्त करते हुए आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

<u>प्रस्ताव :</u>

उपर्युक्त आख्या के परिप्रेक्ष्य में खसरा सं0–274 एवं 275, ग्राम–सरसवाँ, तहसील–मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ की भूमि 0.9778 हे0 क्षेत्रफल मे से 45 मी0 चौडे मार्ग से प्रस्तावित भूमि को छोडकर अवशेष मनोरंजनात्मक भू–उपयोग (पार्क, खुला स्थल/हरित पट्टी) भू–उपयोग से नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क प्राप्त करते हुये आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। सहमति की दशा में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही उ0प्र0 शासन को संदर्भित किया जायेगा।

अनुलग्नक-1

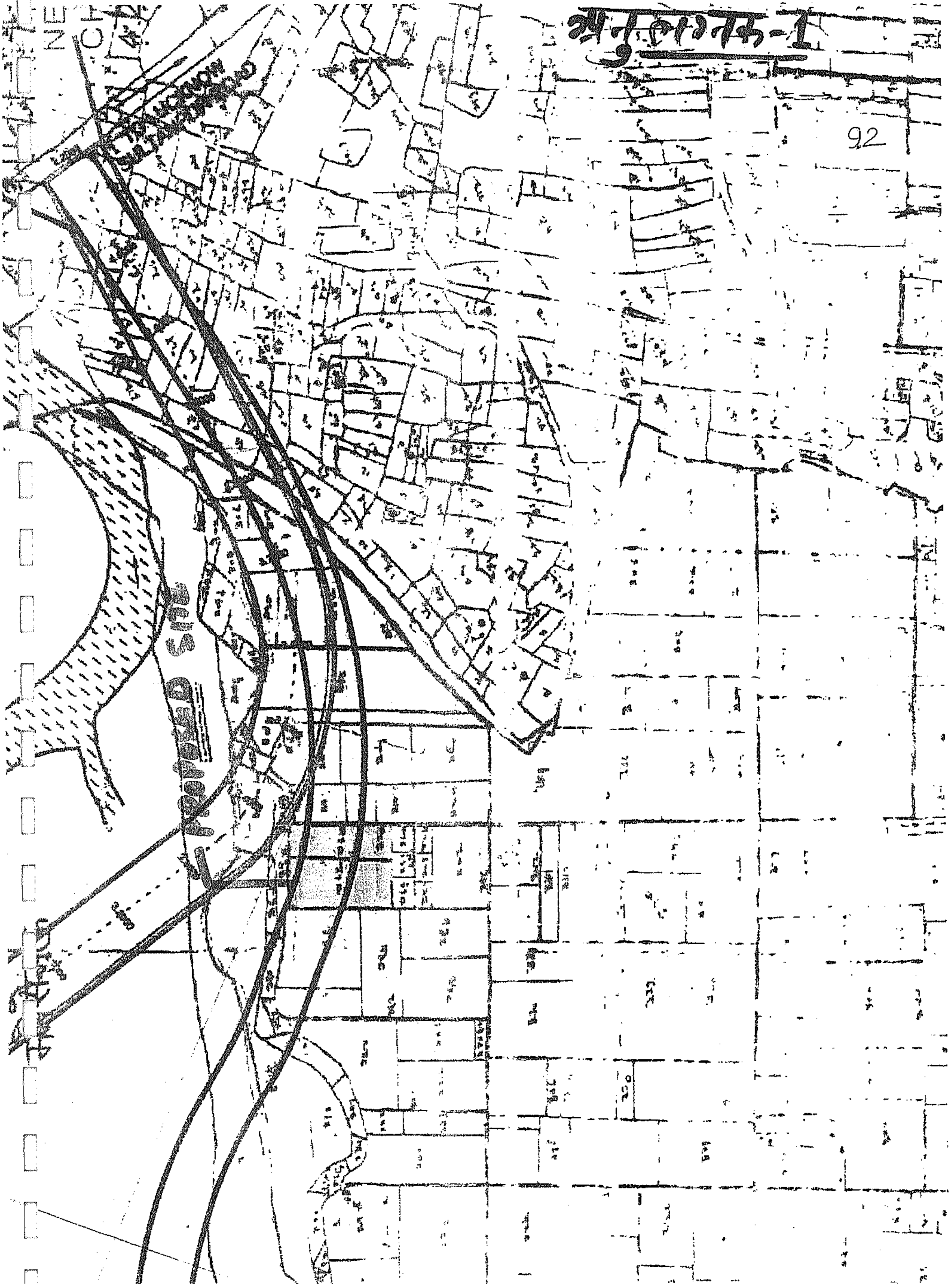

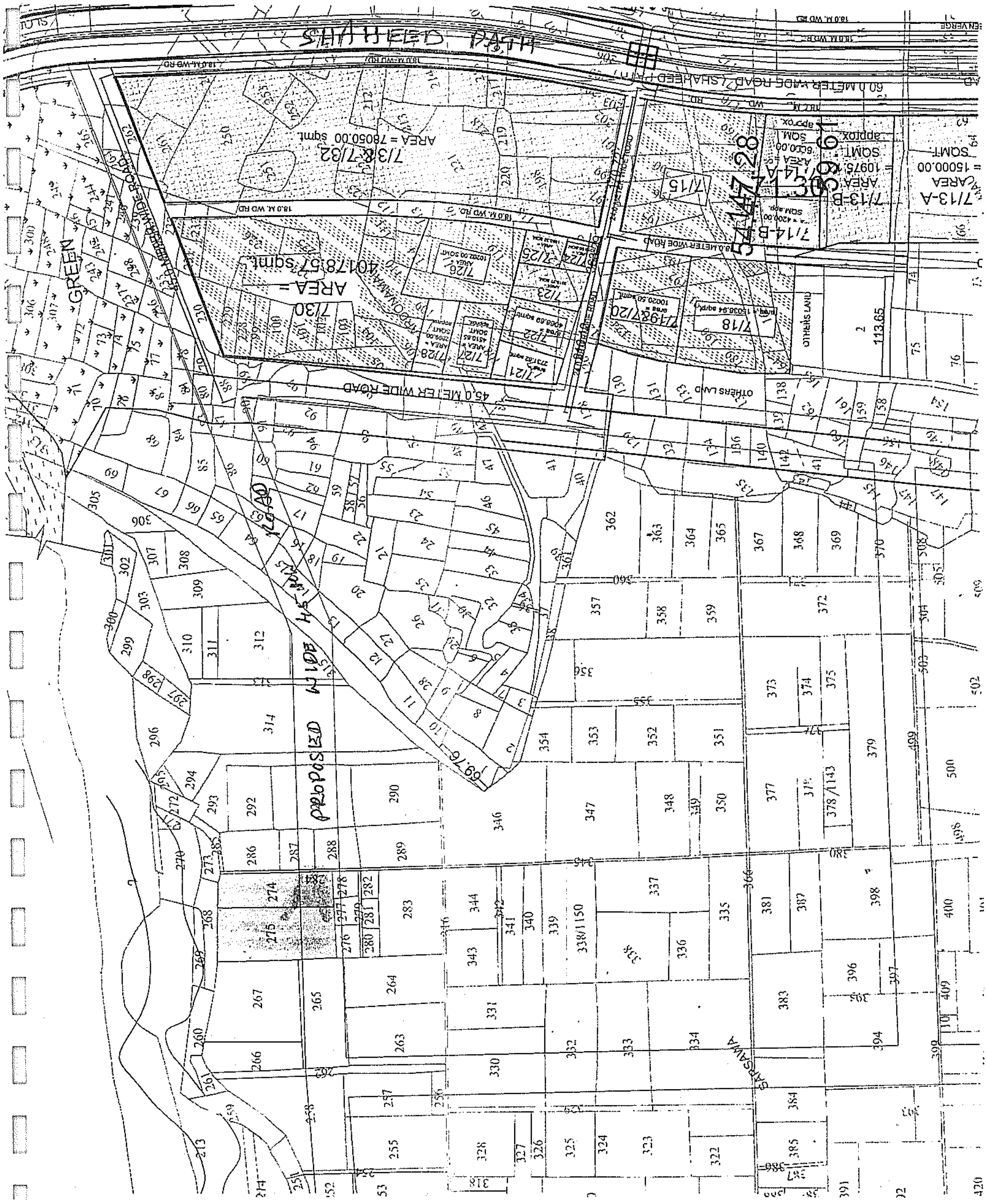
SHAHEED PATH
60.0 METER WIDE ROAD (SHAHEED PATH)
18.0 M. WD RD
7/3 & 7/32
AREA = 78050.00 sqmt.
7/30
AREA = 40178.57 sqmt.
45.0 METER WIDE ROAD
18.0 METER WIDE ROAD
PROPOSED 45 M WIDE ROAD
GREEN
OTHERS LAND
7/13-A
7/13-B
7/14-A
7/14-B
7/15
7/18
7/19 & 7/20
7/21
7/22
7/23
7/24
7/25
7/26
7/27
7/28
SARSAWA

अनुलग्नक-2

खसरा सं0–274 एवं 275, ग्राम–सरसवाँ, तहसील–मोहनलालगंज, सुल्तानपुर रोड, जिला–लखनऊ, के भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 28.02.2015 के अन्तर्गत सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 14.05.2015 का कार्यवृत्त :

उपस्थिति :

1. श्री श्रीश चन्द्र वर्मा, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2. श्री धनंजय शुक्ला, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), लखनऊ।
3. श्री अनिल मिश्र, प्रतिनिधि, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 विभूतिखण्ड, लखनऊ।
4. श्री रूप सिंह यादव, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
5. श्री जे0एन0 रेड्डी, मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

खसरा सं0–274 एवं 275, ग्राम–सरसवाँ, तहसील–मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ, सुल्तानपुर रोड की भूमि गोमतीनदी के दांये तट पर नदी से लगभग 465 मी0 दूरी पर स्थित है। इस भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्ताव दिनांक 28.02.2015 की बोर्ड बैठक में विषय सं0–12 अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिस पर बोर्ड द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गयाः–

"खसरा संख्या–274 एवं 275 ग्राम–सरसवां, तहसील–मोहनलालगंज, लखनऊ सुल्तानपुर रोड की भूमि क्षेत्रफल 0.9778 हे0 के 'मनोरंजनात्मक' (पार्क, खुला स्थल/हरित पट्टी) भू–उपयोग से नियमानुसार परिवर्तन शुल्क प्राप्त करते हुए 'आवासीय' भू–उपयोग में परिवर्तित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता मे अपर जिलाधिकारी (वि. एवं रा.), मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा नामित अधिशासी अभियन्ता, मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक, उ0प्र0, मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0 के द्वारा समिति की संस्तुति/आख्या के आधार पर तथ्यपरक प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।"

उपरोक्त निर्णय के कम में प्रकरण पर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 01.04.2015 को बैठक सम्पन्न की गयी है। बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा खसरा प्लान पर सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित बंधा निर्माण के संरेखण के मानचित्र के साथ परीक्षण करने हेतु पुनः बैठक आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित बंधा तथा प्राधिकरण द्वारा विकसित/विकसित की जा रही 45 मी0 महायोजना मार्ग के बीच में उल्लिखित खसरों की भूमि स्थित है। प्रस्तावित बंधे का निर्माण करने पर 45 मी0 मार्ग तथा बंधे के मध्य स्थित भूमि को शहरीकरण के विकास में उपयोग किया जा सकता है परन्तु यह महायोजना–2021 के अन्तर्गत दर्शित 'मनोरंजनात्मक' (पार्क, खुला स्थल / हरित पट्टी) भूमि के दृष्टिगत मात्र इन दो खसराओं को आवासीय में परिवर्तन किये जाने के स्थान पर पूर्ण भूमि को आवासीय में परिवर्तन किया जाना उचित प्रतीत होता है। बैठक में समिति के

अपर जिलाधिकारी (वि० एवं रा०) लखनऊ

सदस्यों द्वारा खसरा प्लान पर सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित बंधा निर्माण के संरेखण के मानचित्र के साथ पुनः परीक्षण करने हेतु बैठक आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त निर्णय के क्रम में पुनः दिनांक 14.05.2015 को आयोजित बैठक में खसराओं के मानचित्र पर बंधा के संरेखण को दर्शित मानचित्र के साथ प्रस्ताव का परीक्षण किया गया है। 45 मी.0 चौड़े मार्ग का चिन्हीकरण करते हुये विकसित किया जा रहा है परन्तु प्रस्तावित बंधा वर्तमान में विकसित न होने के दृष्टिगत महायोजना में दर्शित 'मनोरंजनात्मक' (पार्क, खुला स्थल/हरित पट्टी) भूमि को आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन किये जाने पर बदले में समतुल्य भूमि को अन्यत्र स्थान पर महायोजना में इस 'मनोरंजनात्मक' (पार्क, खुला स्थल/हरित पट्टी) दर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त भूमि में 45 मी0 चौडे मार्ग विकसित किया गया है तथा विकसित मार्ग के सम्मुख स्थिति भूमि का संरक्षण एवं अधिकतमं सदुपयोग के दृष्टिगत महायोजना–2031 की संरचना के अन्तर्गत समग्र रूप से प्रकरण पर अध्ययन कर सम्पूर्ण 45 मी0 चौडे मार्ग की लम्बाई में सम्मुख भूमि (कुछ नहराई तक) का आवासीय भू–उपयोग में प्रस्तावित किये जाने के विचारार्थ समिति द्वारा संस्तुति की जाती है।

(जे0एन0 रेड्डी)
मुख्य नगर नियोजक,
लखनऊ विकास प्राधिकरण।

(रूप सिंह यादव)
अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई
विभाग, लखनऊ।

(अनिल मिश्र)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
के प्रतिनिधि, नगर एवं ग्राम
नियोजन विभाग, विभूतिखण्ड,
लखनऊ।

(धनंजय शुक्ला)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),
लखनऊ।
(धनंजय शुक्ला)
अपर जिलाधिकारी (वि० एवं रा०)
लखनऊ।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण।

विषय संख्याः 12 पृष्ठ संख्याः 96

विषयः सुल्तानपुर रोड़ से गोमती नगर विस्तार सेक्टर–7 होते हुए गोमती नदी के दोनो तरफ प्रस्तावित बाढ़ सुरक्षा बांध के निर्माण, संरेक्षण, भू–अर्जन व निर्माण लागत के निर्धारण हेतु समिति के गठन पर विचार।

आख्याः

गोमती नगर विस्तार सेक्टर–7 व उसके आस–पास विकसित की जा रही इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स शासकीय परियोजनाएं यथा–चकगजरिया, अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं गोमती नदी के दोनो तरफ स्थित अन्य क्षेत्र की बाढ़ सुरक्षा हेतु सुल्तानपुर रोड से गोमती नदी पर स्थित एक्यूडेक्ट तक बाढ़ सुरक्षा बांध का निर्माण किया जाना आवश्यक/प्रस्तावित है। प्रस्तावित बांध के निर्माण, संरेखण एवं निर्माण लागत के निर्धारण हेतु सचिव, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता मे निम्नानुसार एक समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित हैः–

1. सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण — अध्यक्ष, समिति
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश — सदस्य,
3. वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण — सदस्य,
4. मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण — सदस्य,
5. मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण — सदस्य,
6. अधिशासी अभियन्ता, सिचाई विभाग, उ0प्र0 — सदस्य,
7. प्रभारी अधिकारी, अर्जन लखनऊ विकास प्राधिकरण — सदस्य,
8. अधिशासी अभियन्ता, जोन–3 लखनऊ विकास प्राधिकरण — सदस्य,
9. अधिशासी अभियन्ता (हा0/इंटी0 सेल) लखनऊ विकास प्राधिकरण — संयोजक/सदस्य।

उपरोक्त समिति द्वारा प्रस्तावित बांध के सरेखण, निर्माण, भू–अर्जन एवं निर्माण लागत के निर्धारण के सम्बन्ध में समुचित अध्ययन/परीक्षण कर अपनी संस्तुति यथ शीघ्र उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 को प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावः

सुल्तानपुर रोड़ से गोमती नगर विस्तार सेक्टर–7 होते हुए गोमती नदी के दोनो तरफ प्रस्तावित बाढ़ सुरक्षा बांध के निर्माण, संरेक्षण, भू–अर्जन व निर्माण लागत के निर्धारण हेतु उपरोक्तानुसार समिति के गठन का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(signature) OTP (signature) AR (signature) ER

विषय सं0-13

विषयः— कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर—बी (नगर केन्द्र) के अन्तर्गत तलपट मानचित्र में प्रदर्शित विद्युत सब—स्टेशन को व्यवसायिक तथा पेट्रोल पम्प व ढाबा को तलपट मानचित्र में परिवर्तन कर चबूतरें करने के सम्बन्ध में।

आख्याः—

कानपुर रोड नगर प्रसार योजना—4 के सेक्टर—बी गांव—बरगंवा के सिमेट्री के पास प्राधिकरण की रिक्त भूमि के एक भाग पर किसानों के चबूतरें एवं दूसरे भाग पर व्यवसायिक काम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव है। भूमि के जिस भाग पर किसानों के लिए चबूतरें बनाने का प्रस्ताव किया गया है वह भाग योजना के विन्यास मानचित्र में ढाबा (क्षेत्रफल 1400 वर्ग मी.) एवं पेट्रोलपम्प (क्षेत्रफल 1520 वर्ग मी.) के लिए चिन्हित है। व्यवसायिक काम्प्लेक्स हेतु प्रस्तावित स्थल योजना के विन्यास मानचित्र में विद्युत उपकेन्द्र (क्षेत्रफल 3158 वर्ग मी.) के लिए चिन्हित है। वर्तमान में यह सम्पूर्ण भूमि रिक्त है तथा पेट्रोल पम्प एवं ढाबा के भूखण्ड प्राधिकरण द्वारा आवंटित नहीं किये गये है। कानपुर रोड योजना के सेक्टर डी—' कामर्शियल में पहले से ही 33 के.वी.ए. का विद्युत उपकेन्द्र बना है एवं वर्तमान में लेसा द्वारा संचालित है। स्थल के समीप 1.5 किमी के व्यास के अन्तर्गत पहले से ही दो पेट्रोल पम्प स्थित है तथा अन्य व्यवसायिक गतिविधियां चल रही है। किसान यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ हुई वार्ता के दौरान किसानों को निःशुल्क चबूतरे उपलब्ध कराने हेतु पेट्रोल पम्प एवं ढाबे की भूमि चयनित किये जाने की सहमति बनी है। यह स्थल बरगंवा सिमेट्री से मात्र 25 मी. दूर है जो कि निषिद्ध क्षेत्र में आता है जबकि व्यवसायिक काम्प्लेक्स हेतु प्रस्तावित एवं पूर्व में विद्युत उपकेन्द्र हेतु चिन्हित स्थल बरगंवा सिमेट्री के निषिद्ध क्षेत्र के बाहर है।

प्राधिकरण के नियमों के अनुसार ढाबा एवं पेट्रोल पम्प के भूखण्डों के नीलामी के माध्यम से बेचे जाने तथा विद्युत उपकेन्द्र की भूमि राज्य विद्युत परिषद् को निःशुल्क दिये जाने का प्राविधान है। इस प्रकार ढाबा एवं पेट्रोल पम्प के विक्रय से प्राधिकरण को आय होती तथा विद्युत उपकेन्द्र की भूमि प्राधिकरण राज्य विद्युत परिषद् को निःशुल्क प्रदान करनी होती। वर्तमान में उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ढाबा, पेट्रोल पम्प एवं विद्युत उपकेन्द्र की आवश्यकता न होने के कारण इन स्थलों पर किसानों के चबूतरें एव व्यवसायिक

सहायक अभियन्ता
ल०वि०प्रा०

आर० डी० वर्मा
अधि० अभि० जोन

काम्प्लेक्स के निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है। इसके फलस्वरूप पेट्रोल पम्प एवं ढाबे की भूमि से प्राधिकरण को कोई आय नहीं होगी परन्तु विद्युत उपकेन्द्र की भूमि पर व्यवसायिक काम्प्लेक्स के निर्माण के फलस्वरूप आय होगी।

ढाबा पेट्रोल पम्प एवं व्यवसायिक काम्प्लेक्स तीनों व्यवसायिक क्रियाएं है जिनके भूखण्डों का आरक्षित मूल्य योजना के आवासीय मूल्य का दोगुना होता है। ढाबा एवं पेट्रोल पम्प की भूमि का संयुक्त क्षेत्रफल 2920 वर्ग मी. है जो कि विद्युत उपकेन्द्र की भूमि के क्षेत्रफल 3158 वर्ग मी. से कम है। अतएव ढाबा एवं पेट्रोल पम्प की भूमि पर किसानों को निःशुल्क चबूतरें देने से होने वाली क्षति की पूर्ति विद्युत उपकेन्द्र की भूमि को बेच कर हो जायेगी।

प्रस्तावः—

अतएव कानपुर रोड नगर प्रसार योजना—4 के सेक्टर—बी—1 में बरगंवा सिमेट्री के पास प्राधिकरण की रिक्त भूमि विन्यास मानचित्र के ढाबे एवं पेट्रोल पम्प हेतु चिन्हित भाग पर किसानों के चबूतरें हेतु विन्यास मानचित्र संशोधन एवं विद्युत उपकेन्द्र हेतु चिन्हित भाग में व्यवसायिक काम्प्लेक्स हेतु भू—उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

BR
आर० डी० शर्मा
अधि० अभि० ...
ल० वि० प्रा०

AE
सहायक अभियन्ता
ल०वि०प्रा०

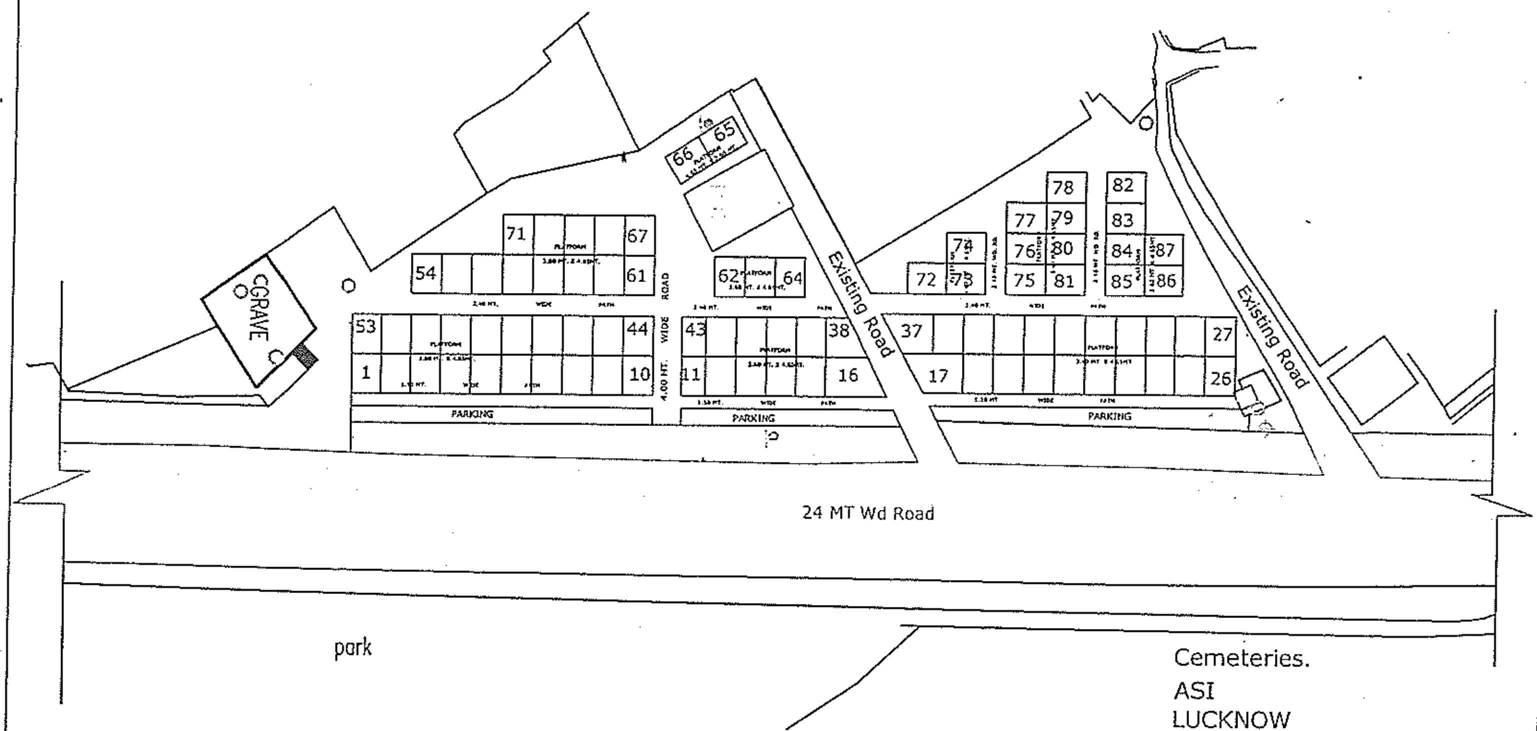

PROPOSED PLAN FOR PLATFOR
SECTOR - B AT KANPUR ROAD
SCHEME, LUCKNOW.

DETAIL OF PLATFORMS:-

S.NO.	SIZE	AREA
1.	3.60 MT.X 4.65MT.	16.74 SQ.MT.

S.NO.	DATE	PARTICULARS

R E V I S I O N

DATE :-

DRG. NO. :-

DEALT BY :-

J.E. — VIPUL PRAK. A.T.P.

A.E. — J. N. REDDY C.T.P.

E.E. — SATYENDRA S V.C.

विषय:— दिनांक 10.06.2014 को सम्पन्न हुई प्राधिकरण बोर्ड की 152वीं बैठक की स्वीकृति के क्रम में आजाद नगर योजना के बी ब्लाक में 629.0 वर्गमी0 रिक्त भूमि पर विद्युत उपकेन्द्र बनाने हेतु आजाद नगर ले—आउट में दर्शित कन्वेनियन्ट शाप (लोकल शाप) भूखण्ड/भूमि को सामुदायिक सुविधाए (सब स्टेशन) में संशोधन करने के सम्बन्ध में।

दिनांक 10.06.2014 को सम्पन्न हुई प्राधिकरण बोर्ड की 152वीं बैठक में आजाद नगर योजना के ब्लाक—बी में लखनऊ माडल पब्लिक स्कूल से सटी रिक्त भूमि के उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन को 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बनाने हेतु निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम—1973 की धारा—2 के अन्तर्गत ले—आउट में कन्वीनियन्ट शाप (लोकल शाप) भू—उपयोग से सामुदायिक सुविधाएं—सब स्टेशन में आवश्यक संशोधन करते हुए आजाद नगर योजना ब्लाक—बी में लखनऊ माडल पब्लिक स्कूल से सटी रिक्त भूमि 629.00 वर्गमी0 उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन को 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बनाने हेतु निः शुल्क उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

उक्त स्वीकृति के अनुपालन में पूर्व पृष्ठ सं0—10 पर उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति के क्रम में मुख्य नगर नियोजक के कार्यालय पत्र सं0—1129/मु0न0नि0/14—15 दिनांक 09.07.2014 के द्वारा शासनादेश सं0—2438/9—ओ—3—98—60—एल0यू0सी0/96 दिनांक 13.10.1998 में दी गयी व्यवस्थानुसार जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गयी। (संलग्नक—1) पत्रावली में अंकित विभागीय आख्याओं के अनुसार जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

प्रस्ताव

उक्त स्वीकृति के क्रम में आजाद नगर योजना के बी—ब्लाक में 629.0 वर्गमी0 रिक्त भूमि पर विद्युत उपकेन्द्र बनाने हेतु आजाद नगर ले—आउट में दर्शित कन्वेनियन्ट शाप (लोकल शाप) भूखण्ड/भूमि को सामुदायिक सुविधाए (सब स्टेशन) में संशोधन करने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

1. Pune 2. Bangalore ...
6. Chennai 7. Dehradun 8. Goa 9. Kolkata 10. Delhi

The detailed terms and conditions governing the appointment of MASSD (Marketing Agent Cum Sole Selling Distributor) can be had from the office of the Chief Manager (Marketing) Markfed, Plot No. 4, Sector 35-B, Chandigarh on any working day or can be downloaded from the website: www.markfedpunjab.com. Candidates having desire in belly and having sound financial background need to only apply against this expression of interest which should reach in the office of Chief Manager (Mktg.) Markfed by 30.07.2014 upto 2:00 pm, which shall be opened on the same day at 3:00 pm in the presence of participants who may wish to be present.

M.D. Markfed reserves the right to accept or reject any application without assigning any reason.

MANAGING DIRECTOR

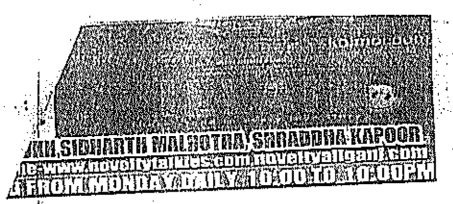

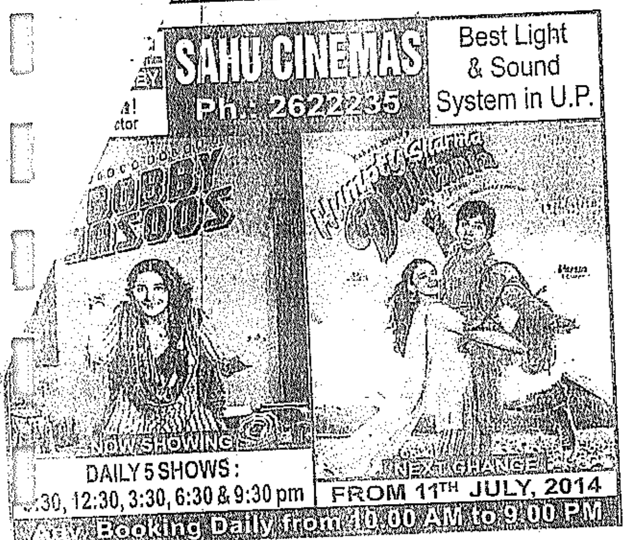

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ENGINEERS INDIA LIMITED (A Govt. of India Undertaking)

GLOBAL COMPETITIVE BIDDING

KOCHI COIMBATORE ERODE SALEM LPG PIPELINE PROJECT

Engineers India Limited (EIL) on behalf of consortium of BPCL & IOCL invites e-bids from eligible bidders for the following items:

DESCRIPTION	BIDDING DOCUMENT ON WEBSITE	PRE BID DATE PLACE & TIME	BID DUE DATE & TIME
SUPPLY OF MAINLINE BALL VALVES (Bidding Document No.: AS/A558-010-QV-MR-9020/1005)	From 10-Jul-2014 to 07-Aug-2014	21-Jul-2014 EIL, New Delhi 11AM	Up to 1200 Hrs. (IST) on 07-Aug-2014

The complete Bidding Document with contact details & detailed IFB along with Qualification Criteria can be viewed / downloaded from EIL website: http://tenders.eil.co.in or BPCL's website : www.bharatpetroleum.in and on Central Public Procurement Portal (CPPP) website : https://eprocure.gov.in/eprocure/app.

All amendments, time extension, clarifications, etc. will be uploaded in the websites only and will not be published in newspapers. Bidders should regularly visit the EIL & CPPP websites to keep themselves updated.

A.G.M. (C&R)

CA\2014-2015\53

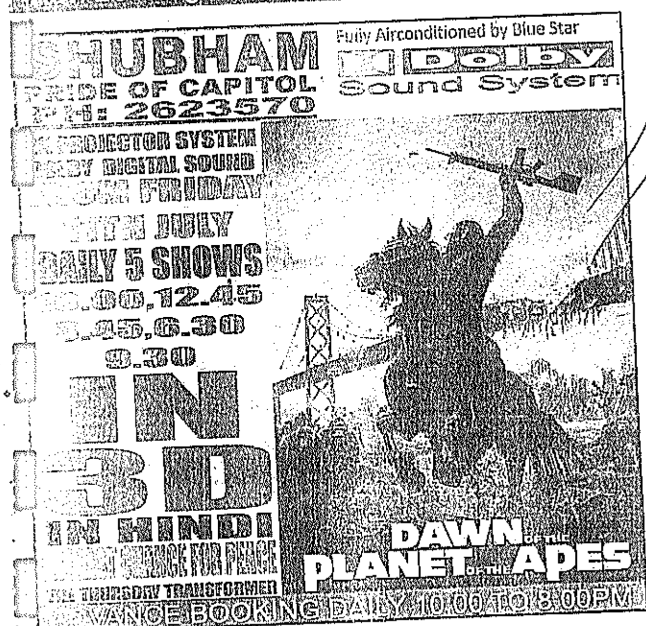

लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। (उ०प्र०)

फोन नं0–0522–2302578, वेबसाइट www.ldalucknow.co.in

आवश्यक सूचना

लखनऊ विकास प्राधिकरण की आजाद नगर योजना के सेक्टर–बी के ले–आउट में लखनऊ मॉडल पब्लिक स्कूल से सटे हुई कन्वीनियन्ट शॉप (लोकल शॉप) भू–उपयोग हेतु आरक्षित रिक्त भूमि को जनमानस की विद्युत समस्या के दृष्टिगत 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु आवश्यकतानुसार संशोधन करते हुए भूमि उ0प्र0 पॉवर कार्पोरेशन को दिये जाने हेतु शासनादेश सं0–2438/9–ओ–3–98–60–एल0यू0सी/93 दिनांक 13.10.1998 में दी गयी व्यवस्थानुसार यह सूचना जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से प्रकाशित की जा रही है। तलपट मानचित्र को किसी भी कार्यदिवस में जोन–7 के कार्यालय में देखा जा सकता है। केवल उन्ही आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा। जो इस सूचना के समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर प्राप्त होंगे। सभी आपत्ति एवं सुझाव उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को सम्बोधित लिखित रूप से तीन प्रतियों में प्रेषित किये जाने चाहिए।

एम0पी0 तिवारी
उपाध्यक्ष

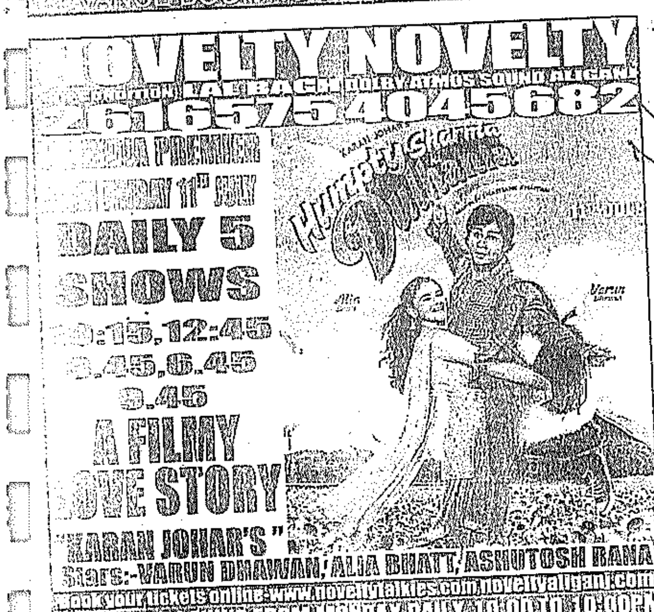

NORTHERN RAILWAY

AUCTION NOTICE No. 05

No. 3-S/24/Auction Programme/Sale/2014-15 Dated : 08.07.14

e-Auction will be conducted for disposal of Ferrous Scrap, Non Ferrous Scrap, Other Misc Scrap, Condemned Loco, Coaches and Wagons, Scrap Rail and other scrap P.Way material. Used lead Acid Batteries/Used oil/Refused oil will be sold only to recycles registered with State Pollution Control Board. The auction programme is as under:-

e-AUCTION DATES FOR August' 2014

SN	Depot conducting auction	1st round	2nd round	3rd round	4th round
1	Alambagh Lucknow	05&06	12&13	20&21	26&27
2	Shakurbasti	04	11	19	25
3	Jagadhari Workshop	01&02	08&09	22&23	29&30

1. The details of item to be sold in auction will be available in catalogue at www.ireps.gov.in 2. The intending purchasers may inspect the scrap material before the auction during working hours at nominated locations. 3. The details on last sold rates in auctions are available at www.railnet.gov.in 4. To participate in e-auction, purchasers need to get themselves registered with ireps. For further details regarding registration and other conditions of e-auction, please visit Railway website www.ireps.gov.in

1561/14

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

Times of India-Lko. 10-07-14 - Size-8X8 Adone Advtg. Pvt. Ltd.

102

एग्रीमेंट हो चुका है। 11 सड़कों के लिए स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट जल्द करने को एनएचएआई ने आवेदन किया है। मुख्य सचिव ने कार्यवाही जल्द पूरी करने के निर्देश दिए।

मोहनलालगंज-उन्नाव, बलरामपुर-गोंडा, बहराइच-गोंडा-फैजाबाद, बलिया-मऊ-आजमगढ़, गढ़-मेरठ-सोनीपत, लखीमपुर दुधवा, मुरादाबाद-बिजनौर, देवरिया-

साउथ एशिया फोरम फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन (एसएएफआईआर)

सचिवालय: केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी)
तृतीय व चतुर्थ तल, चन्द्रलोक भवन, 36 जनपथ, नई दिल्ली-110 001
टेलीफोन नं. 23753920, फैक्स: 23753923

नोटिस सं. 6/1/2014-आरए/सीईआरसी/एसएएफआईआर

एसएएफआईआर' "सचिवालय द्वारा संभाले गये कार्यों में एसएएफआईआर सचिवालय की सहायता करने के लिए एजेंसी की नियुक्ति" हेतु दि. 31.07.2014 को 1500 बजे तक प्रतिष्ठित परामर्शदात्री फर्मों से कोटेशन आमंत्रित करता है। संदर्भ संबंधी ब्योरेवार शर्तें (टीओआर) "एसएएफआईआर" की वेबसाइट अर्थात www.safirasia.org पर उपलब्ध हैं।

सचिव, सीईआरसी

भारतीय विनियामक फोरम (एफ ओ आई आर)

सचिवालय – केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (के वि वि आ)
तीसरा एवं चौथा तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली-110 001
फोन: 23753920 / फैक्स: 23753923

संविदा सं0 : 16/5/2014/एफओआईआर–स्टडी(सीए)/केविविआ

एफओआईआर "उपभोक्ता सलाहकारिता पर अध्ययन के संचालन हेतु सलाहकार का अनुबंधन" के लिए प्रतिष्ठित परामर्शी फर्मों से दिनांक 31.07.2014 अप. 3.00 बजे तक सीलबन्द संविदा दरें आमंत्रित करता है। विस्तृत निर्देश–निबंधक (टीओआर) 'एफओआईआर' की वेबसाइट : www.foir-india.org पर उपलब्ध हैं।

कार्यकारी सचिव (एफओआईआर)

कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई

पत्रांक- बेसिक/एस.टी./1683 /2014-15 दिनांक- 09.07.14

विज्ञप्ति संशोधन

इस कार्यालय के पत्रांक-बेसिक/ एस.टी./ 1582/2014-15 दिनांक 05.07.2014 द्वारा दैनिक जागरण तथा दैनिक अमर उजाला के संस्करण दिनांक 08 जुलाई 2014 में प्रकाशित विज्ञप्ति में आंशिक संशोधन किया जाता है कि विशिष्ट बी.टी.सी. बी.टी.सी. एवं द्विवर्षीय उर्दू प्रवीणताधारी बी.टी.सी. प्रशिक्षण प्राप्त तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों जिन्होंने जनपद हरदोई डायट से उक्त परीक्षा उत्तीर्ण की है, की काउन्सिलिंग दिनांक 10 जुलाई 2014 को तथा हरदोई जनपद से भिन्न अभ्यर्थियों की काउन्सिलिंग दिनांक 11 जुलाई 2014 को करायी जायेगी। शेष यथावत रहेगा।

(डॉ. वी. के. शर्मा)
सदस्य सचिव/ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई

R-2014142989

खाद्यान्न गोदाम की आवश्यकता

पत्रांक: मेमो/गोदाम प्रस्ताव/2014-15 दिनांक 02 जुलाई, 2014

सूचित किया जाता है कि विकास खण्ड-कादीपुर के सरकारी खाद्यान्न, चीनी, डेड स्टाक एवं बोरों की गांठों के भण्डारण हेतु 15000 कुन्तल क्षमता के गोदाम की आवश्यकता है। इच्छुक, गोदाम स्वामी समस्त आवश्यक प्रपत्र लेकर जिला खाद्य विपणन अधिकारी, कार्यालय सुल्तानपुर या क्षेत्रीय विपणन अधिकारी कार्यालय कादीपुर से सम्पर्क करें। मो.नं.-9984714000, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, कादीपुर, सुलतानपुर।

क्षेत्रीय विपणन अधिकारी
कादीपुर

उत्तर रेलवे — नोटिस

श्री सन्तोष कुमार, खे०-I/पावा०/लज अधीन सी.से.इन्जी./वि०/पावा०/लखनऊ पुत्र श्री राम खेलावन, पता - ग्राम-मनियाँ चांद, पोस्ट - मसौली, जिला - बाराबंकी पिनकोड - 225204 उत्तर प्रदेश, जो अपने कार्यस्थल से दिनांक - 19.08.2012 से बिना किसी पूर्व सूचना के लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित चल रहे है। श्री सन्तोष कुमार, के विरुद्ध जारी दीर्घशास्ति आरोप पत्र के अन्तर्गत नामित जाँच अधिकारी श्री आशुतोष चन्द्र गुप्ता, सीसइ/वि /पावर/लज० द्वारा जाँच कार्यवाही की गयी। जाँच कार्यवाही पूर्ण कर उसकी एक प्रति पंजीकृत डाक से दि० 24.02.2012 को इनके आवासीय पते पर भेजी गयी। किन्तु दिनांक - 19.08.2012 से न ही ये कार्यालय में उपस्थित हुए, न ही कोई स्पष्टीकरण दिया। पुनः एक अनुस्मरक पत्र पंजीकृत डाक से दि० 08.10.13 को इनके आवासीय पते पर भेजी गयी। किन्तु इतना समय बीत जाने के उपरान्त भी न ही इनका स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्राप्त हुआ और न ही ये स्वयं उपस्थित हुए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आपको रेल कार्य में कतई रुचि नही है।

इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है, कि इस नोटिस के प्रकाशन के एक माह के अन्दर मण्डल रेल प्रबन्धक (विद्युत)पू०उ०रे०, लखनऊ के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि आप उक्त अवधि मे उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं प्रस्तुत करेंगे, तो यह मान लिया जायेगा कि रेल कार्य मे आपको कोई रुचि नही है, और आपको रेल सेवा से निष्कासित कर दिया जायेगा।

कावि/अनु–35 मण्डल विद्युत इन्जीनियर/सा., लखनऊ

रेलवे सतर्कता मोबाईल हैल्प लाईन नं. 0551-155210 (भ्रष्टाचार से सम्बंधित शिकायत के लिए)

लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। (उ0प्र0)
फोन नं0 0522-2302570, वेबसाइट: www.ldalucknow.co.in

आवश्यक सूचना

लखनऊ विकास प्राधिकरण की आजाद नगर योजना के सेक्टर–बी के ले–आउट में लखनऊ मॉडल पब्लिक स्कूल से सटी हुई कन्वीनियन्ट शॉप (लोकल शॉप) भू–उपयोग हेतु आरक्षित रिक्त भूमि को जनमानस की विद्युत समस्या के दृष्टिगत 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु आवश्यकतानुसार संशोधन करते हुए भूमि उ0प्र0 पॉवर कार्पोरेशन को दिये जाने हेतु शासनादेश सं0–2438/9–ओ–3–98–60–एल0यू0सी/96 दिनांक 13.10.1998 में दी गयी व्यवस्थानुसार यह सूचना जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से प्रकाशित की जा रही है। तलपट मानचित्र को किसी भी कार्यदिवस में जोन–7 के कार्यालय में देखा जा सकता है। केवल उन्ही आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा। जो इस सूचना के समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर प्राप्त होंगे। सभी आपत्ति एवं सुझाव उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को सम्बोधित लिखित रूप से तीन प्रतियों में प्रेषित किये जाने चाहिए।

ए0पी0 तिवारी
उपाध्यक्ष

मेजा ऊर्जा निगम (प्रा.) लिमिटेड

(एनटीपीसी लिमिटेड एवं यूपीआरवीयूएनएल का संयुक्त उपक्रम)

निविदा आमंत्रण सूचना (घरेलू प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदाकरण)

उ. प्र. में मेजा ऊर्जा निगम प्रा. लि. द्वारा निम्नलिखित पैकेजों के लिए पात्र निविदाकारों से मुहरबन्द बोलियां/निविदाएं/प्रस्ताव आमंत्रित हैं।

संविदा पैकेज:–

क्र सं.	एनआईटी संख्या	कार्य का नाम	तकनीकी बीओडी	ईएमडी (रु.)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु.)	अनु. लागत (रु.)	संविदा अवधि
01	MUNPL/C&M/Contract/ NIT/14-15/017 Dtd.27.06.2014	मेजा टीपीपी में 'पेस्ट कंट्रोल कार्यों हेतु द्विवार्षिक संविदा'	12.08.2014	21,000.00	520.00	9.37 लाख	24 महीने
02	MUNPL/C&M/Contract/ NIT/14-15/018 Dtd.27.06.2014	मेजा टीपीपी हेतु 01 नग एम्बुलेंस (टाटा विंगर) किराए पर लेना।	14.08.2014	36,000.00	520.00	15.76 लाख	36 महीने
03	MUNPL/C&M/Contract/ NIT/14-15/019 Dtd.27.06.2014	मेजा टीपीपी में 'बाल भवन लेडिज क्लब तथा नर्सरी स्कूल बिल्डिंग' का निर्माण तथा आंतरिक विद्युतीकरण।	16.08.2014	4,05,000.00	2560.00	182.12 लाख	12 महीने
04	MUNPL/C&M/Contract/ NIT/14-15/020 Dtd.27.06.2014	मेजा टीपीपी में टाउनशिप में शॉपिंग सेन्टर का निर्माण तथा आंतरिक विद्युतीकरण।	19.08.2014	439000.00	2560.00	197.18 लाख	15 महीने
05	MUNPL/C&M/Contract/ NIT/14-15/021 Dtd.27.06.2014	कोहडार में पशुओं के अस्पताल की चारदीवारी का निर्माण।	14.08.2014	26000.00	520.00	12.19 लाख	04 महीने

आपूर्ति पैकेज:–

क्र सं.	एनआईटी संख्या	कार्य का नाम	तकनीकी बीओडी	ईएमडी (रु.)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु.)	डिलीवरी अवधि
06	1400EB0036 Dtd.05.07.2014	एसीएसआर रैकून अल्यूमीनियम कंडक्टर का प्रापण।	16.08.2014	26000.00	1280.00	03 महीने
07	1400EB0034 Dtd.05.07.2014	पीईनोड आईपी फीमेल तथा आरएफ लिंक की आपूर्ति तथा स्थापना का कार्य।	16.08.2014	57000.00	1280.00	03 महीने
08	1400EB0035 Dtd.05.07.2014	एचटी केबल्स की आपूर्ति	19.08.2014	22000.00	1280.00	03 महीने
09	1400EB0037 Dtd.05.07.2014	2500 एमटी पीपीसी (ग्रेड 43) सीमेंट का प्रापण।	12.08.2014	234000.00	2554.00	04 महीने

नोट :- 1– सभी उपरोक्त पैकेजों के लिए निविदा दस्तावेजों की बिक्री 14.07.2014 से 02.08.2014 तक की जाएगी।

2– विस्तृत एनआईटी और निविदा दस्तावेजों के लिए कृपया www.ntpctender.com देखें या क्रम सं. 01 से 05 के लिए संपर्क करें : डीजीएम (सीएंडएम), फोन नं. 0532-2693101, 3120 तथा क्रम सं. 06 से 09 के लिए संपर्क करें : वरिष्ठ प्रबंधक (सीएंडएम) फोन नं. 0532-2693035, मेजा थर्मल पावर प्लांट, पोस्ट आफिस : कोहडार तहसील–मेजा, जिला : इलाहाबाद– उ.प्र. (212301) फैक्स सं. 0532-2693100, ईमेल cmmeja@gmail.com पर या कार्यालय में संपर्क करें।

3– डिमांड ड्राफ्ट "मेजा ऊर्जा निगम प्रा. लि.", के पक्ष में इलाहाबाद में देय होना चाहिए।

कारपोरेट आईडेंटिफिकेशन नम्बर–U74900DL2008PTC176247

MUNPL/HR-PR/C&M/14-15/No.028

Interads

भूखण्ड सं0–2 रफी अहमद किदवई नगर (एल्डिको ग्रीन) के भू–उपयोग को स्वीकृत तलपट मानचित्र में पेट्रोल पम्प से व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में:–

आख्या :– रफी अहमद किदवई नगर (एल्डिको ग्रीन) का तलपट मानचित्र प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस तलपट मानचित्र में अर्न्तनिहित भूमि नगर निगम की है, जबकि इसका विकास एल्डिको हाउसिंग एवं इण्डस्ट्रीज लि0 द्वारा किया गया है। इस तलपट मानचित्र में मुख्य मार्ग (लोहिया पथ) पर भू0सं0–2 क्षेत्रफल–999.91 वर्गमी0 पेट्रोल पम्प हेतु आरक्षित किया गया है एवं वर्तमान में इस भूखण्ड पर पेट्रोल पम्प संचालित है।

इस भूखण्ड की स्वामिनी श्रीमती ज्योति रावत द्वारा काफी समय पूर्व से इस भूखण्ड को 'पेट्रोल पम्प' से 'व्यवसायिक' में परिवर्तित किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है। उनके द्वारा इस सम्बन्ध में वर्ष 2007 में तत्कालीन उपाध्यक्ष के पत्र, जिसमें इस भूखण्ड को व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने की अनुमति का हवाला दिया गया है। सुलभ सन्दर्भ हेतु श्रीमती ज्योति रावत के पत्र की छायाप्रति अनुलग्नक–1 पर अवस्थित है।

शासनादेश संख्या–2438 / 9–आ–3–98–60 एल0यू0सी0 / 96 दिनांक 13.10.1998 (अनुलग्नक–2) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विकास प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों के तलपट मानचित्र में संशोधन का अधिकार प्राधिकरण बोर्ड में निहित है एवं इस सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के समान किये जाने की व्यवस्था है।

रफी अहमद किदवई नगर (एल्डिको ग्रीन) का तलपट मानचित्र 1,41,640.00 वर्गमी0 क्षेत्रफल में स्वीकृत हुआ है। इस मानचित्र मे 6067.79 वर्गमी0 भूमि व्यवसायिक हेतु आरक्षित की गयी है, जो कि योजना की कुल भूमि 4.28 प्रतिशत है यदि पेट्रोल पम्प हेतु आरक्षित भूमि के भू–उपयोग को व्यवसायिक में परिवर्तित किया जाता है तो व्यवसायिक उपयोग के अन्तर्गत

कुल भूमि 767.70 वर्गमी0 होगी, जोकि योजना के अन्तर्गत कुल भूमि की 4.98 प्रतिशत होगी। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के प्राविधानों के अनुसार आवासीय योजना में योजना के क्षेत्रफल का अधिकतम 05 प्रतिशत तक व्यवसायिक उपयोग अनुमन्य किया जा सकता है। अतः प्रश्नगत भूखण्ड को व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने में भवन निर्माण एव विकास उपविधि–2008 के प्राविधानों के नियमों का उल्लघन नहीं होगा।

उक्त आख्या के साथ प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 07.06.2013 के समक्ष प्रश्नगत भू–उपयोग के परिवर्तन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिस पर बोर्ड द्वारा निम्न निर्णय पारित किये गये:–

''प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया तथा यह मत स्थिर हुआ कि यदि प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग पेट्रोल पम्प से व्यवसायिक में परिवर्तित किया जाता है तो स्थल पर यातायात की गम्भीर समस्या उतपन्न होगी। अतः सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृत किया गया।''

वर्तमान में शासन के पत्र सं0–5958सा/प्र0स0आ0/2013 दिनांक 9.12.2013 द्वारा प्रकरण का परीक्षण कराने एवं नियमानुसार कार्यवाही कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। (अनुलग्नक–3) उक्त निर्देश के अनुपालन में स्वीकृत तलपट मानचित्र का परीक्षण किया गया। तद्क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत भूखण्ड एवं लोहिया पथ के मध्य 9.0 मी0 चौड़ी रोड (सर्विस रोड की तरह) दर्शित है, जो वर्तमान तक मौके पर विकसित नहीं की गयी हैं। वर्तमान में पुलिस अधीक्षक यातायात, लखनऊ के समक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र जिसमें प्रश्नगत भूखण्ड पर व्यवसायिक काम्पलेक्स बन जाने के पश्चात हमारे द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान नहीं किया जायेगा, की वचन बद्वता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक यातायात लखनऊ द्वारा प्रश्नगत प्रस्तावित व्यवसायिक निर्माण के सम्बन्ध में पत्रांक–एस.टी./एस.पी.टी.–एन.ओ.सी.

–18/2013 दिनांक 31.12.2013 के माध्यम से प्राप्त करायी गयी आख्या तथा 9.0 मी0 सड़क को स्थल पर विधमान अन्य भूखण्डों के सम्मुख विधमान सडक के एलाइनमेंट में विकसित किये जाने से मुख्य लोहिया पथ से सन्दर्भित सड़क पर वाहनों का सीधे प्रवेश पर अंकुश लगने से यातायात में अवरोध/बाधा में प्रभावी कमी हो सकती है, अतएव उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृत तलपट मानचित्र में अंकित पेट्रोल पम्प उपयोग को व्यवसायिक (सुविधा जनक दुकानों) उपयोग में परिवर्तित करने पर पुनः विचार किया जा सकता है। शासन के पत्र दिनांक 9.12.2013 द्वारा दिये गये निर्देश तथा पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में यातायात की दृष्टि से उपलब्ध कराये गये पत्र दिनांक 31.12.2013 के कम में प्रकरण पर पुर्नविचार हेतु प्राधिकरण बोर्ड की बैठक 16.1.2014 को बोर्ड के सनक्ष प्रस्तुत किया गया था। बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त निम्न निर्णय पारित किया गया–

"पक्ष को प्रश्नगत भूखड नगर निगम द्वारा एक विशिष्ट कार्य–कलाप अर्थात पेट्रोल पम्प हेतु लीज पर आवंटित किया गया था भूमि का स्वामित्व वर्तमान में भी नगर निगम में निहित है। अतः पूर्व में निरस्त किये गये प्रस्ताव पर पुर्नविचार का कोई औचित्य न पाये जाने के कारण प्रस्ताव निरस्त किया गया।"

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ0 प्र0 शासन का पत्र सं0– 734सा0/प्र0स0अ0/2013 दिनांक 07.2.2014 प्राप्त हुआ है तथा मा0 सभापति श्री उदयराज यादव के पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि प्रकरण का परीक्षण कर लिया जाये और मेरिट के आधार पर नियमानुसार सुसंगत, विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत शीघ्र कार्यवाही की जाये। यदि आवश्यक हो तो इसे लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में निर्णय हेतु पुनः तथ्यों सहित रखा जाये।

158/६६

प्रस्ताव—

उपर्युक्त आख्या एवं शासन के पत्र दिनांक 07.2.2014 के क्रम में भूखण्ड सं0—2 रफी अहमद किदवई नगर (एल्डिको ग्रीन) को वर्तमान में पुलिस अधीक्षक यातायात, लखनऊ द्वारा यातायात के सम्बन्ध में प्राप्त करायी गयी आख्या दिनांक 31.12.2013 एवं स्वीकृत तलपट मानचित्र नें सम्मुख दर्शित 9.0 मी0 चौडी रोड को विकसित कराये जाने की शर्त पर स्वीकृत तलपट मानचित्र में ''पेट्रोल पम्प'' हेतु आरक्षित भूखण्ड सं0—2 क्षेत्रफल 999.91 वर्गमी0 के उपयोग ''पेट्रोल पम्प'' से ''व्यवसायिक'' (सुविधाजनक दुकानों) में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत है। प्राधिकरण से सहमति की दशा में प्रश्नगत भू—उपयोग परिवर्तन पर जनसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने के उपरान्त इसे प्राधिकरण के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जायेगा।

EE

विषय संख्याः 16 पृष्ठ संख्याः 107

विषयः जानकीपुरम योजना के सेक्टर–एच के ले–आउट के संशोधन के सम्बन्ध में।

<u>आख्याः</u>

जानकीपुरम योजना के सेक्टर–एच के ले–आउट के संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्ताव दिनांक 28.02.2015 की बोर्ड बैठक में विषय सं0–22 अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, जिस पर निम्नवत् निर्णय लिया गयाः–

''प्रस्तुत प्रस्ताव निरस्त किया गया और निर्देश दिये गये कि इस समस्या के हल के लिए वैकल्पिक सुविचारित प्रस्ताव दिया जाय तथा इस प्रकार की लापरवाही के लिए उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाये।''

बोर्ड के उपरोक्त निर्णय के क्रम में तलपट मानचित्र के अन्तर्गत पार्क हेतु आरक्षित भूमि में की गयी कमी तथा व्यवसायिक भूखण्ड की भूमि की पूर्ति हेतु वैकल्पिक भूमि को खोजने एवं भूमि की मापें, क्षेत्रफल आदि का विवरण उपलब्ध कराने हेतु अभियन्त्रण विभाग को सूचित किया गया, जिस पर अभियन्त्रण विभाग द्वारा जानकीपुरम योजना पूर्ण रूप से विकसित की जा चुकी है, का उल्लेख करते हुये पार्क हेतु कोई रिक्त भूमि उपलब्ध न होने के क्रम में ले–आउट के अन्तर्गत दर्शित भूखण्ड सं0–6/72 एवं 6/74 के सामने दर्शित 30 मी0 चौडी सड़क है, जो डेड ईन्ड हैं तथा निर्मित एवं विकसित नहीं है। इस डेड ईन्ड भूमि के आगे (मार्ग हेतु आरक्षित) तहसील मलिहाबाद के क्षेत्र/भूमि आती है जो प्राधिकरण द्वारा अर्जित नहीं है, उक्त मलिहाबाद की भूमि पर अवैध कालोनी निर्मित होकर जनसामान्य निवास कर रहे है, अतः मार्ग हेतु अनुपयुक्त 30 मी0 X 20 मी0 भूमि जो संलग्न मानचित्र में हैचिंग के रूप में प्रस्तावित है, (अनुलग्नक–1 पर संलग्न) मे से 9 मी0 चौडाई का मार्ग छोडकर अवशेष पार्क के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भाग–6 के अगल–बगल रिक्त भूमि परिलक्षित नहीं हो रही है, की सूचना प्राप्त हुयी है। यह भी उल्लेखनीय है कि व्यवसायिक भूखण्ड का विकल्प योजना के साथ संलग्न अन्य सेक्टर में रिक्त व्यवसायिक उपयोग में समायोजन किया जायेगा।

इसी बीच प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–2531सा/प्र0स0आ0/2015, दिनांक 08.05.2015 द्वारा अनुलग्नक–2 पर निम्नवत् निर्देश दिया गया हैः–

''इस प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा अभिलेखों के परीक्षण एवं पर्याप्त सुनवाई के पश्चात (Speaking Order) पास किया गया है। अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण से अपेक्षा की जाती है कि वह राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करे। कृपया इसका अनुपालन 01 माह में सुनिश्चित कर अवगत कराने की व्यवस्था की जाय।''

उपरोक्त के क्रम में गत बोर्ड बैठक में प्रेषित जानकीपुरम योजना के सेक्टर–एच के संशोधित मानचित्र पर बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय पर पुनः विचार करते हुये

अविकसित मार्ग हेतु आरक्षित अनुपयोगी की उल्लिखित भूमि पर पार्क के विकास किये जाने की शर्तो पर सहमति की दशा में संशोधित तलपट मानचित्र को अनुमोदन प्रदान करने हेतु प्रस्तावित है।

प्रस्तावः

उपर्युक्त आख्या के क्रम में जानकीपुरम योजना के सेक्टर–एच का संशोधित तलपट मानचित्र अनुमोदन हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है। सहमति की दशा में जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करते हुये निस्तारित कर आवंटियों को भूखण्डों का निबंधन किया जाएगा।

अनुलग्नक-1

109

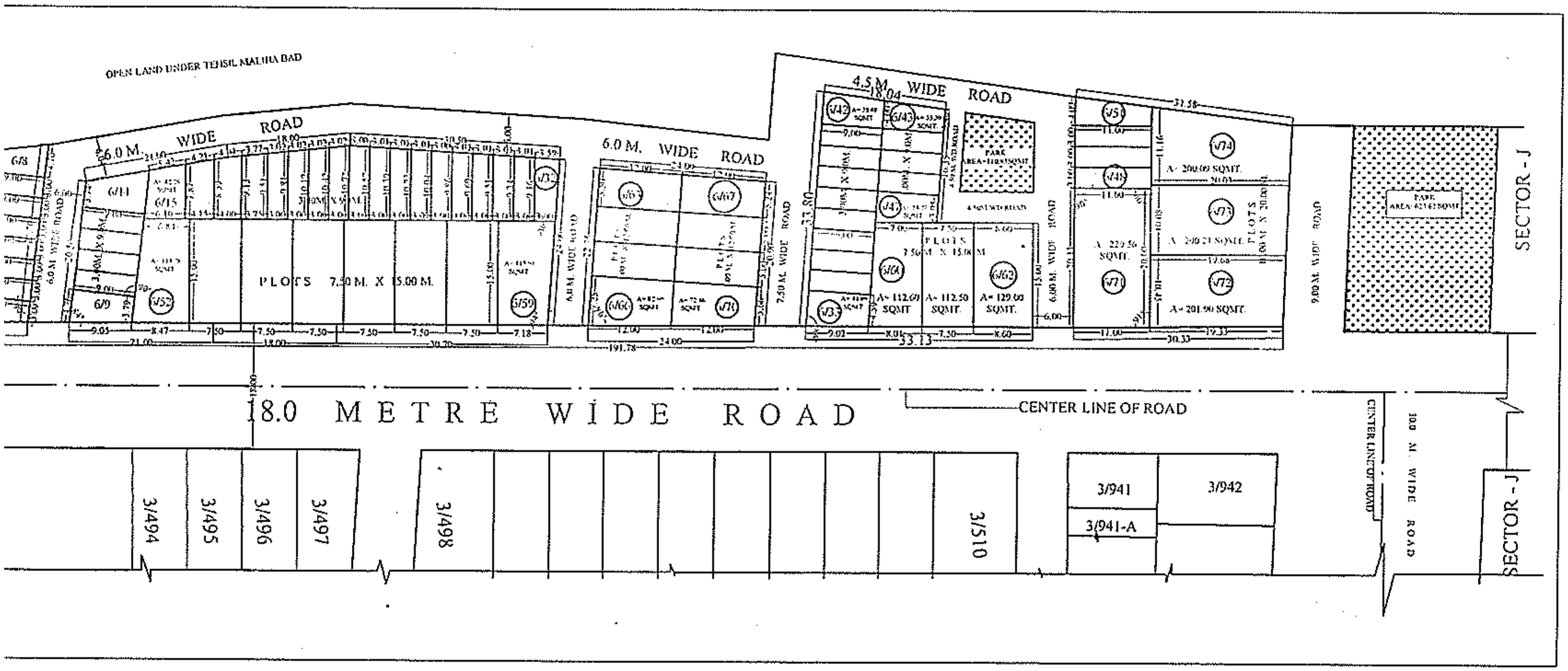

PROPOSED REV. PART LAYOUT PLAN OF SECTOR-H,PART-6 (AS/EXECUTION AT SITE), JANKIPURAM YOJNA; LUCKNOW.

DETAIL OF PLOTS

S.NO	TYPE OF PLOT	PLOT SIZE	PLOT AREA	NOS.
1.	E.W.S	3.00 M X 9.00 M	27.00 SQMT	51 NOS.
2.	A	5.00 M X 12.00M	60.00 SQMT	08 NOS.
3.	B	7.50 M X 15.00M	112.50 SQMT	11 NOS.
4.	C	10.00M X 20.0M	200.00 SQMT	04 NOS.

TOTAL NOS OF PLOTS= 74 NOS

AREA STATEMENT

S.NO.	TYPES	AREA
1.	TOTAL LAND AREA	5935.10 SQMT.
2.	TOTAL PLOT AREA	4178.63 SQMT.
3.	ROAD AREA	1645.54 SQMT.
4.	GREEN AREA	734.55 SQMT.
4.	CON. SHOP	NILL

TENTATIVE:-

REVISION

DATE :	08-01-2015
DRG.NO.	R.P.EXE/PART-6 SEC.-H/15
DEALT BY:	AMAR SINGH
CHECKED BY:	

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

VIPUL PRAKASH (A.T.P.)

J.N. REDDY (C.T.P.)

SATENDRA SINGH YADAV (V.C.)

PROPOSED REV. PART LAYOUT PLAN OF SECTOR-H, PART-6 (AS/EXECUTION AT SITE), JANKIPURAM YOJNA; LUCKNOW.

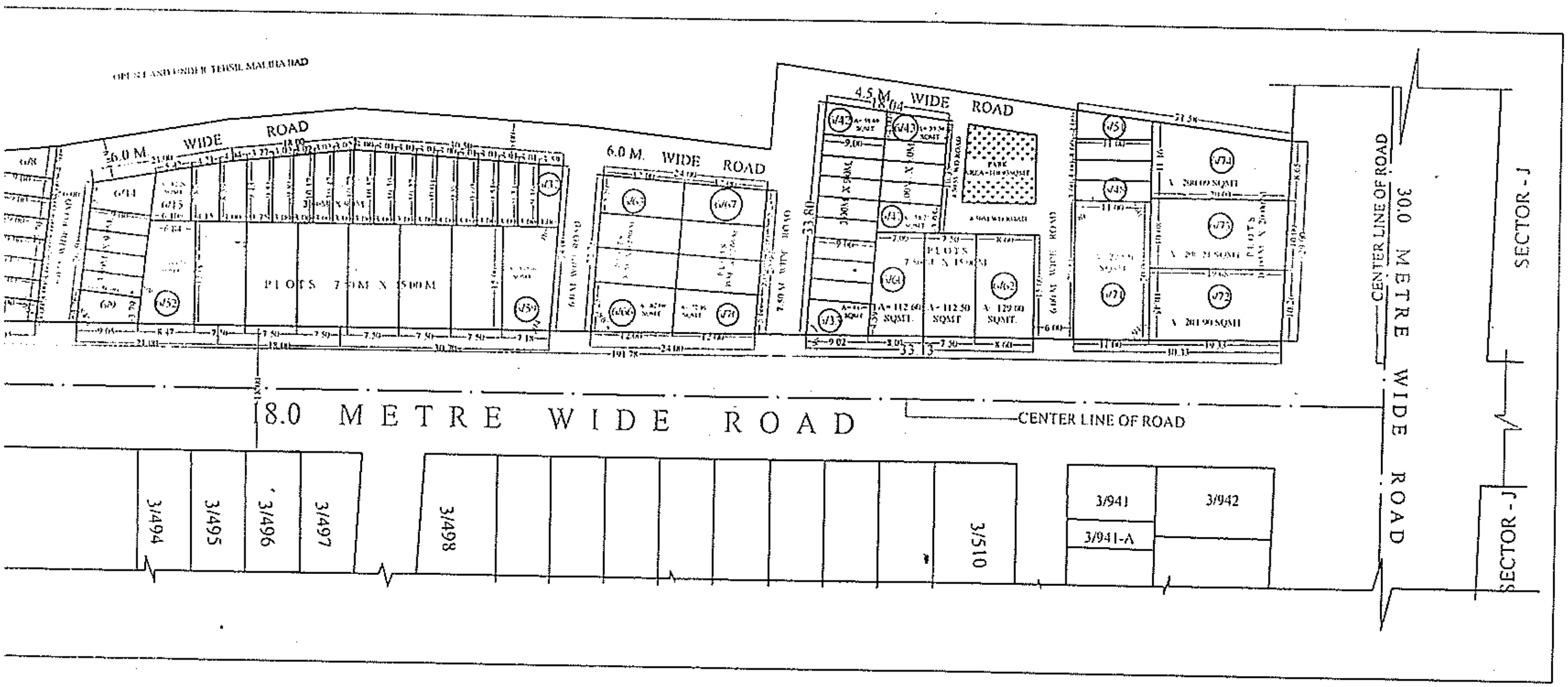

DETAIL OF PLOTS

S.NO	TYPE OF PLOT	PLOT SIZE	PLOT AREA	NOS.
1.	EWS	3.00 M X 9.00 M	27.00 SQMT	51 NOS
2.	A	5.00 M X12.00M	60.00 SQMT	08 NOS
3.	B	7.50 M X15.00M	112.50 SQMT	11 NOS
4.	C	10.00M X 20.0M	200.00 SQMT	04 NOS
			TOTAL NOS OF PLOTS=	74 NOS

AREA STATEMENT

S.NO.	TYPES	AREA	%
1.	TOTAL LAND AREA	5935.10 SQMT.	100.00
2.	TOTAL PLOT AREA	4178.63 SQMT	70.40
3.	ROAD AREA	1645.54 SQMT.	27.72
4	GREEN AREA	110.93 SQMT	01.86
4	CON SHOP	NILL	

TENTATIVE:-

REVISION

DATE :	08-01-2015
ORG.NO.	R.P.EXE/PART-6 SEC.-H/15
DEALT BY:	AMAR SINGH
CHECKED BY:	

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

VIPUL PRAKASH
(A.T.P.)

J.N. REDDY
(C.T.P.)

SATENDRA SINGH YADAV
(V.C.)

अनुलग्नक-2 111

1385/LPII5 15.5.15

140260 12/5/2015

कार्यालय

प्रमुख सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

पत्र संख्या-2531 आठ-5/प्र०स०आ०/2015 लखनऊ : दिनांक : 08-05-15

1. मण्डलायुक्त लखनऊ एवं
   अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

श्री राम सजीवन वर्मा, निवासी 3/517 सेक्टर-एच, जानकीपुरम, लखनऊ का मूलरूप से संलग्न प्रत्यावेदन दिनांक 08.05.2015 तथा उसके साथ राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश (कार्यालय ज्ञाप संख्या-25पुन(3)/8-3-14-34पुन/14 दिनांक 07 अक्टूबर, 2014) का सन्दर्भ लिया जाय।

इस प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा अभिलेखों के परीक्षण एवं पर्याप्त सुनवाई के पश्चात **(Speaking Order)** पास किया गया है। अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण से अपेक्षा की जाती है कि वह राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करे। कृपया इसका अनुपालन 01 माह में सुनिश्चित कर अवगत कराने की व्यवस्था की जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

08.05.2015
(सदा कान्त)
प्रमुख सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

महत्वपूर्ण

सचिव
कृपया उचित प्रस्तुत करें।

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण
11/05/2015

आई0डी0सिंह मेमोरियल डेन्टल कालेज द्वारा खसरा संख्या 201, 204, 205, 218, 219, 220, 221, 222 एवं 223 का भू–उपयोग ''आवासीय'' से ''सामुदायिक सुविधाऐं'' उपयोगिताऐं एवं सेवाऐं (डेन्टल कालेज) में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में:–

आख्या :– आवेदक–आई0डी0सिंह मेमोरियल डेन्टल कालेज द्वारा खसरा संख्या 201, 204, 205, 218, 219, 220, 221, 222 एवं 223 का भू–उपयोग ''आवासीय'' से ''सामुदायिक सुविधाऐं'' उपयोगिताऐं एवं सेवाऐं (डेन्टल कालेज) में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 16.1.2014 में विचारार्थ रखा गया था। प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। यह प्रस्ताव पूर्व बैठक दिनांक 9.4.2012 में भी प्रस्तुत हुआ था, परन्तु विचारोपरान्त निरस्त कर दिया गया था। प्रकरण पर मा0 उच्च न्यायालय एवं प्रमुख सचिव आवास के आदेश के क्रम में अपर जिला अधिकारी– नगर (टी0जी0) द्वारा प्राधिकरण के अभियन्ताओं के साथ स्थल निरीक्षण किया गया था। प्रस्तावित महायोजना मार्ग ग्राम–गढी के आंशिक भाग से होकर भी गुजरता है, जिस पर काफी पुराने निर्माण है। अस्तु महायोजना मार्ग का निर्माण सम्भव नहीं होने के फलस्वरूप प्रस्तावित वैकल्पिक मार्ग पर विचार किया गया। इस वैकल्पिक मार्ग पर भी काफी संख्या में निर्माण विधमान है, जिनके ध्वस्तीकरण में विभिन्न प्रकार की समस्याऐं यथा– अर्जन, प्रतिकर, वित्तीय व्यवस्था एवं वाद आदि स्वभाविक है। इसके उपरान्त भी अधिकतम 12 मी0 चौड़ा पहुँच मार्ग ही प्राप्त हो सकता है एवं इससे प्राधिकरण की किसी योजना को कोई लाभ भी नहीं होने वाला है, जबकि निर्धारित मापदण्ड के अनुसार डेन्टल कालेज के लिए पहुँच मार्ग कम से कम 24 मी0 चौड़ा होना चाहिए।

उपरोक्तानुसार प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित स्थल 24.00 मी0 पहुँच मार्ग उपलब्ध न होने के कारण प्रस्ताव को पूर्व में निरस्त किया जा चुका है।

उर्पयुक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत विकल्प संख्या–2 के अनुसार मार्ग की चौडाई में शिथिलता प्रदान करते हुए भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्राधिकरण बोर्ड के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित किये जाने तथा इस प्रकरण को भविष्य में इस प्रकार के अन्य प्रकरणों हेतु दृष्टांत न बनाये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

15.5.15

(एस० के० श्रीवास्तव)
अवर अभियन्ता

(राहुल श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियन्ता

जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा सीतापुर रोड पर प्रस्तावित आई0 डी0 सिंह मेमोरियल डेन्टल कालेज के विषय में दिनांक 11.7.2013 को आहूत बैठक में निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने पर मत स्थिर हुआ। तदानुसार बोर्ड बैठक में पुनः रखे जाने वाले प्रस्ताव का विवरण निम्नवत है–

प्रस्ताव–

वैकल्पिक मार्ग–1 की भूमि महर्षि विधा मन्दिर द्वारा न दिये जाने के मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ0 प्र0 द्वारा दिये गये अभिमत के अनुसार स्थल पर 24.00 मी0 चौडे मार्ग का निर्माण सम्भव नही होगा। अतः वैकल्पिक मार्ग–2 के अन्तर्गत आ रही भूमि का अर्जन प्राधिकरण द्वारा किया जाना होगा एवं 12.00 मी0 तक चौड़ा करने में आने वाले अनधिकृत आवासीय/व्यवसायिक निर्माण को ध्वस्त किया जाना होगा।

शासनादेश संख्या– 1061(1)/8–3–13–09रिट/12 दिनाक 21.5.2013 में शासन की मंशा के अनुरूप सामाजिक एवं लोक महत्व के दृष्टिगत डेन्टल कालेज के संचालन में याची द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में किये गये अनुरोध पर विचार करने तथा प्रकरण के निस्तारण हेतु स्थल की एप्रोच विकल्प संख्या–2 से ही उपलब्ध हो सकती है, परन्तु इस विकल्प में कतिपय ध्वस्तीकरण के उपरान्त सडक की चौडाई अधिकतम 12.00 मी0 उपलब्ध होगी।

अतः यदि इस मार्ग पर डेन्टल कालेज का प्रस्ताव अनुमन्य करने हेतु भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जानी है, तो मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा दिये गये अभिमत के अनुसार मार्ग की चौड़ाई 24.00 मी0 से कम करने हेतु नियमों को उक्त सीमा तक शिथिल किया जाना होगा।

(एस० के० श्रीवास्तव)
अपर ...

15-5-15
(राहुल श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियन्ता

वाल्दा रोड कालोनी स्थित किराये पर आवंटित भवन सं0–ए–2/5 तथा गैराज सं0–1 के विक्रय हेतु देय धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में :–

प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त भवन दिनांक 29.09.1984 को कु0 यशोधरा निगम व श्री बी. पी. निगम के पक्ष में रू0 159 मासिक किराये पर आवंटित किया गया। श्री बी.पी. निगम का दिनांक 29.08.1995 को स्वर्गवास हो जाने के कारण भवन की किरायेदारी दिनांक 11.04. 2002 को यशोधरा निगम के अकेले के पक्ष में अन्तरित कर दी गयी तथा आवंटी के अनुरोध पर गैराज का भी नामान्तरण दिनांक 26.05.2010 कर दिया गया।

श्रीमती यशोधरा निगम द्वारा दिनांक 17.04.2002 को प्रश्नगत भवन व गैराज को क्रय किये जाने हेतु विक्रय फॉर्म भरा गया यद्यपि आवंटी द्वारा नियमानुसार गैराज हेतु 100 रू0 जमा कर पृथक से आवेदन पत्र नहीं भरा गया तथा आवेदन पत्र में अपनी पुत्री नेहा श्रीवास्तव को भवन क्रय करने हेतु नामित किया गया। इसी आवेदन पत्र पर दिनांक 18.02. 2009 को यह अंकित किया गया कि भवन मेरे पक्ष में आवंटित है अतः मेरे पक्ष में ही विक्रय की कार्यवाही की जाये। तदोपरान्त पत्रावली लीज प्लान तैयार करने हेतु नियोजन विभाग को जानी थी लेकिन योजना सहायक का पटल परिवर्तित हो जाने के कारण पत्रावली यथावत रेन्ट अनुभाग में लम्बित बनी रही। इस दौरान आवंटी द्वारा भी गणना हेतु कोई अनुरोध नहीं किया गया।

अप्रैल–मई 2009 में जिलाधिकारी द्वारा सर्किल रेट लगभग दो गुना कर दिये जाने के कारण एच–8/5 पेपर मिल कॉलोनी के आवंटी दिवाकर भट्ट द्वारा यह अनुरोध किया गया कि उन्होंने विक्रय हेतु आवेदन पत्र जून 2007 में भरा था, जिसकी गणना अनुभाग द्वारा 26. 10.09 को की गयी है, दरें संशोधित हो जाने के कारण गणना पुरानी दर पर की जाये। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 08.12.09 को यह निर्णय लिया गया कि "ऐसे आवंटीगण, जिन्होंने सर्किल रेट में बढ़ोत्तरी से पूर्व ही विक्रय फॉर्म प्राधिकरण में जमा कर दिये है, उन सभी में मार्च 2009 की दर ली जायेगी।" तदानुसार इस प्रकरण में भी मार्च

16/05/15

2009 की दर लेते हुए दिनांक 09.09.2009 को आवंटी को रू0 3,52,700 जमा करने हेतु मांग पत्र भेजा गया जिसके क्रम में आवंटी द्वारा दिनांक 15.10.2009 को यह अनुरोध किया गया कि भवन की गणना वर्ष 2002 के सर्किल रेट पर की जाये जिस पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2009 की प्रचलित दर से गणना करते हुए आवंटी को सूचित किया जा चुका है। आवंटी द्वारा धनराशि जमा करने के उपरान्त ही प्रकरण का निस्तारण सुनिश्चित किया जा सकता है।

विक्रय मूल्य के सापेक्ष आवंटी द्वारा प्राधिकरण कोष में आंशिक धनराशि का भी भुगतान न करते हुए अप्रैल 2015 में पुनः वर्ष 2002 के सर्किल रेट पर गणना किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है। यद्यपि गणना कराने में हुए विलम्ब के दृष्टिगत प्राधिकरण स्तर से भी त्रुटि हुई है लेकिन इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि रेण्ट अनुभाग द्वारा समय समय पर अभियान चला कर विक्रय फार्म भरवाये जाते रहे लेकिन व्यवहारिक रूप से विक्रय मूल्य का आगणन नहीं कराया गया क्योंकि नियम एवं शर्तो की पुस्तिका के बिन्दु 11 में यह उल्लिखित है कि **" क्रय मूल्य की सम्पूर्ण धनराशि 30 दिन के अन्दर भुगतान करने पर 20 प्रतिशत की छूट दी जायेगी"** जिसके कारण अधिकांश आवंटियों द्वारा विक्रय फार्म तो भर दिये गये लेकिन साथ ही यह भी अनुरोध किया जाता रहा कि गणना तत्काल न करायी जाये अन्यथा वह 20 प्रतिशत छूट से वंचित हो जायेंगे जिसके कारण अधिकांश आवेदन पत्र पत्रावली पर यथावत लम्बित बने हुए हैं तथा गणना हेतु कार्यवाही नहीं की गयी है।

प्रस्तुत प्रकरण में उपाध्यक्ष के आदेश दिनांक 08.12.2009 के क्रम में मार्च 2009 की दर लेते हुए गणना की गयी है। प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किराये पर आवंटित सम्पत्तियों में चक्रवृद्धि ब्याज न लेते हुए 17.5 प्रतिशत साधारण ब्याज लगाते हुए गणना की जाती है। आवंटी के अनुरोध के क्रम में वर्ष 2002 के सर्किल रेट पर 17.5 प्रतिशत साधारण ब्याज लेते हुए आगणन करवाया गया जिसके सापेक्ष भवन हेतु रू0

7,09,160/– तथा गैराज हेतु रू0 1,11,765/– का भुगतान आवंटी को करना है, जिससे आवंटी सहमत नहीं हैं।

प्रस्ताव

उक्त प्रकरण में चूँकि भवन व गैराज की गणना प्रेषित करने में प्राधिकरण स्तर से विलम्ब हुआ है अतः वर्ष 2002 के सर्किल रेट पर अब तक 17.5 प्रतिशत साधारण ब्याज लेते हुए करायी गयी भवन की गणना की धनराशि रू0 7,09,160/– तथा गैराज हेतु आगणित धनराशि रू0 1,11,765/– पर 20 (बीस) प्रतिशत छूट दिये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्राधिकरण बोर्ड की 154वीं बैठक हेतु विचारणीय अनुपूरक कार्यसूची

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

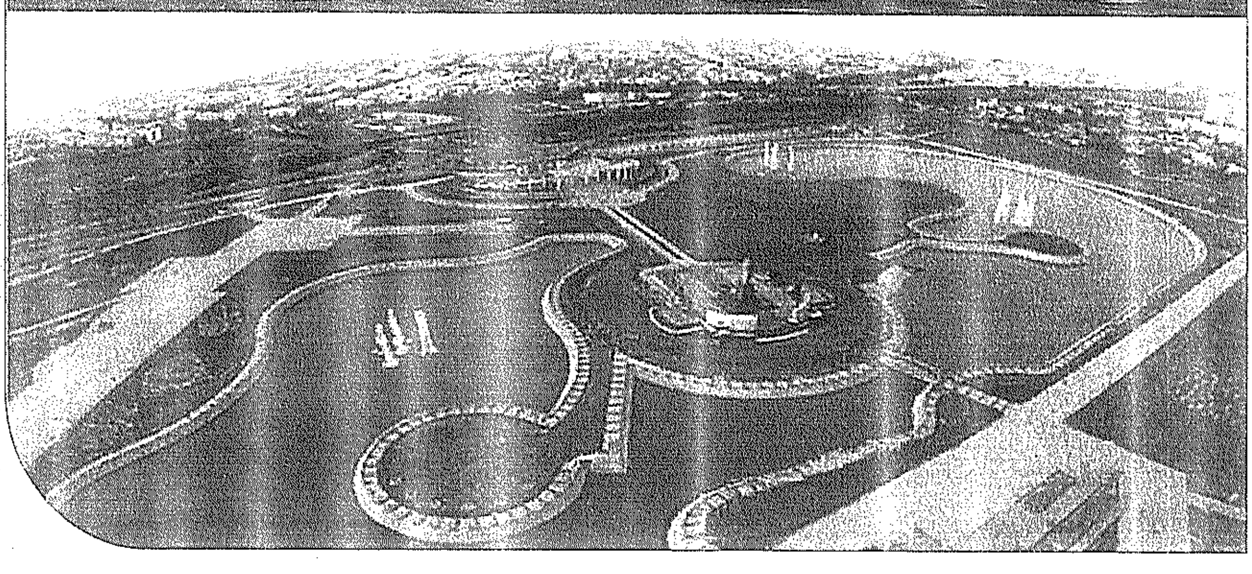

तिथि	:-	23 मई, 2015
समय	:-	प्रातः 11.30 बजे
स्थान	:-	मसऊद सभागार, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की 154वीं बैठक दिनांक 23.05.2015 में विचारणीय विषयों की अनुपूरक कार्य सूची

क्रम	विषय	पृष्ठ संख्या
1	भूखण्ड/खसरा सं0-178 (पुराना)/199/1(नया), क्षेत्रफल 02 बीघा 16 विश्वा स्थित श्री जागेश्वर महादेव मंदिर ग्राम-फत्तेपुर, सेक्टर-सी, अलीगंज, लखनऊ पर प्रस्तावित समूह आवास मानचित्र का भू-उपयोग मंदिर से आवासीय किये जाने के सम्बन्ध में।	01
2	जानकीपुरम विस्तार आवासीय योजना में ट्रामा सेन्टर अस्पताल हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	09
3	लखनऊ विकास प्राधिकरण की संचालित योजनाओं के अन्तर्गत व्यावसायिक सम्पत्तियों के भुगतान एवं कब्जा हस्तान्तरण की प्रक्रिया को सरलीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	12
4	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाओं जिनकी विकास सेवायें नगर निगम को हस्तान्तरित नही हुई है, में आवंटियों से अनुरक्षण शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।	14
5	उ0प्र0 की अधिसूचना सं0-174/आठ-6-09-01 दिनांक 27.01.2009 द्वारा लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित राजस्व ग्रामों की सूची में हुई त्रुटियों के निराकरण के सम्बन्ध में।	16
6	विभूति खण्ड, गोमती नगर में निर्माणाधीन मा0 उच्च न्यायालय को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित करने के सम्बन्ध में।	38
7	चक गंजरिया परियोजना के संशोधित तलपट मानचित्र के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	47
8	मे0 अंसल ए0पी0आई0 द्वारा लखनऊ-सुल्तानपुर रोड पर विकसित की जा रही सुशान्त गोल्फ सिटी हाई-टेक टाउनशिप के अन्तर्गत संशोधित डी0पी0आर0 (6465 एकड़) के अन्तर्गत डी0ए0-1, डी0ए0-2, डी0ए0-3 व डी0ए0-4 के संशोधित विन्यास मानचित्र एवं डी0ए0-5 के अंश विन्यास मानचित्र के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	55
9	कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-4 के अन्तर्गत ग्राम-भदरूख (बंगला बाजार) में प्रस्तावित धरना स्थल की भूमि मा0 न्यायालय के स्थगनादेश से प्रभावित होने के कारण समझौते के अन्तर्गत भूमि का समायोजन/आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।	58
10	श्री मिथिलेश कुमार पूर्व सांसद (लोकसभा) को आवंटित भूखण्ड सं0-ए-1/1, गोमती नगर विस्तार योजना की अतिरिक्त भूमि के मूल्य पर लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ करने के सम्बन्ध में।	67

भूखण्ड/खसरा सं0–178 (पुराना)/199/1(नया), क्षेत्रफल 2 बीघा 16 बिस्वा स्थित श्री जागेश्वर महादेव मंदिर ग्राम–फत्तेपुर, सेक्टर–सी, अलीगंज लखनऊ पर प्रस्तावित समूह आवास मानचित्र का भू–उपयोग मंदिर से आवासीय किये जाने के सम्बन्ध में:–

आख्या :– आवेदनकर्ता–मेसर्स हलवासिया प्रापर्टीज एवं श्री मयंक श्रीवास्तव द्वारा भूखण्ड/खसरा सं0–178 (पुराना)/199/1 नया), क्षेत्रफल 2 बीघा 16 बिस्वा स्थित श्री जागेश्वर महादेव मंदिर ग्राम–फत्तेपुर, सेक्टर–सी, अलीगंज लखनऊ पर समूह आवास मानचित्र स्वीकृत हेतु प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित स्थल लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित अलीगंज योजना के सेक्टर–एफ के बीच में स्थित है। अलीगंज योजना के सेक्टर–एफ की भूमि वर्ष 1977 के पूर्व अर्जित एवं विकसित किया गया है। प्रश्गत भूमि खसरा सख्या : 199/1 क्षेत्रफल 2 बीघा 16 बिस्वा (7080.00 वर्गमी0) है, अलीगंज सडक एवं विस्तार योजना के अन्तर्गत तलपट विन्यास में मंदिर के रूप में अंकित है। (पताका–क)

वर्तमान में भी परिसर में प्राचीनतम शिवालय मंदिर स्थित है। आवेदकर्ता द्वारा परिसर में मंदिर हेतु 797.00 वर्गमी0 भूमि छोडते हुए अवशेष 6258.00 वर्गमी0 क्षेत्रफल भूमि पर समूह आवास मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत भूखण्ड लखनऊ विकास प्राधिकरण के तलपट मानचित्र में मंदिर अंकित है। प्रस्तुत मानचित्र के स्वीकृति की संस्तुति तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 16.8.2014 में इस शर्त के साथ की गयी है कि प्रस्तावित समूह आवास मानचित्र की भूमि तलपट विन्यास में मंदिर अंकित होने के दृष्टिगत प्राधिकरण बोर्ड से प्रकरण पर स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही मानचित्र स्वीकृति/निर्गत करने की कार्यवाही की जायेगी। (तकनीकी समिति का कार्यवृत्त पताका–ख पर संलग्न)

19/5/15 19.5.15

उपरोक्त भूमि के स्वामित्व में कई परिवर्तन हुआ है। उप जिलाधिकारी, सदर लखनऊ के पत्रांक 1166 / टी0आर0 / एस0टी0 / 14 दिनांक 15.3.14 के अनुसार ग्राम फत्तेपुर परगना तहसील, जिला लखनऊ स्थित भूमि संख्या 199 / 1 क्षेत्रफल 0.708 हे0 मा0गु0 1750 है जिसमें खाता संख्या–23 पर क्षेत्रफल 0.4931 हे0 परमेश्वर नाथ पुत्र वीरेश्वर नाथ व बृजनाथ, भूपेन्द्रनाथ, बृजेन्द्रनाथ, वीरेन्द्रनाथ पुत्रगण जस्टिस विशेश्वरनाथ व विशेश्वरनाथ पुत्र भगवती नाथ व भुनवनेश्वर नाथ पुत्र विश्वनाथ निवासीगण 5, विशेश्वरनाथ रोड लखनऊ का नाम बतौर संकमणीय भूमिधर दर्ज है तथा 0.2149 हे0 पर मेसर्स हलवासिया डेवलेपमेंट प्र0 लि0 द्वारा महेन्द्र खोसला पुत्र गोविन्द सहाय खोसला निवासी 5 शाहनजफ रोड लखनऊ का नाम बतौर सक्रमणीय भूमिधर (द्वारा बैनामा) दर्ज है, इसी खतौनी की श्रेणी 9 के खाता संख्या 8 / 23 पर मंदिर श्री जागेशवर महादेव इंतजामी श्री महात्यागी प्रेमदास चेला बाबा रामदास स्थान ग्राम फत्तेपुर के नाम 1372 फसली खसरा संख्या 199 / 1 क्षेत्रफल 0.708 हे0 दर्ज है।

वर्तमान में उपरोक्त भूमि से शिवालय मंदिर जो 797.00 वर्गमी0 पर निर्मित है, के चारो ओर भूमि छोडते हुए अवशेष 6258.00 वर्गमी0 पर ग्रुप हाउसिंग हेतु प्राधिकरण में मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। भूखण्ड के चारो ओर प्राधिकरण द्वारा विकसित मार्ग एवं अन्य सामुदायिक सुविधाऐ उपयोगिताऐं एवं सेवाऐं विकसित है, जिसके कारण 15 प्रतिशत पार्क भूमि को अलग करते हुए अन्य मानक यथा–भू–आच्छादन, एफ0ए0आर0, सेट बैक आदि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित योजना के बीच में होने के कारण समस्त वाहय एवं आन्तरिक विकास शुल्क प्राप्त किया जाना होगा।

19.5.15 19/5/15 AC 19.5.15

विचारणीय बिन्दुः–

1. श्री जागेश्वर जगदम्बा सेवा ट्रस्ट के महन्त एवं अध्यक्ष श्री भोलानाथ द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड सं0–178 (पुराना)/199/1(नया) में स्थित मंदिर की भूमि पर किसी प्रकार का भवन मानचित्र स्वीकृत न किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 14.7.2014, 17.7.2014,एवं 20.2.2015 को प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ मंदिर भूमि के स्वामित्व के समर्थन में अभिलेख एवं खतौनी की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी है (पताका–ग पर संलग्न) तदक्रम में भूमि स्वामित्व के विधिक परीक्षणोपरान्त प्राधिकरण अधिवक्ता श्री विजय प्रताप सिंह चौहान द्वारा दिनांक 18.5.2015 को विधिक राय प्रस्तुत की गयी है जो **पताका–घ** पर संलग्न है।

2. प्रश्नगत प्रकरण में नगर निगम, लखनऊ के पत्रांक–47/मु0वा0 दिनांक 19.7.2014 के द्वारा मानचित्र स्वीकृत किये जाने पर आपत्ति व्यक्त की गयी है। (पताका–च पर संलग्न)

उक्त के क्रम में आवेदक–मेसर्स हलवासिया डेवलेपमेंटस प्रा0लि0 द्वारा दिनांक 18.5.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि लखनऊ नगर निगम द्वारा यह करते हुए आपत्ति की गयी कि हमारी सम्पत्ति के खसरे से सम्बन्धित अन्य खसरा सं0 199/2 व खसरा सं0 198 पर रास्ता है। इस समस्या के निराकरण हेतु दि0 19.5.2014 को प्रातः 10.00 बजे लखनऊ नगर निगन व सदर तहसील की टीम द्वारा संयुक्त पैमाइश कर समय नियत किया है।

उक्त पैमाइश के कारण हमारे मानचित्र की कार्यवाही स्थगित न की जाये क्योंकि नगर निगम विभाग का दावा हमारी भूमि पर न होकर हमारी भूमि से पृथक भूमि पर है। हमारा दावा गाटा सं0 199/1 पर है व नगर निगम का 199/2 तथा 198 पर है।

19.5.15 19.5.15 19.5.15

प्रस्ताव--

उपर्युक्त प्रकरण पर प्राधिकरण बोर्ड की 153वीं बैठक दिनांक 28 फरवरी 2015 में विषय संख्या--32 पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सम्पत्ति के स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेखों/प्रमाणों का विधिवत परीक्षण कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये। तदक्रम में प्राधिकरण के अधिवक्ता श्री विजय प्रताप सिंह चौहान द्वारा दिनांक 18.5.2015 को विधिक राय दी गयी है जिसमें उल्लेखित है कि-- ''मेसर्स हलवासिया डेवलेपमेंट प्रा0लि0 व श्री मयंक श्रीवास्तव द्वारा भूखण्ड/खसरा संख्या--178/पुराना, 199/1(नया) बद्री वाटिका ग्राम फतेहपुर अलीगंज लखनऊ पर प्रस्तुत ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृति हेतु पत्रावली पर मुझसे विधिक राय की अपेक्षा की गयी है जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त भूमि से सम्बन्धित खसरा खतौनी में ग्रुप हाउसिंग मानचित्र प्रस्तुत कर्तागणों का राजस्व अभिलेखों में दर्ज होना सही पाया गया एवं शिकायतकर्ता भोलानाथ के द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में मा0 सिविल जज लखनऊ मे मूल वाद सख्या--697/2014 मयंक श्रीवास्तव बनाम भोला नाथ अवस्थी, के न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन मेरे द्वारा किया गया जिसमें शिकायतकर्ता उपरोक्त वाद में विपक्षी है। मे0 हलवासिया डेवलेपमेंट प्रा0 लि0 द्वारा उपरोक्त वाद में विपक्षी भोलानाथ अवस्थी का मंदिर परिसर से अधिकार समाप्त करने व मंदिर परिसर को खाली करने हेतु योजित किया गया है जिसमें कोई स्थगन आदेश पारित नहीं है तथा उपरोक्त वाद न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त मंदिर की जमीन का रकबा 797 वर्गमी0 है। मानचित्र स्वीकृति हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह मंदिर परिसर को छोडकर प्रस्तुत किया गया है। अतएव मेरे मत से मानचित्र स्वीकृति में मंदिर का रास्ता व मंदिर के प्रागढ को अवरूद्व न करते हुए प्रस्तुत मानचित्र को प्राधिकरण के नियमानुसार स्वीकृत किया जाना विधिक होगा।

19.5.15 19/5/15 19.5.15

उपर्युक्तानुसार प्राधिकरण अधिवक्ता की विधिक राय एवं तकनीकी समिति की संस्तुति के कम में स्वीकृत तलपट मानचित्र में "मंदिर" हेतु आरक्षित भूमि के उपयोग "मंदिर" से "आवासीय" (समूह आवास) में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। प्राधिकरण से सहमति की दशा में प्रश्नगत भू–उपयोग (मंदिर से आवासीय) तलपट मानचित्र में परिवर्तन किये जाने हेतु मुख्य नगर नियोजक कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

19.5.15
(एस० के० श्रीवास्तव)
अवर अभियन्ता

19/5/15
एस० के० [illegible]
[illegible] अभियन्ता

19.5.15
[illegible]
[illegible]
स० वि० प्रा०

HALWASIYA GROUP

06

संलग्नक

दिनांक : 18–05–2015

सेवा में,

श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ।

महोदय,

निवेदन है कि हमारी कम्पनी द्वारा खसरा सं0 199/1 (पुराना सं0 178) ग्राम–फत्तेपुर वर्तमान में अलीगंज, लखनऊ पर प्रस्तावित समूह आवास भवन हेतु मानचित्र प्रस्तुत किया गया।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनाँक 27/05/2014 को सम्बन्धित विभागों से मानचित्र पर आपत्ति/अनापत्ति आमंत्रित की गयी।

उक्त के सन्दर्भ में "लखनऊ नगर निगम द्वारा यह कहते हुए आपत्ति की गयी कि हमारी सम्पत्ति के खसरे से सम्बन्धित अन्य खसरा सं0 199/2 व खसरा सं0 198 पर रास्ता है। इस समस्या के निराकरण हेतु दिनांक 19/05/2014 को प्रातः 10:00 बजे लखनऊ नगर निगम व सदर तहसील की टीम द्वारा संयुक्त पैमाइश का समय नियत किया गया है।"

अतः निवेदन है कि उक्त पैमाइश के कारण हमारे मानचित्र की कार्यवाही स्थगित न की जाय, "क्योंकि नगर निगम विभाग का दावा हमारी भूमि पर न होकर हमारी भूमि से पृथक भूमि पर है। हमारा दावा गाटा सं0 199/1 पर है व नगर निगम का 199/2 तथा 198 पर है।"

प्रार्थी

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
For Halwasiya Developments Pvt Ltd
Neeraj
हलवासिया डेवलपमेंट्स प्रा0 लि0
Authorized Signatory

AE/JE
उक्त पत्र के श्री अधिवक्ता महोदय को अवगत कराते हुए राय ले लें
(signature) 18.5.15

Halwasiya Developments (P) Limited
www.halwasiyagroup.com

Head Office :
Halwasiya Court
Hazratganj, Lucknow - 226001
T : +91-522-261 2523, 261 2524

Branch Office :
Sanskrit Bhawan
A-10, Qutub Institutional Area, Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi-110067

विधिक राय

सलंग्नक

सेवा में,

सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

महोदय,

मे0 हलवासिया डेवलपमेंट प्रा0लि0 व श्री मयंक श्रीवास्तव द्वारा भूखण्ड/खसरा संख्या–178/पुराना/199/1 (नया) बद्री वाटिका ग्राम फतेहपुर अलिगंज लखनऊ पर प्रस्तुत ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृती हेतु पत्रावली पर मुझसे विधिक राय की अपेक्षा की गई है जिसके सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि उपरोक्त भूमि से सम्बन्धित खसरा खतौनी मे ग्रुप हाउसिंग मानचित्र प्रस्तुत कर्तागणो का राजस्व अभिलेखो मे दर्ज होना सही पाया गया एवं शिकायतकर्ता भोलानाथ के द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र मे मा0 सिविल जज लखनऊ मे मूल वाद संख्या–697/2014 मयंक श्रीवास्तव बनाम भोला नाथ अवस्थी, के न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन मेरे द्वारा किया गया जिसमे शिकायत कर्ता उपरोक्त वाद मे विपक्षी है। मे0 हलवासिया डेवलपमेंट प्रा0लि0 द्वारा उपरोक्त वाद मे विपक्षी भोलानाथ अवस्थी का मंदिर परिसर से अधिकार समाप्त करने व मंदिर परिसर को खाली करने हेतु योजित किया गया है जिसमे कोई स्थगन आदेश पारित नही है तथा उपरोक्त वाद न्यायालय मे विचाराधीन है। उक्त मंदिर की जमीन का रकबा 797 वर्ग मी0 है। मानचित्र स्वीकृति हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह मंदिर परिसर को छोड़कर प्रस्तुत किया गया है

अतएव मेरे मत से मानचित्र स्वीकृति मे मंदिर का रास्ता व मंदिर के प्रांगढ को अवरूद्ध न करते हुये प्रस्तुत मानचित्र को प्राधिकरण के नियमानुसार स्वीकृत किया जाना विधिक होगा।

भवदीय,

(विजय प्रताप सिंह चौहान)
एडवोकेट
18/5/17

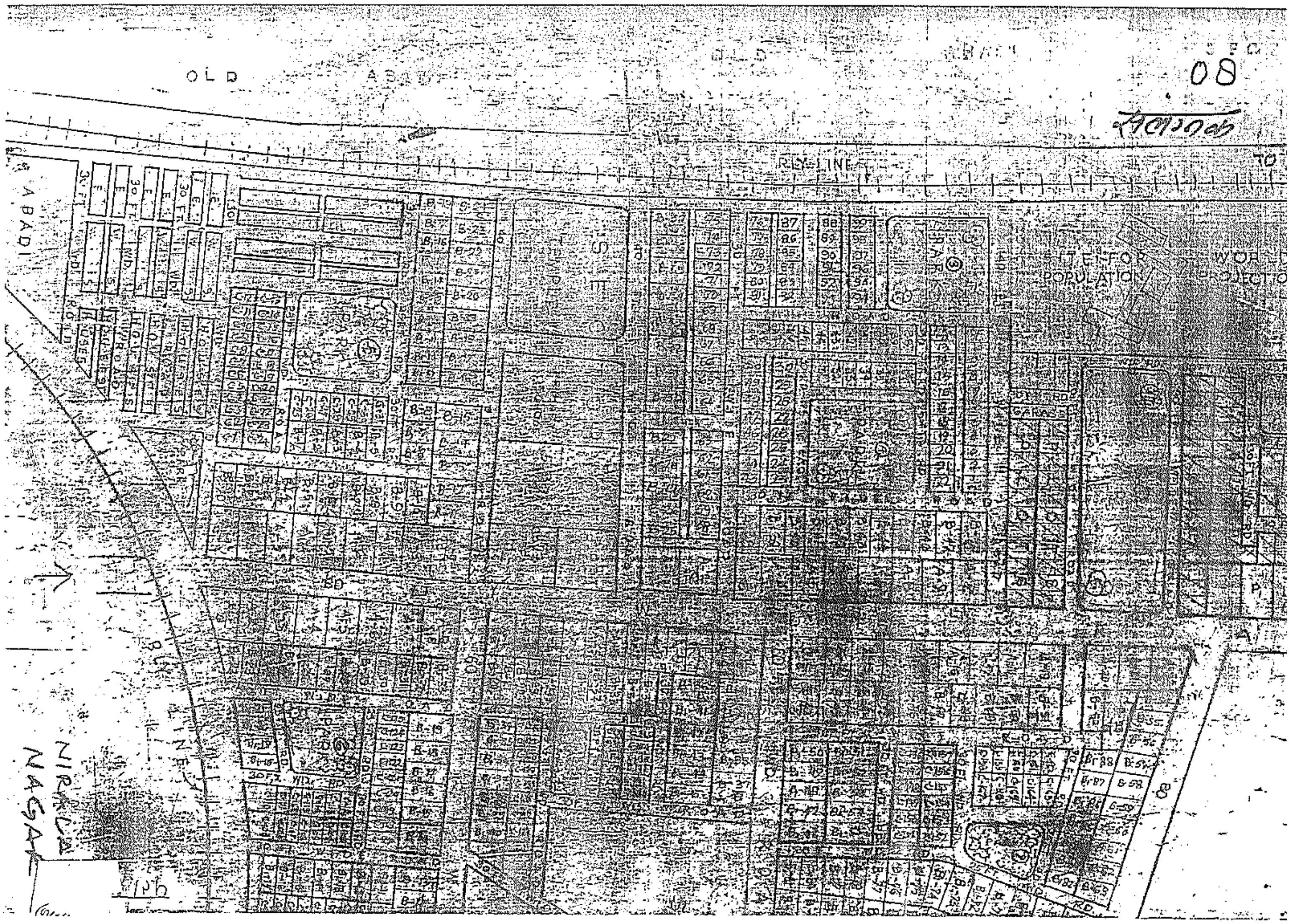
08
OLD
RLY LINE
POPULATION
A BADI

विषय : जानकीपुरम विस्तार आवासीय योजना में ट्रामा सेंटर अस्पताल हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

विषय वस्तु : मा0 राज्य मंत्री व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 04.12.2013 को बैठक आयोजित की गयी, जिसमें विधान सभा क्षेत्रफल 172 शहर उत्तर के विकास कार्यो की समीक्षा की गयी, जिसमें ट्रांमा सेंटर/अस्पताल के निर्माण के सम्बन्ध में भूमि के चिन्हाकंन हेतु निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में जानकीपुरम विस्तार योजना में स्थित सेक्टर–3 में ट्रांमा सेंटर/अस्पताल के प्रयोजनार्थ आरक्षित भूखण्ड सं0–एस0सी0–1 (क्षेत्रफल 2332 वर्ग मीटर) रिक्त होने से मा0 मंत्री जी को अवगत कराया गया था, परन्तु मा0 मंत्री महोदय द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण से यह अपेक्षा की गयी है कि क्षेत्र में अग्नि शमन हेतु कोई स्थान ले–आउट में नही छोड़ी गयी है, जबकि यह सेवा अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु पुलिस चौकी के साथ अग्नि शमन की सेवा को भी जनहित में समायोजित करना भी उचित होगा। इसी के सम्बन्ध में मा0 राज्य मंत्री के पत्र दिनांक 24.12.2013, एवं 26.12.2013 को बैठक आहूत की गयी बैठक में ट्रांमा सेंटर/अस्पताल के सम्बन्ध में मंत्री महोदय द्वारा उपरोक्तानुसार प्रस्तुत रिक्त भूमि असहमति व्यक्ति करते हुए ट्रांमा सेंटर/अस्पताल निर्माण हेतु लगभग 1.00 एकड़ से 1.50 एकड़ भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। **बैठक में प्रश्नगत हेल्थ सेंटर/नर्सिंग होम आरक्षित भूखण्ड से सटे पुलिस चौकी हेतु आरक्षित भूखण्ड की भूमि को मिलाकर उपलब्ध भूमि पर ट्रांमा सेंटर का निर्माण किये जाने की कार्यवाही पर विचार किये जाने की सहमति व्यक्त की गयी।**

जानकीपुरम विस्तार योजना के सेक्टर–3 के अनुमोदित ले–आउट प्लान में चिन्हित पुलिस चौकी हेतु भूखण्ड क्षेत्रफल 2233.02 वर्ग मीटर पुलिस थाना की स्थापना हेतु पुलिस विभाग को 90 वर्षीय पट्टे पर मात्र टोकेन लीज रेन्ट रू0–1/– वार्षिक (रू0–10/–) पट्टा अवधि के एक मुश्त भुगतान पर दिनांक 25.8.2012 को आवंटित किया गया था। तद्क्रम में पुलिस विभाग द्वारा रू0–10/– धनराशि प्राधिकरण कोष में दिनांक 10.6.2013 को जमा किया गया।

लक्ष्मी बिष्ट
उप सचिव

वर्णित स्थिति के क्रम में जानकीपुरम विस्तार योजना सेक्टर–3 में हेल्थ सेंटर/नर्सिंग होम एवं पुलिस चौकी हेतु आरक्षित भूखण्ड को मिलाकर सम्पूर्ण उपलब्ध भूमि को ट्रांमा सेंटर/अस्पताल के निर्माण हेतु प्रस्तावित किये जाने से पूर्व अनुमोदित सेक्टर के मूल ले–आउट में आंशिक परिवर्तन/संशोधन आवश्यक है। साथ ही पुलिस विभाग को चौकी/थाना की स्थापना हेतु आवंटित भूमि के स्थान पर योजना में अन्यत्र भूमि चिन्हित करने एवं चिन्हित भूमि का ले–आउट में पुलिस चौकी/थाना के प्रयोजनार्थ परिवर्तन के उपरान्त पुर्नआवंटन की कार्यवाही अपेक्षित होगी।

पुलिस चौकी/थाना हेतु जानकीपुरम विस्तार योजना के सेक्टर–2 में फैसलटीज हेतु आरक्षित भूखण्ड चिन्हित किया गया है। इस फैसलटीज हेतु आरक्षित भूखण्ड को पुलिस चौकी/थाना के प्रयोजनार्थ ले–आउट में परिवर्तन किया जाना है।

इसी के सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 16.1.2014 में निम्न प्रस्ताव रखा गया था:–

जानकीपुरम विस्तार योजना के सेक्टर–3 में हेल्थ सेंटर/नर्सिंग होम एवं पुलिस चौकी की भूमि को मिलाकर ट्रामा सेंटर हास्पिटल हेतु भूखण्ड में संशोधन करने के साथ रेलवे लाइन के बगल सेक्टर–2 में 45 मीटर मार्ग पर फैसलटीज भूखण्ड पुलिस चौकी एवं अग्नि शमन हेतु तलपट मानचित्र में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोनार्थ प्रस्तुत किया गया था।

प्रस्ताव पर बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया कि **शासन के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से ट्रामा सेंटर/अस्पताल के निर्माण हेतु मांग पत्र प्राप्त होने के उपरान्त समस्त बिन्दुओं का समावेश करते हुए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।** बोर्ड निर्णय के अनुपालन में विभागीय पत्र दिनांक 18.2.2014 एवं 21.1.2015 तथा **09.4.2015 द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से यह अनुरोध किया गया था कि शासन के** चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से ट्रामा सेंटर/अस्पताल के निर्माण हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय। अनुपालन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पत्र दिनांक 30.4.2015 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि जानकीपुरम विस्तार योजना में स्थित सेक्टर–3 में ट्रांमा सेंटर/अस्पताल हेतु लगभग एक एकड़ भूमि पर 100 सैय्या संयुक्त चिकित्सालय/ट्रांमा सेंटर का मल्टी स्टोरी चिकित्सालय का निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है, जिसमें आकस्मिक विभाग, दन्त विभाग, नेत्र विभाग, स्त्री रोग विभाग, अस्थि रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, रेडियोलाजी विभाग, पैथोलाजी विभाग,

हृदय रोग विभाग, सर्जरी विभाग इसके अतिरिक्त चिकित्सालय नें राउण्ड द क्लाक ट्रांमा सेंटर की स्थापना भी प्रस्तावित है। उक्त भूमि को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि शासन के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है। मा0राज्यमंत्री, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उक्त भूमि को उपलब्ध कराने हेतु बार–बार निर्देश दिये जा रहे है। वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये पुनः प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना समीचीन होगा।

प्रस्ताव :– जानकीपुरम विस्तार योजना के सेक्टर–3 में हेल्थ सेंटर/नर्सिंग होम एवं पुलिस चौकी की भूमि को मिलाकर ट्रामा सेंटर हास्पिटल हेतु भूखण्ड को तलपट मानचित्र में संशोधन करने एवं रेलवे लाइन के बगल सेक्टर–2 में 45 मीटर मार्ग पर फैसलटी भूखण्ड को पुलिस चौकी एवं अग्नि शमन हेतु तलपट मानचित्र में संशोधन हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

19/05/15

उप सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की संचालित योजनाओं के अन्तर्गत व्यावसायिक सम्पत्तियों के भुगतान एवं कब्जा स्थानान्तरण की प्रकिया को सरलीकृत किये जाने के सम्बन्ध मे।

विषय वस्तु : लखनऊ विकास प्राधिकरण की संचालित योजनाओं के अन्तर्गत व्यावसायिक समपत्तियों के भुगतान एवं कब्जा स्थानान्तरण की प्रकिया को सरलीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण के अधिकारियों के मध्य हुए विचारा–विमर्श में यह मत स्थिर किया गया है कि प्राधिकरण की काफी सम्पत्तियॉ ऐसी है, जो भुगतान / कब्जा हस्तान्तरण न होने के कारण विक्रय नही हो पा रही है। विकय सम्बन्धित प्रक्रिया को सरलीकरण करने का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग) के पत्र संख्या–1373 / सा0प्र0–3 / 124–2001(भाग–3)76 दिनांक 11.8.2010 के अनुसार सम्पत्ति के आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि के रूप में अवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से तीन माह में स्वीकृत मूल्य की 20 प्रतिशत धनराशि जिसमें टोकेन धनराशि समायोजित होगी। आवंटन पत्र की तिथि से 6 माह में अतिरिक्त 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि तथा सम्पत्ति के स्वीकृत मूल्य की शेष 70 प्रतिशत धनराशि 15 (बोर्ड द्वारा पूर्व से नियत दर) प्रतिशत ब्याज सहित 25 तिमाही किश्तों में देय होगी। प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में भुगतान हेतु लागू व्यवस्था एवं उपरोक्त के दृष्टिगत प्रस्तावित भुगतान हेतु व्यवस्था निम्नवत् है:–

वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था भुगतान / कब्जा हेतु	प्रस्तावित व्यवस्था भुगतान / कब्जा हेतु
उच्चतम् स्वीकृत बोली / टेण्डरदाता को कुल धनराशि की 15 प्रतिशत की धनराशि बोली गयी बोली / नीलामी की स्वीकृत की सूचना (जो बेव साइट / लिखित पत्र से दी जा सकेगी) के 15 दिवसों के अन्दर जमा करनी होगी अन्यथा टोकेनमनी / अर्नेस्टमनी जब्त कर लीा जायेगी। आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर 25 प्रतिशत धनराशि पुनः जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि 8 त्रैमासिक किश्तों में 15 प्रशित साधारण ब्याज सहित जमा करनी होती है।	नीलामी से पूर्व सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य को 10 प्रतिशत टोकेनमनी उच्चतम् बोली स्वीकृत होने पर 15 प्रतिशत की धनराशि एक माह में जमा करने के उपरान्त आवंटन पत्र निर्गत किया जाय।
देय किश्तों का भुगतान न करने पर 18 प्रतिशत वार्षिक चकवृद्धि की दर से दण्ड ब्याज देय होगा तथा दो किश्तों	सम्पत्ति की अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि की किश्तें ब्याज सहित 2 वर्षो अर्थात 8 त्रैमासिक किश्ते

की धनराशि बकाया हो जाने पर आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण का होगा।	निर्धारित की जाये। 25 प्रतिशत की धनराशि पर आवंटन पत्र में ही किश्तें निर्धारित की जाय और क्रेता को रजिस्टर्ड अनुबन्ध कराकर कब्जा हस्तानान्तरित किया जाय।
सम्पत्ति के पूर्ण भुगतान हो जाने के उपरान्त विक्रय विलेख निष्पादन के उपरान्त कब्जा क्रेता को दिया जाता है।	सम्पत्ति के पूर्ण भुगतान उपरान्त विक्रय विलेख निष्पादित किया जाय।

प्रतिबन्ध

1. आवंटी/संस्था प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर मानचित्र स्वीकृत कराकर ही निर्माण कार्य करायेंगे।
2. व्यावसायिक सम्पत्तियों के आंवटियों द्वारा अपने सदस्यों/ग्राहकों को सम्पत्ति भूखण्ड पर निर्मित सम्पत्ति की रजिस्ट्री करने का अधिकार नही होगा, जब तक प्राधिकरण से देयता समाप्त नही हो जाती है। प्राधिकरण के प्रति देयता समाप्त होने एवं आवंटी के पक्ष में प्राधिकरण की ओर से रजिस्ट्री होने पर ही आवंटी द्वारा ग्राहकों के पक्ष में रजिस्ट्री करने का अधिकार होगा।
3. आवंटियों द्वारा देय भुगतान शिड्यूल के अनुसार भुगतान न किये जाने की पर अथवा अनुबन्ध के प्राविधानों/शर्तो के उल्लघंन की दशा में प्राधिकरण को देय बकाया धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूल करने का अधिकार होगा।
4. आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष प्राधिकरण को पूर्ण भुगतान प्राप्त होने तक सम्पत्ति विक्रय द्वारा किसी प्रकार की वसूली का प्रथम अधिकार प्राधिकरण का होगा।
5. प्राधिकरण द्वारा नीलामी के नियम व शर्तो का पालन आवंटी/संस्था को करना होगा। समस्त अधिकार उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण में निहित होगा।

प्रस्ताव : उक्त तथ्यों के आलोक में लखनऊ विकास प्राधिकरण की संचालित योजनाओं की व्यावसायिक सम्पत्तियों के भुगतान एवं कब्जा हस्थानान्तरण की प्रक्रिया को सरलीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

(देवचन्द्र राम)
कार्यालय अधीक्षक

(एन. एन. सिंह)
संयुक्त सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाओं, जिनकी विकास सेवायें नगर निगम को हस्तान्तरित नही हुई है, में आवंटियों से अनुरक्षण शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही योजनाओं में योजना के परिपक्वता तक अर्थात् लगभग 80 प्रतिशत आवंटियों के अध्यासन तक, प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित की जाती है, जिसमें सड़क मरम्मत, मार्ग प्रकाश, जलापूर्ति, पार्क, सीवरेज एवं स्वीपिंग सम्बन्धी कार्यो पर प्राधिकरण निधि से व्यय किया जाता है। योजनाओ के पूर्ण विकसित होने में काफी समय लगता है तथा उत्तरोत्तर आवंटियों के बसावट के साथ–साथ योजना पर अनुरक्षण व्यय क्रमशः बढता जाता है। उक्त के दृष्टिगत मा0 बोर्ड द्वारा वांछित बिन्दु पर चर्चा करते हुए निम्नानुसार निर्देश दिये गये थे:–

"प्राधिकरण की विकसित योजनायें, जो नगर निगम हस्तानान्तरित नही की गयी है, उसका हस्तानान्तरण न होने तक वहां के निवासियों से यूजर चार्जेज प्राप्त किये जाने की कार्यवाही यथा नियम की जायें, साथ ही ऐसे इलाको में मूलभूत सुविधाएं/सेवायें प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी जायें"।

तदक्रम में उक्त हेतु शासनादेश में निर्धारित किये गये अनुरक्षण शुल्क पर मुद्रा स्फीति सूचकांक आरोपित करते हुए दरे प्राप्त की गयी, जिसें मुख्य अभियन्ता कार्यालय द्वारा निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:–

1.	आवासीय भूखण्डों हेत	:	रु0–3.00 प्रतिमाह प्रतिवर्गमी0 भूखण्ड क्षेत्रफल पर।
2.	संस्थागत एवं कार्यालय प्रयोग हेतु	:	रु0–4.50 प्रतिमाह प्रतिवर्गमी0 भूखण्ड क्षेत्रफल पर।
3.	व्यवसायिक भूखण्डों हेतु	:	रु0–6.00 प्रतिमाह प्रतिवर्गमी0 भूखण्ड क्षेत्रफल पर।
4.	स्कूल भूखण्ड हेतु	:	रु0–0.60 प्रतिमाह प्रतिवर्गमी0 भूखण्ड क्षेत्रफल पर।
5.	रिक्त भूखण्डों पर	:	आवंटी द्वारा कुल अनुरक्षण शुल्क का 25 प्रतिशत प्राधिकरण को देय होगा।

वर्तमान में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अनुरक्षण दरो के आधार पर मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा,

राजवीर सिंह (पी०के० सिंह)
नगर अभियन्ता सहायक अभियन्ता

विकसित योजनाओं, जिनका हस्तान्तरण सम्बन्धित नगर निगम को नही किया गया है, का अनुरक्षण शुल्क आवंटियों से लिया जाना प्राधिकरण बोर्ड बैठक द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। तद्क्रम में उपरोक्त अनुरक्षण दरो/यूजर चार्जेज को आवंटियों से लिये जाने का प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखे जाने हेतु प्रेषित है।

प्रस्तावः—

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाओं, जिनकी विकास सेवायें नगर निगम को हस्तान्तरित नही हुई है, में आवंटियों से लिया जाने वाला अनुरक्षण शुल्क निम्नानुसार हैः—

1.	आवासीय भूखण्डों हेत	:	रु0—3.00 प्रतिमाह प्रतिवर्गमी0 भूखण्ड क्षेत्रफल पर।
2.	संस्थागत एवं कार्यालय प्रयोग हेतु	:	रु0—4.50 प्रतिमाह प्रतिवर्गमी0 भूखण्ड क्षेत्रफल पर।
3.	व्यवसायिक भूखण्डों हेतु	:	रु0—6.00 प्रतिमाह प्रतिवर्गमी0 भूखण्ड क्षेत्रफल पर।
4.	स्कूल भूखण्ड हेतु	:	रु0—0.60 प्रतिमाह प्रतिवर्गमी0 भूखण्ड क्षेत्रफल पर।
5.	रिक्त भूखण्डों पर	:	आवंटी द्वारा कुल अनुरक्षण शुल्क का 25 प्रतिशत प्राधिकरण को देय होगा।

उपरोक्त भूखण्डों में लिये जाने वाले अनुरक्षण शुल्क का मदवार विभाजन निम्नानुसार हैः—

1.	मार्ग प्रकाश	:	20 प्रतिशत
2.	जलापूर्ति	:	30 प्रतिशत
3.	सड़क एव पार्क	:	20 प्रतिशत
4.	सीवर	:	10 प्रतिशत
5.	स्वीपिंग एवं नालों की सफाई	:	20 प्रतिशत

कृपया उपरोक्तानुसार आवंटियों से मदवार अनुरक्षण शुल्क लिये जाने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(हस्ताक्षर) सिंह
नगर अभियन्ता

(हस्ताक्षर) (पी० ... सिंह)
सहायक अभियन्ता
ल० वि० प्रा०

विषयः उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्या–174/आठ–6–09–01 दिनांक 27.01.2009 द्वारा लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित राजस्व ग्रामों की सूची में हुई त्रुटियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

आख्याः

लखनऊ विकास क्षेत्र के विस्तारीकरण के अन्तर्गत वर्ष–2009 में लखनऊ नगर के चारों ओर स्थित 197 ग्रामों को अधिसूचना सं0–174/आठ–6–09–01 दिनांक 27.01.2009 द्वारा सम्मिलित किया गया था। तदोपरान्त अधिसूचना सं0–2532/आठ–6–14–1 गठन/2004, दिनांक 19.11.2014 द्वारा विकास खण्ड–काकोरी, तहसील–सदर, जिला–लखनऊ के और 16 ग्रामों को लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया गया था। जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा वर्ष–2009 में जारी अधिसूचना में त्रुटियों का उल्लेख करते हुये पत्र सं0–454/लख0/2014 दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा संशोधन हेतु उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया, जिसकी प्रति लखनऊ विकास प्राधिकरण को भी प्राप्त है (छायाप्रति अनुलग्नक–1 पर अवस्थित)।

1. जिलाधिकारी द्वारा उल्लिखित त्रुटियों के अन्तर्गत तहसीलदार सदर के राजस्व ग्राम क्रम सं0–3 से 85 तक कुल 22 ग्रामों के नामों में त्रुटि तथा तहसील–लखनऊ के स्थान पर तहसील–सदर, लखनऊ अंकित किये जाने, क्र0सं0–81 से 85 तक के 5 ग्राम, विकास खण्ड–काकोरी के स्थान पर विकास खण्ड–चिनहट अंकित होने, तहसील–बक्शी का तालाब के 28 ग्रामों के नामों में सुधार तथा राजस्व ग्रामों के क्रम सं0–69 से 80 तक 12 ग्राम विकास खण्ड–काकोरी के स्थान पर विकास खण्ड–चिनहट तथा तहसील–बक्शी का तालाब, क्रम सं0–157 से 195 तक 16 ग्रामों के नाम में त्रुटि, तहसील–मोहनलाल गंज के अन्तर्गत क्रम सं0–86 से 109 तक कुल 12 राजस्व ग्राम के नामो में त्रुटि, क्रमांक–110 से 126 के कुल 17 ग्रामों के नामों की त्रुटि के साथ तहसील–लखनऊ के स्थान पर तहसील–मोहनलालगंज में स्थित होने, क्रमांक–137 से 155 कुल 19 ग्रामों के नाम में सुधार के साथ तहसील–मलिहाबाद के स्थान पर मोहनलालगंज का नाम अंकित होने, क्रमांक–98 पर 'मधुवा' के स्थान पर 'मंगहुवा' होने का उल्लेख है। तहसील–मलिहाबाद अधिसूचना क्रमांक–129 पर अंकित राजस्व ग्राम–'मण्डौली' के स्थान पर 'मंदौली' होना चाहिए। क्रमांक–130 पर राजस्व ग्राम 'सालिहाबाद' के स्थान पर 'सालीहाबाद', क्रमांक–131 पर 'अल्लूपुर' के स्थान पर 'अल्लपुर', क्रमांक–132 पर अंकित राजस्व ग्राम–'बुधडिया' के स्थान पर ग्राम–'बुधारिया', क्रमांक–133 पर अंकित राजस्व ग्राम–'टिकैतगंज' के स्थान पर 'टिकैटगंज', क्रमांक–134 पर अंकित राजस्व ग्राम–'गोखौरा' के स्थान पर 'गुखैरा' अंकित है।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त अधिसूचना सं0–174 / आठ–6–09–01गठन–04, दिनांक 27.01.2009 में 197 ग्रामों के 45 राजस्व ग्राम को आंशिक रूप से विकास क्षेत्र के सम्मिलित किये जाने का उल्लेख करते हुये पूर्ण ग्रामों को लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया जाय अथवा आंशिक ग्रामों के खसराओं के साथ विकास क्षेत्र में सम्मिलित करते हुये प्रकाशित कराये जाने का सुझाव दिया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लखनऊ विकास क्षेत्र की घोषणा से सम्बन्धित निवास अनुभाग–2, नोटिफिकेशन नं0–3923 / XXXVII-2-4-(DA)-72, Dated September 11, 1974 द्वारा–"Area falling within the limits of the Nagar Mahapalika, Lucknow and a distance of eight kilometers on all sides beyond the Nagar Mahapalika limits but excludin g Cantonment areas and lands owned, requisitioned or taken on lease by the by the Central Government for the purpose of any naval, military or air force authority." सम्मिलित किये गये थे (छायाप्रति अनुलग्नक–2 पर अवस्थित), जिसमें उल्लिखित 45 ग्रामों का आंशिक भाग सम्मिलित किया गया था तथा अवशेष आंशिक भाग शासन की अधिसूचना सं0–174 / आठ–6–09–1 गठन / 04, दिनांक 27.01.2009 द्वारा जिला–लखनऊ के 197 ग्रामों में सम्मिलित है। इस प्रकार उल्लिखित (आंशिक) 45 ग्रामों को पूर्ण रूप से लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया जा चुका है। (अधिसूचना की छायाप्रति अनुलग्नक–3 पर अवस्थित)।
3. यह भी उल्लेखनीय है कि अधिसूचना सं0–174 / आठ–6–09–01गठन–04, दिनांक 27.01.2009 के अन्तर्गत ''संशोधनो'' के नीचे ''उपर्युक्त अधिसूचना में शीर्षक ''लखनऊ विकास क्षेत्र'' में उल्लिखित प्रविष्टयों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जाएगी, प्रकाशित है, जबकि उक्त के स्थान पर ''संशोधनो'' के नीचे ''उपर्युक्त अधिसूचना में शीर्षक ''लखनऊ विकास क्षेत्र'' में उल्लिखित प्रविष्टयों **के साथ** निम्नलिखित प्रविष्टियाँ **सम्मिलित की** जाएगी, का प्रकाशित किया जाना उचित होगा।
4. इसके अतिरिक्त लखनऊ विकास क्षेत्र में अधिसूचना सं0–2532 / आठ–6–14–1 गठन / 2004, दिनांक 19.11.2014 (अधिसूचना की छायाप्रति अनुलग्नक–4 पर अवस्थित) के अन्तर्गत प्रकाशित अनुसूची में कालम–3 के अन्तर्गत विकास खण्ड के नीचे 'काकोरी' एवं इसके नीचे 'तदैव' तथा इसी प्रकार कालम–4 के अन्तर्गत तहसील व जिला के नीचे सदर, लखनऊ एवं इसके नीचे 'तदैव' को दर्शित कर प्रकाशित किया जाना उचित होगा।
5. सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0–182 / लखनऊ विकास क्षेत्र / ल0ख0 / 2015–16, दिनांक 21.05.2015 द्वारा अनुरोध किया गया है कि फैजाबाद मार्ग पर विकास क्षेत्र का विस्तार जनपद–बाराबंकी तक है, परन्तु त्रुटिवश ग्राम–पपनामऊ, फैजाबाद मार्ग तहसील व जनपद–लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित नहीं हो पाया है (छायाप्रति अनुलग्नक–5 पर अवस्थित)।

उक्त के क्रम में जिला–लखनऊ, फैजाबाद मार्ग पर स्थित होने के दृष्टिगत उपरोक्त ग्राम–पपनामऊ को भी लखनऊ विस्तारित विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना उचित होगा।

प्रस्ताव

उपरोक्त आख्या तथा प्रस्तावित संशोधनों की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2009 में लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित 197 ग्रानों के प्रकाशन से सम्बन्धित अधिसूचना के प्रकाशन नामों, विकासखण्ड, तहसील आदि की अशुद्धियो का निराकरण तथा अधिसूचना सं0–2532/आठ–6–14–1गठन/2004, दिनांक 19.11.2014 में त्रुटि के निराकरण के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार प्रस्तावित संशोधनों से सम्बन्धित प्रस्ताव पर बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। सहमति की दशा प्रकाशन हेतु उ0प्र0 शासन को संदर्भित किया जायेगा।

8221/ता0/14
13.11.14

141407
12/11/2014

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

अनु. नि.

सेवा में,

सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन,
उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

पत्रांकः– / लख0 / 2014 दिनांकः– नवम्बर, 2014

विषयः– उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–3 के अन्तर्गत शासन की अधिसूचना संख्या 174 /आठ–6–09–01 गठन–04 दिनांक 27.01.2009 द्वारा लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित राजस्व ग्रामों की सूची में हुई त्रुटियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासन की अधिसूचना संख्या 174/आठ–6–09–01 गठन–04 दिनांक 27.01.2009 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–3 के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के 197 राजस्व ग्रामों को लखनऊ विकास क्षेत्र में गजट में प्रकाशित होने की तिथि से सम्मिलित किया गया है।

आपके संज्ञान में लाना है कि उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेन्ट अधिनियम 1919 जैसा उसे उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेन्ट अधिनियम (अमेन्डमेन्ट) अधिनियम 1948 तथा 1966 के उन्नीसवें अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है, की धारा 67–एच के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति के अन्तरण के लेखपत्र पर जो स्टाम्प शुल्क अधिनियम द्वारा आरोपित शुल्क को ऐसे क्षेत्रों से सम्बन्धित जहाँ यह अधिनियम लागू है प्रतिफल की राशि या मूल्य के, जिसके आधार पर स्टाम्प अधिनियम के अधीन स्टाम्प शुल्क आगणित किया जाता है दो प्रतिशत बढ़ा दिये जाने का प्राविधान है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम 1965 यथा संशोधित की धारा 62 के अन्तर्गत भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 द्वारा अचल सम्पत्ति के अन्तरण पर आरोपित शुल्क को ऐसे क्षेत्रों से सम्बन्धित अचल सम्पत्ति के अन्तरणों पर जहाँ यह अधिनियम लागू है, प्रतिफल की राशि या मूल्य, जिसके आधार पर उस अधिनियम के अधीन स्टाम्प शुल्क आगणित किया जाता है का दो प्रतिशत बढ़ा दिये जाने का प्राविधान है। उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 39 के अनुसार भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 द्वारा अचल सम्पत्ति के अन्तरण के लेखपत्र पर आरोपित स्टाम्प शुल्क ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो किसी विकास क्षेत्र में स्थित हो, उस मूल्य पर प्रतिफल की राशि पर, जिस पर स्टाम्प शुल्क आगणित किया जाता है दो प्रतिशत बढ़ा दिया जायेगा।

उपरोक्त विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति के अन्तरण के लेखपत्र पर अरोपित या देय स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त दो प्रतिशत अतिरिक्त

PA
संयुक्त सचिव विकास प्राधिकरण
सचिव विकास प्राधिकरण

स्टाम्प शुल्क लिये जाने का प्राविधान है। दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क लिये जाने हेतु नगर–निगम, नगरपालिका परिषद् विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद द्वारा नगरीय क्षेत्र, एवं विकास क्षेत्र में सम्मिलित राजस्व ग्रामों की सूची व मानचित्र निबन्धन विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27.01.2009 मुख्य नगर नियोजक लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को पत्रांक 1205/सी0टी0पी0/2014 दिनांक 19.09.2014 द्वारा उपलब्ध कराये जाने के पश्चात सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/सहायक आयुक्त स्टाम्प लखनऊ को प्राप्त हुई है। उक्त अधिसूचना समय से प्राप्त न होने के कारण **उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 39 के अनुसार उक्त राजस्व ग्रामों से सम्बन्धित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण विलेखों पर दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की अदायगी नहीं हो सकी है।**

अधिसूचना संख्या 174/आठ–6–09–01 गठन–04 दिनांक 27.01.2009 के सम्बन्ध में जनपद के सम्बन्धित तहसीलदारों से आख्या प्राप्त की गयी। उक्त आख्या के अवलोकन के पश्चात यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उक्त अधिसूचना के द्वारा लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित राजस्व ग्रामों की सूची में राजस्व ग्रामों का नाम, विकास खण्ड का नाम अथवा तहसील का नाम त्रुटिपूर्ण ढंग से अंकित हैं इसके अतिरिक्त लगभग 45 राजस्व ग्रामों को अंशिक रूप से लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है, परन्तु उक्त राजस्व ग्रामों के सम्बन्धित गाटा संख्याओं का उल्लेख नहीं किया गया है जिन्हें विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। उक्त अधिसूचना में तहसीलवार त्रुटियों के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत हैं–

1. <u>तहसील सदर लखनऊ–</u> तहसीलदार सदर लखनऊ के पत्र दिनांक 30.10.2014 द्वारा अधिसूचना दिनांक 27.01.2009 में तहसील सदर से सम्बन्धित राजस्व ग्रामों, विकासखण्ड, अथवा तहसील के नामों में त्रुटियों एवं उन्हे शुद्ध करते हुये सूची प्रस्तुत की गई है जिसका विवरण निम्नवत है–

कम	गजट में त्रुटिपूर्ण अंकित राजस्व ग्राम का विवरण				शुद्धिकरण का विवरण			
	गजट में राजस्व ग्राम का कम0	राजस्व ग्राम का नाम	विकासखण्ड का नाम	तहसील का नाम	गजट में राजस्व ग्राम का कम0	राजस्व ग्राम का नाम	विकासखण्ड का नाम	तहसील का नाम
1	3	लोन्हा	सरोजनीनगर	तहसील लखनऊ	3	लोनहा	सरोजनीनगर	सदर, लखनऊ
2	5	मावैया पाढियाना	सरोजनीनगर	तहसील लखनऊ	5	मवईपडियाना	सरोजनीनगर	सदर, लखनऊ
3	14	खानदेव	सरोजनीनगर	तहसील लखनऊ	14	खाण्डेदेव	सरोजनीनगर	सदर, लखनऊ
4	15	भोकापुर	सरोजनीनगर	तहसील लखनऊ	15	भौकापुर	सरोजनीनगर	सदर, लखनऊ
5	23	नूरपुर मदरसा (आंशिक)	सरोजनीनगर	तहसील लखनऊ	23	नूरनगर भदरसा(आंशिक)	सरोजनीनगर	सदर, लखनऊ
6	29	किशुनपुर काडिया	सरोजनीनगर	तहसील लखनऊ	29	किशुनपुर कौडिया	सरोजनीनगर	सदर, लखनऊ

7	31	धावापुर खसरवारा	सरोजनीनगर	तहसील लखनऊ	31	धावापुर	सरोजनीनगर	सदर, लखनऊ
8	37	रटोली	सरोजनीनगर	तहसील लखनऊ	37	रतौली	सरोजनीनगर	सदर, लखनऊ
9	38	भागूखेरा	सरोजनीनगर	तहसील लखनऊ	38	भागूखेडा	सरोजनीनगर	सदर, लखनऊ
10	39	जैतीखेरा	सरोजनीनगर	तहसील लखनऊ	39	जैतीखेडा	सरोजनीनगर	सदर, लखनऊ
11	42	कल्लीपुरब	सरोजनीनगर	तहसील लखनऊ	42	पूरबकल्ली	सरोजनीनगर	सदर, लखनऊ
12	46	संचई (आंशिक)	सरोजनीनगर	तहसील लखनऊ	46	सेवई (आंशिक)	सरोजनीनगर	सदर, लखनऊ
13	51	गोदरामऊ	काकोरी	तहसील लखनऊ	51	गोपरामऊ	काकोरी	सदर, लखनऊ
14	54	कुशमोरा ढलुआपुर (आंशिक)	काकोरी	तहसील लखनऊ	54	कुशमौरा हलुआपुर (आंशिक)	काकोरी	सदर, लखनऊ
15	55	बिराहु (आंशिक)	काकोरी	तहसील लखनऊ	55	बिगहू (आंशिक)	काकोरी	सदर, लखनऊ
16	60	कठीगेश (आंशिक)	काकोरी	तहसील लखनऊ	60	कठिंगरा (आंशिक)	काकोरी	सदर, लखनऊ
17	67	कुदाइट गॉव	काकोरी	तहसील लखनऊ	67	कूढाइट गॉव	काकोरी	सदर, लखनऊ
18	81	मेहोरा	काकोरी	तहसील लखनऊ	81	मेहोरा	चिनहट	सदर, लखनऊ
19	82	सिकन्दरपुर खुर्द	काकोरी	तहसील लखनऊ	82	सिकन्दरपुर खुर्द	चिनहट	सदर, लखनऊ
20	83	लौलाई (आंशिक)	काकोरी	तहसील लखनऊ	83	लौलाई (आंशिक)	चिनहट	सदर, लखनऊ
21	84	देवरिया (आंशिक)	काकोरी	तहसील लखनऊ	84	देवरिया (आंशिक)	चिनहट	सदर, लखनऊ
22	85	लोनापुर (आंशिक)	काकोरी	तहसील लखनऊ	85	लोनापुर (आंशिक)	चिनहट	सदर, लखनऊ

तहसीलदार सदर द्वारा उक्त के अतिरिक्त अवगत कराया है कि अधिसूचना में अंकित तहसील लखनऊ के स्थान पर तहसील सदर लखनऊ अंकित किया जाना उचित है तथा क्रमांक 69 से क्रमांक 80 तक राजस्व ग्राम व क्रमांक 110 से क्रमांक 126 तक के राजस्व ग्राम तहसील सदर लखनऊ के अन्तर्गत नहीं है।

<u>2.– तहसील बी0के0टी0–</u> तहसीलदार बी0के0टी0 के पत्र दिनांक 31.10.2014 द्वारा अधिसूचना दिनांक 27.01.2009 में तहसील बी0के0टी0 से सम्बन्धित राजस्व ग्रामों, विकासखण्ड, अथवा तहसील के नामों में त्रुटियों एवं उन्हे शुद्ध करते हुये सूची प्रस्तुत की गई है जिसका विवरण निम्नवत है–

क्रम	गजट में त्रुटिपूर्ण अंकित राजस्व ग्राम का विवरण				शुद्धिकरण का विवरण			
	गजट में राजस्व ग्राम का क्रम0	राजस्व ग्राम का नाम	विकासखण्ड का नाम	तहसील का नाम	गजट में राजस्व ग्राम का क्रम0	राजस्व ग्राम का नाम	विकासखण्ड का नाम	तहसील का नाम
1	69	रैथा	काकोरी	सदर लखनऊ	69	रैथा	चिन्हट	बक्शी का तालाब
2	70	पश्चिम गांव	काकोरी	सदर लखनऊ	70	पश्चिम गांव	चिन्हट	बक्शी का तालाब

3	71	पुरवा	काकोरी	सदर लखनऊ	71	पुरवा	चिनहट	बक्शी का तालाब
4	72	धर्तीगरा	काकोरी	सदर लखनऊ	72	धतिंगरा	चिनहट	बक्शी का तालाब
5	73	बोरूमऊ	काकोरी	सदर लखनऊ	73	बौरूमऊ	चिनहट	बक्शी का तालाब
6	74	दुग्गौर	काकोरी	सदर लखनऊ	74	दुग्गौर	चिनहट	बक्शी का तालाब
7	75	लक्ष्मीपुर	काकोरी	सदर लखनऊ	75	लक्ष्मीपुर	चिनहट	बक्शी का तालाब
8	76	सैरपुर	काकोरी	सदर लखनऊ	76	सैरपुर	चिनहट	बक्शी का तालाब
9	77	पूरबगॉव (आंशिक)	काकोरी	सदर लखनऊ	77	पूरबगॉव (आंशिक	चिनहट	बक्शी का तालाब
10	78	फरूखाबाद (आंशिक)	काकोरी	सदर लखनऊ	78	फरूखाबाद (आंशिक)	चिनहट	बक्शी का तालाब
11	79	कुन्डरी भोली (आंशिक)	काकोरी	सदर लखनऊ	79	कोडरी भौली (आंशिक)	चिनहट	बक्शी का तालाब
12	80	धोवैला (आंशिक)	काकोरी	सदर लखनऊ	80	धोवैला (आंशिक)	चिनहट	बक्शी का तालाब
13	157	देवरी रोखरा	बक्शी का तालाब	बक्शी का तालाब	157	देवरी रूखारा	बक्शी का तालाब	बक्शी का तालाब
14	159	बेहरा करौंडी	बक्शी का तालाब	बक्शी का तालाब	159	बेहड करौंदी	बक्शी का तालाब	बक्शी का तालाब
15	162	बीखामऊ खुर्द	बक्शी का तालाब	बक्शी का तालाब	162	बीकामऊ खुर्द	बक्शी का तालाब	बक्शी का तालाब
16	164	बीखामऊ कला	बक्शी का तालाब	बक्शी का तालाब	164	बीकामऊ कला	बक्शी का तालाब	बक्शी का तालाब
17	167	मझेरिया	बक्शी का तालाब	बक्शी का तालाब	167	मझोरिया	बक्शी का तालाब	बक्शी का तालाब
18	172	रामपुर बहेडा	बक्शी का तालाब	बक्शी का तालाब	172	रामपुर बेहडा	बक्शी का तालाब	बक्शी का तालाब
19	173	डिगोई	बक्शी का तालाब	बक्शी का तालाब	173	दिगोई	बक्शी का तालाब	बक्शी का तालाब
20	175	डिगुरपुर	बक्शी का तालाब	बक्शी का तालाब	175	डीगुंरपुर	बक्शी का तालाब	बक्शी का तालाब
21	180	अन्चरामऊ (आंशिक)	बक्शी का तालाब	बक्शी का तालाब	180	अचरामऊ (आंशिक)	बक्शी का तालाब	बक्शी का तालाब
22	181	अस्ती	बक्शी का तालाब	बक्शी का तालाब	181	अस्ती	बक्शी का तालाब	बक्शी का तालाब
23	182	सिवान	बक्शी का तालाब	बक्शी का तालाब	182	सींवा	बक्शी का तालाब	बक्शी का तालाब
24	184	कौडीमऊ	बक्शी का तालाब	बक्शी का तालाब	184	कौडियामऊ	बक्शी का तालाब	बक्शी का तालाब
25	186	पलाका	बक्शी का तालाब	बक्शी का तालाब	186	पलका	बक्शी का तालाब	बक्शी का तालाब
26	188	चन्द कोडर	बक्शी का तालाब	बक्शी का तालाब	188	चन्दा कोडर	बक्शी का तालाब	बक्शी का तालाब
27	189	दिनकरपुर मालवा (आंशिक)	बक्शी का तालाब	बक्शी का तालाब	189	दिनकरपुर झलौवा (आंशिक)	बक्शी का तालाब	बक्शी का तालाब
28	195	दशौली (आंशिक)	बक्शी का तालाब	बक्शी का तालाब	195	दसौली (आंशिक)	बक्शी का तालाब	बक्शी का तालाब

तहसीलदार बी0के0टी0 द्वारा उक्त के अतिरिक्त अवगत कराया है कि अधिसूचना के कमांक 170 पर अंकित सोहरामऊ व कमांक 187 पर अंकित भरवारामऊ राजस्व ग्राम तहसील बी.के.टी. में नहीं है। यह राजस्व ग्राम सम्भवतः साढामऊ व भाखामऊ हो सकते है, लेकिन इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त तहसील बी0के0टी0 में टिकारी व टिकरी दोनों राजस्व ग्राम है लेकिन

गजट में टिकरी ग्राम सम्मिलित है जबकि ग्राम टिकरी नगर निगम सीमा से काफी दूर स्थित है व टिकारी नगर निगम की सीमा से अपेक्षाकृत नजदीक है। इस आधार पर टिकरी के स्थान पर टिकारी गजट में सम्मिलित होना उचित होगा। इसके अतिरिक्त अधिसूचना मे सम्मिलित आंशिक ग्रानों के गाटा संख्या का उल्लेख नहीं है। अधिसूचना में सम्मिलित आंशिक ग्रामों के स्थान पर इन ग्रामों को पूर्णता विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना उचित होगा।

<u>3.– तहसील मोहनलालगंज–</u> तहसीलदार मोहनलालगंज के पत्र दिनांक 31.10.2014 द्वारा अधिसूचना दिनांक 27.01.2009 में तहसील मोहनलालगंज से सम्बन्धित राजस्व ग्रामों, विकासखण्ड, अथवा तहसील के नामों में त्रुटियों एवं उन्हे शुद्ध करते हुये सूची प्रस्तुत की गई है जिसका विवरण निम्नवत है–

कम0	गजट में त्रुटिपूर्ण अंकित राजस्व ग्राम का विवरण				शुद्धिकरण का विवरण			
	गजट में राजस्व ग्राम का कम0	राजस्व ग्राम का नाम	विकासखण्ड का नाम	तहसील का नाम	गजट में राजस्व ग्राम का कम0	राजस्व ग्राम का नाम	विकासखण्ड का नाम	तहसील का नाम
1	86	चक कजेहरा (आंशिक)	गोसाईगंज	मोहनलालगंज	86	चक कजेहरा	गोसाईगंज	मोहनलालगंज
2	87	मस्तेमऊ (आंशिक)	गोसाईगंज	मोहनलालगंज	87	मस्तेमऊ	गोसाईगंज	मोहनलालगंज
3	88	मढहारमऊ खुर्द	गोसाईगंज	मोहनलालगंज	88	माढर मऊ खुर्द	गोसाईगंज	मोहनलालगंज
4	89	मढहारमऊ कला	गोसाईगंज	मोहनलालगंज	89	माढर मऊ कला	गोसाईगंज	मोहनलालगंज
5	90	बक्कास (आंशिक)	गोसाईगंज	मोहनलालगज	90	बक्कास	गोसाईगंज	मोहनलालगंज
6	92	चुरैहया (आंशिक)	गोसाईगंज	मोहनलालगंज	92	चौरहिया	गोसाईगंज	मोहनलालगंज
7	94	ढकावा	गोसाईगंज	मोहनलालगंज	94	ढकवा	गोसाईगंज	मोहनलालगंज
8	97	सलाहीमऊ	गोसाईगंज	मोहनलालगंज	97	सल्लाहीमऊ	गोसाईगंज	मोहनलालगंज
9	102	सरायकरौरा	गोसाईगंज	मोहनलालगंज	102	सराय करोरा	गोसाईगंज	मोहनलालगंज
10	104	सीमानपुर	गोसाईगंज	मोहनलालगंज	104	सेमनापुर	गोसाईगंज	मोहनलालगंज
11	107	बलियाखेरा	गोसाईगंज	मोहनलालगंज	107	बलियाखेडा	गोसाईगंज	मोहनलालगंज
12	109	काशीमपुर विरूहा	गोसाईगंज	मोहनलालगंज	109	काशीमपुर विरूहा	गोसाईगंज	मोहनलालगंज
13	110	मुअज्जमनगर	गोसाईगंज	लखनऊ	110	मोअज्ज नगर	गोसाईगंज	मोहनलालगंज
14	111	सोनई काजीहरा	गोसाईगंज	लखनऊ	111	सोनई कजेहरा	गोसाईगंज	मोहनलालगंज
15	112	पहाडनगर टिकरिया	गोसाईगंज	लखनऊ	112	पहाडनगर टिकरिया	गोसाईगंज	मोहनलालगंज
16	113	कबीरपुर	गोसाईगंज	लखनऊ	113	कबीरपुर	गोसाईगंज	मोहनलालगंज
17	114	सतवारा	गोसाईगंज	लखनऊ	114	सठवारा	गोसाईगंज	मोहनलालगंज
18	115	मधुवा	गोसाईगंज	लखनऊ	115	मंगहुवा	गोसाईगंज	मोहनलालगंज
19	116	भटवारा	गोसाईगंज	लखनऊ	116	भटावारा	गोसाईगंज	मोहनलालगंज
20	117	सिकन्दरपुर अमोलिया	गोसाईगंज	लखनऊ	117	सिकन्दरपुर अमोलिया	गोसाईगंज	मोहनलालगंज
21	118	सिद्धपुरा	गोसाईगंज	लखनऊ	118	सिद्धपुरा	गोसाईगंज	मोहनलालगंज
22	119	रकीबाबाद	गोसाईगंज	लखनऊ	119	रकीबाबाद	गोसाईगंज	मोहनलालगंज
23	120	मोहरी खुर्द	गोसाईगंज	लखनऊ	120	मोहरी खुर्द	गोसाईगंज	मोहनलालगंज
24	121	मोहरी कला	गोसाईगंज	लखनऊ	121	मोहरी कला	गोसाईगंज	मोहनलालगंज
25	122	हबुआपुर	गोसाईगंज	लखनऊ	122	हबुआपुर	गोसाईगंज	मोहनलालगंज
26	123	सिथौली खुर्द	गोसाईगंज	लखनऊ	123	सिठौली खुर्द	गोसाईगंज	मोहनलालगंज
27	124	बेली	गोसाईगंज	लखनऊ	124	बेली	गोसाईगंज	मोहनलालगंज
28	125	सिवलर	गोसाईगंज	लखनऊ	125	शिवलर	गोसाईगंज	मोहन्लालगंज

29	126	जमालपुर	गोसाईगंज	लखनऊ	126	जमालपुर कुर्मियान	गोसाईगंज	मोहनलालगंज
30	137	सरथुआ	मोहनलालगंज	मलिहाबाद	137	सरथुआ	मोहनलालगंज	मोहनलालगंज
31	138	मोहिउद्दीनपुर	मोहनलालगंज	मलिहाबाद	138	मोहिउद्दीनपुर	मोहनलालगंज	मोहनलालगंज
32	139	शिवढरा	मोहनलालगंज	मलिहाबाद	139	शिवढरा	मोहनलालगंज	मोहनलालगंज
33	140	पूरननगर	मोहनलालगंज	मलिहाबाद	140	पूरननगर	मोहनलालगंज	मोहनलालगंज
34	141	दाउद नगर	मोहनलालगंज	मलिहाबाद	141	दाउद नगर	मोहनलालगंज	मोहनलालगंज
35	142	परेहटा	मोहनलालगंज	मलिहाबाद	142	परेहटा	मोहनलालगंज	मोहनलालगंज
36	143	दहियर	मोहनलालगंज	मलिहाबाद	143	दहियर	मोहनलालगंज	मोहनलालगंज
37	144	खुजौली	मोहनलालगंज	मलिहाबाद	144	खुजौली	मोहनलालगंज	मोहनलालगंज
38	145	हरिकंश गढी	मोहनलालगंज	मलिहाबाद	145	हरिकंश गढी	मोहनलालगंज	मोहनलालगंज
39	146	दलौना	मोहनलालगंज	मलिहाबाद	146	दलौना	मोहनलालगंज	मोहनलालगंज
40	147	पुरसैनी	मोहनलालगंज	मलिहाबाद	147	पुरसैनी	मोहनलालगंज	मोहनलालगंज
41	148	इन्द्रजीत खेडा	मोहनलालगंज	मलिहाबाद	148	इन्द्रजीत खेडा	मोहनलालगंज	मोहनलालगंज
42	149	धर्मावत खेडा	मोहनलालगंज	मलिहाबाद	149	धर्मावत खेडा	मोहनलालगंज	मोहनलालगंज
43	150	धर्मगढ खेडा	मोहनलालगंज	मलिहाबाद	150	धर्मगढ खेडा	मोहनलालगंज	मोहनलालगंज
44	151	मऊ	मोहनलालगंज	मलिहाबाद	151	मऊ	मोहनलालगंज	मोहनलालगंज
45	152	देहवा	मोहनलालगंज	मलिहाबाद	152	डेहवा	मोहनलालगंज	मोहनलालगंज
46	153	भसन्डा	मोहनलालगंज	मलिहाबाद	153	भसन्डा	मोहनलालगंज	मोहनलालगंज
47	154	भौधरी	मोहनलालगंज	मलिहाबाद	154	भौंदरी	मोहनलालगंज	मोहनलालगंज
48	155	अतरौली	मोहनलालगंज	मलिहाबाद	155	अतरौली	मोहनलालगंज	मोहनलालगंज

उक्त के अतिरिक्त तहसीलदार मोहनलालगंज द्वारा अवगत कराया गया है कि अधिसूचना के कमांक 91 व 115 पर अंकित ग्राम कमशः घौरैया व पैपामऊ ग्राम तहसील मोहनलालगंज के अन्तर्गत नहीं है, कमोंक 98 पर अंकित ग्राम मधुवा के स्थान पर मंगहुवा होना चाहिए क्योंकि गजट में अंकित ग्रामों के बीच में है एवं कमांक 86, 87, 90 व 92 पर अंकित ग्राम कमशः चक कजेहरा(आंशिक), मस्तेमऊ (आंशिक), बक्कास (आंशिक), चौरहिया (आंशिक) में गाटा संख्या का विवरण गजट में स्पष्ट न होने के कारण पूरे राजस्व ग्राम को विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना उचित होगा।

<u>4.– तहसील मलिहाबाद–</u> तहसीलदार मलिहाबाद के पत्र दिनांक 31.10.2014 द्वारा अधिसूचना के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि अधिसूचना के कमांक 133 पर अंकित टिकैतगंज (आंशिक) कमांक 135 पर कटौली (आंशिक), तथा कमांक 136 पर अंकित मलहा(आंशिक) को विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है परन्तु इन राजस्व ग्रामों के आंशिक क्षेत्र की गाटा संख्याओं का उल्लेख गजट में नहीं किया गया है। इस प्रकार अधिसूचना में उल्लिखित तथ्य पूर्ण नहीं है। इसके अतिरिक्त अधिसूचना के कमांक 129 पर अंकित राजस्व ग्राम मण्डौली के स्थान पर मंदौली कमों 130 पर राजस्व ग्राम सालिहाबाद के स्थान पर सालीहाबाद कमाक 131 पर अंकित राजस्व ग्राम अल्लूपुर के स्थान पर अल्लपुर, कमाक 132 पर अंकित राजस्व ग्राम बुधडिया के स्थान पर बुधारिया, कमांक 133 पर अंकित राजस्व ग्राम टिकैतगंज के स्थान पर टिकैटगंज कमांक 134 पर अंकित राजस्व ग्राम गोखौरा के स्थान पर गुखैरा अंकित है, जो गलत है। इन्हें शुद्ध किया जाना उचित है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधिसूचना दिनांक 27.01.2009 के द्वारा जिन 197 राजस्व ग्रामों को लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है, उनमें से तहसील सदर में 22, तहसील

बी0के0टी0 में 28, तहसील मोहनलालगंज में 45 तथा तहसील मलिहाबाद में 03 राजस्व ग्रामों में या तो राजस्व ग्राम का नाम त्रुटिपूर्ण है, या विकास क्षेत्र त्रुटिपूर्ण है अथवा तहसील का नाम त्रुटिपूर्ण है। उक्त के अतिरिक्त 45 राजस्व ग्राम आंशिक रूप से लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है जिनकी गाटा संख्याओं का उल्लेख नहीं है कि कौन सी गाटा संख्या विकास क्षेत्र में सम्मिलित है। इससे स्पष्ट है कि उक्त अधिसूचना त्रुटिपूर्ण होने के कारण उक्त अधिसूचना के आधार पर **उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 39 के अनुसार उक्त राजस्व ग्रामों से सम्बन्धित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण विलेखों पर दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की वसूली किया जाना विधिसंगत प्रतीत नहीं होता है। उक्त तथ्यों के आलोक में अधिसूचना दिनांक 27.01.09 में संशोधन अथवा नवीन अधिसूचना निर्गत किया जाना उचित प्रतीत होता है।**

अतः अनुरोध है कि अधिसूचना संख्या 174/आठ--6--09--01गठन--04 दिनांक 27.01.2009 में सम्मिलित राजस्व ग्रामों/विकास खण्ड/तहसील में उपरोक्तानुसार संशोधन तथा जिन राजस्व ग्रामों को आंशिक रूप से विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है उनको पूर्णतः सम्मिलित करते हुये अथवा पूर्णतः सम्मिलित न करने की दशा में जिस आंशिक भाग को विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है उन गाटा संख्याओं का उल्लेख अधिसूचना में करते हुये नवीन अधिसूचना निर्गत करने का कष्ट करे।

संलग्नक--उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राजशेखर)
जिलाधिकारी,
लखनऊ

पत्रांकः-- 454 /लख0/2014 दिनांकः--11, अक्टूबर,2014

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

1. प्रमुख सचिव स्टाम्प एवं निबन्धन उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ।
3. मुख्य नगर नियोजक लखनऊ विकास प्राधिकरण।

(राजशेखर)
जिलाधिकारी,
लखनऊ

8. Sri Amresh Kumar Banerjee, Member, Nagar Mahapalika Allahabad — Member ex-officio
9. Sri Lalit Mohan Tandon, Member, Nagar Mahapalika, Allahabad — Do
10. Sri Halim Khan, Member Nagar Mahapalika, Allahabad — Do
11. Sri Mahavir Prasad, Member, Nagar Mahapalika, Allahabad — Do

Varanasi Development Authority

1. The Commissioner Varanasi Division — Chairman
2. The Administrator, Nagar Mahapalika, Varanasi — Vice-Chairman
3. The Secretary to the State Government, Incharge of the Department of Housing — Member ex-officio
4. The Secretary to the State Government, Incharge of the Department of Finance — Do
5. The Chief Town and Country Planner Uttar Pradesh — Do
6. The Chief Engineer, Local Self-Government Engineering Department Uttar Pradesh — Do
7. The District Magistrate, Varanasi — Do

Niwas Anubhag 2, Notification No. 3923/XXXVII-2-4-(DA)-72, dated September 11, 1974, published in U.P. Gazette, Extra., dated 11th September, 1974

Whereas, in the opinion of the State Government the following areas in State of Uttar Pradesh require to be developed according to plan:

Now, therefore, in exercise of the powers under Section 3 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act No. 11 of 1973) the Governor is pleased to declare, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the following areas to be development areas.

Lucknow Development Area

Area falling within the limits of the Nagar Mahapalika, Lucknow and a distance of eight kilometres on all sides beyond the Nagar Mahapalika limits but excluding Cantonment areas and lands owned, requisitioned or taken on lease by the Central Government for the purpose of any naval, military or air force authority.

Agra Development Area

Area falling within the limits of the Nagar Mahapalika, Agra and a distance of eight kilometres on all sides beyond the Nagar Mahapalika limits but excluding Cantonment areas and lands owned, requisitioned or taken on lease by the Central Government for the

रजिस्ट्रेशन नं०—एस०एस०पी०/एल०—
डब्लू०/एन०पी०/91/2008—10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 27 जनवरी, 2009
माघ 7, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—6

संख्या 174/आठ-6-09-01 गठन-04
लखनऊ, 27 जनवरी, 2009

अधिसूचना

प०आ०—72

उत्तर प्रदेश असाधारण खण्ड अधिनियम,1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा पुनः अधिनियमित और संशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, सरकारी अधिसूचना संख्या 3923/37—2—4 (डी०ए०)-72, दिनांक 11 सितम्बर, 1974 में, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, शीर्षक "लखनऊ विकास क्षेत्र" में उल्लिखित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जाएगी, अर्थात :—

नीचे दी गई अनुसूची में आरक्षित वन क्षेत्र को छोड़ते हुए ग्रामों का क्षेत्र,

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	विकास खण्ड	तहसील व जिला
1.	खुरर्मपुर (आंशिक)	सरोजनीनगर	तहसील—लखनऊ जिला लखनऊ
2.	पिपरसंड (आंशिक)	तदैव	तदैव
3.	लोन्हा	तदैव	तदैव
4.	गदोई	तदैव	तदैव
5.	गावैय पाढ़ियाना	तदैव	तदैव
6.	हरौनी	तदैव	तदैव
7.	लतीफनगर	तदैव	तदैव
8.	भट गॉव	तदैव	तदैव
9.	गढ़ी चुनौटी	तदैव	तदैव
10.	अन्धपुरदेव	तदैव	तदैव
11.	औरांवा	तदैव	तदैव
12.	रामचौरा	तदैव	तदैव
13.	दादूपुर	तदैव	तदैव
14.	खानदेव	तदैव	तदैव
15.	भोकापुर	तदैव	तदैव
16.	बेतीं	तदैव	तदैव
17.	सराय सहजादी	तदैव	तदैव
18.	बनी	तदैव	तदैव
19.	पहाड़पुर	तदैव	तदैव
20.	बन्थरा सिकन्दरपुर	तदैव	तदैव
21.	मिरानपुर पिनवट (आंशिक)	तदैव	तदैव
22.	नटकुर (आंशिक)	तदैव	तदैव
23.	नूरपुर भदरसा (आंशिक)	तदैव	तदैव
24.	चन्द्रावल (आंशिक)	तदैव	तदैव
25.	सरैया	तदैव	तदैव
26.	शाहपुर मझिगवॉ	तदैव	तदैव
27.	कुरौनी	तदैव	तदैव
28.	जहानाबाद	तदैव	तदैव
29.	किशुनपुर कोडिया	तदैव	तदैव
30.	खसरवारा	तदैव	तदैव
31.	धावापुर खसरवारा	तदैव	तदैव
32.	बीबीपुर	तदैव	तदैव
33.	मेमोरा	तदैव	तदैव
34.	नीवा	तदैव	तदैव
35.	खटोला	तदैव	तदैव
36.	मखदूमपुर कैथी	तदैव	तदैव

पी०एस

AP. 94

क्रमांक	ग्राम का नाम	विकास खण्ड	तहसील व जिला
37.	रटोली	सरोजनीनगर	तहसील—लखनऊ
38.	भागूखेरा	तदैव	तदैव
39.	जैतीखेरा	तदैव	तदैव
40.	माती (आंशिक)	तदैव	तदैव
41.	परवर पश्चिम	तदैव	तदैव
42.	कल्लीपूरब	तदैव	तदैव
43.	कल्ली पश्चिम (आंशिक)	तदैव	तदैव
44.	बिरूरा (आंशिक)	तदैव	तदैव
45.	बरौली खलीलाबाद (आंशिक)	तदैव	तदैव
46.	सेचई (आंशिक)	तदैव	तदैव
47.	हसनपुर खेवली (आंशिक)	तदैव	तदैव
48.	निजामपुर मझिगवॉं (आंशिक)	तदैव	तदैव
49.	बरौना (आंशिक)	तदैव	तदैव
50.	परवर पूरब	तदैव	तदैव
51.	गोदरामऊ	काकोरी	तदैव
52.	बन्शीगढ़ी	तदैव	तदैव
53.	काकराबाद (आंशिक)	तदैव	तदैव
54.	कुशमोरा ढलुआपुर (आंशिक)	तदैव	तदैव
55.	बिराहु (आंशिक)	तदैव	तदैव
56.	दसदोई (आंशिक)	तदैव	तदैव
57.	गोहरामऊ	तदैव	तदैव
58.	करझन (आंशिक)	तदैव	तदैव
59.	जलियामऊ	तदैव	तदैव
60.	कठीगेरा (आंशिक)	तदैव	तदैव
61.	शिवरी (आंशिक)	तदैव	तदैव
62.	बेलवॉं (आंशिक)	तदैव	तदैव
63.	सकरा	तदैव	तदैव
64.	मदारपुर	तदैव	तदैव
65.	सरायमुहिब	तदैव	तदैव
66.	पुरैना	तदैव	तदैव
67.	कुदाईट गॉंव	तदैव	तदैव
68.	बरकताबाद जहॉंगीराबाद (आंशिक)	तदैव	तदैव
69.	रैथा	तदैव	तदैव
70.	पश्चिम गॉंव	तदैव	तदैव
71.	पुरवा	तदैव	तदैव
72.	धर्तीगरा	तदैव	तदैव
73.	बोरूमऊ	तदैव	तदैव

क्रमांक	ग्राम का नाम	विकास खण्ड	तहसील व जिला
74.	दुग्गौर	काकोरी	तहसील–लखनऊ
75.	लक्ष्मीपुर	तदैव	तदैव
76.	सैरपुर	तदैव	तदैव
77.	पूरबगॉव (आंशिक)	तदैव	तदैव
78.	फरुखाबाद (आंशिक)	तदैव	तदैव
79.	कुन्डरी भोली (आंशिक)	तदैव	तदैव
80.	धोवैला (आंशिक)	तदैव	तदैव
81.	मेहोरा	तदैव	तदैव
82.	सिकन्दरपुर खुर्द	तदैव	तदैव
83.	लौलाई (आंशिक)	तदैव	तदैव
84.	देवरिया (आंशिक)	तदैव	तदैव
85.	लोनापुर (आंशिक)	तदैव	तदैव
86.	चंक कजेहरा (आंशिक)	गोसाईगंज	तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ
87.	मस्तेमऊ (आंशिक)	तदैव	तदैव
88.	मढ़हारमऊ खुर्द	तदैव	तदैव
89.	मढ़हारमऊ कला	तदैव	तदैव
90.	बक्कास (आंशिक)	तदैव	तदैव
91.	धौरैया (आंशिक)	तदैव	तदैव
92.	चुरैहया (आंशिक)	तदैव	तदैव
93.	मलूकपुर	तदैव	तदैव
94.	ढकांवा	तदैव	तदैव
95.	दुलारमऊ	तदैव	तदैव
96.	नूरपुरबेहटा	तदैव	तदैव
97.	सलाहीमऊ	तदैव	तदैव
98.	पैपामऊ	तदैव	तदैव
99.	साहसघाट	तदैव	तदैव
100.	महमूदपुर	तदैव	तदैव
101.	बाजुपुर	तदैव	तदैव
102.	सरायकरौरा	तदैव	तदैव
103.	सलौली	तदैव	तदैव
104.	सीमानपुर	तदैव	तदैव
105.	मलौली	तदैव	तदैव
106.	कोरीयानी	तदैव	तदैव
107.	बलियाखेरा	तदैव	तदैव
108.	चॉद सराय	तदैव	तदैव
109.	काशीमपुर विरूहा	तदैव	तदैव

31

क्रमांक	ग्राम का नाम	विकास खण्ड	तहसील व जिला
110.	मुअज्जमनगर	गोसाईगंज	तहसील लखनऊ जिला लखनऊ
111.	सोनई काजीहेरा	तदैव	तदैव
112.	पहाड़नगर टिकरिया	तदैव	तदैव
113.	कबीरपुर	तदैव	तदैव
114.	सतवारा	तदैव	तदैव
115.	मघुवा	तदैव	तदैव
116.	भटवारा	तदैव	तदैव
117.	सिकन्दरपुर अमौलिया	तदैव	तदैव
118.	सिद्धूपुरा	तदैव	तदैव
119.	रकीबाबाद	तदैव	तदैव
120.	मोहरी खुर्द	तदैव	तदैव
121.	मोहरी कला	तदैव	तदैव
122.	हबुआपुर	तदैव	तदैव
123.	सिथौली खुर्द	तदैव	तदैव
124.	बेली	तदैव	तदैव
125.	सिवलर	तदैव	तदैव
126.	जमालपुर	तदैव	तदैव
127.	हबीबपुर	मलिहाबाद	तहसील मलिहाबाद, जिला लखनऊ
128.	दुगौली	तदैव	तदैव
129.	मन्दौली	तदैव	तदैव
130.	सालीहाबाद	तदैव	तदैव
131.	अल्लुपुर	तदैव	तदैव
132.	बुधारिया	तदैव	तदैव
133.	टिकैटगंज(आंशिक)	तदैव	तदैव
134.	गुखैरा	तदैव	तदैव
135.	कटौली (आंशिक)	तदैव	तदैव
136.	मलहा (आंशिक)	तदैव	तदैव
137.	सरथुवा	मोहनलालगंज	तदैव
138.	मोहिउद्दीनपुर	तदैव	तदैव
139.	शिवढ़रा	तदैव	तदैव
140.	पूरननगर	तदैव	तदैव
141.	दाउदनगर	तदैव	तदैव
142.	परेहटा	तदैव	तदैव
143.	दहियर	तदैव	तदैव
144.	खुजौली	तदैव	तदैव
145.	हरिकंशगढ़ी	तदैव	तदैव

क्रमांक	ग्राम का नाम	विकास खण्ड	तहसील व जिला
146.	दलौना	मोहनलालगंज	तहसील मलिहाबाद जिला लखनऊ
147.	पुरसैनी	तदैव	तदैव
148.	इन्द्रजीत खेड़ा	तदैव	तदैव
149.	धर्गावत खेड़ा	तदैव	तदैव
150.	धर्गगढ़ खेड़ा	तदैव	तदैव
151.	मऊ	तदैव	तदैव
152.	देहवा	तदैव	तदैव
153.	भसन्डा	तदैव	तदैव
154.	भौधरी	तदैव	तदैव
155.	अतरौली	तदैव	तदैव
156.	कैमलापुर सिरसा	बक्शी का तालाब	तहसील–बक्शी का तालाब जिला–लखनऊ
157.	देवरी रोखरा	तदैव	तदैव
158.	टिकरी	तदैव	तदैव
159.	बेहरा करौंडी	तदैव	तदैव
160.	शिवखर	तदैव	तदैव
161.	हरदौरपुर	तदैव	तदैव
162.	बीखामऊ खुर्द	तदैव	तदैव
163.	मदारीपुर	तदैव	तदैव
164.	बीखामऊ कला	तदैव	तदैव
165.	भवानीपुर	तदैव	तदैव
166.	पर्वतपुर	तदैव	तदैव
167.	मझेरिया	तदैव	तदैव
168.	भौली (आंशिक)	तदैव	तदैव
169.	महिंपतपुर	तदैव	तदैव
170.	सोहरामऊ	तदैव	तदैव
171.	बनौर	तदैव	तदैव
172.	रामपुर बहेडा	तदैव	तदैव
173.	डिगोई	तदैव	तदैव
174.	मिश्रीपुर	तदैव	तदैव
175.	डिगुरपुर	तदैव	तदैव
176.	नगवामऊ खुर्द	तदैव	तदैव
177.	नगवामऊ कला	तदैव	तदैव
178.	दुर्जनपुर	तदैव	तदैव
179.	राजपुर	तदैव	तदैव
180.	अन्चरामऊ (आंशिक)	तदैव	तदैव
181.	अरित	तदैव	तदैव

AP. 947 RPH. Awas, DATA-8

क्रमांक	ग्राम का नाम	विकास खण्ड	तहसील व जिला
182.	सिवान	बक्शी का तालाब	तहसील बक्शी का तालाब जिला लखनऊ
183.	हाजीचक	तदैव	तदैव
184.	कौड़ीमऊ	तदैव	तदैव
185.	सादामऊ	तदैव	तदैव
186.	पलाका	तदैव	तदैव
187.	भरवारामऊ	तदैव	तदैव
188.	चन्द कोडर	तदैव	तदैव
189.	दिनकरपुर मालवा (आंशिक)	तदैव	तदैव
190.	गोहना कला (आंशिक)	तदैव	तदैव
191.	बेहटा	तदैव	तदैव
192.	पारा	तदैव	तदैव
193.	रजौली	तदैव	तदैव
194.	पैकरामऊ (आंशिक)	तदैव	तदैव
195.	दशौली (आंशिक)	तदैव	तदैव
196.	कपासी	तदैव	तदैव
197.	रसूलपुर सादात (आंशिक)	तदैव	तदैव

आज्ञा से,
श्री कृष्ण,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 174/Ath-6–2009-01 Gathan-04, dated January 27, 2009 :

No. 174/Ath-6–2009-01 Gathan-04
Dated Lucknow: January 27, 2009

IN exercise of the powers under section (3) of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act no. 11 of 1973) as re-enactment and amended by the Uttar Pradesh President's Act (Re-enacted and amended by the Uttar Pradesh's ct (Re-enactment with modifications) Act, 1974 (U.P. Act no. 30 of 1974) *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clause Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. 3923/XXXVII-2-4(D.A.)-72, dated September 11, 1974 with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette* :–

AMENDMENT

In the aforesaid notification for the entries appearing under the heading "LUCKNOW DEVELOPMENT AREA" the following entries shall be substituted, namely :–

Area of villages mentioned in the Schedule below excluding the reserve forest area:

Sl No	Name of Village	Block	Tehsil and District
1.	Khurrampur(Part)	Sarojini Nagar	Tehsil Lucknow & District Lucknow
2.	Pipersand (Part)	–Do–	–Do–
3.	Lonha	–Do–	–Do–
4.	Bhadohi	–Do–	–Do–

Sl No	Name of Village	Block	Tehsil Lucknow & District Lucknow
5.	Mavai Padhiyana	–Do–	–Do–
6.	Haroni	–Do–	–Do–
7.	Latif Nagar	–Do–	–Do–
8.	Bhat Goan	–Do–	–Do–
9.	Garhi Chunoti	–Do–	–Do–
10.	Andhipurdev	–Do–	–Do–
11.	Aorava	–Do–	–Do–
12.	Ramchora	–Do–	–Do–
13.	Dadoopur	–Do–	–Do–
14.	Khandev	–Do–	–Do–
15.	Bhokapur	–Do–	–Do–
16.	Benti	–Do–	–Do–
17.	Sarai Sahjadi	–Do–	–Do–
18.	Bani	–Do–	–Do–
19.	Pahapur	–Do–	–Do–
20.	Banthara Sikanderpur	–Do–	–Do–
21.	Miranpur Pinvat(Part)	–Do–	–Do–
22.	Natkur (Part)	–Do–	–Do–
23.	Noorpur Bhadarsa(Part)	–Do–	–Do–
24.	Chandraval (Part)	–Do–	–Do–
25.	Saraiya	–Do–	–Do–
26.	Shahpur Majhigavan	–Do–	–Do–
27.	Kuroni	–Do–	–Do–
28.	Jahanabad	–Do–	–Do–
29.	Kishunpur kodia	–Do–	–Do–
30.	Khasarawara	–Do–	–Do–
31.	Dhawapur khasarwara	–Do–	–Do–
32.	Bibipur	–Do–	–Do–
33.	Memora	–Do–	–Do–
34.	Neeva	–Do–	–Do–
35.	Khatola	–Do–	–Do–
36.	Makhdoompur kaithi	–Do–	–Do–
37.	Ratoli	–Do–	–Do–
38.	Bhagukhera	–Do–	–Do–
39.	Jaitikhera	–Do–	–Do–
40.	Mati (Part)	–Do–	–Do–
41.	Parvar Pashchim	–Do–	–Do–
42.	Kalli Poorab	–Do–	–Do–
43.	Kalli Pashchim(Part)	–Do–	–Do–
44.	Birura(Part)	–Do–	–Do–
45.	Barauli khalilabad (Part)	–Do–	–Do–
46.	Sevai (Part)	–Do–	–Do–

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या [illegible]/आठ-3-14-1गठन/2004
लखनऊ, दिनांक 18 नवम्बर, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1, सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–30, सन् 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियमित और संशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या–11, सन् 1973) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल समय–समय पर यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या–3923/37–2–4(डीए)/72, दिनांक 11 सितम्बर, 1974 में इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित संशोधन करते है :–

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या–68 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात्:–

अनुसूची

क्रम	ग्राम का नाम	विकास खण्ड	तहसील व जिला
68क	नकटौरा	–तदैव–	–तदैव–
68ख.	भौलिया	–तदैव–	–तदैव–
68ग	आदमपुर इन्दरवारा	–तदैव–	–तदैव–
68घ	गहलवारा	–तदैव–	–तदैव–
68ङ	रेवरी	–तदैव–	–तदैव–
68च	बहरू	–तदैव–	–तदैव–
68छ	दोना	–तदैव–	–तदैव–
68ज	तेजकिशन खेड़ा	–तदैव–	–तदैव–
68झ	गदारपुर कुसमी	–तदैव–	–तदैव–
68ञ	भटऊ जलालपुर	–तदैव–	–तदैव–
68ट	शाहपुर बसरैला	–तदैव–	–तदैव–
68ठ	वोटावा	–तदैव–	–तदैव–
68ड	शेरपुर मऊ	–तदैव–	–तदैव–
68ढ	खानपुर मऊ	–तदैव–	–तदैव–
68ण	सैफलपुर	–तदैव–	–तदैव–
68त	गोशापुर	–तदैव–	–तदैव–

आज्ञा से,

(सदाकान्त / धनधारी यादव)
सचिव।

संख्या–2532(1)/आठ–6–14, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को असाधारण गजट दिनांक 19 नवम्बर, 2013 के विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड–'ख' में प्रकाशित कराने तथा मुद्रित अधिसूचना की 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर शुक्ल)
अनु सचिव।

संख्या–2532(2)/आठ–6–14, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. औद्योगिक विकास अनुभाग–4/पंजायतीराज अनुभाग–1/नगर विकास अनुभाग–1/राजस्व अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन।
3. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकारण, लखनऊ।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ।
5. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर शुक्ल)
अनु सचिव।

का0 (टेलीफैक्स) ☎ 0522–2325217
Email address: lkodiv30@gmail.com

कार्यालय सहयुक्त नियोजक,

सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0,
एल0डी0ए काम्पलेक्स, कपूरथला, अलीगंज, लखनऊ

पत्रसंख्या:182/लखनऊ विकास क्षेत्र/ल0ख0/2015–16 दिनांक:21-5-2015

सेवा में,

मुख्य नगर नियोजक,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
विपिन खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ।

विषयः लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पपनामऊ, फैजाबाद मार्ग तहसील व जनपद लखनऊ को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि फैजाबाद मार्ग पर विकास क्षेत्र का विस्तार जनपद बाराबंकी तक है, परन्तु त्रूटिवश ग्राम पपनामऊ, फैजाबाद मार्ग तहसील व जनपद लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित नही हो पाया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि ग्राम पपनामऊ को विकास क्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(शेर सिंह)
सहयुक्त नियोजक

विषयः विभूतिखण्ड, गोमतीनगर में निर्माणाधीन मा0 उच्च न्यायालय को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित करने के सम्बन्ध में।

आख्या :

विभूतिखण्ड, गोमतीनगर में निर्माणाधीन मा0 उच्च न्यायालय को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव दिनांक 28.02.2015 की बोर्ड बैठक में विषय सं0–10 अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिस पर निम्नवत् निर्णय लिया गया:–

"सम्यक् विचारोपरान्त विभूति खण्ड, गोमती नगर में निर्माणाधीन मा0 उच्च न्यायालय के कोर्ट भवन से 100 मी0 परिसर को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किये जाने के प्रस्ताव को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले पूर्व निर्मित भवनों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं भविष्य में उक्त क्षेत्रान्तर्गत जो भी मानचित्र स्वीकृत होंगे वह हाई सिक्योरिटी जोन हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप ही स्वीकृत किये जायेंगे। इस निर्देश के साथ प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।"

बोर्ड द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय को अनुमोदनार्थ तथा हाई सिक्योरिटी जोन घोषित करने हेतु शासन को संदर्भित किया गया है। इस बीच मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.04.2015 को प्रकरण से सम्बन्धित याचिका के विचार के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय पर अवलोकित होते हुए निम्नवत् अन्तरिम आदेश पारित किया गया है :–

"The issue as to whether the area admeasuring 100 meters should be taken from the building or from the boundary of the complex involves an expert assessment of the security agencies. Since the security of the High Court is under the control of the CRPF/CISF, we are of the view that the security perspective should be discussed by the Board of LDA with a meeting which would be jointly convened with the Commandant of the CRPF Battalion concerned and the Senior Superintendent fo Police, Lucknow. Thereupon, if after due discussion, a change in the proposal is considered to be necessary having due regard to the views expressed by the security establishment, necessary modifications shall be submitted to the State Govenment. This exercise shall in any event be completed within a period of one month from the receipt of a cetified copy of this order." (छायाप्रति अनुलग्नक–1 पर अवस्थित)

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में निर्माणाधीन मा0 उच्च न्यायालय भवन के विकास एवं निर्माण की प्रगति की समीक्षा के अन्तर्गत दिनांक 05.02.2015 को दिये गये आदेश के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय के विभिन्न अधिवक्ता एवं लखनऊ नगर के सम्बन्धित

विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न करायी गयी है, जिसमें हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किये जाने से सम्बन्धित निम्नवत् निर्देश है:—

The material related to earmarking to High Security Zone has been provided to the officers concerned and a joint meeting of Vice Chairman, LDA SP (Security), Commandant, CRPF and Commandant, CISF will be convened shortly but the same is still pending consideration and the Commissioner, the District Magistrate and the Senior Superintendent of Police be also called for participation in the meeting. The Secretary, LDA has informed that this meeting will be convened on 22.05.2015. It has also been decided that a public notice/advertisement will be published in the daily newspapers inviting objections from the members of public regarding declaration of High Security Zone in the surrounding area of 100 meters from the boundary of the Hon'ble high Court building. The LDA will be the authority competent to publish the aforesaid notice/advertisement. (छायाप्रति अनुलग्नक—2 पर अवस्थित)

उपरोक्त निर्णय के क्रम में जनसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से सूचना दैनिक समाचार—पत्र ''दैनिक जागरण'' एवं ''टाइम्स ऑफ इण्डिया'' के लखनऊ संस्करण में दिनांक 17.05.2015 को प्रकाशित करायी गयी। प्राप्त आपत्ति एवं सुझावओं का संक्षिप्त विवरण एवं दिनांक 22.05.2015 को सम्बन्धित सुरक्षा अधिकारियों के साथ सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त की प्रति अनुलग्नक—3 पर अवस्थित है।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनांक 28.02.2015 को कोर्ट भवन से 100 मी0 परिधि को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित पर लिये गये निर्णय के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.04.2015 को पारित अन्तरिम आदेश के अन्तर्गत कोर्ट भवन से 100 मी0 परिधि में सिक्योरिटी जोन घोषित किया जाय या हाईकोर्ट परिसर कैम्पस की बाउण्ड्री से 100 मी0 परिधि को सिक्योरिटी जोन घोषित किये जाने के प्रकरण पर सी0आर0पी0एफ0 कमान्डेंट एवं एस0एस0पी0 सुरक्षा के साथ बोर्ड के सदस्यों के समक्ष विचार कर निर्णय लिये जाने की अपेक्षा है। तद्क्रम में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्तावः

उपर्युक्त आख्या के परिप्रेक्ष्य में विभूतिखण्ड में निर्माणाधीन मा0 उच्च न्यायालय के कोर्ट भवन से 100 मी0 व्यास क्षेत्र को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किये जाने के बोर्ड के पूर्व के निर्णय को यथा अनुपालन किया जाय अथवा मा0 उच्च न्यायालय के कैम्पस/सीमा से 100 मी0 परिधि को सिक्योरिटी जोन घोषित किये जाने से सम्बन्धित विषय प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। बोर्ड की निर्णय को शासन को अनुमोदनार्थ संदर्भित किया जायेगा।

2591/c(1115
29/1/15

अनुलग्नक-1

Gaurav Mehrotra
Advocate

Amicus Demos
Chamber: 498/206-12A, Ram Krishna Marg
Near IT College, Faizabad Road, Lucknow 226006
Office – +91-522-4045288
Email: gauravmehrotra@amicusdemos.com
Clerk's Mobile No. -09936062072

MOST URGENT

To,

1. **The Vice Chairman,**
   Lucknow Development Authority,
   Lucknow.
2. **The Secretary,**
   Lucknow Development Authority,
   Lucknow.
3. **The Chief Legal Advisor,**
   Lucknow Development Authority,
   Lucknow
4. **The Chief Town Planner,**
   Lucknow Development Authority,
   Lucknow.
5. **The Chief Engineer,**
   Lucknow Development Authority,
   Lucknow.

Sub: Compliance of directions, *inter-alia*, issued by the Hon'ble High Court to the Lucknow Development Authority vide order dated 15.04.2015 passed in the Writ Petition No.10089 (M/B) of 2010 [PIL] (Oudh Bar Association of High Court Vs. State of U.P. and others).

The aforecaptioned Writ Petition is engaging attention of the Hon'ble High Court since 2010. The aforesaid Writ Petition is in respect of the upcoming building of the new High Court at Gomti Nagar, Lucknow.

Vide order dated 24.05.2014 the Hon'ble High Court has required the Lucknow Development Authority to take immediate action regarding the necessity of demarking the area surrounding the new building of the

Hon'ble High Court as a high security zone. The relevant extract of the order dated 24.09.2014 passed by the Hon'ble High Court in the aforecaptioned Writ Petition is reproduced hereunder for ease of perusal:-

> "*The matter which requires immediate attention of the Lucknow Development Authority is the necessity of earmarking the area of and surrounding the new building of the High Court as a high security zone.* It is surprising that though the construction of the building was initiated in 2010, no steps have been taken by the Lucknow Development Authority. When a construction of this nature housing an important public facility of the State is being established, it is necessary for the planning body to take due account of serious security concerns and to immediately adopt necessary steps from the planning perspective of ensuring that these security concerns are duly met.
>
> The learned counsel appearing on behalf of the LDA has assured the Court that this aspect of the matter would be taken up by LDA on a high priority and the Court would be apprised by the next date of hearing of the steps which have been taken. *LDA will do the needful in the meantime and would not wait for further directions of the Court merely because of the pendency of these proceedings*
>
> All the concerned authorities shall file their affidavits in compliance with the previous order of this Court and the present order.
>
> List the matter on 12 November 2014

A copy of the order dated 24.09.2014 is enclosed herewith for ready reference.

In compliance of the aforesaid direction of the Hon'ble High Court, in the 153rd meeting of the Board of the Lucknow Development Authority which took place on 25.02.2015, a decision was taken to declare an area comprising of 100 meters from the building of the High Court as a High Security Zone. A proposal to the aforesaid effect has been forwarded on 18.03.2015, to the Principal Secretary, Housing and Urban Planning.

That the aforesaid decision of the Lucknow Development Authority Board, was brought on record by the means of an Affidavit, filed by the Lucknow Development Authority, on 15.04.2015. On, 15.04.2015, the Hon'ble High Court has been pleased to observe that:

Hon'ble Dr. Dhananjaya Yeshwant Chandrachud, Chief Justice
Hon'ble Shri Narayan Shukla, J.

We propose to evaluate the progress which has been made in regard to each of the issues which were dealt with in the previous order dated 17 December 2014:

(1) Declaration of a High Security Zone- In the affidavit filed on behalf of the Lucknow Development Authority by the Chief Town Planner, it has been stated that at the 153rd meeting of the Board which took place on 28 February 2015, a decision was taken to declare an area comprising of 100 meters from the building of the High Court as a High Security Zone. A proposal has been submitted on 18 March 2015 to the Principal Secretary, Housing and Urban Planning. Upon receipt of the proposal, the State Government would have to invite objections/suggestions under Section 13 of the U.P. Urban Planning and Development Act 1973.

In the previous order of this Court, the Court took notice of the fact that it was apprised by the LDA that having due regard to the proposed declaration of a surrounding area of 100 meters from the boundary of the complex of the new building of the High Court as a High Security Zone, no permissions are granted or will be granted by the LDA for sanctioning of maps beyond the height of seven meters.

Hence, prima facie it appears that a proposal was at that stage made to declare areas surrounding the boundary of the complex of the new building admeasuring 100 meters as a High Security Zone. The proposal which has been submitted by the LDA to the State Government has made a reference to the fact that the Building Committee of this Court was duly apprised before the proposal in its present form has been finalized by the Board of LDA.

The issue as to whether the area admeasuring 100 meters should be taken from the building or from the boundary of the complex involves an expert assessment of the security agencies. Since the security of the High Court is under the control of the CRPF/CISF, we are of the view that the security perspective should be discussed by the Board of LDA with a meeting which would be jointly convened with the Commandant of the CRPF Battalion concerned and the Senior Superintendent of Police, Lucknow. Thereupon, if after due discussion, a change in the proposal is considered to be necessary having due regard to the views expressed by the security establishment, necessary modifications shall be submitted to the State Government. This exercise shall in any event be completed within a period of one month from the receipt of a certified copy of this order. We would also expect that upon receipt of the complete proposal as noted above, the Principal Secretary, Housing and Urban Planning shall initiate the process for declaring the area as stipulated as a High Security Zone so that the process can be completed, preferably within a period of two months thereafter.

....

....

List the matter on 1[illegible] May 2015 at 2.00 pm
Order Date :- 15.4.2015

(Dr. D.Y. Chandrachud, C.J.)
(S.N. Shukla, J.)"

अनुलग्नक-2 4

43

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD.
LUCKNOW BENCH LUCKNOW.
W.P. NO. .. OF 20
VERSUS
ANNEXURE NO. 1

Minutes of the meeting convened today i.e.14.05.2015 in pursuance of the direction of Hon'ble High Court dated 13.05.2015 in the presence of the followings members:

1 Ms. Bulbul Godiyal, AAG, Lucknow
2 Sri Amitab Mishra, President, Oudh Bar Association
3 Sri Ramesh Pandey, Secretary, Oudh Bar Association
3 Sri Shailendra Singh Chauhan, Advocate, Nagar Nigam
4. Sri Gaurav Mehrotra, Advocate, LDA
5. Sri Shishir Jain, Advocate, UP Rajakiya Nirman Nigam
6. Sri Raj Vikram Singh, Advocate, NHAI
6. Sri B.K. Singh, Advocate for the Petitioner
7 Sri Shailendra Singh Rajawat, State Counsel.

State Officers

1. Sri Kishan Singh Atoriya, Principal Secretary, PWD
2 Sri Kamal Saxena, Secretary (Home)
3. Sri Arvind Kumar, Joint Director, Fire Service
4. Sri A.B. Pandey, Chief Fire Officer, Lucknow
5. Sri Balwant Rai, SP (VI), Security Headquarters
6 Sri Shrish Verma, Secretary, LDA
7 Sri O.P. Mishra, Chief Engineer, LDA
8. Sri D.C. Srivastava, Executive Engineer, LDA
9 Sri J.N. Reddy, Chief Town Planner, LDA
10 Sri P. Shiv Shanker, Project Director, NHAI
11 Sri Kamal Jeet Singh, Executive Engineer, Nagar Nigam
12 Sri Arvind Trivedi, GM, U.P. Rajakiya Nirman Nigam
13. Sri Hem Sharma, GM, U.P. Rajakiya Nirman Nigam
14 Sri Rajesh Kumar Pandey, Anubhag Adhikari, PWD (Anubhag-8)
15. Sri R.K. Singh, Project Manager, UP Rajakiya Nirman Nigam
16. Sri C.K. Srivastava, Project Manager, UP Rajakiya Nirman Nigam
17. Sri Brijesh Mishra, SP (Traffic), Lucknow
18. Sri H.R. Sharma, I.G. Security.

1- Sri Gaurav Mehrotra, counsel for the LDA and Sri Shrish Verma, Secretary, LDA informed that on 08.05.2015, a meeting was convened in the office of Vice Chairman, LDA, in which, Sri Balwant Rai, SP (VI), DIG, CRPF and officers of LDA participated but during

meeting, it was held that the presence of Commandant, CRPF is also required. The material related to earmarking of High Security Zone has been provided to the officers concerned and a joint meeting of Vice Chairman, LDA, SP (Security), Commandant, CRPF and Commandant, CISF will be convened shortly but the same is still pending consideration and the Commissioner, the District Magistrate and the Senior Superintendent of Police be also called for participation in the meeting. The Secretary, LDA has informed that this meeting will be convened on 22.05.2015. It has also been decided that a public notice/advertisement will be published in the daily newspapers inviting objections from the members of public regarding declaration of High Security Zone in the surrounding area of 100 meters from the boundary of the Hon'ble High Court building. The LDA will be the authority competent to publish the aforesaid notice/advertisement.

2- Sri Brijesh Mishra, SP (Traffic) has informed in the meeting that for making available 118 traffic police personnel for in and around the Hon'ble High Court in two shifts inclusive of two Traffic Inspectors, 22 Traffic Sub Inspectors, 14 Head Constables and 82 Constables, a proposal will be sent to the Directorate (Traffic) within three days from today and appropriate arrangement will be made after getting due approval from the Directorate (Traffic).

3- Sri P. Shiv Shanker, Project Director, NHAI has informed in the meeting that a meeting was convened under the chairmanship of the Commissioner, Lucknow, wherein, the Commissioner had taken a decision that interconnection over bridges in front of Hon'ble High Court shall be constructed by Uttar Pradesh Public Works

15/15

अनुलग्नक-3 45

नवीन हाई कोर्ट भवन को सिक्योरिटी जोन घोषित करने के सम्बन्ध में स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए सूचना के अन्तर्गत दिनांकः 20.05.2015 को कुल–28 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हैं। अधिकांश आपत्ति/सुझावों में मुख्य रूप से निम्नवत आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए हैः–

- लखनऊ महायोजना–2021 में गोमती नगर क्षेत्र को हाई सिक्योरिटी जोन की घोषणा नहीं है।
- गोमती नगर को व्यावसायिक जोन दर्शित किया गया है।
- महायोजना मेंऊँचाई का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।
- सिक्योरिटी जोन घोषित करने से व्यावसायिक क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव अवश्यम्भावी है।
- व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाय।
- नीलामी के माध्यम से आवण्टित व्यावसायिक भूखण्डों पर सिक्योरिटी जोन घोषित करना न्यायोचित नहीं है।
- आवण्टियों के अधिकारों की रक्षा करें।
- आस–पास निर्माणें हो चुकी है एवं फ्लाई ओवर भी हैं, अतः सिक्योरिटी जोन घोषित करना लाभान्वित नहीं है और न ही उसका कोई क्रियान्वयन हो सकेगा।
- कोर्ट भवन से 100मी0 की परिधि को प्राधिकरण द्वारा सिक्योरिटी जोन घोषित किये जाने का निर्णय औचित्यपूर्ण नहीं है। विकास बिन्दुओं पर विचार करना व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
- तीन दिन का समय कम है, अतः 15 दिन का समय सुनवाई हेतु दिया जाय।
- हाई कोर्ट के कैम्पस का भवन अन्य भवनों के जैसा है। सुरक्षा का अन्य उपाय एवं तकनीकी आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध है, अतः 100मी0 व्यास को भी जनहित में कम करें।
- मुख्य कैम्पस के अन्दर बाउण्ड्री के अन्दर ही मुख्य रूप से सुरक्षा करें।
- तीन फीट उचाई का बाउण्ड्रीवाल निर्माण कर सुरक्षा प्रदान किया जाय और अन्य क्षेत्र को सिक्योरिटी जोन घोषित न करें।
- कोर्ट के मुख्य भवन से चारों तरफ ऐसे भवनों का निर्माण करना था जिससे कि बाहर का व्यक्ति सीधे मुख्य भवन तक पहूँच न सके।
- व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत क्षेत्र में हाईकोर्ट स्थापित करना औचित्यपूर्ण नहीं है।
- मा0 न्यायाधीसों की सुरक्षा आवश्यक है मुख्य भवन से सिक्योरिटी जोन बनाना पर्याप्त है।
- वकीलों के चैम्बर, कर्मचारियों के भवन, मल्टीलेविल पार्किंग, कैन्टीन आदि की सुरक्षा की क्या आवश्यकता है। वह अन्य सरकारी/अधिकारी कार्यालय प्रकार के भवन या जन सामान्य हैं।

- व्यवसायिक क्षेत्र में मा0 उच्च न्यायालय को स्थापित किया जाना ही मा0 उच्च न्यायालय/सरकार/प्राधिकरण का निर्णय गलत है।
- सिक्योरिटी से सम्बन्धित अधिकारियों से विचार–विमर्श से राय प्राप्त कर औचित्य पूर्ण निर्णय लिया जाय। तदोपरान्त जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किया जाय।
- फैजाबाद रोड पर प्रस्तावित/निर्मित फ्लाईओवर तथा इस मार्ग पर गुजर रहे वाहन ही मा0 उच्च न्यायालय की सुरक्षा के हित में नहीं है। 100 मी0 घोषित किया जाना औचित्यपूर्ण निर्णय नहीं होगा तथा इससे सिक्योरिटी प्राप्त नहीं हो सकेगी।
- मा0 उच्च न्यायालय भवन के चारों ओर कई अन्य बहुमंजिले भवनों का निर्माण हो चुका है। कुछ रिक्त भूखण्डों पर सिक्योंरिटी जोन घोषित कर उद्देश्य की पूर्ति किया जाना असम्भव है। अतः मा0 न्यायाधीसों को सुरक्षा का वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान किया जाय तथा प्रहरी से 100 मी0 परिधि क्षेत्र को घोषित न किया जाय।
- प्राधिकरण बोर्ड द्वारा कोर्ट के मुख्य भवन से 100 मी0 व्यास क्षेत्र को सिक्योरिटी जोन घोषित किया जाना औचित्यपूर्ण निर्णय था।
- प्राधिकरण द्वारा नीलामी के माध्यम से व्यवसायिक उपयोग हेतु आवंटित भूखण्डों पर प्राधिकरण द्वारा ही भवनों के निर्माण में प्रतिबन्ध लगाना विधिक बाधा है।
- प्रस्तावित प्रतिबन्ध निरस्त किया जाय।

विषयः चक गंजरिया परियोजना के संशोधित तलपट मानचित्र के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

आख्या :

चक गंजरिया परियोजना 846.49 एकड़ क्षेत्रफल के तलपट मानचित्र को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कर क्रियान्वित की जा रही है। तलपट मानचित्र में प्राधिकरण द्वारा पुनर्ग्रहीत खसरा सं0–279ख, ग्राम–मस्तेमऊ की 37.72 एकड़ भूमि सम्मिलित करते हुए ग्रीन के रूप में विकास हेतु तलपट मानचित्र में प्रदर्शित किया गया था। यह खसरा राजस्व अभिलेखों के अन्तर्गत "दीगर, बंजर, जंगल" में दर्शित किया गया है। चक गंजरिया परियोजना के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में एक विवाद विचाराधीन है। विवाद के सम्बन्ध में शासन तथा महाधिवक्ता द्वारा दी गयी राय एवं निर्णय के क्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 26.03.2015 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त अनुलग्नक–1 पर अवस्थित है। तद्नुसार 37.72 एकड़ उल्लिखित खसरा की भूमि को परियोजना के तलपट मानचित्र से अलग करते हुए संशोधित मानचित्र तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्व के तलपट मानचित्र में दर्शित मिश्रित भू–उपयोग की भूमि मे से 15.06 एकड़ भूमि को मनोरंजनात्मक, पार्क/खुला क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है।

इस प्रकार चक गंजरिया परियोजना में किये गये संशोधित तथा मानचित्र अनुलग्नक–2 पर अवस्थित है। प्राधिकरण स्तर पर गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण कराते हुए स्वीकृति हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है। तकनीकी समिति की संस्तुति अनुलग्नक–3 पर अवस्थित है। तद्क्रम में 25 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल का तलपट मानचित्र होने के दृष्टिगत शासनादेश के अनुसार प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक है। अतः बोर्ड के समक्ष संशोधित तलपट मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रस्तावित है।

प्रस्तावः

चक गंजरिया परियोजना की 846.49 एकड़ भूमि मे से खसरा सं0–279ख, ग्राम–मस्तेमऊ को हटाते हुए 804.84 एकड़ का संशोधित तलपट मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

अनुलग्नक -1 48

चक गंजरिया परियोजना के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–34789/2013 दी द पीपुल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मत स्थिर किये जाने हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 25.03.2015 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति : संलग्न सूची के अनुसार।

बैठक में प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि चक गंजरिया फार्म, लखनऊ की भूमि के वैकल्पिक उपयोग एवं पुनर्स्थापन के सम्बन्ध में शासन के आदेश दिनांक 09.04.13 द्वारा निर्गत कार्य योजना के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच में योजित रिट याचिका संख्या–3058(एम.बी.)(पी.आई.एल.)/2013 दी द पीपुल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.06.13 के विरुद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय में प्रश्नगत विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–34789/2013 योजित की गयी है। उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका में विभाग द्वारा राज्य सरकार की ओर से सघन प्रतिवाद किया जा रहा है।

2– बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि प्रश्नगत वाद में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री ए.डी.एन. रॉव, वरिष्ठ अधिवक्ता को Amicus Curiae नियुक्त किया गया है। श्री रॉव द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित अपने पत्र दिनांक 27.02.2015 में मुख्य रूप से चक गंजरिया परियोजना हेतु State Level Environment Impact Assessment Authority-U.P. द्वारा निर्गत पर्यावरणीय अनापत्ति दिनांक 27.05.2014 की वैधता तथा प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ द्वारा वृक्षों के पातन हेतु दी गयी अनुमति पर आपत्ति व्यक्त की गयी है तथा प्रश्नगत परियोजना हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित की गयी ग्राम मस्तेमऊ के खसरा संख्या–279ख (37.72 एकड़), जोकि राजस्व अभिलेखों में श्रेणी–6 के अन्तर्गत "दीगर, जंगल, बंजर" दर्ज होने के कारण इसको वन भूमि मानते हुए चक गंजरिया में प्रस्तावित परियोजनाओं को इन्टीग्रेटेड प्रोजेक्ट मानकर Forest (Conservation) Act, 1980 के सेक्शन–2 के तहत Prior Permission प्राप्त किया जाना आवश्यक बताया गया है।

3– श्री रॉव द्वारा इंगित किये गये उपर्युक्त बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में महाधिवक्ता, उ0प्र0 से प्राप्त मार्गदर्शन के आधार पर वस्तुस्थिति से ए.ओ.आर. श्री रवि पी. मेहरोत्रा के माध्यम से उन्हें अवगत करा दिया गया है। प्रकरण में राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर श्री रॉव द्वारा दिनांक 16.03.15 को मा0 उच्चतम न्यायालय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, जिस पर मा0 न्यायालय द्वारा 02 सप्ताह में स्थिति स्पष्ट किये जाने का आदेश दिया गया है। अतएव, उक्त के परिप्रेक्ष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार की स्थिति स्पष्ट किये जाने के लिए निम्न विकल्पों/प्रस्ताव पर विचार कर निर्णय लिया जाना आवश्यक है, ताकि चक गंजरिया परियोजना के क्रियान्वयन में कोई बाधा उत्पन्न न हो :–

- चक गंजरिया परियोजना के वर्तमान ले–आउट के अनुसार इन्टीग्रेटेड प्रोजेक्ट को भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से Forest (Conservation) Act 1980 के सेक्शन–2 में अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही की जाय।

अथवा

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

(ओम पी0 मिश्र)

[illegible] के लिए, [illegible] [illegible] के अनुसार 'दीगर, बंजर, [illegible] [illegible] परियोजना से [illegible] संशोधित परियोजना का संशोधित ले–आउट बनाया जाना।

ब– संशोधित ले–आउट तैयार किये जाने की स्थिति में प्रोजेक्ट का पुनः अनुमोदन करने एवं संशोधित पर्यावरणीय अनापत्ति पुनः प्राप्त करनी होगी।

4– उपर्युक्त विकल्पों पर विचार–विमर्श के क्रम में यह पाया गया कि Forest (Conservation) Act, 1980 के सेक्शन–2 के तहत वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये जाने में अत्याधिक कठिनाई होगी क्योंकि यह संभाव्य है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत वाद के लम्बित रहने की स्थिति में तत्काल अनुमति प्रदान न की जाय। अतएव, सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि चक गंजरिया परियोजना में सम्मिलित ग्राम सरसंवाऊ के खसरा संख्या–279ख (37.72 एकड़), जोकि राजस्व अभिलेखों में श्रेणी–6 के अन्तर्गत ''दीगर जंगल, बंजर' दर्ज है, को प्रश्नगत परियोजना से अलग कर संशोधित ले–आउट तैयार किया जाय तथा संशोधित ले–आउट तैयार कर उस पर पुनः पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त किया जाय। विचार–विमर्श के क्रम में यह भी पाया गया कि समग्र परियोजना हेतु निर्धारित ग्रीन बेल्ट का क्षेत्रफल 21 प्रतिशत है, उक्त क्षेत्रफल के अलग किये जाने के पश्चात 17 प्रतिशत रह जायेगा, जो निर्धारित मानक से अधिक है। यह भी निर्णय लिया गया कि तदनुसार कार्यवाही करते हुए मा0 सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही – पर्यावरण / वन / राजस्व / आवास विभाग / लखनऊ विकास प्राधिकरण)

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

पनधारी यादव
सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1
संख्या– 1126 / आठ–1–15–24रिट / 2013
लखनऊ : दिनांक : 31 मार्च, 2015

उपर्युक्त कार्यवृत्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव / सचिव, पर्यावरण / वन / राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– जिलाधिकारी, लखनऊ।
3– उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
4– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)
संयुक्त सचिव

अनुलग्नक-2

CHAK GANJARIYA LAYOUT- PART

OLD

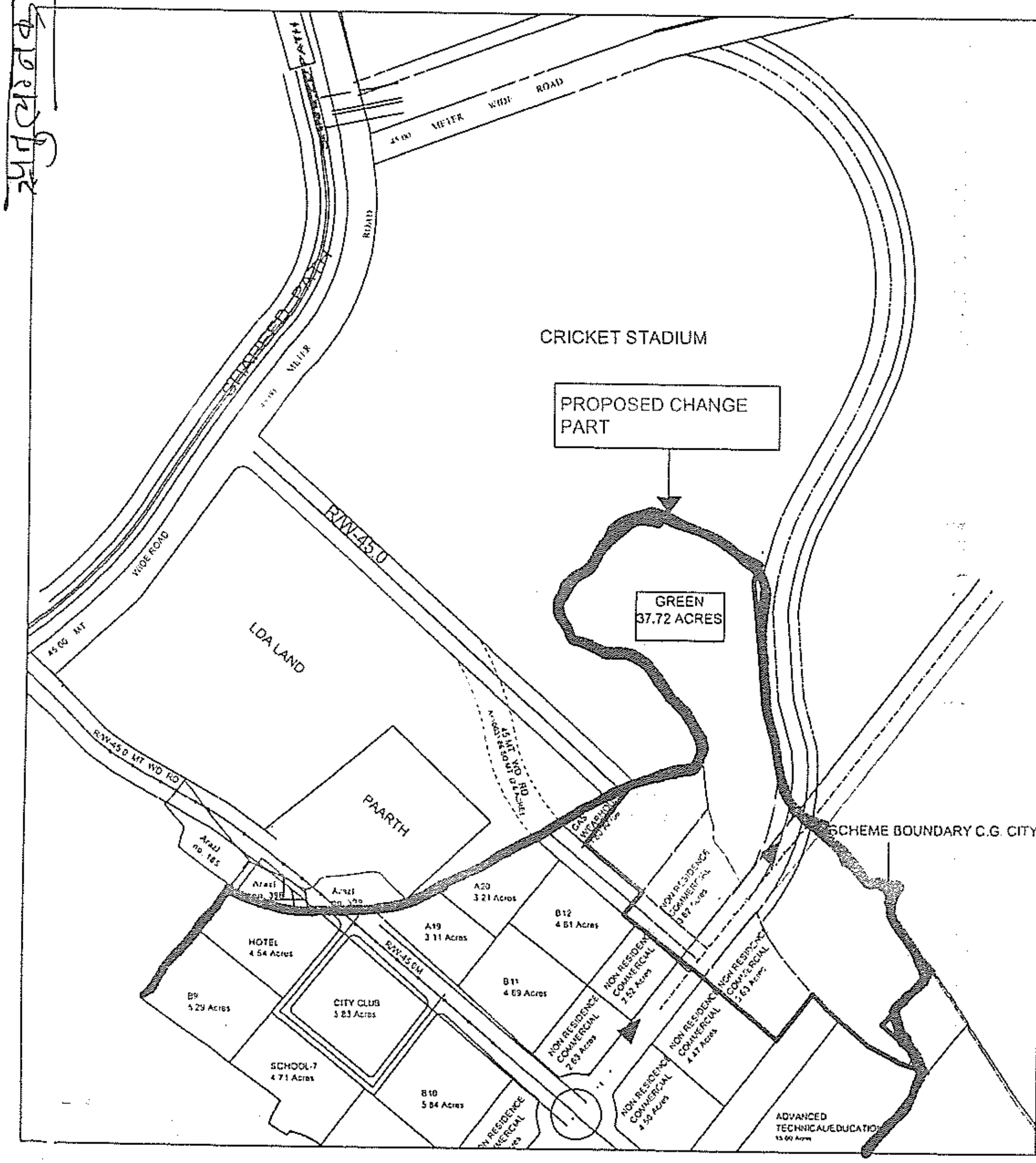

NEW

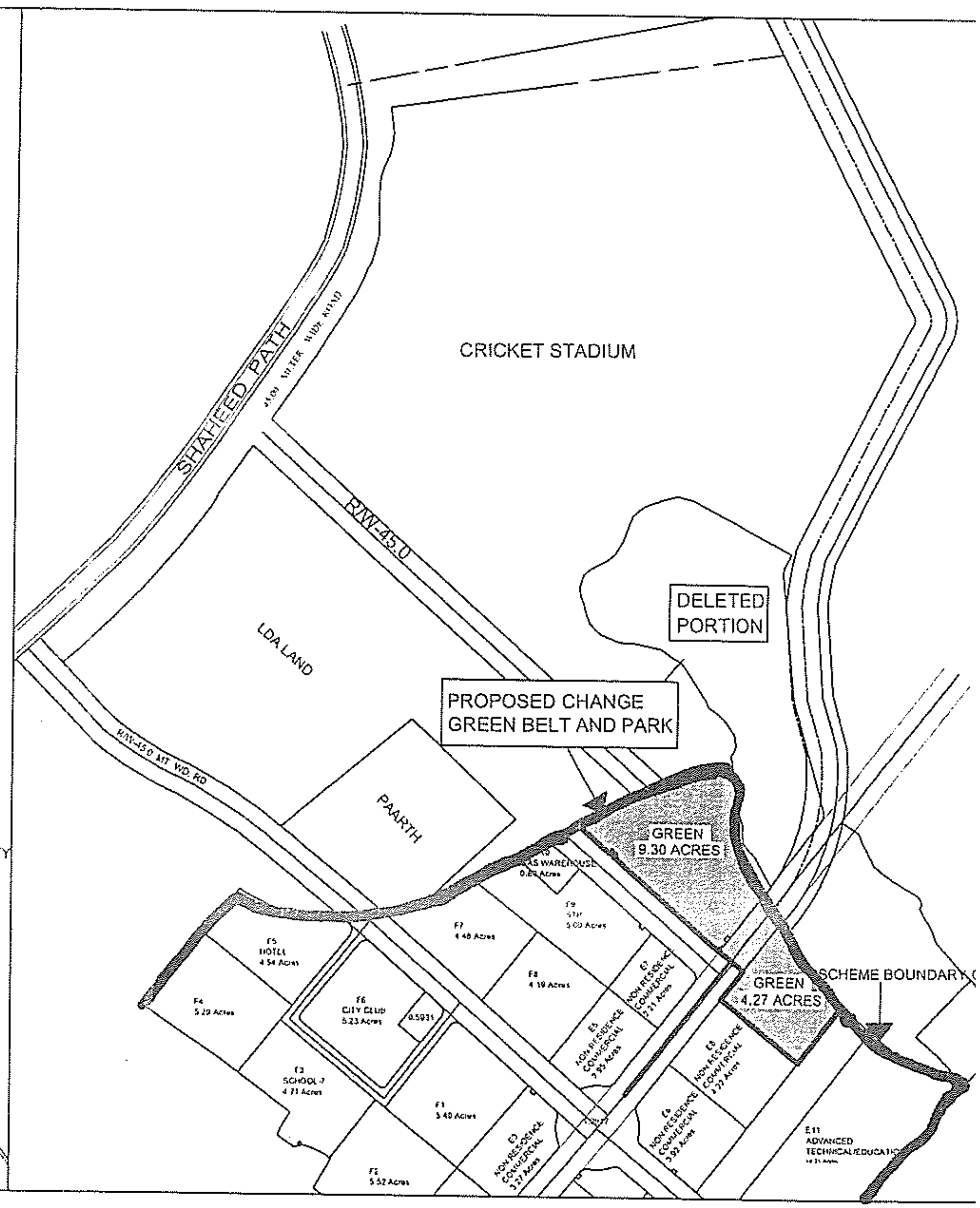

CHAK GANJARIYA LAYOUT

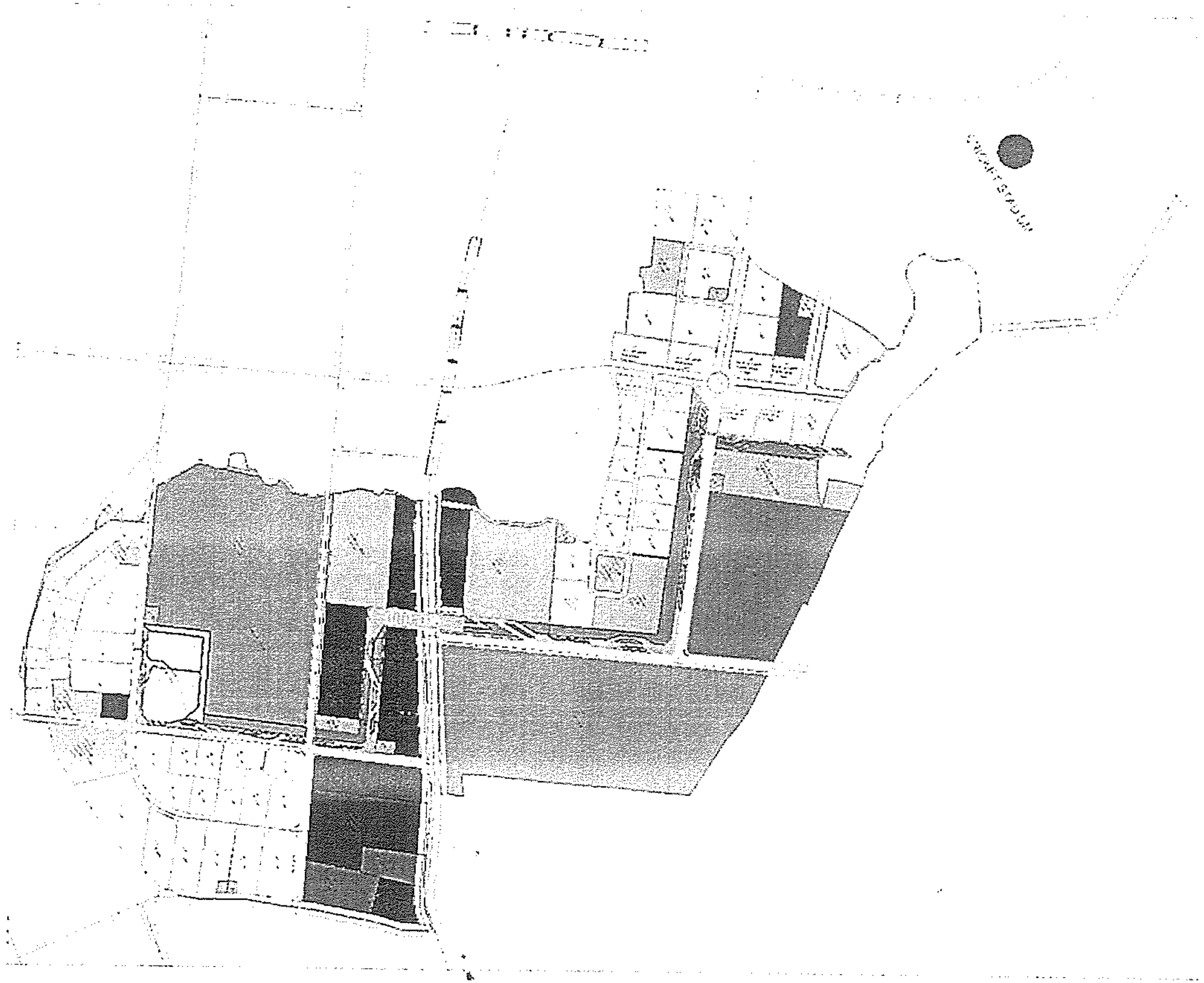

अनुलग्नक-3

मानचित्र स्वीकृति से सम्बन्धित तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 24.04.2015 का कार्यवृत्त :

उपस्थितिः

1. श्री सत्येन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0, लखनऊ।
2. श्री श्रीश चन्द्र वर्मा, सचिव, ल0वि0प्रा0, लखनऊ।
3. श्रीमती सीमा सिंह, अपर सचिव, ल0वि0प्रा0, लखनऊ।
4. श्री जे0एन0 रेड्डी, मुख्य नगर नियोजक/संयोजक, ल0वि0प्रा0, लखनऊ।
5. श्री ओ0पी0 मिश्र, मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0, लखनऊ।
6. श्री शेर सिंह, सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, कपूरथला, लखनऊ।
7. श्री अभय भान पाण्डेय, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ।

अन्य उपस्थिति

1. जोनल अधिशासी अभियंता व उनके सहायक।
2. विभिन्न मानचित्र के भू-स्वामी/विकासकर्ता।

कार्यवाहीः

बैठक में प्रस्तुत प्रकरणों पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निम्न निर्णय प्रदान किया।

विषय सं0-1 चक गंज़रिया फार्म परियोजना के संशोधित तलपट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध मे।

समिति की संस्तुतिः चक गंजरिया फार्म परियोजना के पूर्व में स्वीकृत 846.49 एकड़ के तलपट मानचित्र में संशोधन करते हुए प्राधिकरण द्वारा अर्जित भूमि खसरा सं0-279 जो क्रिकेट स्टेडियम से संलग्न है, को अलग करते हुए 807.84 एकड़ की भूमि का तलपट मानचित्र प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्व मे मिश्रित उपयोग की प्रस्तावित भूमि को पार्क क्षेत्र परिवर्तित करते हुए सम्पूर्ण परियोजना में पार्क या ग्रीन कनेक्टर के रूप में 73.80 एकड़ भूमि दर्शित है। आवंटित बल्क भूमि के ले-आउट या कैम्पस प्लानिंग के मानचित्र स्वीकृति के समय भवन उपविधि के अनुसार आवासीय क्रियाओं में पार्क हेतु 15 प्रतिशत भूमि तथा अनावासीय क्रियाओं हेतु 10 प्रतिशत भूमि को पार्क के रूप में प्राप्त करते हुए कुल योजना के 15 प्रतिशत भूमि को पार्क के रूप में सुनिश्चित करने तथा निम्न प्रतिबन्धों के अन्तर्गत चक गंजरिया फार्म के संशोधित तलपट मानचित्र के स्वीकृति हेतु समिति द्वारा संस्तुति की गयी हैः-

प्रतिबन्धः-

1. समस्त आन्तरिक विकास कार्य भवन उपविधि मानकों के अनुरूप विकास सुनिश्चित किये जायेंगे।
2. पर्यावरण के अन्तर्गत वनीकरण या वृक्षो का लगाना, सीवरेज निस्तारण, रेनवाटर हार्वेस्टिंग आदि अवस्थापना सुविधाओं का विकास सुनिश्चित किया जाय।

3. तलपट मानचित्र के अन्तर्गत आवंटित बल्क भूखण्ड तथा भूखण्डों के मानचित्र अल.. से स्वीकृत किये जायेंगे।

<u>विषय सं0–2</u> **अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में स्टेडियम, इन्डोर स्टेडियम, ब्वायज हास्टल, गर्ल्स हास्टल, स्टाफ एकमोडेशन, गेस्ट हाउस के निर्माण से सम्बन्धित मानचित्र के सम्बन्ध में।**

<u>समिति की संस्तुतिः</u> अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रस्तावित क्रिकेट स्टेडियम के तलपट नानचित्र में दर्शित इन्डोर स्टेडियम, व्याज एवं गर्ल्स हॉस्टल, गेस्ट हाउस आदि के भवन मानचित्र स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार है। प्रस्ताव में भवनों के भू–आच्छादन स्वीकृत तलपट मानचित्र मानकों के अनुरूप है। साइट प्लान में भवनों के मध्य दूरी को अंकित कर फुट प्रिन्ट को प्राप्त करते हुए निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृति/निर्गत करने की संस्तुति की जाती है :–

<u>प्रतिबन्धः–</u>

1. अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र पक्ष द्वारा स्वतः प्राप्त कर प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जायेगा।
2. भवन निर्माण में नेशनल सेफ्टी काउंसिल तथा लेवर एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त सुरक्षा प्रबन्धों को सुनिश्चित किये जाने का शपथ पत्र प्राप्त किया जाए।
3. प्रस्तावित भवनों स्पोर्ट क्रियाओं से सम्बन्धित है इसकी डिजायन उचित होने की पुष्टि या सत्यापन सम्बन्धी विभाग से किये जाने पर विचार किया जा सकता है।
4. समस्त अवस्थापना सुविधाएँ स्वीकृत ले–आउट निर्माण भवनों के मानक के अनुरूप विकसित किये जाना पक्ष की जिम्मेदारी होगी।
5. शासनादेश के क्रम में भूकम्परोधी प्रबन्ध, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टन व वृक्षारोपण, लैण्ड स्केपिंग का विकास का प्रबन्ध सुनिश्चित किये जाने का शपथ पत्र, प्रमाण–पत्र, मानचित्र आदि प्राप्त किया जाय।
6. समस्त अवस्थापना सुविधाओं का विकास, सीवरेज का विकास/कनेक्टिीविटी, कूडा हेतु स्थान का प्राविधान तथा सुरक्षित डिस्पोजल का प्रबन्ध सुनिश्चित करना होगा।
7. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढ़ांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन किये जाने का शपथ पत्र प्राप्त किया जाए।
8. विकलांग, दृष्टिबाधित व अशक्त व्यक्तियों के भवन में आवागमन हेतु शासनादेश के अनुसार प्रबन्ध किये जाने का शपथ पत्र प्राप्त किया जाए।
9. पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त ही भवन का उपयोग किया जायेगा।
10. जिलाधिकारी से खनन पर अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात ही विकास एवं निर्माण किया जायेगा।
11. स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति जिला खनन अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

<u>विषय सं0–3</u>: **महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा द्वारा चक गंजरिया के स्वीकृत तलपट मानचित्र में सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल निर्माण सम्बन्धी मानचित्र के सम्बन्ध में।**

<u>समिति की संस्तुतिः</u> चक गंजरिया फार्म परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मेडीसिटी के 100 एकड़ पर 4.173 हे0 (कुल भूमि का 10.13 प्रतिशत) हॉस्पिटल उपयोग के विभिन्न भवन/ब्लाक में 0.309 एफ0ए0आर0 तक निर्माण से सम्बन्धित मानचित्र 12.50 हे0 अर्थात

2. प्रस्तावित हॉस्पिटल में छुआ–छूत बीमारियों का इलाज किया जाना होगा।
3. अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जायेगा तथा अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में अंकित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. भवन निर्माण में नेशनल सेफ्टी काउंसिल तथा लेवर एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त सुरक्षा प्रबन्धों को सुनिश्चित किये जाने का शपथ पत्र प्राप्त किया जाए।
5. शासनादेश के क्रम में भूकम्परोधी प्रबन्ध, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम व वृक्षारोपण, लैण्ड स्केपिंग का विकास का प्रबन्ध सुनिश्चित किये जाने का शपथ पत्र, प्रमाण–पत्र, मानचित्र आदि प्राप्त किया जाय।
6. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढ़ांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन किये जाने का शपथ पत्र प्राप्त किया जाए।
7. विकलांग, दृष्टिबाधित व अशक्त व्यक्तियों के भवन में आवागमन हेतु शासनादेश के अनुसार प्रबन्ध किये जाने का शपथ पत्र प्राप्त किया जाए।
8. पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त ही भवन का उपयोग किया जायेगा।
9. जिलाधिकारी से खनन पर अनापत्ति प्राप्त किया जाना होगा।
10. स्वीकृत मानचित्र की एक़ प्रति जिला खनन अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

अन्त में समस्त सदस्यों को धन्यवाद देते हुये बैठक समाप्त की गयी।

(अभय भान पाण्डेय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
लखनऊ।

(शेर सिंह)
नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0,
कपूरथला, लखनऊ।

(ओ0पी0 मिश्र)
मुख्य अभियन्ता,
ल0वि0प्रा0, लखनऊ

(जे0एन0 रेड्डी)
मुख्य नगर नियोजक/
संयोजक
ल0वि0प्रा0, लखनऊ

(सीमा सिंह)
अपर सचिव,
ल0वि0प्रा0, लखनऊ

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
सचिव,
ल0वि0प्रा0, लखनऊ

अनुमोदित

(सत्येन्द्र सिंह)
उपाध्यक्ष,
ल0वि0प्रा0, लखनऊ

विषय: मे0 अंसल ए0पी0आई0 द्वारा लखनऊ–सुल्तानपुर रोड पर विकसित की जा रही सुशान्त गोल्फ सिटी हाईटेक टाउनशिप के अन्तर्गत संशोधित डी0पी0आर0 (6465 एकड़) के अन्तर्गत डी0ए0–1, डी0ए0–2, डी0ए0–3 व डी0ए0–4 के संशोधित विन्यास मानचित्र एवं डी0ए0–5 के अंश विन्यास मानचित्र के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

आख्या:

मे0 अंसल ए0पी0आई0 के लखनऊ–सुल्तानपुर रोड पर विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप के विकास से सम्बन्धित 6465 एकड़ डी0पी0आर0 पर डी0पी0आर0 समिति की कतिपय शर्तो के अधीन डी0पी0आर0 को दिनांक 28.02.2015 की बोर्ड बैठक में अवलोकित किया गया था। विकसकर्ता द्वारा प्रस्तुत डी0ए0–1, डी0ए0–2, डी0ए0–3, डी0ए0–4 विन्यास मानचित्र व डी0ए0–5 का अंश विन्यास मानचित्र तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 21.05.2015 में प्रस्तुत किया गया, जिस पर परीक्षणोपरान्त निम्नवत संस्तुति प्रदान की गयी :–

"समिति की संस्तुति:– उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण बोर्ड दिनांक 28.02.2015 के बैठक मे अवलोकित डी0पी0आर0 (6465 एकड़) तथा डी0पी0आर0 के विन्यास मानचित्र के डी0ए0–1, डी0ए0–2, डी0ए0–3 व डी0ए0–4 के विन्यास मानचित्र तथा डी0ए0–5 अंश क्षेत्रफल–609 एकड़ का विन्यास मानचित्र को डी0पी0आर0 समिति द्वारा उल्लिखित प्रतिबन्धों तथा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रेषित करने हेतु समिति द्वारा संस्तुति की जाती है।"

प्रस्ताव:

अतः उपरोक्तानुसार तकनीकी समिति के संस्तुति के कम में मे0 अंसल ए0पी0आई0 के हाईटेक टाउनशिप के डी0पी0आर0 (6465 एकड़) के विन्यास मानचित्र तथा इसके अन्तर्गत डी0ए0–1, डी0ए0–2, डी0ए0–3 व डी0ए0–4 के विन्यास मानचित्र एवं डी0ए0–5 के अंश विन्यास मानचित्र पर अनुमोदन हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

लखनऊ–सुल्तानपुर रोड पर मे0 अंसल ए0पी0आई0 द्वारा विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप के द्वितीय विस्तार सहित कुल 6465 एकड़ के संशोधित डी0पी0आर0 पर डी0पी0आर0 समिति की संस्तुति दिनांक 24.04.2014 द्वारा उल्लेखित सुझाओं/संशोधनों को समावेशित करने के सम्बन्ध में विकासकर्ता मे0 अंसल, ए0पी0आई0 लि0 द्वारा प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0 दिनांक 18.09.2014 पर विचार एवं परीक्षण हेतु सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की बैठक दिनांक 09.10.2014 का कार्यवृत्तः–

उपस्थितिः–

1. श्री ओ0पी0 मिश्र, मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0,
2. श्री अजय कुमार मिश्र, प्रभारी मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ0प्र0,
3. श्री जे0एन0 रेड्डी, मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0,
4. श्री शेरसिंह, सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0,
5. श्री ए0के0 तिवारी, अधिशासी अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।

मे0 अंसल ए0पी0आई0 द्वारा द्वितीय विस्तार सहित हाईटेक टाउनशिप के सम्पूर्ण क्षेत्रफल 6465 एकड़ पर प्रस्तावित कन्सेप्चुअल डी0पी0आर0 पर उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में गठित डी0पी0आर0 समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त दिनांक 24.04.2014 को सुझाव/संशोधन किये जाने हेतु निम्नवत संस्तुति की गयी थीः–

"समिति द्वारा उल्लेखित सुझावों/संशोधनों को समावेशित करते हुये विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0 पर अनुपालन के सम्बन्ध में सचिव, ल0वि0प्रा0, मुख्य नगर एव ग्राम नियोजक उ0प्र0, मुख्य नगर नियोजक ल0वि0प्रा0 तथा मुख्य अभियन्ता ल0वि0प्रा0 की एक संयुक्त समिति द्वारा विकासकर्ता के किये गये अनुपालन पर अपनी संस्तुति आगामी बोर्ड बैठक में अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जायेगी। बोर्ड के अवलोकनोपरान्त ही डी0पी0आर0 अन्तिम रूप से अनुमोदित माना जायेगा।"

डी0पी0आर0 समिति की उपरोक्त संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड की 152वीं बैठक दिनांक 11.06.2014 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था जिस पर बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त डी0पी0आर0 समिति की संस्तुति दिनांक 24.04.2014 को स्वीकार करते हुए डी0पी0आर0 समिति द्वारा उल्लेखित सुझाव/आपत्तियों को समावेशित कराते हुए संशोधित डी0पी0आर0 पर संयुक्त समिति की संस्तुति सहित प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

डी0पी0आर0 समिति के संस्तुति दिनांक 24.04.2014 एवं प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय दिनांक 11.06.2014 के अनुपालन में संशोधित डी0पी0आर0 प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकरण के पत्र सं0–66/एस0ई0/एच0टी0आई0जी0 /2014 दिनांक 17.06.2014 द्वारा विकासकर्ता को निर्देशित किया गया। प्राधिकरण के उक्त निर्देश पत्र दिनांक 17.06.2014 के अनुपालन में विकासकर्ता द्वारा दिनांक 18.09.2014 को प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0 के परीक्षणोपरान्त सचिव ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति द्वारा निम्नवत् संस्तुति की गयीः–

1. लखनऊ महायोजना 2021 में प्रस्तावित 150 मीटर चौड़ा महायोजना मार्ग एवं उसके दोनों तरफ प्रस्तावित ग्रीन को संशोधित डी0पी0आर0 में संलग्न मास्टर प्लान पर सुपर इम्पोज्ड ले–आउट पर चिन्हित किया गया है परन्तु अन्य विन्यास मानचित्रों में उक्त महायोजना मार्ग/ग्रीन चिन्हित नहीं किया गया है। अतः महायोजना मार्ग एवं उसके साथ प्रस्तावित ग्रीन को शिफ्ट करने/भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण होने तक उक्त महायोजना मार्ग एवं उसके साथ प्रस्तावित ग्रीन के संरेखण में पड़ने वाले भूखण्डों/भू–भाग पर विकास/निर्माण अनुज्ञा स्थगित रहेगा।
2. लखनऊ महायोजना के अन्तर्गत टाउनशिप को सम्मिलित करने की कार्यवाही मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। आगामी बोर्ड बैठक के पूर्व इस बिन्दु पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ0प्र0 का लिखित अभिमत/आश्वासन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
3. विकासकर्ता द्वारा पूर्व स्वीकृत डी0पी0आर0/ले–आउट (3530 एकड़) में किये गये परिवर्तन के सम्बन्ध में भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद हेतु अपेक्षित शपथ–पत्र विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत कर दिया गया है। इसका समस्त उत्तरदायित्व विकासकर्ता मे0 अंसल ए0पी0आई0 के स्वंय का होगा परन्तु किये गये परिवर्तनों से प्रभावित/सम्बन्धित क्षेत्रफल का पार्ट विन्यास मानचित्र पृथक से स्वीकृत कराना होगा।
4. विकासकर्ता द्वारा एच.टी. लाईन के नीचे नव–प्रस्तावित आउटर रिंग रोड़ तथा उसके सामानान्तर ग्रीन हेतु कुल 250 मी0 चौड़ी भू–पट्टी छोड़ी गयी है। विकासकर्ता को उक्त 250 मी0 चौड़ी भू–पट्टी का कास–सेक्शन विस्तृत विन्यास मानचित्र के स्वीकृति के समय अवश्य प्रस्तुत करना होगा।
5. डी0पी0आर0 में विभिन्न भूखण्डों में दर्शित प्रस्तावित भवनों के फुट–प्रिन्ट्स अनुमोदित नहीं किये जा सकते है। विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुरूप डी0पी0आर0 स्तर पर दर्शित विभिन्न भूखण्डों में फुट–प्रिन्ट्स का कोई आधार ले–आउट/भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु मान्य नहीं होगा।
6. विकासकर्ता द्वारा अभी तक भारतीय रेलवे विभाग की अनापत्ति प्रस्तुत नही की गयी है। रेलवे लाईन के किनारे प्रस्तावित कोई भी भवन मानचित्र बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
7. टाउनशिप के अन्तर्गत स्थित तालाब, बाग/बगीचों, कब्रिस्तान/शमशान घाट के सम्बन्ध में सक्षम स्तर अर्थात राजस्व विभाग के उप जिलाधिकारी/तहसीलदार की अनापत्ति विकास अनुबन्ध/विन्यास मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व अवश्य प्रस्तुत करना होगा।

टाउनशिप के अन्तर्गत आने वाली कैनाल/माइनर आदि के "डेड एण्ड" तथा नहरों को क्रास कर प्रस्तावित रोड के निर्माण सम्बन्ध में तथा सिंचाई विभाग की भूमि के सम्बन्ध में प्रत्येक चरण के विस्तृत मानचित्र स्वीकृति के समय सिंचाई विभाग की अनापत्ति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

9. विकासकर्ता के अनुसार ग्राम–बरौना के खसरा सं0 1 से 116 तक की भूमि के विवाद के सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के 228वीं बैठक दिनांक 28.06.2014 में निर्णय हो चुका है, परन्तु डी0पी0आर0 स्वीकृति/निर्गत के पूर्व उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की अनापत्ति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
10. विकासकर्ता द्वारा मदर सिटी में पूर्व प्रस्तावित औद्योगिक भू–उपयोग को शिफ्ट कर टाउनशिप के पूर्वी एवं बाहरी किनारे पर प्रस्तावित की गयी है। नीति के अन्तर्गत संशोधित डी0पी0आर0 के समय ऐसे परिवर्तनों पर कोई प्रतिबन्ध निर्धारित नहीं है। अतः समिति द्वारा उक्त परिवर्तन को संज्ञान में लेते हुए अनुमोदित किये जाने की संस्तुति की गयी।
11. टाउनशिप में प्रस्तावित मनोरंजनात्मक भू–उपयोग में प्रस्तावित की जाने वाली क्रियाओं को स्पष्ट कराने के पश्चात् ही लागू जोनिंग रेगुलेशन/भवन उपविधि के अनुरूप सम्बन्धित चरण का विकास अनुबन्ध/विन्यास मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा।
12. 6465 एकड़ क्षेत्रफल के डी0पी0आर0 में संलग्न इम्पलीमेन्टेशन चार्ट के अनुरूप टाउनशिप में प्रस्तावित ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण सुनिश्चित करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त 3530 एकड़ क्षेत्रफल के डी0पी0आर0 में पूर्व प्रस्तावित 9070 ई0डब्ल्यू0एस0/एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण प्रत्येक दशा में दिनांक 31.08.2015 तक पूर्ण कराना होगा।
13. डी0पी0आर0 में संलग्न जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, विद्युतीकरण प्रणाली हेतु सक्षम स्तर से अभिकल्पित डिजाईन/ड्राइंग पर प्रत्येक चरण के विन्यास मानचित्र/विकास अनुबन्ध के स्वीकृति के पूर्व मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0 कार्यालय से अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
14. टाउनशिप के अन्तर्गत बन्धक रखी जाने वाली भूमि को चिन्हित कर डी0पी0आर0 स्वीकृति/निर्गत के पूर्व विकासकर्ता को प्रस्तुत करना होगा तथा ले–आउट प्लान स्वीकृति/निर्गत के पूर्व मार्गेज्ड डीड अवश्य निष्पादित करना होगा।
15. विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 26.02.2014 के अनुरूप विकासकर्ता कम्पनी द्वारा विभिन्न सामुदायिक सुविधाओं यथा पुलिस स्टेशन, पोस्ट आफिस, टेलीफोन एक्सचेन्ज, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, फायर स्टेशन आदि हेतु आरक्षित भूमि को ले–आउट पर चिन्हित करते हुए विकास प्राधिकरण के माध्यम से सम्बन्धित संस्थाओं/विभागों को निःशुल्क हस्तान्तरित किया जायेगा।
16. विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 26.02.14 के अनुरूप डिटेल्ड ले–आउट प्लान की स्वीकृति के समय भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क, पर्यवेक्षण/निरीक्षण शुल्क/सिटी डेवलपमेन्ट चार्जेज, विकास अनुज्ञा शुल्क, कनेक्टिविटी चार्जेज (यदि कोई हो) तथा अन्य निर्धारित शुल्कों को जमा करने के पश्चात् ही प्राधिकरण के साथ निर्धारित प्रपत्र पर विकास अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।
17. विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 26.02.14 के अनुरूप प्राधिकरण एवं अन्य शासकीय अभिकरणों द्वारा विकसित की जानी वाली निकटवर्ती ट्रंक सेवायें यथा रिंग रोड, फ्लाई ओवर/पुल, ड्रेनेज, सीवेरेज तथा मेट्रो रेल इत्यादि जिसका सीधा लाभ हाईटेक टाउनशिप को प्राप्त होगा, हेतु विकासकर्ता कम्पनी को प्राधिकरण में समानुपातिक व्यय जमा कराना होगा।
18. विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 26.02.14 के अनुरूप प्रस्तावित योजना के विकास कार्यो के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले व्यक्तियों के लिए प्रदेश सरकार की पुर्नवास नीति के अनुसार पुर्नवास की व्यवस्था किया जाना विकासकर्ता का दायित्व होगा। इसके अतिरिक्त इससे सम्बन्धित समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करना होगा।
19. डी0पी0आर0 स्वीकृति/निर्गत के पूर्व भारतीय रेलवे, उ0प्र0 आवास एव विकास परिषद की अनापत्ति तथा विन्यास मानचित्र/विकास अनुबन्ध स्वीकृति के पूर्व तहसीलदार/उपजिलाधिकारी, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय भारत सरकार, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंचाई विभाग, एयर पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अर्जन विभाग ल0वि0प्रा0, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केन्द्रीय भू–जल परिषद तथा यातायात विभाग की अनापत्ति अवश्य प्राप्त करना होगा।

समिति द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रतिबन्धों के अधीन वांछित अनापत्तियों सहित प्रश्नगत संशोधित डी0पी0आर0 को प्राधिकरण बोर्ड के अवलोकनार्थ/अन्तिम अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(ए0के0 तिवारी)
अधिशासी अभियन्ता
(हा./इंटी. सेल)

(शेरसिंह)
सहयुक्त नियोजक
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0

(जे0एन0 रेड्डी)
मुख्य नगर नियोजक,
ल0वि0प्रा0

(अजय कुमार मिश्र)
प्रभारी मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0

(ओ0पी0 मिश्र)
मुख्य अभियन्ता,
ल0वि0प्रा0

(ए0पी0 तिवारी)
सचिव,
ल0वि0प्रा0

विषय :-कानपुर रोड नगर प्रसार भाग-4 के अन्तर्गत ग्राम भदरूख (बंगला बाजार) नें प्रस्तावित धरना स्थल की भूमि मा0 न्यायालय के स्थगनादेशों से प्रभावित हाने के कारण समझौते के अन्तर्गत भूमि का समायोजन/आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

1. कानपुर रोड भाग-4 योजना का कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 2025 बीघा 15 बिस्वा विस्वांसी था। धारा 4/17 दिनांक 27.06.1985 व धारा 6/17 दिनांक 05.07.1985 को शासन द्वारा जारी की गयी। इस भूमि का कब्जा दिनांक 10.02.1987 को प्राप्त हुआ। योजना का अभिनिर्णय दिनांक 08.01.1988 को घोषित किया गया।
2. खसरा सं. 314 रकबा 0-10-0, खसरा सं. 315 रकबा 8-5-0, खसरा सं. 324 रकबा 0-15-0, खसरा सं. 325 रकबा 1-0-0, खसरा सं. 327 रकबा 1-16-0, कुल रकबा 12-6-0 बीघा भूमि राजस्व अभिलेखों में श्री कृष्ण कुमार बंसल, राज कुमार बंसल, विजय कुमार बंसल व अजय कुमार बंसल के नाम दर्ज थी। कृष्ण कुमार बंसल व राज कुमार बंसल द्वारा आधे भाग का प्रतिकर प्राप्त कर लिया गया, अवशेष आधा भाग 6-3-0 बीघा भूमि अजय कुमार बंसल व विजय कुमार बंसल के नाम है, जिसका प्रतिकर उनके द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है। अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति ने प्रतिकर की धनराशि रू.553059.00 दिनांक 07.04.2015 को मा0 जिला जज लखनऊ के न्यायालय में जमा कर दी है।
3. उक्त योजना की भूमि के आंशिक भाग पर कुछ निर्माण अधिग्रहण से पूर्व के व कुछ निर्माण अधिग्रहण के पश्चात किये गये, जिस कारण बंगला बाजार से लगी भूमि पर स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार निर्माण/विकास कार्य नहीं कराये जा सके।
4. कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत ग्राम भदरूख बंगला बाजार की भूमि पर किये गये अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 19.01.01 को अनुपूरक विषय संख्या 4 पर निम्न निर्णय हुआ:-

''विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में प्राधिकरण की संस्तुति शासन को भेजे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्देश दिये गये कि विज्ञप्ति प्रकाशित करके समस्त लाभार्थियों को सूचना दे दी जाये, कि जो प्रकाशन के एक माह के अन्दर 20 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं करते है, तो उन्हें इस योजना के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। यह भी निर्देश दिये गये है कि इस परियोजना की अर्थ विवेचना तैयार कराकर विस्तृत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

पुनः इसी प्रस्ताव पर दिनांक 19.01.01 को प्राधिकरण बोर्ड बैठक में विचार विमर्श किया गया एवं निम्न निर्णय हुआ:-

''बैठक दिनांक 19.01.01 के अनुपूरक विषय सं. 4 जो कि कानपुर रोड योजना भाग-4 के अन्तर्गत ग्राम भदरूख बंगला बाजार की अधिग्रहित भूमि पर किये गये अनाधिकृत निर्माण से प्रस्तावित भूमि के समायोजन/आवंटन के सम्बन्ध में था, पर लिये गये निर्णय के कियान्वयन का मा. उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका में अंतिम निर्णय होने तक स्थगित किया गया''।

दिनांक 18.04.2001 को मा. उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका सं. 5054/2000 श्री दिवाकर बनाम राज्य सरकार एवं अन्य खारिज कर दी गई। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका (जनहित याचिका) संख्या 5054/2000 दिनेश दिवाकर बनाम उ0प्र0 सरकार में सुवाई दिनांक-18.04.2001

को हुई थी। मा0 उच्च न्यायालय ने इस रिट याचिका को इस तिथि को अन्तिम रूप से निस्तारित कर दिया (संलग्नक-1)

5. कानपुर रोड नगर प्रसार भाग-4 के अन्तर्गत ग्राम भदरूख (बंगला बाजार) की अधिग्रहीत भूमि पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किये गये अनाधिकृत निर्माणों से प्रभावित भूमि को उनके पक्ष में आवंटित/समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में पुनः प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 25.06.2001 को विषय संख्या-5 पर निम्न निर्णय हुआ।

(अ). योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु अपर सचिव को जिम्मेदारी सौंपी गयी।

(ब). योजना की पुनरीक्षित अर्थ विवेचना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

(स). सुविधाओं का विकास पहले कराने तदोपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के निर्देश दिये गये। इस हेतु इंट्रीग्रेटेड कान्ट्रैक्ट किये जाने के निर्देश दिये गये।

(द). कार्ययोजना (पर्ट-चार्ट) 15 दिनों के अन्दर तैयार कराने के निर्देश दिये गये।

(च). अनाधिकृत रूप से बसे हुए व्यक्तियों की संख्या, उनके कब्जें की भूमि का क्षेत्रफल एवं उनसे वसूली कब तक और कैसे की जायेगी, का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाये।

(छ). यह निर्णय केवल भदरूख, बंगलाबाजार के सम्बन्ध में इस योजना के अन्य प्रकरणों पर अलग-अलग विशिष्ठ प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाये।

6. कानपुर रोड नगर प्रसार भाग-4 के अन्तर्गत ग्राम भदरूख (बंगलाबाजार) की अधिग्रहीत भूमि पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किये गये अनाधिकृत निर्माणों से प्रभावित भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक-19.06.2002 को विषय संख्या-2 में निम्न निर्णय हुआ।

"कानपुर रोड नगर प्रसार भाग-4 के अन्तर्गत ग्राम भदरूख की अधिग्रहीत भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में निर्णीत हुआ कि समायोजन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करायी जाय। शासन स्तर से जो भी निर्णय अपेक्षित है उसके लिये शासन को पत्र भेजा जाय।

उक्त निर्णय के अनुपालन में अतिक्रमण से प्रभावित भूमि का सर्वे कराया गया जिसमें लगभग 181 अवैध अध्यासी पाये गये जिसमें से 103 व्यवसायिक एवं 78 अवासीय अध्यासी थे। 103 व्यवसायिक अध्यासियों में से 11 ऐसे थे जिनकी दुकाने ध्वस्त करके उन्हें दूसरी जगह आवंटित कर दी गयी जिसके फलस्वरूप 15 एकड़ भूमि अवमुक्त होकर प्राधिकरण को प्राप्त हो गयी।

7. उक्त के अतिरिक्त दिनांक 28.09.2002 को इस आशय की सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की गयी कि जिन व्यक्तियों ने कानपुर रोड नगर प्रसार भाग-4 के अन्तर्गत ग्राम भदरूख (बंगलाबाजार) की प्राधिकरण द्वारा अर्जित भूमि पर भवन का अनाधिकृत निर्माण करा लिया है उन्हें उसी स्थान पर बसाने हेतु प्राधिकरण कार्यालय में दिनांक 28.09.2002 से दिनांक 10.10.2002 तक अपना पंजीकरण निर्धारित फीस जमा करा लें (संलग्नक-2)। इसी योजना के अन्तर्गत 54 व्यक्तियों ने पंजीकरण कराया जिसमें रू.-2557323.00 की धनराशि जमा हुयी, परन्तु समायोजन/आवंटन का कार्य पूर्ण नही किया जा सका।

8. वर्ष 2002 में अवैध निर्माणों को गिराने की कार्यवाही करते हुये 11 अवैध अध्यासियों को दूसरी जगह दुकाने आवंटित की गयी तो उस समय श्री अजय कुमार बंसल जिनका खसरा संख्या-314, 315, 324, 325 एवं 327 की भूमि पर 1/4 भाग का स्वामित्व है, के द्वारा मा0 न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) लखनऊ के यहा वाद संख्या 69/2002 दायर करके स्थगनादेश प्राप्त कर लिये जो आज भी प्रभावी है। स्थगनादेश को समाप्त करने के लिये मा0 उच्च न्यायालय में एक्सपेडाइट एप्लीकेशन लगायी जा चुकी है तथा मा0

अधीनस्थ न्यायालय से भी स्थगनादेश समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अवशेष 1/4 भाग की भूमि जिसका स्वामित्व श्री विजय कुमार बंसल के नाम है, उनके द्वारा समायोन के सम्बन्ध में न तो अपना पंजीकरण कराया है, और न ही कोई प्रार्थनापत्र दिया है। यदि समायोजन के सम्बन्ध में इनसे कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त होता है, तो नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की सैद्धांतिक सहमति की आवश्यकता है।

9. कानपुर रोड नगर प्रसार भाग-4 के अन्तर्गत ग्राम भदरूख (बंगलाबाजार) के अन्तर्गत लगभग 6000 वर्गमी0 भूमि को धरना स्थल के रूप में विकसित करने का शासन द्वारा निर्णय लिया जा चुका है, तत्पश्चात प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 28.02.2015 द्वारा धरना स्थल विकसित करने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी। इस धरना स्थल की भूमि में खसरा संख्या-315 की भूमि भी सम्मिलित है जिस पर मा0 न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) मोहनलालगंज लखनऊ का स्थगनादेश हाने के कारण धरना स्थल विकसित करना सम्भव नही हो पा रहा है। जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा प्रत्येक माह बैठक आयोजित करके समीक्षा की जा रही है। जिलाधिकारी के साथ सम्पन्न हुयी बैठक दिनांक 22.04.2015 में वादी को बैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने व जमीन के बदले एक मुश्त धनराशि का ऑफर देते हुये वाद को सैटिल करने का विकल्प दिया। भू-स्वामी श्री अजय बंसल ने निम्न बिन्दुओं पर अपनी सहमति व्यक्त की है:-(संलग्नक-3)

(अ) योजना में समाविष्ट खसरा संख्या-314, 315, 324, 325 एवं 327 की कुल भूमि 12-6-0-0 बीघा भूमि में से उनके हिस्से का 1/4 भाग यानि 7780 वर्गमी0 भूमि में से खसरा संख्या-327 की 2455.11 वर्गमी0 भूमि जिस पर पाइप फैक्ट्री निर्मित है तथा खसरा संख्या 325 की 2376.57 वर्गमी0 भूमि कुल 4831.68 वर्गमी0 भूमि अजय कुमार बंसल के पक्ष में समायोजित कर दी जाये जैसा कि पूर्व में वर्ष 2002 में उनके द्वारा पंजीकरण कराया जा चुका है, तथा मा0 न्यायालय से स्थगनादेश वापस ले लेंगे। खसरा संख्या-315 की भूमि (धरना स्थल के लिये प्रस्तावित है) प्राधिकरण के पक्ष में छोड़ देंगे।

(ब) भूमि का कोई प्रतिकर नही लेंगे।

(स) आवंटित भूमि का विकास शुल्क देने के लिये सहमत है।

(द) रोड बाइंडिंग में पड़ने वाली भूमि को प्राधिकरण के पक्ष में ध्वस्त करने के लिये सहमत है।

प्रस्ताव :-

श्री अजय कुमार बंसल की उक्तानुसार दी गयी सहमति तथा सह खातेदार विजय कुमार बंसल द्वारा प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार समायोजन करने की कार्यवाही की सैद्धांतिक सहमति हेतु मा0 बोर्ड के समक्ष धरना स्थल की आवश्यकता एवं संवेदनशीलता को देखते हुये विचारार्थ प्रस्तुत है।

सलग्नक-1

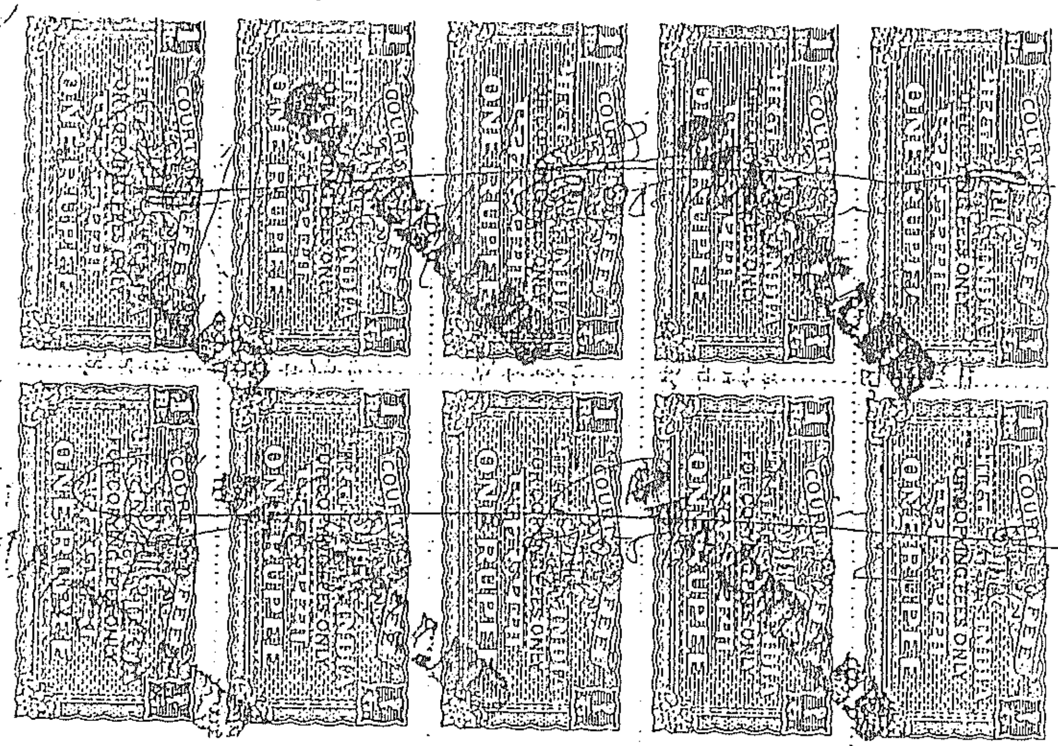

File No. With Date D 6813 / 5-5-2001
Date of Application 5-5-2001
Date of Preparation
Date of Delivery 5-5-2001
Signature of Issuing 5-5-2001
Authority [signature] 5-5-2001

[signature]

Code No.
Group: Misc. Bench.
District : Lucknow.

In the Hon'ble High court of Judicature at Allahabad

Lucknow Bench, Lucknow.

Writ Petition No. 5054 (MB) of 2000

Dinesh Diwakar, aged about 35 years,
son of Shri Late Om Prakash Diwakar
resident of Rail Nagar, P.O. Bhadrukh,
Police Station-Ashiyana, District-
Lucknow.

.... Petitioner

Versus

1. State of U.P. through its Secreatary, Awash, Civil Secretariat, Lucknow.
2. Lucknow Development Authority through its Vice Chairman.
3. Collector, Lucknow.
4. State of U.P. through Principal Secretary, of Chief Minister, U.P. Shasan, Lucknow.

.... Opposite Parties.

..... 2/

C.J's Court

Writ Petition No. 5054 (MB) of 2000

Dinesh Diwakar ..... Petitioner.

Versus

State of U.P. and others.... Opposite Parties.

Hon'ble Shyamal Kumar Sen, C.J.
Hon'ble Jagdish Bhalla, J.

Pursuant to our earlier directions Secretary Lucknow Development Authority has made an inquiry and fixed responsibility against those whose names have been mentioned in the report to be responsible for such fraudulent transactions and the Secretary has recommended action against them. Out of 10 acres of land which is involved in this Public Interest Litigation 7.68 acres of land has already been vacated at the instance of the Lucknow Development Authority and for the remaining 2.4 acres of land over which constructions have been made steps have been taken for demolition of those constructio

It is further stated that in some cases actual possession could not be taken because of the stay orders and the steps are being taken for vacating the stay orders and as soon as the stay orders are vacated the steps shall be taken to take possession.

Since as per our earlier view appropriate action has been taken by the Lucknow Development Authority we on observe that there were gross laches on the part of the Lucknow Development Authority, some steps should have been taken much earlier. It is because of the Public Interest Litigation filed by the petitioner that the irregularities /

have been found out and such steps could be taken by the Lucknow Development Authority. We have already deprecated the attitude of the Lucknow Development Authority in our earlier orders. It is expected that they should regularise their affairs and take appropriate steps in accordance with law in all matters.

The writ petition stands disposed of by this order.

TRUE COPY
Section Officer
Copying Department
High Court Lucknow Bench
LUCKNOW.

65

(2)

संलग्नक-2

लखनऊ विकास प्राधिकरण

ग्राम भदरुख (बंगला बाजार) स्थित अवैध अध्यासियों को बसाने हेतु आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बंगलाबाजार (भदरुख) ग्राम की लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर जिन व्यक्तियों ने भवन का अनाधिकृत निर्माण कर लिया है, उनको उसी स्थान पर बसाने हेतु पंजीकरण दिनांक 28.09.2002 से 10.10.2002 तक लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्यालय, विपिन खण्ड गोमतीनगर में किया जा रहा है। इस हेतु पंजीकरण के रूप में रू० 30,000/- का ड्राफ्ट जो सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में हो, प्राधिकरण कोष में जमा कर पंजीकरण करा लें, तथा अपनी रजिस्ट्री आदि की फोटो प्रति पंजीकरण रसीद के साथ श्री अनूप शुक्ला सम्पत्ति अधिकारी के कक्ष में प्राप्त करा दें. उक्त तिथि तक पंजीकरण न कराने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध किसी भी कार्यवाही हेतु वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

डॉ० रेखा गुप्ता
सचिव

PGDCA

सेवा में

उपाध्यक्ष महोदय
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

विषय :—कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग—4 के अन्तर्गत ग्राम—भदरूख (बंगला बाजार) में धरना स्थल के लिए प्रस्तावित की गयी भूमि को अर्जन से मुक्त / समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि कानपुर रोड योजना भाग—4 में भूमि खसरा संख्या—314, 315, 324, 325, 327 की कुल भूमि 12—6—0—0 बीघा राजस्व अभिलेखों में हम चार भाईयों के नाम दर्ज है। वर्ष 2002 में आपके विभाग द्वारा समायोजन की स्कीम दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की गयी थी, जिसके अन्तर्गत हमारे द्वारा वांछित धनराशि जमा करके पंजीकरण कराया जा चुका है। हमारी भूमि पर जो निर्माण अर्जन से पूर्व के थे, उनको गिराने के लिए आपके विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही थी, तब हमारे स्तर से मा0 सिविल जज के न्यायालय से वाद संख्या—69 / 2002 योजित करके स्थगनादेश प्राप्त कर लिया गया है।

हम उक्त भूमि को आपसी समझौते के आधार पर सेटेलमेन्ट करना चाहते है, कृपया निम्न बिन्दुओं पर विचार करने का कष्ट करें।

(1) योजना में समाविष्ट खसरा संख्या—314, 315, 324, 325 एवं 327 की कुल भूमि 12—6—0—0 बीघा भूमि में से उनके हिस्से का 1 / 4 भाग यानि 7780 वर्गमी0 भूमि में से खसरा संख्या—327 की 2455.11 वर्गमी0 भूमि जिस पर पाइप फैक्ट्री निर्मित है तथा खसरा संख्या 325 की 2376.57 वर्गमी0 भूमि कुल 4831.68 वर्गमी0 भूमि अजय कुमार बंसल के पक्ष मे समायोजित कर दी जाये जैसा कि पूर्व मे वर्ष 2002 में हमारे द्वारा पंजीकरण कराया जा चुका है, तथा मा0 न्यायालय से स्थगनादेश वापस ले लेंगे। खसरा संख्या—315 की भूमि (धरना स्थल के लिये प्रस्तावित है) प्राधिकरण के पक्ष में छोड़ देंगे।

(2) भूमि का कोई प्रतिकर नंही लेंगे।

(3) आवंटित भूमि का न्यूनतम विकास शुल्क देने के लिये सहमत हूँ।

(4) रोड बाइडिंग में पड़ने वाली भूमि को प्राधिकरण के पक्ष में ध्वस्त करने के लिये सहमती देता हूँ।

यदि विभाग उक्त बिन्दुओं पर सहमत होता है, तो मै मा0 न्यायालय से अपना वाद वापस ले लूंगा, और यदि हमारा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होता है, तो ऐसी दशा में हमारी सहमति का कोई भी प्रभाव न्यायालय में लम्बित वाद पर नहीं होगा।

दिनांक :—16.05.2015

प्रार्थी

Ajai Kumar Bansal
अजय कुमार बंसल

विषय :- **श्री मिथिलेश कुमार पूर्व सांसद (लोकसभा) के आवंटित भूखण्ड संख्या–ए–1/1 गोमती नगर विस्तार योजना की अतिरिक्त भूमि के मूल्य पर लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ करने के संबंध में।**

श्री मिथिलेश कुमार को दिनांक 28.02.2005 को लॉटरी के माध्यम से ए श्रेणी का भूखण्ड संख्या–ए–1/1 गोमती नगर विस्तार योजना में आवंटित हुआ था, जिसका मानक क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर था। भूखण्ड कार्नर का होने के कारण प्राप्त लीज प्लान में कुल क्षेत्रफल 538.75 वर्ग मीटर था, प्रश्नगत भूखण्ड के सम्पूर्ण क्षेत्रफल 538.75 वर्ग मीटर का निबंधन पूर्ण धनराशि जमा होने के उपरान्त दिनांक 10.12.2009 को निबन्धन प्रपत्रों का निष्पादन किया गया तथा भूखण्ड के निबंधन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है।

श्री मिथिलेश कुमार ने निबंधन के उपरान्त पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि निबंधित क्षेत्रफल से अधिक भूमि स्थल पर उपलब्ध है। प्राधिकरण द्वारा पुनः पैमाइश कराये जाने पर स्थल पर निबंधित भूखण्ड का क्षेत्रफल 538.75 वर्ग मीटर के अतिरिक्त 121.25 वर्ग मीटर भूमि अधिक उपलब्ध पायी गयी। अतिरिक्त भूमि 121.25 वर्ग मीटर का आवंटन श्री मिथिलेश कुमार के पक्ष में किये जाने के उपरान्त भूमि का मूल्य रु0 26,91,750/– दिनांक 15.10.2014 तक जमा करने हेतु कार्यालय पत्र संख्या–83/ओ0एस0/14 दिनांक 27.08.2014 सूचित किया गया। श्री मिथिलेश कुमार द्वारा निर्धारित अवधि में धनराशि रु0 26,91,750/– न जमा कर दिनांक 15.04.2015 को जमा किया गया। इस प्रकार इनके द्वारा धनराशि जमा किये जाने में लगभग छः माह का विलम्ब किया गया। धनराशि विलम्ब से जमा किये जाने की दशा में 15 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रु0 2,05,667/– की देयता दिनांक 31.05.2015 तक हुई। श्री मिथिलेश कुमार द्वारा विलम्ब से जमा की गयी धनराशि में लगाये गये ब्याज को माफ किये जान हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः पूर्व सांसद द्वारा अनुरोध के अनुसार ब्याज माफ करने पर विचार करने हेतु प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

(प्रदीप कुमार श्रीवास्तव)
अनुभाग अधिकारी

(अशोक [illegible] सिंह)
व्यवस्था अधिकारी [illegible]
लखनऊ विकास [illegible]

(एन. एन. सिंह)
संयुक्त सचिव